चतुर्दश माला, खंड 6, अंक 12

गुरूवार, 16 दिसम्बर, 2004
25 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 6 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

आर.एल. रैना
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 12, गुरूवार, 16 दिसम्बर, 2004/25 अग्रहायण, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
दिनांक 15.12.2004 को लोक सभा में कार्य न होने के कारण इसके समय पूर्व स्थगन के बारे में	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 224	2-43
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 225 से 242	43-71
अतारांकित प्रश्न संख्या 2504 से 2733	72-335
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	335-343
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
154वां, 155वां और 156वां प्रतिवेदन	343
कार्य मंत्रणा समिति	
छठा प्रतिवेदन	343-344
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
फिरोजपुर मंडल के जालंधर-पठानकोट खंड के बीच जालंधर-पठानकोट पैसेंजर (डी एम यू) तथा जम्मू तवी एक्सप्रैस के बीच हुई दुर्घटना	344-350
श्री लालू यादव	344-347
आंध्र प्रदेश विधान परिषद विधेयक, 2004.	351-353
सदस्यों द्वारा निवेदन	
''एन्टी रेबीज वैक्सीन'' की कमी के कारण लोगों को हो रही कठिनाई के बारे में	364-365
नियम 377 के अधीन मामले.	372-380
(एक) दक्षिण-मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल के कृष्णा कैनाल-टाड्ड रेलवे खंड को गुंटूर मंडल में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रायापति सांबासिवा राव	372-373

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(दो) अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के पोस्ट मैट्रिक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए राजस्थान सरकार को धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
डा. करण सिंह यादव	373-374
(तीन) उड़ीसा में फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंचायतों को यूनिट के रूप में माने जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रशेखर साहु	374
(चार) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में नई रेल लाइनें बिछाने और आमान परिवर्तन कार्य के लिए सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता	
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	374-375
(पांच) मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन	375
(छह) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पचनदा में बांध निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	375-376
(सात) हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक विमानपत्तन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश चंदेल	376
(आठ) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजनरायन बुधौलिया	376-377
(नौ) भारत-नेपाल सीमा पर घोड़ासाहन-सीतामढ़ी के बीच सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री सीताराम सिंह	377
(दस) "हड़ताल के अधिकार" को संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सी. कुप्पुसामी	377
(ग्यारह) झारखंड में उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता	
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	378
(बारह) सुविख्यात समाज सुधारक श्री नारायण गुरू की एक प्रतिमा दिल्ली के किसी प्रमुख स्थान पर लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.सी. थामस	378-379
(तेरह) 2 अक्तूबर, 2004 को दीमापुर में हुए विस्फोटों में लिप्त दोषियों का पता लगाने के लिए नागालैंड सरकार को आवश्यक सहायता और आदान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक	379

विषय	कॉलम
(चौदह) उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में विशेष ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम चरण-1 को समय पर पूरा कराने के लिए धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री बिक्रम केशरी देव	379-380
(पन्द्रह) तमिलनाडु में इट्टैयापुरम और राजापालायम के बीच की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	380
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, विधेयक 2004—*जारी*	380-458
विचार करने के लिए प्रस्ताव	380
योगी आदित्यनाथ	381-385
श्री के.एस. राव	385-390
श्री भर्तृहरि महताब	391-395
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	395-396
श्री पी.के. वासुदेवन नायर	396-398
प्रो. एम. रामदास	399-401
श्री धर्मेन्द्र प्रधान	401-407
श्री इकबाल अहमद सरडगी	407-409
श्री ए.वी. बेल्लारमिन	409-411
श्री हरिभाऊ राठौड़	411-413
श्री अलीमाऊ चर्चील	413-414
श्री बीर सिंह महतो	414
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	414-416
श्री आलोक कुमार मेहता	416-417
श्री शैलेन्द्र कुमार	417-419
श्री समिक लाहिरी	419
श्री असादूद्दीन ओवेसी	419-422
श्री मदन लाल शर्मा	422-423
श्री के. फ्रांसिस जार्ज	424-426

विषय	कॉलम
डा. शफीकुर्रहमान बर्क	426-427
सुश्री महबूबा मुफ्ती	428-430
श्री वरकला राधाकृष्णन	430-431
श्री फ्रांसिस फैन्थम	432-433
श्री जे.एम. आरून रशीद	433-434
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	435-438
श्री रामदास आठवले	438-439
श्री अर्जुन सिंह	439-447
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	448-455
खंड 2 से 26 और 1	456-457
पारित करने के लिए प्रस्ताव	458
आधे घंटे की चर्चा	
सूखा प्रभावित राज्य	459-472
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"	459-460
डा. चिन्ता मोहन	461
श्री नीतीश कुमार	461-462
श्री शैलेन्द्र कुमार	463
श्री वरकला राधाकृष्णन	463-464
श्री कांतिलाल भूरिया	465-472
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	473
अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	474-480
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका	481-482
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका	481-484

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

गुरूवार, 16 दिसम्बर, 2004/25 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

दिनांक 15.12.2004 को लोक सभा में कार्य न होने के कारण इसके समय पूर्व स्थगन के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ''माननीय सदस्यों, कल मुझे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा माननीय नेता, प्रतिपक्ष के अनुरोध पर मध्याह्न भोजनावकाश के तुरंत पश्चात् सभा को स्थगित करना पड़ा परन्तु यह स्थगन न चाहते हुए तथा अत्यंत खेद के साथ करना पड़ा।

इस पद का कार्यभार ग्रहण करने के समय से ही मैंने इस पद के कर्त्तव्यों का अपनी पूरी क्षमता से निर्वहन करने का प्रयास किया है। मैं, सभी दलों के माननीय नेताओं से सदन को चलाने में उनकी मदद तथा सहयोग हेतु अनुरोध करता हूं और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करता रहा हूं। मैं मदद तथा सहयोग देने के लिए उनके द्वारा दिए गए आश्वासन हेतु सभी का धन्यवाद करता हूं। परन्तु इसके बावजूद कल प्रश्नकाल के पश्चात् सभा की कार्यवाही नहीं चल सकी। इतना ही नहीं, मुझ पर 'तानाशाही' चलाने का आरोप भी लगाया गया। अध्यक्षपीठ की अब कोई प्रतिष्ठा नहीं रही तथा यह पूर्णत: अप्रासंगिक हो गई है। इस पद पर आसीन होना मेरे लिए एक कष्ट का कारण बन गया है, जिसके लिए मैंने कभी कोई आकांक्षा नहीं की थी। जब तक मैं इस पद पर रहूंगा, मैं अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन प्रक्रिया नियमों तथा अपनी अंतरात्मा के अनुसार अपनी पूरी क्षमता से करने का प्रयास करता रहूंगा। यदि सदस्यगण मुझसे खुश नहीं हैं तो मुझे इसे छोड़ने पर कोई खेद नहीं होगा। मैं, इस अध्यक्ष पद पर आसीन होने की अपेक्षा अध्यक्षपीठ के सामने बैठने में ज्यादा खुश था।

कल शाम को पुणे के एक सुविख्यात महाविद्यालय के लगभग 40 छात्र मुझसे मिले। उन्होंने मुझे बताया कि वे दर्शक दीर्घा में थे तथा उन्होंने कल की कार्यवाही देखी। उन्होंने मुझसे पूछा कि 'यदि संसद कार्य नहीं करती है तो इस देश में संसदीय लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा।' मैं, इस प्रश्न को सभी माननीय सदस्यों के समक्ष रखता हूं, इस पर मनन करें और इसका उत्तर खोजें ताकि देश को इस वस्तुस्थिति का पता चले।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

नई खान-पान नीति का छोटे विक्रेताओं पर प्रभाव

***221. श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे में एक नई खान-पान नीति लागू की है;

(ख) क्या सरकार का विचार रेलवे स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में वेंडरों, स्टालों एवं कैंटीनों को भारतीय रेल खान-पान तथा पर्यटन निगम लिमिटेड (आई.आर.सी.टी.सी.) के अधीन लाने का है;

(ग) यदि हां, तो नई खान-पान नीति की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई खान-पान नीति से रेलवे स्टेशनों के छोटे वेंडरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा सैकड़ों लोगों के बेरोजगार होने एवं बड़ी कंपनियों/पूंजीपतियों का एकाधिकार होने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है एवं इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाए किय गए हैं;

(च) क्या सरकार को इस संबंध में देश के विभिन्न खान-पान संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो इनकी मुख्य मांगें क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ज) क्या सरकार का विचार नई खान-पान नीति में परिवर्तन करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (झ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) और (ग) 23.3.1999 के मंत्रिमंडल के फैसले के तहत भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि रेलवे की खानपान गतिविधियों, चाहे वे विभागीय हो अथवा फ्रेंचाइज, को पूर्ण रूप से कर्मचारी सहित निगम को दे दी जाए और रेलवे को इस कार्य से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। तदनुसार, पहले चरण में 7 डिवीजनों की विभागीय खानपान इकाइयां 1.1.2004 को भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड को सौंप दी गई। दूसरे चरण में सात विभागीय पैंट्री कार तथा 43 लाइसेंसधारी परिचालित पैंट्री कारें भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड को सौंप दी गई और 'क', 'ख' और 'ग' कोटि के स्टेशनों (लगभग 935 स्टेशन केवल) में बड़ी इकाइयों तथा छोटी खानपान इकाइयों को अंतरित करने की प्रक्रिया जारी है।

बहरहाल, आज की तारीख में 'घ', 'ङ' और 'च' कोटि के स्टेशनों पर सभी खानपान इकाइयां रेलवे के पास हैं और उनका प्रबंधन रेलवे द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार के स्टेशन बड़ी तादाद में (लगभग 7100) हैं और इनका प्रतिशत भारतीय रेलों में कुल स्टेशनों का 88 है।

2004 की नई खान-पान नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

* 'घ', 'ङ' और 'च' कोटि के स्टेशनों पर जो कि बड़ी तादाद में हैं (लगभग 7100) और भारतीय रेलों में कुल स्टेशनों का 88 प्रतिशत है, में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, युद्ध में मारे गए शहीदों की विधवाएं और रेल कर्मियों की विधवाओं सहित महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 49.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे पहले, वर्ष 2000 की खानपान नीति में इन कोटियों के लिए आरक्षण 25 प्रतिशत था।

* 'घ', 'ङ' और 'च' श्रेणी के स्टेशनों पर खान-पान इकाइयों के आवंटन में शहीदों की विधवाओं और रेल कर्मियों की विधवाओं सहित महिलाओं के लिए 10% आरक्षण होगा और 50.5% सामान्य श्रेणी और 49.5% आरक्षित श्रेणियों में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 2% आरक्षण होगा।

* 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणी के स्टेशनों जिनकी संख्या केवल 935 है, पर सभी बड़ी और छोटी खान-पान इकाइयों का लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रतियोगी बोली आधार पर दो पैकेट खुली निविदा प्रणाली।

* 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणी के स्टेशनों पर सभी बड़ी और छोटी खान-पान इकाइयों के सभी नए लाइसेंस आई आर सी टी सी द्वारा प्रदान किए जाने हैं।

* 'घ', 'ङ' और 'च' श्रेणी के स्टेशनों जिनकी संख्या काफी अधिक है (लगभग 7100) के, लाइसेंस प्रेस अधिसूचना के द्वारा आवेदन आमंत्रित करके प्रदान किए जाएंगे, न कि निविदा के द्वारा।

* 'घ', 'ङ' और 'च' श्रेणी के स्टेशनों के लाइसेंस द्वारा प्रदान किए जाएंगे और इन स्टेशनों पर खानपान इकाइयां अभी रेलवे के पास ही रहेंगी।

* एक लाइसेंसधारी द्वारा धारिता में प्रत्येक बड़ी इकाई के लिए 15% की अधिकतम सीमा और समस्त रूप से सभी बड़ी इकाइयों के लिए समग्र रूप से 10% की अधिकतम सीमा।

* 'घ', 'ङ' और 'च' श्रेणी के स्टेशनों पर सभी बड़ी इकाइयों और सभी खान-पान इकाइयों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और संविदा की समाप्ति के उपरांत लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया जाएगा।

* 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणी के स्टेशनों पर सभी छोटी इकाइयों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और 3 वर्ष के उपरांत नवीकरण नहीं किया जाएगा।

* **अर्हता संबंधी मानदंड**

  * बड़ी खान-पान इकाइयों के लिए आवेदक प्रतिष्ठित कंपनी/फर्म आदि होना चाहिए जिनके पास खान-पान/आतिथ्य क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, न्यूनतम निर्धारित वार्षिक टर्नओवर, मजबूत वित्तीय स्थिति आदि होनी चाहिए।

* 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणी के स्टेशनों की छोटी इकाइयों के लिए आवेदक के पास जलपान गृह/भोजनालय के मामले में खान-पान/आतिथ्य सेवाओं के क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव और स्टाल और ट्राली के मामलों में दो वर्ष का अनुभव, न्यूनतम निर्धारित टर्नओवर, मजबूत वित्तीय स्थिति आदि होनी चाहिए।

* 'घ', 'ङ' और 'च' श्रेणी के स्टेशनों की सभी खानपान इकाइयों के लिए आवेदक मजबूत वित्तीय स्थिति और अच्छी पृष्ठभूमि आदि सहित व्यवसायिक/प्रतिष्ठित खान-पान प्रबंधक होना चाहिए।

(घ) जी नहीं। नई खान-पान नीति का रेलवे स्टेशों पर छोटे विक्रेताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ठेकों की समाप्ति के उपरांत सभी लाइसेंसधारी मौजूदा और नई लाइसेंसों के लिए निविदाओं/चयन में भाग ले सकेंगे बशर्ते कि वे अर्हता संबंधी मानदंडों को पूरा करते हों। कुल रोजगार संभाव्यता में कोई कमी नहीं होगी क्योंकि खान-पान/विक्रेता इकाइयां बंद नहीं की जा रही हैं। नई नीति से छोटी खान-पान इकाइयों में बड़ी कंपनियों/पूंजीपतियों का एकाधिकार नहीं होगा क्योंकि बड़ी खान-पान इकाइयों को लाइसेंस देने के लिए एक वित्तीय और अर्हता संबंधी मानदंडों की तुलना में छोटी इकाइयों के लिए वित्तीय और अन्य मानदंडों को बहुत नीचे रखा जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) जी हां। विभिन्न खान-पान संघों की मुख्य मांगें और सरकार की प्रतिक्रिया निम्नलिखित है:-

(1) मौजूदा लाइसेंसधारियों के मौजूदा लाइसेंसों का आगे नवीकरण/विस्तार किया जाए।

सरकार की प्रतिक्रिया: संघों की यह मांग रेल मंत्रालय में विचाराधीन है।

(2) निविदा में भाग लेने के लिए वित्तीय मानदंड में ढील दी जाए और मौजूदा लाइसेंसधारियों को इससे मुक्त रखा जाए।

सरकार की प्रतिक्रिया: संघों की यह मांग रेल मंत्रालय में विचाराधीन है।

(ज) और (झ) जी हां। रेल मंत्रालय में निम्नलिखित मांगों की जांच की जा रही है:-

1. मौजूदा लाइसेंसधारियों के मौजूदा लाइसेंसों का आगे नवीकरण/विस्तार किया जाए।

2. निविदा में भाग लेने के लिए वित्तीय मानदंड में ढील दी जाए और मौजूदा लाइसेंसधारियों को इससे मुक्त रखा जाए।

3. 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणी के स्टेशनों पर भी छोटी खान-पान इकाइयों के लाइसेंसों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों/शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांगों/युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और रेल कर्मियों की विधवाओं सहित महिलाओं को आरक्षण मुहैया कराने के लिए।

4. संतोषजनक निष्पादन को देखते हुए शहीदों की विधवाओं/रेल कर्मियों की विधवाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग लाइसेंसधारियों के लाइसेंसों नवीकरण की अनुमति प्रदान करने के लिए।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: मध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय की नई खान-पान नीति के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर तथा रेलगाड़ियों में वेंडरों, स्टालों और कैंटीनों को भारतीय रेल खान-पान तथा पर्यटन निगम लिमिटेड (आई.आर.सी.टी.सी.) के अंतर्गत लाने की योजना है जबकि यह संस्था शुरू से ही संदेह के घेरे में रही है।

महोदय, रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि वे रेलवे की खान-पान व्वस्था से माफियाराज को समाप्त करेंगे, लेकिन अब तक आई.आर.सी.टी.सी. ने खान-पान के जितने भी प्रार्थना-पत्र लाइसेंस देने हेतु आमंत्रित किए हैं, उनमें केवल 15-20 गिनी-चुनी कंपनियों को ही लाइसेंस दिए गए हैं। इस निगम ने लाइसेंस फीस के निर्धारण में भी दोहरी नीति अपनाई है। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि-

(क) रेलवे की खान-पान व्यवस्था में बिक्री का 12 फीसदी लाइसेंस फीस के रूप में धन जमा कराने का जब प्रावधान है, तो निगम ने किस आधार पर दिल्ली में 1 प्रतिशत, आगरा में 2 प्रतिशत, चेन्नई में 4 प्रतिशत, बोरीवली में 2 प्रतिशत, जयपुर में 3 प्रतिशत, मदुराई में 1 प्रतिशत और हावड़ा में 4 प्रतिशत पर फूड प्लाजा आबंटित किए हैं?

(ख) क्या 13वीं लोक सभा की याचिका समिति और 14वीं लोक सभा की संसदीय स्थायी समिति ने इस निगम को समाप्त करने की सिफारिश की है और इन दोनों समितियों के अध्यक्ष माननीय बसुदेव आचार्य जी हैं, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कितने प्रश्न हैं? कृपया एक पूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप अपना प्रश्न संक्षेप में और स्पष्ट रूप से नहीं पूछेंगे, तो मंत्री महोदय जवाब क्या देंगे?

श्री आर. वेलु: प्रश्न के भाग (क) का उत्तर देने के पूर्व, मैं यह कह सकता हूं कि खान-पान ठेके से होने वाली आय को बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने, ठेका देने में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, गुणवत्ता, विभिन्न किस्म के उत्पाद, स्वच्छता और बेहतर तरीके से परोसने सहित खान-पान सेवाओं का स्तर बढ़ाने, प्लेटफार्म पर भीड़-भाड़ को कम करने और खान-पान सेवाओं में ठोस सुधार लाने के बारे में यह खान-पान नीति है। आई.आर.सी.टी.सी. के उद्देश्य के रूप में खान-पान नीति को शामिल करने का विचार है।

प्रश्न के भाग (क) है कि इसे कैसे किया गया है। इसे खुली निविदा प्रणाली के माध्यम से किया गया है। निविदा के दो भाग हैं- एक भाग है तकनीकी और दूसरा है वित्तीय। मान्य मानदंडों के आधार पर उनको अनुमति दी गई है और निविदा की स्वीकारोक्ति दी गई है। निविदाओं की छानबीन करने के बाद सिर्फ उन्हीं को काम दिया जाएगा जिन्हें इसके लिए प्रतिस्पर्धात्मक पाया जाएगा। एक प्रतिशत या दो प्रतिशत का कोई प्रश्न नहीं है। यह खुली निविदा प्रणाली है और पात्र लोग ही इसमें भाग ले सकते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। कृपया व्यवधान न डालें। कृपया इस आदत को छोड़ें।

श्री आर. वेलु: इस संबंध में आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा कोई विवेकाधिकार, या भेदभाव या पक्षपात नहीं किया गया है। जहां तक प्रश्न का तीसरा भाग जो इसे बंद करने के संबंध में है यह एक नीतिगत मामला है जिसका निर्णय मेरे स्तर पर नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने विभिन्न स्टेशनों पर भिन्न-भिन्न दरों के बारे में पूछा है। क्या आपके पास कोई उत्तर है?

श्री आर. वेलु: उन्होंने कहा कि ठेके एक या दो प्रतिशत पर दिए गए हैं। यह सही नहीं है। ठेके खुली निविदा प्रणाली के माध्यम से दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें और यह ठोस प्रश्न होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने यहां तथ्यों को ठीक ढंग से प्रस्तुत न करके भ्रमिक करने का प्रयास किया है। नई नीति में अ, ब और स श्रेणी के स्टेशनों के ठेके में करोड़ों रुपए की बिक्री और लाखों रुपए की जमानत का प्रावधान है, क्या इस तरह की प्रतिस्पर्द्धा के कारण बड़ी कम्पनियों का उन पर एकाधिकार नहीं हो जाएगा और छोटे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे? इसी सिलसिले में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो उन्हें जनप्रतिनिधियों और अन्य समूह से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, उन पर मंत्री जी कौन सी कार्यवाही कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: श्रेणी 'क', 'ख' और 'ग' के संबंध में हमें अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और वे समीक्षाधीन हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि यह नीति लोगों की मदद के लिए ही है, विशेषकर वंचित लोगों के लिए है। हमने कभी नहीं कहा कि उन अभ्यावेदनों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हम उन पर अवश्य ध्यान देंगे। यदि आवश्यक हुआ तो उन लोगों की मदद के लिए नीति की पुन: जांच की जाएगी। नें रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी: अध्यक्ष महोदय, एक तरफ रेल बजट में रेल मंत्री जी की यह घोषणा है कि बुक स्टाल के क्षेत्र में बड़ी कम्पनियों के एकाधिकार को समाप्त किया जाएगा, जो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं कैटरिंग के क्षेत्र में देख रहा हूं कि इसमें बड़ी कम्पनियों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो केद का विषय है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा कुछ चुनिंदा फर्म और पार्टीज को ही रेलवे स्टेशनों पर पेंट्री कार, फूड प्लाजा, रेफ्रेशमेंट रूम तथा केटरिंग स्टाल के लिए चयन किया गया, यदि हां, तो वे कौन सी कम्पनीज हैं और क्या इस बारे में विस्तृत सूचना प्रकाशित की गई है, अगर नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं? क्या इन कारणों से बेरोजगार लोगों के हाथ से रोजगार छिन जाएगा?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: मैं कह सकता हूं कि इस एकाधिकार को तोड़ने के लिए पहली बार हमने प्रत्येक ठेके के लिए एक शर्त

''अवधि समाप्त होने'' की शुरूआत कर रहे हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत ठेके सिर्फ पांच वर्षों के लिए ही दिये जाएंगे। हम उनका दूसरी बार नवीकरण नहीं करेंगे। यदि वे पुन: अगले पांच वर्षों के लिए ठेका चाहते हैं तो उन्हें प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। इसलिए, किसी व्यक्ति विशेष या कंपनी के साथ पक्षपात करने का प्रश्न ही नहीं है। सबसे पहले, हम खुली निविदा प्रणाली के माध्यम से पांच वर्षों के लिए ठेके देने की प्रणाली अपनाकर एकाधिकार को खत्म करने जा रहे हैं। इसका कोई नवीकरण नहीं होगा। यह माननीय सदस्य की सूचना के लिए है। यदि कोई ऐसी विशेष घटना हमारी जानकारी में आती है जिसमें इस सुविधा का किसी तरह से दुरूपयोग हुआ है तो उस मामले में हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। मैं माननीय सदस्य को पुन: सूचित करना चाहूंगा कि रेलवे में ऐसा नहीं किया जा रहा है।

श्री जे.एम. आरून रशीद: तमिलनाडु राज्य में खान-पान संबंधी निविदाएं बड़े होटलों जैसे स्वर्ण होटल, आनंद भवन और ऐसे ही कुछ अन्य होटलों को दी जा रही हैं। रेलवे प्लेटफार्मों पर गरीब वेन्डरों का क्या होगा? मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनके लाइसेंसों का नवीनीकरण होगा अथवा नहीं।

श्री आर. वेलु: महोदय, इस उद्देश्य के लिए अब हमने स्टेशनों को 'क' से लेकर 'च' तक वर्गीकृत किया है। 'घ', 'ङ' और 'च' श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले वेंडरों को आवेदन के माध्यम से चयन प्रक्रिया में भागीदारी करनी पड़ेगी। उनके कार्य निष्पादन, दर्जे को ध्यान में रखते हुए हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे और यह देखेंगे कि उनके लिए बिक्री की सुविधाएं उपलब्ध हों।

क, ख और ग श्रेणियों के वेंडर, लघु बिक्री इकाइयों के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रक्रिया में भाग लेंगे। हम यह देखेंगे कि उन्हें बिक्री सुविधाओं से वंचित न किया जाए और वे अपना कारोबार करने में सक्षम बने रहें। यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर आवेदन प्रक्रिया के द्वारा ही होगा। वे छोटे वेंडर (विक्रेता) के रूप में इस प्रक्रिया द्वारा अपना कारोबार जारी रख सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया: अध्यक्ष जी, मेरा नई खान-पान नीति के तहत बहुत छोटा सा क्वैश्चन है। क्या इस नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय व्यंजन भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है, क्या आर्डर पर ऐसी चीजें उपलब्ध कराई जा सकती हैं?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, आई.आर.सी.टी.सी. का गठन प्रत्येक क्षेत्र की खाद्य किस्में और गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ प्रदान करने के लिए किया गया है। हम पूरे देश के लिए किसी तरह का 'मीनु' (खाद्य पदार्थों की सूची) निर्धारित नहीं करेंगे। मीनु संबंधित क्षेत्र पर निर्भर करेगा।

अध्यक्ष महोदय: आपके आश्वासन के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने डी, ई और एफ कैटेगरीज में आरक्षण का प्रावधान किया है। अपने सिर्फ 'घ', 'ङ' और 'च' श्रेणियों के लिए आरक्षण दिया है लेकिन कोई पारिश्रमिक नहीं है। उसके अन्दर रिटर्न बहुत कम है, क्योंकि वे बहुत छोटे स्टेशंस हैं। लेकिन आपने क, ख और ग श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया है। इसके क्या कारण हैं? ए, बी और सी कैटेगरी में भी आपको आरक्षण देना चाहिए था, लेकिन इन तीन वर्गों में आपने आरक्षण नहीं दिया और छोटे-छोटे स्टेशंस, जिन पर कोई ज्यादा रिटर्न नहीं है, डी, ई और एफ कैटेगरीज में आरक्षण दिया है। क्या ए, बी और सी कैटेगरी में भी आप आरक्षण देने का विचार रखते हैं?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने पहली बार 'घ', 'ङ' और 'च' श्रेणियों के लिए आरक्षण कोटे को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 49.5 प्रतिशत कर दिया है। माननीय सदस्य द्वारा विशेष प्रश्न उठाए जाने के संबंध में कि यह सुविधा 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणियों को दी जा रही है या नहीं, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हम इस प्रस्ताव की छानबीन कर रहे हैं। हम समाज के कमजोर तबकों के लोगों, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और रेलवे कर्मचरियों की विधवाओं की मदद करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए, आप यह कहें कि आप इस पर विचार करेंगे।

श्री आर. वेलु: महोदय, हम इन सभी चीजों पर विचार कर रहे हैं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: महोदय, मेरा एक संक्षिप्त प्रश्न है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या भोजन के लिए ट्रेनों में ताड़ के पत्तों से बनी प्लेटों को शुरू करने की कोई योजना है। माननीय रेल मंत्री ने इस सभा को आश्वस्त किया है कि किसान काफी कष्ट में हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या ट्रेनों में विशेष रूप से केरल एक्सप्रेस में निजी खान-पान सेवा प्रदान करने वालों की

निगरानी के लिए कोई तंत्र है, जिसके बारे में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता स्तरीय न होने का पता चला है।

श्री आर. वेलु: मैं, माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस मामले को नोट कर लिया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में आपको आश्वस्त किया जाता है।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: महोदय, रेलवे की खानपान नीति के कारण नई रेलवे कैन्टीनें अब बन्द हो गई हैं। यह पता चला है कि आई आर सी टी सी ने रेलवे में खानपान सेवा को अपने अधिकार में ले लिया है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि वर्तमान कैन्टीन सेवा आम आदमी को सस्ती कीमतों पर सर्वोत्तम और सस्ते खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती हैं। आई आर सी टी सी द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला खाद्य पदार्थ महंगा होगा जिसे आम आदमी नहीं खरीद पाएगा। क्या मंत्री महोदय इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे?

श्री आर. वेलु: महोदय, भारतीय रेल को प्रतिवर्ष लगभग 400 करोड़ रु. का घाटा होता है। रेलवे के राजस्व अर्जन को बढ़ाने के मद्देजनर तथा साथ ही रेलवे में उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित रखने संबंधी माननीय सदस्यों द्वारा उद्धृत लक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि हम निश्चय ही रेलवे में उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नजर रखेंगे।

महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने गत सप्ताह चेन्नई में एक 'फूड प्लाजा' का उद्घाटन किया है। वहां मुझे पता चला कि वडा की कीमत 8 रु. है। इस स्टेशन पर मुख्यत: श्रमिक खाना खाते हैं। अत: मैंने उनसे अनुरोध किया है कि कीमतों को घटाएं ताकि आम आदमी खासकर श्रमिक उसे खरीद सकें। हम चीजों को अपने आप नहीं होने देंगे बल्कि निश्चय ही जब कभी जरूरत होगी हम रेलवे में उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करेंगे।

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, मैं रेलवे द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग और विधवाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 49.5 प्रतिशत करने के प्रस्ताव का स्वागत करना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान लाइसेंस धारकों की मान्य अवधि बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है अथवा नहीं। मंत्री महोदय का उत्तर है कि खान-पान नीति के अनुसार आरक्षण को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 49.5 प्रतिशत करके इसे लागू किया जाएगा।

श्री आर. वेलु: महोदय, पहले आरक्षण 25 प्रतिशत था। अब आरक्षण का अलग-अलग ब्यौरा इस प्रकार है: अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 प्रतिशत तथा अल्पसंख्यकों के लिए 9.5 प्रतिशत। अत: हम इसके अनुसार अधिक आरक्षण दे पाएंगे। प्रस्तावित योजना में, हमारा न केवल 49.5 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है बल्कि महिलाओं को दस प्रतिशत और विकलांगों को दो प्रतिशत आरक्षण देने का हमारा प्रस्ताव है चाहे वह आरक्षण श्रेणी में आते हों अथवा नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको अनुशासन बनाए रखना चाहिए। आपने प्रश्न पूछा है और यदि अब आप दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो इसे पूछने के अन्य तरीके हैं।

श्री आर. वेलु: महोदय, इसीलिए हम संबंधित श्रेणियों में आरक्षण बढ़ा रहे हैं। यदि माननीय सदस्य को इस संबंध में और अधिक जानकारी चाहिए तो मैं उन्हें ब्यौरा उपलब्ध कराऊंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी का बयान आया था कि वे रेलवे से माफियाओं के समापन का रास्ता निकालेंगे। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने उन माफियाओं की पहचान कर ली है? अगर उनकी पहचान कर ली है, तो वे कौन-कौन से लोग हैं और क्या उनमें रेल के पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं? कृपया उनके नाम बताएं। साथ ही, देश में बेरोजगारी को देखते हुए, इसमें जो सिक्युरिटी मनी जमा होती है उसमें कमी करते हुए, क्या सहकारिता बनाकर बेरोजगारों को शामिल करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप उनके प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं भी दे सकते हैं। माननीय मंत्री यहां नाम नहीं बता सकते हैं।

श्री आर. वेलु: महोदय, रेलवे में लम्बे समय से माफिया हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप उनके प्रश्न के दूसरे भाग का ही उत्तर दीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह, आप अपने प्रश्न का दूसरा भाग कृपया फिर से पूछिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं तो हम फर्स्ट पार्ट नहीं पूछेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, यहां नाम कैसे बताएंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में दिया गया है कि सिक्युरिटी में कमी करना चाहते हैं। हम प्रश्न के सैकिंड पार्ट में जानना चाहते हैं कि देश में बेरोजगारी को देखते हुए, क्या सहकारिता बनाकर बेरोजगारों को, सिक्युरिटी राशि में कमी करके, इसमें शामिल करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: यह मंत्रालय के विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अच्छा है और सीधा उत्तर है।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: महोदय, रेलवे स्टेशनों पर कई बिना लाइसेंस वाले विक्रेता हैं। क्या रेलवे का इन विक्रेताओं की जांच करने तथा केवल पात्र विक्रेताओं को ही लाइसेंस निर्गत करने का विचार है?

श्री आर. वेलु: महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि सारे वेण्डर या तो ठेका प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं या अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर आवेदन देते हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान रेलवे की बुक स्टाल नीति की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न खानपान नीति के बारे में है।

यदि आपको खानपान के बारे में कुछ नहीं पूछना है तो आप अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, खान-पान नीति के अंतर्गत एस.सी./एस.टी. के लोगों को 20 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाता है लेकिन इसमें कन्ट्रेक्टर्स की मोनोपली चलती है। कन्ट्रेक्टर्स एस.सी./एस.टी. लोगों के नाम पर खुद स्टाल लेकर चलाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कन्ट्रेक्टर्स एस.सी./एस.टी. लोगों के स्टाल अपने नाम से लेते हैं तो उनके स्टाल को रद्द कर देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कह रहे हैं। तमिलनाडु से संबंध रखने वाले मंत्री आपकी बात कैसे समझ सकेंगे? आप क्या कह रहे हैं? आप इसे साफ-साफ बोलें। आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: मेरा कहना है कि खान-पान नीति के तहत एस.सी./एस.टी. लोगों को जो स्टाल मिलते हैं, उन्हें कुछ कन्ट्रेक्टर्स एप्लीकशन भरकर ले लेते हैं क्योंकि वहां उनकी मोनोपली होती है। क्या सरकार इसे रोकने पर ध्यान दे रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का गलत लाभ उठा रहे हैं।

श्री आर. वेलु: यदि यह मामला हमारे ध्यान में विशेष रूप से लाया जाता है तो हम अवश्य कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री बीर सिंह महतो, मैंने ग्यारह अनुपूरक प्रश्नों को अनुमति दी है।

श्री बीर सिंह महतो: महोदय, देश में कई खानपान एसोसिएशनों ने सरकार के समक्ष अपना अभ्यावेदन रखा है। सरकार की प्रतिक्रिया है कि वह मामले की जांच कर रही है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि खानपान संगठनों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करने में वे कितना समय लेंगे।

श्री आर. वेलु: हम इस पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यावेदन आए हैं। हमारे माननीय मंत्री द्वारा इस नीति की घोषणा दसवें महीने में की गयी थी और चीजें अब वास्तविक रूप ले रही हैं। उन्हें दुरुस्त करने के लिए हम अवश्य ही सभी अभ्यावेदनों पर विचार करेंगे तथा जो भी आवश्यक होगा वह करेंगे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त कार्यकारी पद

***222. श्री गुरूदास दासगुप्त:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काफी लंबे समय से लगभग 100 उच्च कार्यकारी पद रिक्त हैं, जिसके कारण इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रभावी कार्यकरण प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शीर्ष स्तर के कार्यपालकों के 126 पद रिक्त थे। इनमें वे 30 पद भी शामिल हैं, जिन्हें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा सोच-समझ कर लिए गए निर्णय द्वारा आस्थगित रखा गया है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/सरकारी क्षेत्र का उपक्रम रिक्त पदों के कार्य की देखभाल करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करता है, ताकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यचालन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। रिक्त पदों का विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर की रिक्तियां भरना एक सतत प्रक्रिया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निदेशक मण्डल की नियुक्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जाती है। चयन सामान्यत: लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा किया जाता है तथा प्रशासनिक मंत्रालय सीवीसी से सतर्कता निकासी तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् नियुक्तियां करते हैं। इन औपचारिकताओं को पूरा करने में समय लगता है। 35 मामलों में चयन किया जा चुका है। पदों को आस्थगित रखने संबंधी मामलों को छोड़कर, शेष मामलों में चयन प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।

अनुबंध

मुख्य कार्यपालक (34)

क्र.सं.	पद का नाम
1	2
	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय
1.	प्रबंधक निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लि.
2.	प्रबंधक निदेशक, भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.
	कैमिकल्स एवं पेट्रोकैमिकल्स विभाग
3.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
4.	प्रबंधक निदेशक, महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
5.	प्रबंधक निदेशक, सदर्न पेस्टीसाइड्स लि.
	कोयला मंत्रालय
6.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, कोल इंडिया लि.
7.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.
8.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, महानदी कोलफील्ड्स लि.
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग
9.	प्रबंधक निदेशक, उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम
	उर्वरक विभाग
10.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि.
11.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, फर्टिलाइजर्स कारपो. आफ इंडिया लि.
	भारी उद्योग विभाग
12.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, भारत भारी उद्योग निगम लि.
13.	प्रबंधक निदेशक, भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि.
14.	प्रबंधक निदेशक, भारत वेगन एण्ड इंजी. कं. लि.
15.	प्रबंधक निदेशक, ब्रिज एण्ड रूफ कं. (इंडिया) लि.
16.	प्रबंधक निदेशक, बर्न स्टैण्डर्ड कं. लि.
17.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.
18.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, हिन्दुस्तान केबल्स लि.
19.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.
20.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, नेपा लि.
	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
21.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, इ टी एण्ड टी लि.
	खान मंत्रालय
22.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, हिन्दुस्तान कापर लि.

1	2
	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय
23.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, भारतीय पुनर्नवीकरण ऊर्जा विकास निगम
	तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
24.	प्रबंधक निदेशक, बामर लारी एण्ड कं.
25.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, इंडियन आयल ब्लैंडिंग लि.
	विद्युत मंत्रालय
26.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, विद्युत वित्त निगम
	रेल मंत्रालय
27.	प्रबंधक निदेशक, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपो.
	माध्यमिक शिक्षा विभाग
28.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, एजूकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लि.
	नौवहन मंत्रालय
29.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
	इस्पात मंत्रालय
30.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.
31.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, मेकान लि.
	वस्त्र मंत्रालय
32.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, ब्रिटिश इंडिया कारपो. लि.
33.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.
34.	प्रबंधक निदेशक, नेटेका (पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा) लि.
	कार्यकारी निदेशक (92)
	परमाणु ऊर्जा मंत्रालय
1.	निदेशक (वित्त), इंडियन रेअर अर्थ लि.
	कैमिकल्स एण्ड पेट्रोकैमिकल्स विभाग
2.	निदेशक (तकनीकी), हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.
3.	निदेशक (सीपी एण्ड पी), इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

1	2
4.	निदेशक (वित्त), इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
	नागरिक उड्डयन मंत्रालय
5.	निदेशक (प्रचालन), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
6.	निदेशक (पीएण्डए), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
7.	निदेशक (योजना), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
8.	निदेशक (इंजी.), एयर इंडिया
9.	निदेशक (कार्मिक), एयर इंडिया
10.	निदेशक (वित्त), एयर इंडिया
11.	निदेशक (वाणिज्यिक), एयर इंडिया
12.	निदेशक (कार्मिक), इंडियन एयरलाइन्स
13.	निदेशक (वित्त), इंडियन एयरलाइन्स
14.	निदेशक (वाणिज्यिक), इंडियन एयरलाइन्स
15.	निदेशक (इंजी.), इंडियन एयरलाइन्स
	कोयला मंत्रालय
16.	निदेशक (कार्मिक), नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
	वाणिज्य विभाग
17.	निदेशक (कार्मिक), भारतीय राज्य व्यापार निगम
	रक्षा उत्पाद विभाग
18.	निदेशक (विपणन), भारत अर्थ मूवर्स लि.
19.	निदेशक (वित्त), गोवा शिपयार्ड लि.
	उर्वरक विभाग
20.	निदेशक (वित्त), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपो.
21.	निदेशक (वित्त), फर्टिलाइजर कारपो. आफ इंडिया लि.
22.	निदेशक (वित्त), नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
	भारी उद्योग विभाग
23.	निदेशक (योजना), एण्ड्रयु यूले एण्ड कंपनी लि.
24.	निदेशक (वाणिज्यिक), भारत भारी उद्योग निगम लि.
25.	निदेशक (कार्मिक), भारत भारी उद्योग निगम लि.

1	2
26.	निदेशक (तकनीकी), भारत भारी उद्योग निगम लि.
27.	निदेशक (वित्त), भारत यंत्र निगम लि.
28.	निदेशक (तकनीकी), भारत यंत्र निगम लि.
29.	निदेशक (वित्त), ब्रिज एण्ड रूफ कं. (इंडिया) लि.
30.	निदेशक (प्रचालन), सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.
31.	निदेशक (वित्त), सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.
32.	निदेशक (उत्पादन), हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.
33.	निदेशक (विपणन), हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.
34.	निदेशक (वित्त), हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.
35.	निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान केबल्स लि.
36.	निदेशक (कार्मिक), हिन्दुस्तान केबल्स लि.
37.	निदेशक (प्रचालन), एमएमटी लि.
38.	निदेशक (वित्त), एमएमटी लि.
39.	निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान बियरिंग्स लि.
40.	निदेशक (तकनीकी), हिन्दुस्तान बियरिंग्स लि.
41.	निदेशक (विपणन), हिन्दुस्तान बियरिंग्स लि.
42.	निदेशक (तकनीकी), एचएमटी (मशीन टूल्स) लि.
43.	निदेशक (वित्त), एचएमटी (मशीन टूल्स) लि.
44.	निदेशक (एचआर), एचएमटी (मशीन टूल्स) लि.
45.	निदेशक (विपणन), एचएमटी (मशीन टूल्स) लि.
46.	निदेशक (एचआर), एचएमटी वाचेज लि.
47.	निदेशक (वित्त), एचएमटी वाचेज लि.
48.	निदेशक (विपणन), एचएमटी वाचेज लि.
49.	निदेशक (तकनीकी), एचएमटी वाचेज लि.
50.	निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय विपणन), एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.
51.	निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय परियोजना), एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.
52.	निदेशक (वित्त), इंस्ट्रूमेंटेशन लि.
53.	निदेशक (इंजी. एवं वाणिज्यिक), जेसप एण्ड कंपनी लि.
54.	निदेशक (वित्त), नेपा लि.
55.	निदेशक (तकनीकी), स्कूटर्स इंडिया लि.
	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
56.	निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय फिल्म्स विकास निगम लि.
	खान मंत्रालय
57.	निदेशक (प्रचालन), हिन्दुस्तान कापर लि.
58.	निदेशक (तकनीकी), खनिज गवेषण लि.
59.	निदेशक (पीएण्डटी), नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.
60.	निदेशक (उत्पादन), नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
61.	निदेशक (बम्बई), बामर लारी एण्ड कं.
62.	निदेशक (कार्मिक), इंजीनियर्स इंडिया लि.
63.	निदेशक (वाणिज्यिक), इंजीनियर्स इंडिया लि.
64.	निदेशक (विपणन), आईबीपी कंपनी लि.
	विद्युत मंत्रालय
65.	निदेशक (तकनीकी), एनटीपीसी
66.	निदेशक (वाणिज्यिक), एनटीपीसी
67.	निदेशक (इलैक्ट्रिकल्स), सतलुज जल विद्युत निगम लि.
68.	निदेशक (वित्त), सतलुज जल विद्युत निगम लि.
	रेल मंत्रालय
69.	निदेशक (वित्त) इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपो.
70.	निदेशक (वित्त), रेल विकास निगम
71.	निदेशक (प्रचालन), रेल विकास निगम
72.	निदेशक (कार्मिक), रेल विकास निगम
73.	निदेशक (परियोजना), रेल विकास निगम
	इस्पात मंत्रालय
74.	निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.

1	2
	दूरसंचार विभाग
75.	निदेशक (एचआर), आईटीआई लि.
76.	निदेशक (विपणन), आईटीआई लि.
77.	निदेशक (वित्त), एमटीएनएल
78.	निदेशक (तकनीकी), एमटीएनएल
	वस्त्र मंत्रालय
79.	निदेशक (वित्त), काटन कारपो. आफ इंडिया लि.
80.	निदेशक (वित्त), जूट कारपो. आफ इंडिया लि.
81.	निदेशक (वित्त), नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.
82.	निदेशक (वित्त), एनटीसी लि.
83.	निदेशक (वित्त), नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.
84.	निदेशक (तकनीकी), नेटेका (पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा) लि.
85.	निदेशक (तकनीकी), नेटेका (नार्थ महाराष्ट्र) लि.
86.	निदेशक (तकनीकी), नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.
87.	निदेशक (तकनीकी), नेटेका (तमिलनाडु एवं पांडिचेरी) लि.
	पर्यटन विभाग
88.	निदेशक (वाणिज्यिक एवं विपणन), भारतीय पर्यटन विकास निगम लि.
89.	निदेशक (वित्त), भारतीय पर्यटन विकास निगम लि.
	शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
90.	निदेशक (वित्त), हडको
91.	निदेशक (सीपी), हडको
	जल संसाधन मंत्रालय
92.	निदेशक (इंजी.), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, एक के बाद दूसरी सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में घोर कुप्रबन्धन के बारे में ग्राफ के आधार पर खुले तौर पर समझाने के लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। मैं इन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मूल बात है कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र प्रबन्धन के प्रमुख पदों को वर्षों खाली रखा जाता है तो प्रशासन कैसे चलेगा? निश्चय ही एक के बाद दूसरी सरकार द्वारा देश में सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म किया जा रहा है। आप सूची में से देख सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में मुख्य कार्यकारियों के 34 पद रिक्त हैं, जिसमें कोल इंडिया लिमि. जैसी देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम शामिल है। इसमें 96 प्रमुख पद हैं जिसमें एयर इंडिया के निदेशक (वित्त) भी शामिल हैं। मेरे मित्र यहां बैठे हैं। एयर इंडिया में, पद रिक्त है। सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रमुख पदों पर प्रभावी लोगों की अनुपस्थिति का शिकार हुए हैं।

माननीय मंत्री से मेरा सीधा प्रश्न है। क्या वह कृपया हमें बताएंगे कि ये पद कितने वर्षों से रिक्त हैं और इन पदों के रिक्त रहने के क्या कारण हैं?

अध्यक्ष महोदय: वह सभी 92 पदों के लिए उत्तर नहीं दे सकते हैं। वह कुछ संकेत दे सकते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र सरकार की प्रतिबद्धता है ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: माननीय सदस्य ने कहा है कि यह कुप्रबन्धन है। विनिवेश नीति जिसका पहले और बाद में अनुसरण हुआ है उसके कारण हमारी सरकार द्वारा रुग्ण उद्योगों पर विचार किया गया है। हम अधिक वेतन वाले पदधारकों की नियुक्ति धीरे-धीरे कर रहे हैं क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद हो सकता है कि उनकी आवश्यकता न हो।

यह ठीक ही है, यहां तक कि पूर्ववर्ती सरकार भी कतिपय क्षेत्रों में विनिवेश नीति के कारण इस प्रक्रिया में धीरे-धीरे आगे बढ़ी। सरकार का दृष्टिकोण सरकारी क्षेत्र को समाप्त करना नहीं है। इसकी बजाय हमने सरकारी क्षेत्र के पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी है। यह हमारे साझा न्यूनतम कार्यक्रम में है। जब तक कि कोई विशेष सरकारी क्षेत्र का उपक्रम लंबे समय से रुग्णावस्था में न हो हम उसे बंद नहीं करेंगे।

हमारे पास एक मामला है। सबसे पहले हमारी सरकार ने 517 करोड़ रुपये की उस सांविधिक देयता को समाप्त किया है जो काफी समय से बकाया थी। मैं इस सभा को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का पुनरूद्धार करने के लिए वचनबद्ध हैं जो व्यवहार्य हैं और हम इन रिक्त पदों को भी भर रहे हैं। इस सरकार के सत्ता में आने के

बाद मेरे मंत्रालय ने कतिपय कदम उठाए हैं। पी एस ई बी और संबंधित प्रशासनिक संगठन के बीच नियमित रूप से आंकड़ों का आदान-प्रदान होता है। पी एस ई बी के अध्यक्ष और कार्मिक विभाग के सचिव स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करते हैं। मंत्री जी स्थिति की मासिक समीक्षा करते हैं। मैं प्रत्येक माह इसकी समीक्षा करता हूं। मैंने 24 से अधिक पद पहले ही भर दिए हैं। कुछ प्रक्रिया में हैं और वह पी एस ई बी के समक्ष है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रक्रिया को लंबित करने वाली अन्य बात यह है कि कार्यकारी पदों हेतु सतर्कता जांच में काफी समय लगता है। यह सारे देश में चलती है। सुधारात्मक कदम उठाने के लिए उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सभा को यह आश्वासन दे रहा हूं कि हम सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं और स्थिति में सुधार होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि अब वे पीएसईबी एक पैनल देने की बजाय नाम देगी। वे सिर्फ एक नाम दें। अन्यथा, यदि पैनल दिया जाएगा तो इधर-उधर जाने में काफी समय लग जाता है। इस प्रक्रिया से समय भी कम लगेगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त: उत्तर देने के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। किंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको कुछ नहीं कहना है। आपको एक प्रश्न पूछना है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। पुडिंग का स्वाद खाने में है। वादे और उसकी पूर्ति में सदैव अंतर रहता है। मुझे आशा है कि इस मामले में ऐसा नहीं होगा। आपने यह स्वीकार किया है कि प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। मेरा प्रश्न है, यह नई सरकार, जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार हेतु बचनबद्ध है, इस अनिष्ट धीमी चाल वाली मशीनरी को समाप्त करने हेतु क्या करेगी? क्या वह संसद को यह बताएगी कि वह पदों को भरने में कितना समय लेगी ताकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार हेतु एक कार्यक्रम हो? इसमें कितना समय लगेगा? क्या वादे और उसकी पूर्ति के बीच अंतर होगा?

श्री संतोष मोहन देव: मैं मधुमेह का मरीज हूं। मैं पुडिंग नहीं खा सकता हूं। मेरा यह कहना है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप यह काम जितनी जल्दी हो सके, कीजिए।

श्री संतोष मोहन देव: हम कदम उठा रहे हैं और यथाशीघ्र सभी पदों को भर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: जो पद भरने के लिए बाकी हैं, उनमें सीधे सरकारी सेवा से भर जाने वाले कितने पद हैं, जिन पर प्रमोशन के आधार पर या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती डायरेक्ट की जानी है तथा जो आउटसाइड फ्राम द सर्विसेज हैं, जिन पर बाकी ओपन एक्सपर्ट नियुक्त किये जाने हैं, वे पद कितने हैं और कितने स्पेसिफिक पीरिएड में कब तक वे पद भर लिए जाएंगे?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, पूर्ववर्ती सरकार की तरह इस सरकार की नीति भी विभागीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की है। यदि उपर्युक्त विभागीय उम्मीदवारों नहीं मिलते हैं तो फिर हम वैकल्पिक उम्मीदवारों की तलाश करेंगे। इस प्रयोजन के लिए छानबीन समितियां गठित की गई हैं। वे आवेदनों की संवीक्षा करेंगी और उनको छांटकर सूचीबद्ध करेंगी। जैसा कि मैं पहले प्रश्न के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि हम यथाशीघ्र इन पदों को भरने हेतु कदम उठा रहे हैं।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित पंचग्राम पेपर मिल्स के निदेशक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो गया है; (ख) यदि हां, तो इसका पुनर्गठन कब किया जाएगा; और (ग) यदि नहीं, तो इसका कार्यकाल कब समाप्त होगा?

अध्यक्ष महोदय: यह आपका पहला अनुपूरक प्रश्न है। इसलिए मैंने इसे पूछने की अनुमति दी है। किंतु भविष्य में इसे एक प्रश्न के रूप में ही पूछिये।

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, किसी भी बोर्ड का कार्यकाल पूरा नहीं होता है क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है। परसुराम पेपर मिल्स का बोर्ड अभी भी कार्यरत है और इसमें सदस्य भी हैं। दो रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं। उन्हें भरने का काम शुरू हो चुका है। इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा।

श्री हन्नान मोल्लाह: क्या माननीय प्रधानमंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष ने मंत्रालय को एक रिपोर्ट दी है?

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष ने इस तथ्य के बारे में एक रिपोर्ट दी है कि पूर्ववर्ती राजग सरकार के कुछ मंत्री आपके कतिपय वर्तमान अधिकारियों पर उनका पक्ष लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं

जिसके कारण वे संकट में हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष ने रिपोर्ट दी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल माननीय सदस्य के प्रश्न पर ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा प्रश्न पूछा गया है, जिसमें पुरानी सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। अब ऐसे प्रश्न का उत्तर कौन देगा?

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: इसके बारे में माननीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त, क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे? मैंने इसके लिए नहीं कहा था।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उनसे बैठने के लिए कह रहा हूं। कृपया आप भी बैठ जायें। कृपया शांत हो जाइये।

मंत्री महोदय, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा में यह क्या हो रहा है? श्री दासगुप्त, कृपया सहयोग करें।

श्री संतोष मोहन देव: केन्द्रीय सतर्कता आयोग कार्मिक मंत्रालय का एक भाग है। मेरे विभाग का इससे कोई लेना-देना नहीं है। मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला है। यह उस मंत्रालय से पूछा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: समस्या को सुलझाने हेतु आपका धन्यवाद।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स त्रावणकोर (एफ ए सी टी) देश के प्रतिष्ठित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है। इसका केरल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पहला स्थान है। वहां पर एक वर्ष से ज्यादा समय से सी एम डी का पद रिक्त पड़ा है। यह उर्वरक संयंत्र अब रुग्ण है ...*(व्यवधान)* हमने पिछली सरकार के कार्यकाल से अब तक कई पुनरुद्धार पैकेज भेजे हैं किंतु इस कारण से कोई काम नहीं हो सका क्योंकि इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने हेतु कोई उपयुक्त नेतृत्व नहीं था। अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय विभाग ने अन्तर्आत्मा के निर्णय से 30 पदों को आस्थगित रखा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या एफ ए सी टी भी इसी श्रेणी में आता है जिसमें अन्तर्आत्मा के निर्णय के द्वारा विभाग, मंत्रालय ने पदों को आस्थगित रखा है। इसके साथ-साथ सरकारी क्षेत्र उद्यम चयन बोर्ड भी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसमें 'भी' का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री संतोष मोहन देव: हमारी सरकार वित्त मंत्री के बजट भाषण में दिए गए इस आश्वासन पर दृढ़ है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन बोर्ड प्रत्येक मामले की समीक्षा करे या वह ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करेगा। वह आज 3 बजे से बैठे हुए हैं। सरकारी क्षेत्र, वित्त मंत्रालय और हमारे मंत्रालय के सभी विशेषज्ञ भी इसमें भाग लेंगे। इन सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी। यदि अगले सत्र में यह प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर देना सही होगा।

अध्यक्ष महोदय: आप अगले सत्र में कोई और प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन पी.एस.यूज. में पोस्ट्स खाली हैं, वे किस स्तर की हैं और क्या उनको भरने के लिए एस.सी., एस.टी. और अल्पसंख्यकों के लिए कोई कोटा रखा गया है? इन वर्गों में बेरोजगारी को देखते हुए क्या सरकार की कोई खास मुहिम चलाने की योजना है?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: ये कार्यकारी पद बिना किसी आरक्षण के भरे जाते हैं। यह उपयुक्त के बचने का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वर्मा जी, कृपया बैठ जाइये। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप यह जानते हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी के हवाले से एक खबर आई थी कि जितनी पब्लिक अडरटेकिंग्स हैं, उन्हें

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ब्यूरोक्रेट्स से मुक्त कराया जाएगा। एक्सपर्ट और प्रोफेशनल लोगों को ही उनके शीर्ष पदों पर स्थापित किया जाएगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस खबर की कितनी पुष्टि है और यदि यह सही है तो इसे कब तक पूरा किया जाएगा? सरकारी हस्तक्षेप पब्लिक इंडरटेकिंग्स से खत्म करने के बारे में भी एक खबर आई थी। क्या सरकार इसकी पुष्टि करेगी और सरकार ने पी.एस.यूज को सरकारी हस्तक्षेप से खत्म कराने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, आजकल, जब हम रिक्तियां भरते हैं तो हम दूसरे क्षेत्र के लोग जैसे जो लोग निजी उद्योग और अन्य उद्योगों में कार्यरत हैं उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिले। उनका भी ध्यान रखते हैं तथा प्रधानमंत्री की पहल पर सरकार ने एक 10-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है। हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं और इन पहलुओं का ध्यान रखा जा रहा है। इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि हम पहले से कार्यरत लोगों को नहीं हटा सकते हैं। नए व्यक्ति का चयन करने की प्रक्रिया मे, नई नीति का पालन किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर में कहा है कि 34 मुख्य कार्यपालकों और 92 डायरेक्टर्स की जगह रिक्त हैं। इन इंडरटेकिंग्स में कुछ खर्चा कम हो सके, इसलिए ज्यादा जल्दबाजी रिक्तियों को भरने में नहीं कर रहे हैं, यानी खर्चा कम करने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में यह भी कहा है कि कोल-इंडिया के अध्यक्ष का पद 16 महीने से खाली है और उनकी जगह एक्टिंग चेयरमैन काम कर रहे हैं। इसी तरह के कई पद और रिक्त हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। यदि आप इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न पूछते रहेंगे तो यह सही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब कोल इंडिया में एक साल, डेढ़ साल से चेयरमैन या सीएमडी का पद रिक्त है, उसे वे कब तक भरेंगे और क्या उसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की जाएगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, सतर्कता संबंधी अनापत्ति की आवश्यकता के कारण इस प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है और हम तब तक नियुक्ति नहीं कर सकते जब तक हमें सतर्कता संबंधी अनापत्ति नहीं मिलती। सिफारिश आ गई है परन्तु सतर्कता से अनापत्ति नहीं आई है।

अध्यक्ष महोदय: आपने इसका उत्तर दे दिया है। श्री आलोक कुमार मेहता।

श्री आलोक कुमार मेहता: सभापति महोदय, मेरा भी वही प्रश्न है जो श्री मोहन सिंह ने पूछा है।

अध्यक्ष महोदय: तो आपका कई प्रश्न नहीं है।

श्री आलोक कुमार मेहता: मेरा भी वही प्रश्न है जो श्री मोहन सिंह द्वारा पूछा गया है।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, हायर कैटेगरी पोस्ट्स को भरने में, रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था है? अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारियों को कार्यक्षम होते हुए भी नियुक्त नहीं किया जाता है। जब कमेटी का दौरा होता है, तो ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं। नई नियुक्तियां करते समय, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग क्वालिफाइड हैं, जिनको अच्छा ज्ञान है, क्या ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति करने के बारे में सोचा जाएगा?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, उन्होंने बताया है कि ये स्थायी समितियों द्वारा निकाले जाते हैं। अब सरकार ने हर मंत्रालय में स्थायी समितियों द्वारा दिए गए सुझावों की जांच करने के लिए एक प्रकोष्ठ बताया है। यदि कोई विशिष्ट उदाहरण आते हैं, तो हम इसका ध्यान रखेंगे।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: सभापति महोदय, वास्तव में हम अपने सामने आने वाली समस्या से पीछा नहीं छुड़ा सकते

कि यह पिछली एन डी ए सरकार द्वारा दिया गया तोहफा है कि कई निगम कई सालों के लिए अध्यक्ष के बिना रहे। दुर्भाग्यवश यह शर्म की बात है परन्तु यह सच है कि हमें इससे निपटना होगा। मुझे माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनकर काफी हैरानी हुई कि प्राथमिकता केवल ऐसे लोगों को दी जाएगी जो नौकरशाही तथा सरकार से संबंध रखते हैं। यदि हम उन्हें अपने नवरत्न समझते हैं तो हमें इन्हें पुनर्जीवित करना होगा और इन निगमों को चलाने, इनका अध्यक्ष बनाने के लिए हमें उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लोगों को लेना होगा ताकि हम इन्हें वास्तव में भविष्य के लिए नवरत्न मान सकें।

क्या मंत्री जी को इन निगमों को चलाने, इनमें बदलाव लाने तथा इन्हें 21वीं सदी में ले जाने के लिए बाहर से, निजी क्षेत्रों अथवा अन्य क्षेत्रों से प्रतिभाशाली लोगों को लाने के विचार पर कोई आपत्ति तो नहीं है?

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, एक अच्छा सुझाव है जिस पर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: वह इस पर विचार करेंगे।

श्री तथागत सत्पथी: सभापति महोदय, नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी (नाल्को) को आसानी से नवरत्न कम्पनी समझा जा सकता है। तथापि, इस कम्पनी के सी एम डी अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का कार्यभार आठ से अधिक महीनों से प्रभारी के हाथ में है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने इस कम्पनी हेतु एक बड़ी विस्तार परियोजना संस्वीकृत की थी। यह एक प्रतिष्ठित कम्पनी है और फिर भी सी एम डी अथवा सी ई ओ की नियुक्ति करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। अत: इस कम्पनी का भविष्य क्या होगा? मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस कम्पनी पर ध्यान देगी?

श्री संतोष मोहन देव: मैं इस कार्यक्रम पर पूरा ध्यान दूंगा और इसके बारे में इनको बताऊंगा।

विदेशी गंतव्यों के लिए घरेलू निजी विमान कंपनियां

*223. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सभी विमानपत्तनों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर उन्नयन करने के बाद अन्य देशों में स्थित किसी भी स्थान के लिए निर्धारित उड़ान भरने हेतु निजी विमान कंपनियों को अनुमति देने का प्रस्ताव है, जैसा कि दिनांक 18 नवम्बर, 2004 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे कौन से देश हैं जहां ऐसे परिचालकों द्वारा अपनी उड़ानें शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) कुल कितने निजी परिचालकों ने आवेदन किया है और उनमें से कितने परिचालकों को परिचालन की अनुमति दी है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में निजी कंपनियों के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(च) उक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(छ) इस पहल से इंडियन एयरलाइन्स/एअर इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने इस समय विमान सेवा करार से एकाधिक एयरलाइनों को नामित करने संबंधी उपबंध के अधीन भारतीय पक्ष की अप्रयुक्त हकदारियों के आधार पर सार्क देशों के लिए सेवा प्रचालित करने हेतु निजी विमान कंपनियों को अनुमति प्रदान कर दी है। विदेशी गंतव्यों के लिए प्रचालन करने वाली निजी विमान कंपनियों का नामांकन किया जाना अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हवाई अड्डों का स्तरोन्नयन किए जाने संबंधी प्रस्ताव से संबद्ध नहीं है।

(ग) से (च) सरकार ने श्रीलंका, नेपाल और बंगलादेश के लिए प्रचालन किए जाने हेतु जेट एयरवेज और एयर सहारा को भारतीय पक्ष की अप्रयुक्त हकदारियों के, उनके द्वारा किए गए अनुरोध पर नामित किया है। जहां तक दूसरे देशों के लिए प्रचालन करने हेतु निजी विमान कंपनियों को अनुमति दिए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(छ) सार्क देशों के लिए निजी विमान कंपनियों की प्रचालन सेवाएं भारतीय पक्ष की अप्रयुक्त हकदारियों पर आधारित है। अत: , इस निर्णय के फलस्वरूप, इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: अध्यक्ष महोदय, जब से यूपीए सरकार आई है, सिविल एविएशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं, जो देश के इतिहास में एक क्रांतिकारी पहल है। मुझे मंत्री महोदय जी का उत्तर प्राप्त हुआ है जो पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। मैं मानता हूं कि सरकार दूसरे देशों में आपरेशन्स के लिए निजी कंपनियों को अनुमति दिए जाने से पहले सुरक्षा पहलुओं पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ने एयरपोर्ट्स की माडर्नाजेशन के लिए जो कार्यक्रम बनाया है, उसके लिए कितनी धनराशि लगेगी? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह इससे उद्भूत नहीं होता। केवल पहले भाग का ही उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: उसे जुटाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएंगे और इस काम को क्या किसी समय सीमा में कर लिया जाएगा?

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है कि क्या भारतीय निजी कम्पनियों को विदेश में जाने की अनुमति देने से पहले सुरक्षा पहलुओं पर विचार किया जाएगा, मैं इस बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि कोई भी हवाई कम्पनी, चाहे वह निजी हो या पब्लिक सैक्टर में हो, भारत में आपरेट करने वाली हो, या विदेश में जाने वाली हो, उनका जब तक सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं होगा, तब तक उनके आपरेट करने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कई ऐसे छोटे एयरपोर्ट्स हैं, जो पर्याप्त सुविधा तथा धन के अभाव में पूर्णतया कार्यरत नहीं हैं, जैसे मेरे संसदीय क्षेत्र कोल्हापुर का हवाई अड्डा पिछले 25 वर्षों से दुर्लक्षित है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसे एयरपोर्ट्स के लिए कोई ठोस एक्शन प्लान तैयार किया है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और क्या यह काम भविष्य में शुरू करने की कोई संभावना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हालांकि, यह इससे उद्भूत नहीं होता, हमारे एक जानकार मंत्री हैं, वह इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या आप उत्तर देंगे?

[हिन्दी]

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष महोदय, आपने सही कहा है कि इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कोल्हापुर में विमान सेवाओं की शुरूआत हो चुकी है। वह महाराष्ट्र सरकार का हवाई अड्डा है। हम उसके लिए पूरी मदद करेंगे जिससे वहां हवाई सेवा आगे बढ़े।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोलकाता के बारे में भी सोचें।

श्री ब्रजेश पाठक—उपस्थित नहीं हैं।

श्री अनंत कुमार: सभापति महोदय, इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया दोनों के सामाजिक दायित्व होते हैं जैसे पूर्वोत्तर अभियान, इरान-इराक संकट जैसी राष्ट्रीय आपातकालीन स्थितियों के दौरान सैनिकों को लाना-ले जाना, जबकि निजी घरेलू एयरलाइनों के ऐसे कोई सामाजिक दायित्व नहीं होते।

माननीय मंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं कि इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया का इनके द्विपक्षीय होने से ही महत्व है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस बात का कोई अध्ययन किया गया है कि सार्क देशों तथा इनसे आगे उड़ान भरने के लिए निजी एयरलाइनों को दी गई यह स्वीकृति इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति को कैसे प्रभावित करेगी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री के विचार इसे सार्क देशों से आगे बढ़ाने का है और यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, माननीय सदस्य मेरे पूर्ववर्ती थे और मुझे विश्वास है कि उन्हें इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया तथा निजी कैरियरों के दायित्वों के बारे में जानकारी है। वास्तव में राष्ट्रीय कैरियर होने के नाते इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया राष्ट्रीय हित में किसी भी स्थिति चाहे वह एक आपदा हो, युद्ध या अन्य कारण जैसी किसी अन्य परिस्थिति में स्वयं पर जिम्मेदारी लेते हैं। परन्तु जहां तक निजी कैरियरों का सवाल है वे ऐसी जिम्मेदारी लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। तथापि, हाल में मुझे विश्वास दिलाया गया है कि वे भी सेना के सिपाहियों को लाने-ले जाने तथा अन्य तरह के कार्य कर रहे हैं।

अन्य मुद्दा जिसके बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, वह एयरलाइनों के सार्क देशों तथा इससे आगे उड़ान भरने से संबंधित है।

श्री अनंत कुमार: क्या कोई अध्ययन किया गया है?

श्री प्रफुल पटेल: वास्तव में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि निजी एयरलाइनों को सार्क देशों में कार्य करने की अनुमति पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान दी गई थी। साथ ही, पिछले प्रधान मंत्री, जो कि यहां उपस्थित हैं, द्वारा इस कार्य क्षेत्र को बढ़ाने तथा सार्क से आगे ले जाने वाले आसियान क्षेत्र तक ले जाने की पहल की गई थी। मैं सभा की जानकारी में लाना चाहूंगा कि जहां तक भारत में आने-जाने के वर्तमान हवाई संबंधों का सवाल है, हमें क्षमता के गम्भीर दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में समय से पांच महीने पहले इस साल शुरू की गई मुक्त हवाई नीति से क्षमता में बढ़ोत्तरी हुई है। वास्तव में विदेशी एयरलाइनों ने भारत में यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए अतिरिक्त सीटों की मांग की है जो कि इस मुक्त सीजन अवधि में लगभग छ: लाख सीट थी। अत: ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना होगा। यदि भारत को एक पर्यटन केन्द्र बनाना है, यदि भारत को अधिक रोजगार सृजन हेतु वाणिज्य और उद्योग के लिए एक गन्तव्य बनाना है तो मेरे विचार से हमें भारत आने-जाने के हवाई संबंधों को बढ़ाना होगा। वर्तमान में इंडिया एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया आपस में भारत में आने-जाने की क्षमता के केवल 28 प्रतिशत पर कार्य करते हैं। लगभग 72 प्रतिशत क्षमता का उपयोग विदेशी एयरलाइनों द्वारा किया जाता है। अत: हमें भारत आने-जाने के हवाई संबंधों को बढ़ाने पर विचार करना होगा।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा उत्तर में दिया गया है कि दूसरे देशों में परिचालन करने हेतु निजी विमान कंपनियों को अनुमति दिये जाने के संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ जुड़ा हुआ है और उसका रनवे भी 11500 फीट का बनाया गया है। गुजरात के कैरा डिस्ट्रिक्ट में...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न विदेशी गन्तव्यों को जाने वाले निजी घरेलू कैरियरों के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल: वहां एयर इंडिया की फ्लाइट्स आती हैं तथा ब्रिटिश एयरवेज ने भी वहां से उड़ान के लिए मांग की है, क्योंकि गुजरात में एन.आर.आईज. बहुत हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही इसके बारे में आश्वासन दे दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल: यह कैरा डिस्ट्रिक्ट का मामला है, इसलिए मैं कह रहा हूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल: मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि - मेरे उत्तर का पहला भाग था कि - हम क्षमता के केवल 28 प्रतिशत पर कार्य कर रहे हैं। अत: यदि 100 यात्री यात्रा कर रहे हैं तो केवल 28 यात्री एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स से यात्रा कर रहे हैं। यदि भारत को अपनी हवाई क्षमता को बढ़ाना है, तो हमें भारत से बाहर जाने वाले हवाई जहाजों तथा उड़ानों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी।

[अनुवाद]

यह एक स्वाभाविक परिणाम है। मैंने यही कहा है। पिछली सरकार ने सार्क (दक्षेस) क्षेत्र की पहल शुरू की थी और अब इसका और अधिक विस्तार होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: वह वास्तव में अहमदाबाद के बारे में इच्छुक हैं।

श्री प्रफुल पटेल: जहां तक अहमदाबाद का संबंध है, यह हमारे प्रमुख नगरों में से एक है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: मेरी भी अब अहमदाबाद के बारे में रुचि बढ़ रही है।

श्री प्रफुल पटेल: अहमदाबाद पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके बारे में कोई मुद्दा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने अभी अपने उत्तर में कहा है कि वह विदेशों में निजी विमान भेजने का प्रावधान कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद-बमरौली

एयरफोर्स का एयरपोर्ट है। अभी इलाहाबाद में माघ मेला लगने वाला है, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। क्या मंत्री जी वहां कोई ऐसी विमान सेवा शुरू करेंगे, जिससे कि घाटे में चल रहे इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को मुनाफा हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस विषय की कोई सीमा नहीं है।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, यह एक अलग प्रश्न है लेकिन मैं आपको सिर्फ यह बता सकता हूं कि जहां तक एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का संबंध है, हमने उनका हर संभव विस्तार किया है ताकि अधिकतम सेवाएं ली जा सकें। इसे पुन: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए कि इंडियन एयरलाइन्स के लिए विमानों की अंतिम खरीद स्वर्गीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी के समय की गयी थी अर्थात् लगभग 16 वर्ष पहले। यह बात एयर इंडिया पर भी लागू होती है। यदि हम विमान नहीं खरीदेंगे तो हम इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया से अपने राष्ट्रीय कर्त्तव्यों को पूरा करने की कैसे आशा कर सकते हैं?

श्री किरिप चालिहा: महोदय, पिछली सरकार के समय, गुवाहाटी की एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान को रद्द कर दिया गया था। अब, मैं माननीय मंत्री जी की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि वह अगले वर्ष बैंकाक के लिए उड़ान शुरू करने वाले हैं। गुवाहाटी के ढाका और नेपाल के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध हैं।

क्या मंत्री महोदय, निजी एयरलाइनों द्वारा गुवाहाटी-ढाका अथवा गुवाहाटी-काठमांडू के लिए उड़ान शुरू करने की अनुमति देने पर विचार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: महोदय, आप बहुत अधिक समय ले चुके हैं।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि दिनांक 1 जनवरी को इंडियन एयरलाइन्स गुवाहाटी-बैंकाक उड़ान आरंभ करने जा रही है। यह कार्य प्रधानमंत्री जी की पहल से हो रहा है। वह पूर्वोत्तर को भली-भांति जोड़ना चाहते थे। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि मांग आयी अथवा ढाका और गुवाहाटी के बीच उड़ान आरंभ करने का आवेदन आया तो हम इस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अपने जवाब में बार-बार यह कह रहे हैं कि अनयूटिलाइज्ड एनटाइटलमैंट्स हैं, बाइलेट्रल होने की वजह से एडवर्स इफैक्ट नहीं होगा। चूंकि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में वर्षों से फ्लीट एक्सपैन्शन नहीं हुआ है, 28 प्रतिशत हम तब ले जा रहे हैं। फ्लीट का एक्सपैन्शन नहीं करने के दो परिणाम हुए हैं - एक तो हम एनटाइटलमैंट इनजाए नहीं कर पाए और दूसरी ओर जो अंतर्राष्ट्रीय विमानों के हब हो सकते थे, जैसे कलकत्ता या गुवाहाटी वगैरह की बात हो रही थी, क्योंकि फ्लीट कम थी, इसलिए हम दिल्ली और मुम्बई से ही आपरेट करते रहे। आज जब प्राइवेट एयरलाइन्स को हम सार्क कंट्रीज में औपरेट करने की अनुमति दे रहे हैं और उसके बाद आसियान या दूसरी जगह भी जाएंगे, इसके दो असर पड़े हैं। माना जा सकता है कि आपको कोई एफैक्ट नहीं होगा - एक तो इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को कोड शेयरिंग से कुछ फायदा होता है, जैसा अनन्त कुमार जी ने कहा, उसकी आय का वह एक स्रोत है और दूसरी तरफ जो पूर्वोत्तर भारत में हब और भी नैचुरल तरीके से बन सकते थे, फ्लीट एक्सपैन्शन न होने के कारण, आप वहां रैसिप्रोकेट नहीं कर पाए इंडियन एयरलाइन्स के साथ, जबकि विदेशी एयरलाइन्स आपरेट करना चाहती हैं, जैसे ब्रिटिश एयरवेज चाहती है, लेकिन आपके पास फ्लीट नहीं है। उस दिशा में आपने पहले एक्सपैन्शन के प्रपोजल्स को इंप्लीमैंट न करके प्राइवेट सैक्टर्स को क्यों अनुमति दी? पहले आपकी जो खामी थी, 15-20 सालों से, क्या उसे पूरा करना नहीं था, उसके पहले ऐसा करके, आप इंडियन एयरलाइन्स को और एयर इंडिया को ही एफैक्ट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, यह एक वृहत प्रश्न है लेकिन मैं इस पर दो भागों में प्रकाश डालना चाहूंगा। पहले तो, यदि हमारे देश को व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन और रोजगार में वाकई प्रगति करनी है तो हमें अपने आकाश को हर संभव सीमा तक खोलना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते तो मैं समझता हूं कि हम राष्ट्र का अनिष्ट कर रहे हैं। यदि इस व्यवसाय के 72 प्रतिशत भाग को किसी तरह से विदेशी विमान ले जायेंगे, तो भारतीय विमानों को उनमें अपना शेयर लेने से वंचित करने के क्या तर्क हैं?

दूसरी बात यह है कि जहां तक विमानों का संबंध है, तो यह एक ऐतिहासिक समस्या है। मैंने अभी-अभी इसका जिक्र किया है। वस्तुत: मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में मतैक्य होना चाहिए। इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को यदि आप विमान नहीं देंगे तो वे सफल नहीं हो सकती, विकास नहीं कर सकती और आप उनसे जो आशा करते हैं वैसी सेवाएं भी प्रदान नहीं कर सकेंगी। 20 वर्ष पुराने विमानों से, आप इन दोनों विमानों से कैसे अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा की आशा कर सकते हैं? महोदय, यही कारण है कि यहां तक कि कोलकाता, जो आपका गढ़ है—वह कनैक्टीविटी नहीं पा रहा है, जो प्रत्येक

व्यक्ति उस क्षेत्र से चाहता है। इसका कारण यह है कि एयर इंडिया के पास उड़ान हेतु विमान नहीं हैं और यह एक गंभीर विषय है। यदि आप कहते हैं कि हां, तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को पहले सुदृढ़ किया जाना चाहिए और फिर निजी विमानों को अनुमति दी जानी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में अधिग्रहण कार्यक्रम भली-भांति चल रहा है और हम इस कार्य में यथासंभव तेजी लाना चाहते हैं। लेकिन यह हमें ऐसे वृहत राष्ट्रीय परिदृश्य को देखने से नहीं रोकता जहां वायु कनैक्टिविटी आपको दस अन्य लाभ देती हो। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का लाभ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन इसके साथ-साथ देश के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और यदि लोगों को किसी नियत दिन किसी विमान कंपनी के विमान में भारत में अथवा बाहर सीट नहीं मिलती तो मैं समझता हूं तो यह एक वृहत प्रश्न है जिस पर मैं समझता हूं कि सभी को सहमत होना चाहिए और यह हमें स्वीकार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं, हम यह मान सकते हैं कि कोलकाता आपके दिमाग में है।

अब, प्रश्न संख्या 224, श्री देविदास पिंगले - उपस्थित नहीं।

प्रो. महादेवराव शिवनकर।

[हिन्दी]

सैनिकों को सहायता

***224. +प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री देविदास पिंगले:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा युद्ध में अशक्त हो गये सैनिकों और जिनका उपचार अभी भी चल रहा है, को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि तक युद्ध के पश्चात् अशक्त हुए सैनिकों की कुल संख्या कितनी है और उन सैनिकों की संख्या कितनी है जिनका उपचार चल रहा है;

(ग) सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या यह सत्य है कि नई भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत सरकार का विचार युद्ध में अशक्त हुए सैनिकों को इस योजना से बाहर रखने का है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि कुछ वर्गों को इस योजना का सदस्य बनने के लिए कोई मौद्रिक अंशदान देने की आवश्यकता नहीं है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) युद्ध में अशक्त हुए सैकिों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रखने के क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार का अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (झ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

[अनुवाद]

(क) से (झ) युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों को युद्ध हताहत के रूप में माना जाता है और युद्ध घायल पेंशन मंजूर की जाती है।

सभी संक्रियाओं (आपरेशन विजय - कारगिल को छोड़कर) के अशक्त/डाक्टरी आधार पर सेवा मुक्त/निम्न चिकित्सा श्रेणी में सेवा से समयपूर्व कार्यमुक्त किए गए निशक्त सैनिक एक लाख रुपए के एकमुश्त अनुग्रह अनुदान के हकदार हैं। आपरेशन विजय-कारगिल के दौरान घायल हुए निशक्त सैनिक निशक्तता के प्रतिशत के आधार पर 6 लाख से 3 लाख रुपए तक राष्ट्रीय रक्षा कोष से अनुग्रह अदायगी के लिए हकदार हैं।

निशक्त सैनिकों को, जो सेवा में बने रहते हैं, निशक्तता प्रतिशत के आधार पर सेना केन्द्रीय कल्याण कोष से निम्नानुसार अनुदान दिया जाता है:-

(1)	75% और उससे अधिक निशक्तता	30,000 रुपए
(2)	50% से 74% निशक्तता	20,000 रुपए
(3)	50% से कम निशक्तता	10,000 रुपए

निशक्त सैनिक निम्नलिखित सुविधाओं के लिए भी पात्र हैं:-

(1) अपने और परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए द्वितीय श्रेणी रेल शयनयान में 75% रियायत।

(2) टेलीफोन का कनेक्शन लेने पर बिना किसी प्रभार के टेलीफोन लगाना तथा किराया-प्रभारों में 50% की रियायत।

(3) सरकारी मान्यताप्राप्त/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, मिलिटरी/सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत निशक्त सैनिकों के बच्चे शिक्षण शुल्क, छात्रावास प्रभार, 250 रुपए तक की पुस्तकें, वर्दी की कीमत और 250 रुपए तक के कपड़े आदि की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं।

(4) छोटे/लघु उद्योग लघु सेवा उद्यम लगाने, कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलाप चलाने और ग्रामीण क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए स्वरोजगार योजनाओं के तहत उदारीकृत शर्तों पर ऋण सहायता;

(5) चिकित्सा कालेजों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे व्यावसायिक संस्थानों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए सीमित सीटों का आरक्षण;

(6) मकान की मरम्मत, पुत्री के विवाह, चिकित्सा उपचार आदि के लिए रक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष से वित्तीय सहायता;

(7) 50,000 रुपए तक के चलने-फिरने के लिए उपकरण, जैसे पहिएदार कुर्सी;

(8) 8% रक्षा कोटे के तहत पेट्रोल पंप/गैस एजेंसी का आबंटन; और

(9) युद्ध क्षेत्र में निशक्त अधिकारी घरेलू उड़ानों में 75% हवाई यात्रा रियायत के लिए हकदार हैं।

15 अगस्त, 1947 के बाद डाक्टरी आधार पर सेवामुक्त/अशक्तता के आधार पर कार्य मुक्त निशक्त सैनिकों की संख्या 5581 है। इन सैनिकों को सेना केन्द्रीय कल्याण कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष (कारगिल आपरेशन के लिए) के अंतर्गत मुआवजा दिया गया था।

युद्ध हताहतों और संक्रिया पराक्रम और उत्तरी कमान और पूर्वी कमान के तहत जारी प्रतिविद्रोहिता संक्रियाओं की युद्ध दुर्घटनाओं सहित युद्ध निशक्त सैनिकों को सक्रिय इलाज/जांच/कृत्रिम अंगों की फिटमेंट अथवा उनकी मरम्मत और उन्हें बदलने के लिए विभिन्न सैन्य अस्पतालों में दाखिल किया जाता है। सैन्य अस्पतालों में अभी भी दाखिल सैनिकों की कुल संख्या 113 है।

निशक्त सैनिकों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं

निशक्त सैनिकों को जब-जब आवश्यकता होती है, व्यापक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाती है।

खड़की (महाराष्ट्र) तथा मोहाली (पंजाब) में अधरांगघात गृहों में भी उनका इलाज किया जाता है। उन्हें कृत्रिम अंग केन्द्रों से कृत्रिम अंग मुहैया कराए जाते हैं। अंधे सैनिकों को उनके अंधेपन के धक्के से उबारने हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा उन्हें सैन्ट डन्सटन के आफ्टर केयर संगठन, देहरादून में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना

युद्धों में निशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों, जो निशक्तता पेंशन सहित कोई भी अन्य पेंशन ले रहे हैं, सहित सभी भूतपूर्व सैनिकों को निर्धारित अंशदान की अदायगी करने पर भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने की अनुमति है। अंशदान की राशि कार्मिक की मूल पेंशन पर आधारित होती है। जो 1,800 रुपए तक हो सकती है। एकबारगी अंशदान करने पर, जिसका भुगतान तीन लगातार किस्तों में किया जा सकता है, वे आजीवन मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त करेंगे।

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत युद्ध-विधवाओं को अंशदान के भुगतान से छूट दी गई है।

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना की सदस्यता लेने वाले सभी निशक्त सैनिक अपने तथा अपने आश्रितों के लिए इस योजना के अधीन उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का नि:शुल्क उपयोग करने के हकदार हैं।

सैन्य अस्पताल में किसी भी युद्ध में निशक्त हुए सैनिक को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं देने से इंकार किए जाने का कोई मामला नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष महोदय, कारगिल में आपरेशन विजय के दौरान घायल निशक्त सैनिक तीन से छ: लाख रुपये तक राष्ट्रीय कोष से अनुग्रह राशि की अदायगी के हकदार हैं, इस प्रकार का यहां जवाब दिया गया है, जिसके लिए मैं विशेष रूप से एनडीए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वह पैसा दिया गया। इसके साथ-साथ मेरा सवाल है कि ...*(व्यवधान)* जो यहां जवाब दिया गया है, वही बात मैंने बताई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया विषय से मत हटिए।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष महोदय, सेना के जो जवान घायल होते हैं और जिनके हार्ट का आपरेशन करना अनिवार्य

होता है, उनका आपरेशन जम्मू-कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर में नहीं किया जाता है, वहां उनकी देखभाल नहीं की जाती, बल्कि उन्हें जम्मू ले जाया जाता है, जबकि श्रीनगर के सरकारी अस्पताल में आपरेशन हो सकता है, वहां ये सुविधाएं हैं। यदि कहीं कोई कमी है, तो उन्हें दूर किया जा सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे श्रीनगर के सरकारी अस्पताल को अपग्रेड कर के वहां हार्ट आपरेशन की व्यवस्था करेंगे ताकि गंभीर रूप से घायल जवानों को वहां से जम्मू न ले जाया जाए, बल्कि वहीं आपरेट किया जा सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं यहां व्यवधान उत्पन्न करने वाले सभी तत्वों को देख रहा हूं।

श्री प्रणब मुखर्जी: जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, मैंने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है जो लगभग तीन पृष्ठों में है, क्योंकि माननीय सदस्य ने नौ प्रश्न पूछे थे। एक खास बात जो उन्होंने कही वह यह थी कि यह सच है कि कारगिल आपरेशन में, मुआवजा सामान्य मुआवजे से अधिक था। इसका मुख्य कारण यह है कि उस समय, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष (एन.डी.एफ.) में काफी अंशदान उपलब्ध कराया गया था। उससे, मुआवजे की राशि बढ़ गयी थी।

जहां तक श्रीनगर अस्पताल में कुछ सैनिकों के उपचार से संबंधित उनके दूसरे प्रश्न का संबंध है, तो यह बीमारी की प्रकृति और अस्पताल में उपलब्ध सेवाओं पर निर्भर करता है। यदि यह इलाज श्रीनगर अस्पताल में होता तो वह वहीं होता। ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए, उन्हें जम्मू ले जाया गया।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लगता था कि माननीय रक्षा मंत्री महोदय मेरे प्रश्न के उत्तर में यह कहेंगे कि श्रीनगर में हार्ट आपरेशन की व्यवस्था करने के लिए वहां के सरकारी अस्पताल को अपग्रेड करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी आशा के अनुरूप उत्तर नहीं दिया।

मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि युद्ध में घायल जो कर्मी होते हैं, उन्हें स्वास्थ्य अंशदायी योजना के अंतर्गत रु. 1,800 से लेकर रु. 18,000 तक भरने होते हैं जबकि उनकी विधवाओं से अंशदान नहीं लिया जाता है, मेरा सवाल है कि वे सेना के बहुत छोटे कर्मी होते हैं इसलिए उनसे 1,800 रुपए से 18,000 रुपए का अंशदान नहीं लिया जाना चाहिए, क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: जहां तक भूतपूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवा योजना का संबंध है, पेंशनभोगी अथवा जो पेंशन के हकदार हैं वे सभी लोग इसके योग्य हैं। किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध करायी गयी पेंशन राशि के आधार पर इस कोष में एक बारगी अंशदान का निर्णय किया गया है। इसीलिए, न्यूनतम जिसका निर्णय लिया गया है एकबारगी अंशदान है। इस एकबारगी अंशदान के लिए, नि:शुल्क उपचार व्यक्ति अथवा संबंधित व्यक्ति के आश्रितों को जीवन भर उपलब्ध कराया जाएगा। यह अंशदान तीन किश्तों में किया जा सकता है। इसमें और कमी करने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। हमारे पास लाभार्थियों के अन्य वर्ग को छूट देने का भी कोई तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यह अंतिम अनुपूरक प्रश्न है। श्री लाल सिंह, आप इसे एक वाक्य में कहें।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेना के जो डिसएबल्ड लोग होते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न प्रो. शिवनकर के नाम पर था। इसीलिए, मैंने उन्हें अनुमति दी थी।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खूंडूड़ी: वह भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. महादेवराव शिवनकर के नाम से प्रश्न है। इसलिए मैंने उन्हें सप्लीमेंट्री करने का मौका दिया।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खूंडूड़ी: किसी अन्य सदस्य के बजाय मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं। यह आश्चर्यजनक है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। मुझे मत समझाओ। मैं विपक्ष के एक दल को बोलने का अवसर दे चुका हूं। मैं एक अवसर अन्य सदस्य को दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। कृपया कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ को न समझाएं। आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दल के एक सदस्य का प्रश्न आ चुका है। मैं उन्हें दो प्रतिपूरक प्रश्न की अनुमति दे चुका हूं। अब भी आप मुझे अन्य सदस्य को अवसर नहीं देने के लिए कह रहे हैं। मुझे खेद है। मैं आपके अनुरोध को अस्वीकार करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त होता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: चौधरी लाल सिंह, कृपया बैठ जाइए। आपकी बारी चली गई है, यह सभी जानते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मिट्टी के तेल (केरोसिन) में मिलावट

***225. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बेचे जा रहे मिट्टी के तेल में मिलावट होती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा मिट्टी के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बाजार में शुद्ध मिट्टी के तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में इसके आयात पर प्रतिबंध लगाना कहां तक सहायक होगा?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जबकि मिट्टी तेल में कोई मिलावट नहीं होती, वहीं बेईमान तत्वों द्वारा आटो ईंधनों में मिट्टी तेल की मिलावट करने के प्रयासों के बारे में सरकार को पता है।

(ख) मिलावट के लिए मिट्टी तेल का विपथन कम, न्यूनतम और अंततः समाप्त करने के लिए सरकार और तेल विपणन कंपनियों द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें निम्न उपाय सम्मिलित हैं-

* सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत मिट्टी तेल (उपयोग पर प्रतिबंध और उच्चतम कीमत का नियतन), आदेश, 1993 जारी किया है। एम एस/एच एस डी (प्रदाय और वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 1998 में भी आटो ईंधन के रूप में एम एस/एच एस डी के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग की रोकथाम का प्रावधान है। ये आदेश राज्य सरकारों और तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों को मिलावट रोकने के लिए तलाशी और जब्ती की शक्तियां प्रदान करते हैं। राज्य सरकारों और तेल विपणन कंपनियों को कदाचार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध इन आदेशों के अतंर्गत कड़ी कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया है।
* सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के अंतर्गत आपूर्त मिट्टी तेल को नीला रंगना, जिससे इसे मुक्त बिक्री के मिट्टी तेल से अलग पहचाना जा सके।
* मिट्टी तेल में गंध मिलाना जिससे पेट्रोल डीजल में इसकी उपस्थिति का पता लगाया जा सके।
* एक कड़ा उत्पाद उठान कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत मिट्टी तेल के थोक डीलरों को प्रत्येक माह तीन किस्तों में उत्पाद उठाना होता है।
* खाना पकाने और प्रकाश करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी तेल के उपयोग पर प्रतिबंध।
* तेल विपणन कंपनियां खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित और औचक निरीक्षण करती हैं और मिलावट तथा कदाचारों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों और डीलरशिप करारों के अंतर्गत भी कार्रवाई करती है।
* विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों में मिलावट के साबित मामलों में डीलरशिप की समाप्ति के दंड का प्रावधान है।

* तेल विपणन कंपनियों ने परिवहनकर्त्ताओं द्वारा मार्ग में मिलावट की रोकथाम करने के लिए नई चोरी रोधी टैंक-ट्रक ताला प्रणाली की भी शुरूआत की है।

* मार्कर प्रणाली की शुरूआत के लिए परीक्षण किए गए हैं जिनसे पेट्रोल/डीजल में मिलावट का पता लगने में आसानी होगी।

(ग) से (ङ) वर्तमान सरकारी नीति के अनुसार मिट्टी तेल के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है पर मिट्टी तेल का आयात सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अर्थात् इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) और आई बी पी कंपनी लिमिटेड (आई बी पी) के माध्यम से सरणीबद्ध किया गया है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों को स्वदेश में उत्पादित अधिशेष मिट्टी तेल (गैर-सार्वजनिक वितरण प्रणाली) उपभोक्ताओं को सीधा बेचने की अनुमति दी गई है। ऐसा अधिशेष गैर-सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल विद्यमान बाजार मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

[हिन्दी]

समाचार चैनल

***226. श्री सुरेश चन्देल:**
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न समाचार चैनलों के संवाददाता प्रतिस्पर्धा में विशिष्ट तथा पहले स्थान पर बने रहने के लिए पुलिस को गुमराह करने तथा अफवाहें फैलाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, जैसा कि 22 सितम्बर, 2004 के हिन्दी समाचार-पत्र 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे समाचार चैनलों की मनमानी रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि विशिष्ट समाचारों के नाम पर जनता को गुमराह न किया जा सके और एक स्वस्थ, अच्छी, निष्पक्ष तथा ईमानदार प्रतिस्पर्धा उभर कर सामने आए तथा जनता के सामने सच्चे समाचार आ सकें?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां। जहां तक 22 सितम्बर, 2004 के हिन्दी समाचारपत्र 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित मामले का संबंध है, सरकार को अफवाहें फैलाने तथा पुलिस को गुमराह करने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) केबल नेटवर्क के जरिए टेलीविजन चैनलों के प्रसारित और पुनर्प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन करना अपेक्षित है। कार्यक्रम संहिता अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित करती है कि केबल सेवा के द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाएगा जिसमें कुछ अश्लील, असत्य या विचारोत्तेजक व्यंग्य आदि शामिल हों। केन्द्र सरकार कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन के लिए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। केन्द्र सरकार ने कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन की जांच करने के लिए एक अंतर्मंत्रालयीय समिति का गठन किया है।

अपलिंकिंग संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत से अपलिंक किए जा रहे चैनलों को कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुरूप चलना होगा। किसी भी दिशा-निर्देश के उल्लंघन किए जाने पर दी गई अनुमति को रद्द किया जा सकता है।

[अनुवाद]

ईरान से गैस पाइपलाइन

***227. श्री अर्जुन सेठी:**
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर में प्रधान मंत्री ने न्यूयार्क में पाकिस्तान से होकर गुजरने वाली ईरान-भारत गैस पाइपलाइन के लंबे समय से लम्बित प्रस्ताव के बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बात की थी;

(ख) क्या हाल में मंत्री ने नई दिल्ली में भारत दौरे पर आए पाकिस्तानी प्रधान मंत्री शौकत अजीज के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था;

(ग) क्या भारत ईरान से पाकिस्तान होकर गुजरने वाली पाइपलाइन के माध्यम से तरलीकृत प्राकृतिक गैस प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले तथा ईरान ने पारगमन व्यय सहित इसका क्या मूल्य निर्धारित किया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर: (क) और (ख) जी, हां।

(ग) ईरान से प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन के माध्यम से और एल एन जी के रूप में आयात करने के विकल्प खुले हैं।

(घ) प्रस्ताव प्राथमिक चरण में है। वाणिज्यिक निबंधन और मूल्य विवरण तैयार नहीं किए गए हैं।

इंडियन एयरलाइन्स के घरेलू यात्रियों की संख्या

***228. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में इंडियन एयरलाइन्स के घरेलू यात्रियों की संख्या कितने प्रतिशत रही;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स के यात्रियों की संख्या उचित प्रबंध न होने और पुराने विमानों के कारण घट रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं का उन्नयन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इंडियन एयरलाइन्स के पास कितने विमान हैं और उनका औसतन कितने वर्ष उपयोग किया जाता है;

(ङ) क्या इंडियन एयरलाइन्स अपने विमान बेड़े में वृद्धि करने के लिए विमान खरीदेगी अथवा पट्टे पर लेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स का घरेलू यात्री शेयर इस प्रकार रहा है:-

वर्ष	इंडियन एयरलाइन्स का मार्किट शेयर (प्रतिशत)
2001	47.4
2002	41.2
2003	38.6

(ख) इंडियन एयरलाइन्स के पुराने विमान बेड़े के कारण और निजी विमान कंपनियों द्वारा अपनी क्षमता में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स के मार्किट शेयर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) सरकार समय-समय पर इंडियन एयरलाइन्स को अपनी सेवाओं में उन्नयन किए जाने और किफायत-शारी के उपाय करने की दिशा में प्रोत्साहित करती रहती है। इसके अलावा, इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अपने विमान बेड़े में विस्तार/उन्नयन किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(घ) इस समय, इंडियन एयरलाइन्स के पास 51 विमान हैं, जबकि इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एलाइंस एयर के विमान बेड़े में (पट्टे पर लिए गए विमानों सहित) 15 विमान सुलभ हैं। वर्ष 2003-04 के दरौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रयुक्त की गई विमानों की दैनिक औसत उड़ान समयावधि इस प्रकार रही है:-

1.	ए-300 एयरक्राफ्ट	-	7.8 घंटे
2.	ए-320 एयरक्राफ्ट	-	9.4 घंटे
3.	बी-737 एयरक्राफ्ट	-	7.0 घंटे
4.	डोर्नियर-228 एयरक्राफ्ट	-	1.9 घंटे
5.	एटीआर एयरक्राफ्ट	-	5.6 घंटे

(ङ) और (च) इंडियन एयरलाइन्स ने अपने पुराने विमान बेड़े को बदलने और अपनी क्षमता में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से 43 नए विमान खरीदने का प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त, इंडियन एयरलाइन्स अपनी लघु आवधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ड्राईलीज पर भी विमान लेती है, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।

'डायरेक्ट टू होम' प्रसारण नीति

***229. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'डायरेक्ट टू होम' (डी.टी.एच.) प्रसारण नीति को दोबारा लागू किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'डायरेक्ट टू होम' नीति पर पुनर्विचार करने हेतु सूचना और प्रसारण सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति से विषय वस्तु से संबंधित मुद्दों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहा गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की कितनी सिफारिशों को स्वीकार और क्रियान्वित किया गया है; और

(च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टी.वी. चैनलों द्वारा अपने कार्यक्रमों को बिना किसी भेद-भाव के सभी डी.टी.एच. प्रदाताओं को उपलब्ध कराए जाने को कितना अनिवार्य बनाना चाहता है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ङ) सरकार ने 15 मार्च, 2001 को भारत में डी.टी.एच. सेवा की अनुमति देने के लिए डी.टी.एच. दिशा-निर्देशों को निर्धारित किया था। ये दिशा-निर्देश इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध हैं। इस समय, इन दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अश्लील चैनलों को देखने और गुप्त/राष्ट्र विरोधी संदेशों हेतु दुरूपयोग करने संबंधी इसकी संदिग्धता के लिए डी.टी.एच. सेवा के संभव दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित मुकदमा याचिका दायर की गयी थी। अगस्त, 2004 में मंत्रालय में इस मामले की जांच की गयी थी और जनहित मुकदमा याचिका व्यक्त की गयी चिंताओं पर सचिव (सूचना और प्रसारण) द्वारा आयोजित बैठक में संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गयी थी। विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में स्थिति के संदर्भ में संदेश के जरिए सुरक्षा भंग होने की विभिन्न संभावनाओं की जांच करने के लिए इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रसारण) की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का और निर्णय लिया गया। इस समिति ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि सरकार केबल डी.टी.एच. सेवाओं की मानीटरिंग के उद्देश्य से ही नहीं बल्कि भारत में अन्य बैंड में अभिग्रहणीय उपग्रह प्रसारणों के लिए भी अपना स्वयं का मानीटरिंग स्टेशन स्थापित कर सकती है। तदनुसार इस मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) को एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है।

(च) ट्राई ने 10 दिसंबर, 2004 को "दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंत:संयोजन विनियमन, 2004" को अधिसूचित किया है जिसमें अन्य के साथ-साथ अंत:संयोजन करारों में भेदभाव रहित संबंधी सामान्य प्रावधान अंतर्विष्ट हैं। इस विनियमन की एक प्रति ट्राई की वेबसाइट (http.//www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है। विनियमन के पैरा 3.2 में निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक प्रसार अनुरोध पर डायरेक्ट-टू-होम आपरेटरों सहित टीवी चैनलों के सभी वितरकों को भेदभाव रहित शर्तों पर अपने टीवी चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराएगा।

महात्मा गांधी पर पुस्तक

*230. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मंत्रालय के अधीन प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित महात्मा गांधी की कृतियों के संकलन को संशोधित कर दिया गया है और नया संस्करण 2001 में मुद्रित हो गया है और उसकी सी.डी. रोम बन गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि संशोधित संस्करण त्रुटियों, विलोपनों तथा अपमार्जनों से भरा हुआ है और 'साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन एण्ड मेमोरियल ट्रस्ट' ने संशोधित संस्करण को रद्द करने और मूल संस्करण को फिर से मान्यता देने और इसे अभिलेखीय दर्जा देने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) महात्मा गांधी की संग्रहित कृतियों (सी डब्ल्यू एम जी) की परियोजना वर्ष 1956 में प्रारम्भ की गयी थी और 100 खंडों के निम्नानुसार प्रकाशन के साथ इसके अंग्रेजी रूपांतर का प्रकाशन वर्ष 1994 में संपन्न हुआ:-

* कालानुक्रम में संग्रहित कृतियां (खंड सं. 1 से 90 तक)
* अनुपूरक खंड (खंड सं. 91 से 97 तक)
* विषय सूचकांक (खंड सं. 98)
* नाम सूचकांक (खंड सं. 99)
* प्राक्कथन (खंड सं. 100)

हिन्दी रूपांतर में पाठ के तद्नुरूपी 97 खंडों का प्रकाशन वर्ष 2000 में संपन्न हुआ।

इस परियोजना के महत्वपूर्ण स्वरूप को देखते हुए इस श्रृंखला के संकलन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने

वर्ष 1956 में एक सलाहकार मंडल का गठन किया। सलाहकार मंडल में निम्नलिखित सदस्य थे:-

1.	स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई	-	अध्यक्ष
2.	श्री रामलाल पारिख	-	सदस्य
3.	श्री जितेन्द्र देसाई	-	सदस्य
4.	मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रकाशन विभाग के प्रभारी)	-	सदस्य
5.	निदेशक, प्रकाशन विभाग	-	सदस्य
6.	मुख्य संपादक, सी डब्ल्यू एम जी	-	पदेन सदस्य

सर्वश्री काका साहेब कालेकर, देवदास गांधी, प्यारेलाल, मगनभाई पी देसाई, रामधारी सिन्हा 'दिनकर', जी रामचन्द्रन, शांतिलाल एच शाह, जीवनजी देसाई, ठकोरेभाई देसाई, पी एम लाड, श्रीमन नारायण और आर आर दिवाकर भी समय-समय पर सदस्य थे। सलाहकार मंडल की अंतिम बैठक दिनांक 27.12.1978 को हुई थी। फरवरी, 1980 में सलाहकार मंडल के अध्यक्ष ने सी डब्ल्यू एम जी के मुख्य संपादक को सूचित किया कि चूंकि सी डब्ल्यू एम जी का कार्य पूरा होने वाला था और सलाहकार मंडल के विचारार्थ एवं प्रस्तुतीकरण हेतु कोई नीतिगत मामला नहीं था इसलिए सलाहकार मंडल की कोई बैठक बुलाना आवश्यक नहीं था।

वर्ष 1994 में सी डब्ल्यू एम जी के 100वें खंड के प्रकाशन के समय श्री आर पी धस्माना मुख्य संपादक थे। इसके पहले निम्नलिखित व्यक्तियों ने मुख्य संपादक के रूप में सी डब्ल्यू एम जी परियोजना की अध्यक्षता की थी: डा. भारतन कुमारप्पा, जयरामदास दौलतराम और प्रोफेसर के स्वामीनाथन।

2 अक्तूबर, 1999 को प्रकाशन विभाग ने महात्मा गांधी पर एक सी डी रोम भी जारी किया जिसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित महात्मा गांधी की संग्रहित कृतियों वाली एक इलेक्ट्रानिक पुस्तक अंतर्विष्ट थी। ई-बुक में व्यापक सूचकांक के साथ 50,000 से अधिक पृष्ठ हैं। इस सी डी की विशेषता एक अंतर क्रियात्मक मल्टी मीडिया संघटक है जिसमें तीस मिनट का फिल्म फुटेज, 550 से अधिक छायाचित्र और 15 मिनट तक की गांधी जी की आवाज शामिल है।

इसके साथ-साथ, प्रकाशन विभाग ने महात्मा गांधी की संग्रहित कृतियों (सी डब्ल्यू एम जी) का एक संशोधित संस्करण भी प्रकाशित किया। इस श्रृंखला के महात्मा गांधी पर सी डी रोम की तर्ज के साथ-साथ कालानुक्रम में व्यवस्थित किया गया था।

(ग) जी, हां। साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन एंड मोमेरियल ट्रस्ट, अहमदाबाद, सर्वेंट्स, आफ द पीपल सोसायटी, नई दिल्ली, गांधी पीस फाउंडेशन, नई दिल्ली, गांधी स्मारक, नई दिल्ली, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, दि एल्बर्ट आइंस्टीन इंस्टिट्यूशन, यू एस ए, श्री ला सूरंगाराजन, श्री त्रिदिप सुहुर्द, श्री चुन्नीभाई वैद्य, श्री हंसमुख शाह और सुश्री दीना पटेल जैसे संगठनों और व्यक्तियों से बड़ी संख्या में त्रुटियों चूकों एवं विलोपनों के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन सभी ने मूल श्रृंखला को पुन: शुरू करने तथा नई श्रृंखला पर आधारित सी डी सहित नई श्रृंखला को रद्द करने की मांग की है।

(घ) त्रुटियों एवं चूकों के बारे में शिकायतों को सही पाया गया है। अभी तक की गई जांच-पड़ताल से इस बात का पता नहीं चलता है कि किस आधार पर नई श्रृंखला को पहले शुरू किया गया था न ही इस जांच-पड़ताल से इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा चयनित अध्येताओं के नाम का पता चलता है। शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात् त्रुटियों एवं चूकों दोनों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए नवम्बर, 2003 में प्रयास प्रारंभ कर दिए गए थे। यद्यपि, सुधारात्मक प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है तथापि, आधिकारिक सूत्रों से शिकायतें इस मांग के साथ लगातार प्राप्त हो रही हैं कि नई श्रृंखला में इतनी अधिक कमियां हैं कि उनमें सुधार करना असंभव है। इस समस्या से उत्पन्न होने वाली स्थिति सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर खान-पान संबंधी ठेके के आबंटन में आरक्षण

***231. श्री सुशील कुमार मोदी:**
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल खान-पान संबंधी ठेके देने के लिए रेलवे स्टेशनों के वर्गीकरण संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने दूसरी श्रेणी के स्टेशनों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है परंतु यह प्रथम श्रेणी के स्टेशनों के लिए नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार प्रथम श्रेणी के स्टेशनों पर उक्त वर्गों को आरक्षण प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार ब्लाक स्तर पर खान-पान संबंधी ठेके प्रदान करने का है ताकि पिछड़े समुदायों के लोगों को आरक्षण का उचित लाभ मिल सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) रेलवे खान-पान ठेकों को दिए जाने के संबंध में रेलवे स्टेशनों के वर्गीकरण के लिए मानदंड मुख्यत: संबंधित स्टेशनों की वार्षिक आमदनी पर आधारित हैं जैसा कि नीचे दिया गया है:-

वार्षिक यात्री आमदनी	स्टेशन की श्रेणी
6 करोड़ रुपए से अधिक	"क"
3 करोड़ से 6 करोड़ रुपए तक	"ख"
"क" और "ख" श्रेणी के स्टेशनों को छोड़कर उपनगरीय स्टेशन	"ग"
1 करोड़ - 3 करोड़ रुपए के बीच	"घ"
"क", "ख", "ग", "घ" और "च" श्रेणी के स्टेशनों के अलावा सभी स्टेशन	"ङ"
सभी फ्लैग/हाल्ट स्टेशन	"च"

(ख) नई खान-पान नीति, 2004 में सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और रेल कर्मचारियों की विधवाओं सहित महिलाओं और शारीरिक/मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए परिवर्धित 49.5% आरक्षण मुहैया कराने का विनिश्चय किया है जबकि "घ", "ङ" और "च" श्रेणी के स्टेशनों पर (जो कि लगभग 7100 हैं) खान-पान इकाइयों में वर्ष 2000 की पूर्व नीति में यह 25 प्रतिशत था, परंतु "क", "ख" और "ग" श्रेणी के स्टेशनों पर छोटी इकाइयों के लाइसेंस प्रदान करने में उपरोक्त श्रेणियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है जो कि संख्या में मात्र 935 है। इसके अतिरिक्त, बड़ी खानपान इकाइयों के लाइसेंसों में कोई आरक्षण नहीं है।

(ग) रेलों का राजस्व बढ़ाने के अभियान और सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु यह विनिश्चय किया गया था कि केवल "घ", "ङ" और "च" श्रेणी के स्टेशनों पर खान-पान इकाइयों में ही आरक्षण को 25% से बढ़ाकर 49.5% किया जाए और "क", "ख" एवं "ग" श्रेणी के स्टेशनों पर और छोटी खान-पान इकाइयों, सभी बड़ी खान-पान इकाइयों में किसी भी प्रकार का आरक्षण मुहैया नहीं करवाया गया था।

(घ) और (ङ) जी हां। "क", "ख" एवं "ग" श्रेणी के स्टेशनों पर छोटी खान-पान इकाइयों का लाइसेंस देने में उपरोक्त श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के मामले की रेलवे बोर्ड में जांच की जा रही है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डी.ए.वी.पी. द्वारा विज्ञापन

***232. श्रीमती सुमित्रा महाजन:**
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** डी.ए.वी.पी. द्वारा विज्ञापन के बारे में 15 जुलाई, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1295 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन देने के लिए मानदंड क्या हैं;

(ख) डी.ए.वी.पी. द्वारा जून, 2004 से जारी विज्ञापनों का समाचारपत्र-वार/पत्रिका-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को अभी तक कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चार माह पश्चात् भी अनेक समाचारपत्रों को विज्ञापनों का भुगतान नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वित्तीय कठिनाई हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में सरकार को जन प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ज) क्या सरकार ने डी.ए.वी.पी. के कार्यकरण की कोई जांच की है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ञ) डी.ए.वी.पी. के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) भारत सरकार की विज्ञापन नीति तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के साथ समाचारपत्रों को सूचीबद्ध करने संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके साथ सूचीबद्ध समाचारपत्रों एवं आवधिकियों को केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्तशासी निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से विज्ञापन जारी करता है। ये दिशा-निर्देश विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की वेबसाइट वेबसाइट (www.davp.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) जून, 2004 से अब तक समाचारपत्र/मैगजीन-वार विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों और उनको दी गई राशि के ब्यौरे को दर्शाने वाली सूची काफी बड़ी है। भुगतान की स्थिति के साथ और बिलों की स्थिति विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की वेबसाइट (www.davp.nic.in) पर उपलब्ध है।

(घ) से (छ) समाचारपत्रों को भुगतान भारत सरकार की विज्ञापन नीति और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के साथ समाचारपत्रों को सूचीबद्ध करने संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। नीति के अनुसार, समाचारपत्रों को विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर संगत दस्तावेजों के साथ समर्थित सभी रूपों से पूर्ण, अपने विज्ञापन बिल प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय बिल प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर विज्ञापन बिल का भुगतान करने का प्रयास करता है। अनियमित विलम्ब के कारणों में विज्ञापन बिल के बारे में कमियां/विसंगतियां और विवाद तथा ग्राहकों से धनराशि देर से प्राप्त होना शामिल हैं। इस संबंध में प्राप्त किसी संदर्भ/शिकायत का तत्काल मुस्तैदी के साथ समाधान किया जाता है।

(ज) जी, नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठते।

(ञ) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को सरल एवं कारगर बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) सरकार की संशोधित विज्ञापन नीति 01.05.2002 से प्रभावी हो गई है।

(2) समाचारपत्र सूचीबद्धता हेतु आवेदन प्रपत्र तथा दर संविदा के नवीकरण को वर्ष 2002-03 से सरल बना दिया गया है।

(3) समाचारपत्रों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की वेबसाइट (www.davp.nic.in) से विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए किसी विज्ञापन को डाऊनलोड करने की सुविधा प्राप्त है।

हेलिकाप्टर दुर्घटना

*233. **श्री निखिल कुमार:**
श्री चन्द्रभूषण सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक रक्षा बलों के कितने हेलिकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं की जांच के आदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पीड़ितों को दी गयी क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी विमान दुर्घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की बार-बार होने वाली विमान दुर्घटनाओं के कारणों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन करने का निर्णय लिया था;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या यह भी सच है कि ऐसी ही समिति का गठन लगभग एक दशक पूर्व किया गया था;

(झ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया था; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ञ) आज की तारीख तक, विगत तीन वर्षों के दौरान रक्षा बलों के कुल 22 हेलिकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इनमें से 11 वायुसेना के थे, 9

सेना के थे जबकि 2 नौसेना के थे। प्रत्येक वायुयान दुर्घटना के पश्चात्, जांच-अदालत बिठाई जाती है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश की जा सके।

वायुसेना हेलिकाप्टरों की 11 दुर्घटनाओं में से 6 मानवीय चूक के कारण और 3 तकनीकी खराबी के कारण हुई, एक दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जबकि एक की जांच की जा रही है। सेना हेलिकाप्टरों के मामले में, 4 तकनीकी खराबी के कारण तथा एक मानवीय चूक के कारण हुई, एक दुर्घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है, एक बर्फीले क्षेत्रों में प्रचालनात्मक कठिनाइयों के कारण हुई जबकि शेष 2 की जांच चल रही है। इस प्रकार, नौसेना हेलिकाप्टरों की दो दुर्घटनाओं में से एक तकनीकी खराबी के कारण हुई जबकि अन्य एक का मलबा बरामद न होने के परिणामस्वरूप, उसके कारणों का पता नहीं लगाया जा सका।

दिवंगत सेना कार्मिकों के निकटतम संबंधी और घायल कार्मिकों को मुआवजा नियमानुसार दिया जाता है। मई, 2001 में हुई वायुसेना हेलिकाप्टर दुर्घटना के मामले में, सिविलियन सम्पत्ति को हुई क्षति के लिए 25,000 रुपए के मुआवजे का भी भुगतान किया गया था। जुलाई, 2004 में हुई हेलिकाप्टर दुर्घटना के मामले में, मारे गए सिविलियन के निकटतम संबंधी को 5,50,000 रुपए के मुआवजे का भुगतान किया गया था।

रक्षा सेनाएं उड़ान सुरक्षा के लिए लगातार उपाय करती हैं तथा उसका उन्नयन करती हैं। पायलटों के कौशल स्तर, सही निर्णय लेने की क्षमता तथा परिस्थितिगत जागरूकता को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण की गुणता में वृद्धि करने के उपाय किए जा रहे हैं। विमान की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड तथा संबंधित देशों के मूल उपस्कर निर्माताओं के साथ भी लगातार संपर्क बनाए रखा जाता है।

भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए किसी नए विशेषज्ञ समूह का गठन नहीं किया है।

विमान दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने तथा दुर्घटनाओं को कम-से-कम करने के लिए एक व्यापक कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी, 1997 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में लड़ाकू विमान दुर्घटना संबंधी समिति गठित की गई थी। इस समिति ने उड़ान सुरक्षा संबंधी पूर्व समितियों अर्थात् कोहली समिति तथा ला फान्टेन समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया था। समिति ने अगस्त, 1997 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की।

समिति द्वारा की गई कुल 84 सिफारिशों में से, 53 कार्यान्वित कर दी गई हैं, 21 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जबकि 10 सिफारिशों को समाप्त माना गया है क्योंकि उन्हें कार्यान्वित करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

नई रेल लाइन का निर्माण

*234. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू योजना अवधि के दौरान नयी रेल लाइनों के निर्माण हेतु संसाधनों के आबंटन में भारी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त धनराशि का आबंटन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी नहीं। नवीं योजना में उखाड़ी गई लाइनों के पुनर्स्थापन सहित नई लाइनों पर किया गया व्यय 2913.40 करोड़ रु. था। 10वीं योजना के पहले तीन वर्षों में इस पर संभवत: 4770.00 करोड़ रु. खर्च होंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए परियोजना विशेष के लिए वित्तपोषण के द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए, रक्षा मंत्रालय से वित्तपोषण, सार्वजनिक/निजी भागीदारी और राष्ट्रीय रेल विकास योजना के लिए गैर-बजटीय उपायों हेतु पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। 2004-05 के अंतरिम बजट में दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना की भी घोषणा की गई है जिसमें पांच वर्षों के दौरान उन परियोजनाओं पर 20,000 करोड़ रु. का निवेश करने का विचार किया गया है जो परियोजनाएं पिछड़े, दूरस्थ और कम विकसित क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई हैं। बहरहाल, इस योजना के लिए संसाधन अभी जुटाए जाने हैं।

[अनुवाद]

पैट्रोलियम और स्नेहकों (लुब्रिकेन्ट) की लदाई

*235. **श्री सुरेश अंगड़ि:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने इंडियन आयल कारपोरेशन के तेलशोधक कारखानों को खाली टैंक वैगनों की आपूर्ति की थी जो पेट्रोलियम और स्नेहकों की ढुलाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थे तथा जिन्हें आई.ओ.सी. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया जैसा कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडियन आयल कारपोरेशन को अनुपयुक्त वैगनों की आपूर्ति किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा इन वैगनों को अस्वीकृत किए जाने के कारण रेलवे को कितनी हानि उठानी पड़ी है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी नहीं। भारतीय रेल पेट्रोलियम उत्पादों के लदान के लिए उपयुक्त टंकी माल डिब्बों की आपूर्ति करती है। बहरहाल, तेल कंपनियां अपने लदान के समय कुछ माल डिब्बों को तकनीकी कारणों से अस्वीकार कर देती हैं।

(ख) माननीय संसद सदस्य द्वारा इस प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की रिपोर्ट का संदर्भ मैसर्स इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) के बरौनी स्थित तेलशोधक कारखाने को अनुपयुक्त टंकी मालडिब्बों की आपूर्ति से है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 2000-01 से 2002-03 के दौरान लदान के लिए आपूर्ति की गई कुल 20,524 मालडिब्बों (3.95%) में से मैसर्स आईओसी द्वारा कुल 811.5 टंकी मालडिब्बे (चौपहिया के संदर्भ में) अस्वीकृत किए गए थे। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मैसर्स आई ओ सी द्वारा इस तेल शोधक कारखाने को लदान के लिए आपूर्ति किए गए कुल 1,43,610 टंकी माल डिब्बों में से कुल 968 टंकी माल डिब्बे (चौपहिया के संदर्भ में) अस्वीकृत किए गए थे। अस्वीकृत किए गए माल डिब्बे आपूर्ति किए गए कुल माल डिब्बों का मात्र 0.67% है। आंकड़ों में अंतर इस तथ्य के कारण है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में लदान के लिए आपूर्ति किए गए सभी मालडिब्बे शामिल नहीं हैं। ऐसे सभी रेक जहां कोई अस्वीकृति नहीं है, को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मोटे तौर पर शामिल नहीं किया गया है।

(ग) उतराई स्थलों पर टंकी माल डिब्बों से उत्पाद को पूरी तरह से निकाल न देने, जो कि तेल उद्योग और इसके ग्राहकों का काम है, के कारण टंकी माल डिब्बों को लदान के लिए अनुपयुक्त करार दिया गया था। टंकी माल डिब्बों के तले में अवशिष्ट पदार्थ कालान्तर में जम जाने से काले/कठोर गंदगी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बहरहाल, माल डिब्बों के अंदर काले/सख्त गंदगी के जमा होने का पता पहले से नहीं लगाया जा सकता है और टंकी माल डिब्बों में पेट्रोलियम उत्पादों के लदान के समय ही इनके लदान योग्य होने की पुष्टि की जा सकती है।

टंकी माल डिब्बे त्रुटिपूर्ण मास्टर वाल्व, निचली सतह के निस्तारण वाल्व और अन्य विभिन्न फिटिंग्स के कारण अभी अस्वीकृत किए जाते हैं। टंकी माल डिब्बों के इस प्रकार से अस्वीकृत होने में आगे और कमी लायी जा सकती है, यदि उतराई स्थलों पर टंकी माल डिब्बों से उत्पाद का निस्तारण के बाद सभी फिटिंग्स को उचित रूप से उनके स्थान पर लगा दिया जाए। रेल प्रशासन टर्मिनलों पर लदान के लिए माल डिब्बों की सप्लाई से पहले अपने यार्डों में रेक के सवारी और माल डिब्बे का निरीक्षण करता है। जब कभी माल डिब्बों में लापता अथवा खराब फिटिंगों का पता चलता है, तो कमी को दूर किया जाता है। इस प्रकार कतिपय माल डिब्बों के इस प्रकार से अस्वीकृत होने की संभावनाएं न्यूनतम हो जाती है।

अत: माल डिब्बों के तले में अवशिष्ट पदार्थ के जमा हो जाने अथवा दोषपूर्ण फिटिंगों के कारण लदान के लिए आपूर्ति किए जाने वाले सभी टंकी माल डिब्बों के लदान के उपयुक्त होने की पुष्टि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पहले से नहीं की जा सकती है।

(घ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेल को मालभाड़े में 1.4 करोड़ रुपए की परिणामी हानि हुई और अस्वीकृत मालडिब्बों के खाली हालेज के कारण 0.28 करोड़ रुपए की हानि हुई, जिनका कुल जोड़ 1.68 करोड़ रुपए बनता है। भारतीय रेलवे को उक्त तीन वर्षों की अवधि (2000-01 से 2002-03) में होने वाली मालभाड़ा आमदनी 2,26,03,40,244 रुपए (226.03 करोड़ रुपए) है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित 1.68 करोड़ रुपए की हानि मात्र 0.74% आकलित की गई है।

भारतीय रेल के पास 4.5 लाख (चौपहिया इकाइयां) से भी अधिक माल डिब्बे हैं। इनमें से लगभग 43,000 माल डिब्बे (चौपहियां इकाइयां) टंकी माल डिब्बे हैं। इन टंकी मालडिब्बों का उपयोग ने सिर्फ मैसर्स इंडियन आयल कारपोरेशन बल्कि अन्य तेल कंपनियों की भी पेट्रोलियम यातायात की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। इतनी भारी मात्रा में पेट्रोलियम तेल स्नेहक (पी ओ एल) के परिचालन की प्रक्रिया में थोड़ी सी संख्या में टंकी माल डिब्बों का अस्वीकृत हो जाना अपरिहार्य है। अत: यह हानि मामूली है।

महानगरेतर विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण हेतु निधियां

***236. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुछ महानगरेतर विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण हेतु विशेष बांड्स जारी करके तथा दोनों घरेलू और विदेशी बाजारों से उधार लेकर धनराशि जुटाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे कुल कितनी धनराशि जुटाए जाने की संभावना है;

(ग) इस परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु क्या ठोस कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है; और

(घ) सरकार आवश्यक धनराशि के एक अंश को जुटाने हेतु विदेशी और घरेलू बाजारों के मामले में कितनी सफल रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एअर-साइड तथा सिटी साइड के विकास एवं गैर-वैमानिकी राजस्व की वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए चरणबद्ध रूप में 25 महानगरेतर विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण किए जाने की योजना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले चरण में 10 हवाईअड्डों के टर्मिनल भवन के उच्च/अत्याधुनिक तकनीकी विकास तथा भूमि प्रयोग द्वारा सिटी साइड का विकास करते हुए गैर-वैमानिकी राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारतीय वित्तीय सलाहकार तथा अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार को विस्तृत तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दूसरे चरण में शेष 15 हवाईअड्डों के लिए भारतीय वित्तीय सलाहकार तथा अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति कर रहा है। अहमदाबाद तथा त्रिवेन्द्रम के नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के संबंध में आयोजित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय वास्तु शिल्प डिजाइन प्रतियोगिता की अंतिम रूपरेखा पहले ही तैयार की जा चुकी है।

चुने गए महानगरेतर विमानपत्तनों के विकास हेतु धनराशि जुटाए जाने के तौर-तरीकों पर भारतीय वित्तीय सलाहकार तथा अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार द्वारा विस्तृत तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान कर दिए जाने के पश्चात् ही विचार किया जा सकेगा।

निजी केबल नेटवर्क

***237. डा. एम जगन्नाथ:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को देश में विभिन्न निजी केबल नेटवर्क संगठनों से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार की कोई ऐसी निगरानी एजेंसी है जो प्रमुख केबल नेटवर्क कंपनियों की कार्यप्रणाली तथा उनकी मासिक आय पर निगरानी रख सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इन प्रमुख केबल नेटवर्क कंपनियों के लेखे-जोखे की जांच न करने तथा इन पर निगरानी न रखने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में इन पर नियंत्रण रखने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) देश में विभिन्न निजी केबल नेटवर्क संगठनों से प्राप्त कुल राशियों के कोई पृथक आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (ङ) केबल टी वी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में देश में केबल टी वी नेटवर्कों के प्रचालन और इससे संबंधित या इससे प्रासंगिक मामलों को विनियमित करने के प्रावधान समाविष्ट हैं। केबल प्रचालकों को उनके प्रचालनों में उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित है। केबल प्रचालकों द्वारा आय के मुद्दे को विनियमित करने के लिए उक्त अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या उक्त अधिनियम में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तथापि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत समय-समय पर जारी किए गए शुल्क दर आदेशों का केबल प्रचालकों की समग्र आय पर प्रभाव पड़ेगा।

वैगनों की कमी

***238. श्री रघुनाथ झा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा वैगनों की आपूर्ति में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा वैगनों की आपूर्ति में कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) प्रति वर्ष वैगनों की 'फोर व्हीलर यूनिटों' की कुल आवश्यकता कितनी है तथा आपूर्ति किए जा रहे वैगनों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या देश में वैगन निर्माण करने वाली और इकाइयां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। 2003-04 के लिए मालडिब्बों की 18,500 चौपहिया इकाइयों के लक्ष्य की तुलना में मालडिब्बों की 16,573 चौपहिया इकाइयों का निर्माण किया गया। रेल मालडिब्बे मुख्यत: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की 12 मालडिब्बा इकाइयों द्वारा बनाए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा कम निष्पादन ही मालडिब्बों की आपूर्ति में कमी का कारण है। भारी उद्योग विभाग और रेल मंत्रालय द्वारा कम निष्पादन ही मालडिब्बों की आपूर्ति में कमी का कारण है। भारी उद्योग विभाग और रेल मंत्रालय द्वारा इन इकाइयों को उनकी उत्पादकता में सुधार लाने के लिए आवश्यक सहायता मुहैया कराई जा रही है।

(ग) मालडिब्बों की आवश्यकता को पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए मोटे तौर पर आकलित किया जाता है और वर्ष विशेष में ढोए जाने वाले अनुमानित माल यातायात को ध्यान में रखते हुए वर्ष दर वर्ष आधार पर सही कर दिया जाता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 2001-02 से 2006-07 के दौरान, कुल 65,000 चौपहिया इकाइयों की आवश्यकता का आकलन किया गया, जिसे 2004 (उत्तरार्द्ध) में आयोजित दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि आकलन के दौरान बढ़ाकर 94,214 चौपहिया इकाइयां कर दिया गया है। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य की तुलना में मालडिब्बों का वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित है:-

(आंकड़े चौपहिया इकाइयों में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक आपूर्ति
2002-03	17000	16584
2003-04	18500	16573
2004-05	20000	11967 (नवंबर, 2004 तक)

(घ) और (ङ) देश में मालडिब्बा निर्माण की पर्याप्त क्षमता पहले ही उपलब्ध है। उनकी उत्पादकता में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अमृतसर, समस्तीपुर और गोल्डन राक रेलवे वर्कशापों में भी कुछ मालडिब्बे बनाए जा रहे हैं। मौजूदा सुविधाओं और जनशक्ति का उपयोग करके प्रतिवर्ष 100 मालडिब्बा की दर से जमालपुर वर्कशाप में मालडिब्बा निर्माण प्रारंभ करने का विनिश्चय किया गया है।

रेलवे द्वारा बकाया राशि की वसूली

***239. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर 1996 में यह निर्णय लिए जाने के बावजूद राज्य विद्युत बोर्डों/पावर हाउसों की ओर बकाया राशि में वृद्धि हुई है कि रेलवे माल-भाड़े का पूर्व भुगतान किए जाने पर ही कोयले की ढुलाई करेगा और बकाया धनराशि की वसूली राज्य सरकारों को मिलने वाली केन्द्रीय योजना सहायता से करेगा;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार कुल कितनी धनराशि बकाया है और पिछले पांच वर्षों की तुलना में यह कितनी है;

(ग) कोयले की पूर्व-भुगतान पर ढुलाई करने के निर्णय का उल्लंघन करने तथा बकाया राशि की वसूली न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी हां। 30.9.1996 को राज्य बिजली बोर्डों/पावर हाउसों से रेलों द्वारा वसूलनीय कुल बकाया देय 1126 करोड़ रुपए थे जो 30.9.2004 को बढ़कर 1762 करोड़ रुपए हो गए हैं। संलग्न विवरण-I अक्तूबर 1996 का निर्णय उन राज्य बिजली बोर्डों/पावर हाउसों पर लागू नहीं था, जिन्होंने मालभाड़े की अग्रिम भुगतान की योजना अपनायी थी। वृद्धि मुख्यत: बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, दिल्ली विद्युत बोर्ड, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड, राजस्थान बिजली बोर्ड और गुजरात राज्य बिजली बोर्ड के मामले में हुई है। वृद्धि के कारण विस्तार से संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) आज की तारीख (30.9.2004 तक) तक राज्य बिजली बोर्डों/पावर हाउसों की ओर कुल बकाया राशि 1762 करोड़ रुपए है। सितंबर और मार्च के अंत तक पूर्व पांच वर्षों के लिए बकाया देय की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	30 सितंबर को स्थिति	31 मार्च को स्थिति
1999-2000	1446	1306
2000-01	1761	1661
2001-02	1901	1616
2002-03	2145	1754
2003-04	1910	1633
2004-05	1762	**

**नोट: मार्च 2005 को समाप्त अवधि के लिए स्थिति मार्च के लेखे बंद होने के पश्चात् संकलित की जाएगी।

(ग) पूर्व भुगतान पर कोयले के परिवहन का निर्णय लिया गया था लेकिन राज्य बिजली बोर्डों/पावर हाउसों की खराब वित्तीय स्थिति, माल भाड़े के अग्रिम भुगतान की योजना के अंतर्गत पर्याप्त राशि जमा न कराए जाने के कारण कुछ मामलों में इसे लागू नहीं किया जा सका जिसकी वजह से अधिप्रभार की वसूली के कारण कुछ मामलों में विवाद उत्पन्न हो गया।

1997 से 2002 की अवधि के दौरान 159 करोड़ रुपए की बकाया राशि राज्य सरकारों को देय केन्द्रीय योजना सहायता से की गई थी।

(घ) मामले पर संबंधित राज्य बिजली बोर्डों/पावर हाउसों के साथ नियमित कार्रवाई की जा रही है।

विवरण I

31.3.2004 और 30.9.2004 तक स्थिति की तुलना में 30.9.1996 को बकाया का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य बिजली बोर्ड/पावर हाउस का नाम	30.9.1996	31.3.2004	30.9.2004 (अनंतिम)
1.	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	29.97	0.00	9.75
2.	असम राज्य बिजली बोर्ड	6.91	0.00	0.00
3.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	3.94	0.95	1.59
4.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	86.31	183.76	183.97
5.	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	10.86	0.45	36.34
6.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	71.00	1.75	12.83
7.	झारखंड राज्य बिजली बोर्ड	*	0.44	1.48
8.	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	0.07	0.03	0.54
9.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	31.35	0.54	16.22
10.	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	4.14	2.94	1.71
11.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	37.97	440.11	439.82
12.	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	1.19	58.29	69.85
13.	तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	1.29	0.50	1.69
14.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	47.58	60.69	46.99
15.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	29.28	1.12	14.87
16.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	711.12	866.40	865.04
17.	नेशनल थर्मल पावर निगम	50.85	8.82	49.02
18.	दामोदर घाटी निगम	*	6.42	8.69
19.	प्राइवेट पावर हाउस—साबरमती	2.54	0.21	1.18
	कुल	1126.37	1633.42	1761.58

*रेलों की सूची में बिजली बोर्ड/पावर हाउस नहीं थे।

विवरण II

वृद्धि के कारण और आगे की कार्रवाई

(1) बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन:

बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन से बकाया देश में सितंबर 1996 की समाप्ति को 711 करोड़ रु. से आज तक (सितंबर 2004 तक) 865 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है।

01.1.97 से मालभाड़ा के अग्रिम भुगतान की योजना लागू होने के बाद भी, 1999-2000 के अंत तक बकाया बढ़कर 966 करोड़ रु. हो गया, जो मुख्यत: अपेक्षित निक्षेप को बनाए रखने में उनकी असमर्थता के कारण है।

लगातार अनुसरण और ऊर्जा मंत्रालय के साथ बैठकें करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2003-04 के दौरान बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन से 111 करोड़ रु. की वसूली हो पाई और नवंबर 2009 तक बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन से शेष 857 करोड़ रु. के बकाया देय की वसूली के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम भी प्राप्त हुआ है। बकाया देय में और वृद्धि रोकने के लिए तथा रेलवे की मालभाड़ा आमदनी की शीघ्र वसूली के लिए, राज्य बिजली बोर्डों की सुविधानुसार इलेक्ट्रानिक पेमेंट गेटवे शुरू किए जा रहे हैं।

(2) दिल्ली विद्युत बोर्ड:

इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी (जेनको) के गठन के बाद, दिल्ली विद्युत बोर्ड ने 22.1.2004 से बुकिंग स्थलों पर कोयले के रेकों की पूर्व अदायगी पर बुकिंग करना शुरू कर दिया है। इससे बकाया में वृद्धि की प्रवृत्ति पर कुछ हद तक नियंत्रण करने में मदद मिली है। पुराने बकायों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड ने अभी हाल ही में रेलवे के साथ बकायों का निपटारा करने में अपनी सहमति व्यक्त की है। तदनुसार, उत्तर रेलवे को दिल्ली विद्युत बोर्ड के साथ बकाया देय का निपटारा करने का निदेश दिया गया है।

(3) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड:

अग्रिम अदायगी योजना की शर्तों के अनुसार रेलवे के पास पर्याप्त प्रतिभूति निक्षेप जमा न कराए जाने से "टू-पे" अधिभार के इकट्ठा हो जाने के कारण पंजाब राज्य बिजली बोर्ड की ओर सितंबर, 2004 तक बकाया देय में 440 करोड़ रु. तक की वृद्धि हुई है। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के बकायों के संबंध में उनके द्वारा विवाद खड़ा कर दिया गया है और चंडीगढ़ में पंजाब तथा हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका लंबित है। मामला न्यायाधीन है। बहरहाल, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने 14.5.2003 से लदान स्थल पर पूर्व-अदायगी करना शुरू कर दिया है।

(4) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड:

अग्रिम अदायगी योजना के अंतर्गत, वे रेलवे के पास अपेक्षित निक्षेप बनाए नहीं रख सके और बकाया के संबंध में विवाद खड़ा कर रहे हैं जो कि मुख्यत: "टू-पे" अधिभार लगाने के कारण है। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के साथ पूर्व-अदायगी योजना शुरू करने के मुद्दे का अनुसरण किया जा रहा है।

(5) गुजरात राज्य बिजली बोर्ड:

सितंबर 2004 को बकाया देय में वृद्धि केवल अस्थायी है और इसके मार्च, 2005 तक भुगतान कर दिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की विज्ञापन संबंधी नीति

*240. **श्री तूफानी सरोज:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा समाचारपत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम छोटे समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में अपने विज्ञापन नहीं देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों को जारी करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। भारत सरकार की विज्ञापन नीति और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के साथ समाचारपत्रों को सूचीबद्ध करने संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार विज्ञापन जारी किए जाते हैं। ये दिशा-निर्देश विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की वेबसाइट www.davp.nic.in पर उपलब्ध हैं। समाचार-पत्रों को विज्ञापन

जारी करना बजट प्रावधान, लक्ष्यित पाठकों और ग्राहकों द्वारा उल्लिखित मीडिया सूची की वरीयता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

गोदावरी बेसिन में गैस और तेल

***241. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या रिलायंस और कुछ निजी कंपनियों को गोदावरी और अन्य बेसिनों में तेल और प्राकृतिक गैस का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इसकी खोज और वाणिज्यिक प्रयोग के लिए निजी एजेन्सियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) निम्नलिखित 32 गैस और तेल खोजें (11 जमीनी क्षेत्र में, 9 उथले पानी वाले क्षेत्र में और 12 गहरे पानी वाले क्षेत्र में) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा भारत के कृष्णा-गोदावरी और अन्य बेसिनों में की गई हैं-

बेसिन	ब्लाक	प्रचालक	जमीनी/उथला पानी/गहरा पानी	खोजों की संख्या
कैम्बे बेसिन	सीबी-ओएस/2	केर्न एनर्जी इंडिया प्रा. लिमिटेड	उथला पानी	5
	सीबी-ओएनएन-2000/2	नाइको रिसोर्सेज लि.	जमीनी	2
कृष्णा-गोदावरी बेसिन	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2	केर्न एनर्जी इंडिया प्रा. लिमिटेड	गहरा पानी	3
	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	गहरा पानी	9
महानदी एन ई सी बेसिन	एन ई सी - ओ एस एन-97/2	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उथला पानी	4
राजस्थान बेसिन	आरजे-ओएन-90/1	केर्न एनर्जी इंडिया प्रा. लिमिटेड	जमीनी	9

(ग) से (ङ) सरकार और संविदाकार के बीच हस्ताक्षर किए गए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अंतर्गत उत्तरवर्ती को सभी पेट्रोलियम प्रचालन, विकास और उत्पादन सहित, चलाने और इसके लिए अपेक्षित तकनीकी और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अनुग्रहीत किया गया है। खुली अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अनुसरण में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए किसी क्षेत्र/ब्लाक के प्रदान किए जाने के लिए कंपनियों का चयन करने के लिए प्रमुख आधारों में से एक संविदा के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की कंपनी की तकनीकी और वित्तीय क्षमता होती है जिसमें संविदा क्षेत्र से अन्वेषण, विकास और उत्पादन सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों की अतिक्रमित भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

***242. श्री अधीर चौधरी:**
श्री उदय सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में प्रमुख विमानपत्तनों की अतिक्रमित भूमि के वाणिज्यिक उपयोग के बारे में कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अधिकांश विमानपत्तन लाभार्जन नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रमुख विमानपत्तनों की अतिक्रमित भूमि का वाणिज्यिक उपयोग घाटे में चल रहे विमानपत्तनों को अर्थक्षम बनाने में कितना सहायक होगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी. नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी. हां।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित 126 हवाईअड्डों में से केवल 10 हवाईअड्डों/सिविल एन्क्लेवों ने वर्ष 2003-04 के दौरान मुनाफा कमाया है। शेष हवाईअड्डों द्वारा 275 करोड़ रुपए की हानि उठाई गई है। हवाईअड्डों द्वारा उठाई गई इस हानि का मुख्य कारण इन हवाईअड्डों पर यातायात की अत्यधिक कमी होना है।

(ङ) मुंबई तथा हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाईअड्डे, जहां अतिक्रमण विद्यमान है, पहले से ही अर्थक्षम हवाईअड्डे हैं, जो कि मुनाफा कमा रहे हैं। अन्य प्रमुख हवाईअड्डों पर अतिक्रमण को हटाए जाने से वाणिज्यिक अर्थक्षमता पर पड़ने वाला प्रभाव हवाईअड्डे की क्षमता, मांग और भूमि के वाणिज्यिक उपयोग संबंधी भावनाओं पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों के ठहराव को रद्द करना

2504. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक उन रेलवे स्टेशनों का जोन-वार ब्यौरा क्या है जहां रेलगाड़ियों का ठहराव रद्द कर दिया गया है और वे रेलगाड़ियां कौन-कौन सी हैं;

(ख) रद्द किए गए ठहराव को पुनर्बहाल करने हेतु प्राप्त किए गए अनुरोधों का जोन-वार ब्यौरा क्या है और इन्हें कब प्राप्त किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा उन अनुरोधों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जिन स्टेशनों, से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ठहराव समाप्त किए गए हैं, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) रद्द किए गए ठहरावों को पुनर्बहाल करने के लिए स्टेशन से मंत्रालय तक के विभिन्न स्तरों के संगठनों पर समय-समय पर विभिन्न क्वार्टरों से अभ्यावेदन प्राप्त किए जाते हैं और उनका अनुपालन नहीं किया जाता है।

(ग) भारतीय रेलवे पर ठहरावों का रद्दकरण करना/व्यवस्था करना एक चालू प्रक्रिया है और इस संबंध में यथा औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	गाड़ी संख्या और नाम	जिन स्टेशन (स्टेशनों) से ठहराव समाप्त किए गए हैं	क्षेत्रीय रेलवे
1	2	3	4
1.	3143/3144 सियालदह-न्यू जलपाईगुड़ी मेल	दलकेल्हा, बरसोई, अलुआबाडी	पूर्वोत्तर सीमा
2.	3143 सियालदह-न्यू जलपाईगुड़ी मेल	कुमेदपुर	पूर्वोत्तर सीमा
3.	2977/2978 जयपुर-एर्णाकुलम एक्सप्रेस	गोधरा	पश्चिम
4.	2961/2962 इंदौर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस	उनहाल	पश्चिम
5.	9149/9150 धनबाद-अहमदाबाद एक्सप्रेस	नागदा	पश्चिम

1	2	3	4
6.	9311/9312 इंदौर-पुणे एक्सप्रेस	खाचरोद	पश्चिम
7.	109/110 विरार-भरूच शटल	हंसपुरा, गांधी-स्मृति	पश्चिम
8.	9672 खंडवा-अजमेर एक्सप्रेस/पैसेंजर	रूनीजा	पश्चिम
9.	489/490 महू-चित्तौड़गढ़ पैसेंजर	महिमाखेड़ी	पश्चिम
10.	581/582 पूर्णा-अजमेर एक्सप्रेस	सिर्रन	पश्चिम
11.	9671/9672 खंडवा-अजमेर एक्सप्रेस/पैसेंजर	सिर्रन	पश्चिम
12.	1107/1108 ग्वालियर-वाराणसी एक्सप्रेस	औरछा, बरवा सागर, बेला ताल, बहिला पूर्वा, बदौसा, तेहरका, रानीपुर रोड, शेरा, कबराई, मटोंघ खैरार जंक्शन, डिंगवाही, शिवरामपुर, खोह	उत्तर मध्य
13.	7210 ककिनाडा टाउन-बैंगलूरू एक्सप्रेस	मंडवल्लि	दक्षिण मध्य
14.	2779/2780 वास्को-निजामुद्दीन एक्सप्रेस	बेलापुर	मध्य
15.	5625 बैंगलूरू-गुवाहाटी एक्सप्रेस	कुप्पम	दक्षिण पश्चिम
16.	327/328 टाटा-नागपुर एक्सप्रेस	कापन, कोतमी सोनार, पनियाजोवा, बोरबालाव, दरेकसा, गुदमा, गंगाझीरी, कांचवानी, मंडीकोटा, खात, खराल, चारचर, साल	दक्षिण पूर्व मध्य
17.	4707/4708 रनकपुर एक्सप्रेस	देशनोक	उत्तर पश्चिम
18.	2307/2308 जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस	कुचामन सिटी	उत्तर पश्चिम
19.	2307/2308 जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस	बनस्थल निवाई	उत्तर पश्चिम
20.	4519/4520 दिल्ली-भटिंडा एक्सप्रेस	भवानी खेड़ा	उत्तर पश्चिम
21.	9771/9772 अमृतसर-जयपुर एक्सप्रेस	चरखी दादरी	उत्तर पश्चिम
22.	2465/2466 जोधपुर-सवाई माधोपुर एक्सप्रेस	सांभर लेक	उत्तर पश्चिम
23.	181/182 जयपुर-रेवाड़ी भिवानी पैसेंजर	घटाला	उत्तर पश्चिम
24.	4059/4060 दिल्ली सराय रोहिल्ला-जैसलमेर एक्सप्रेस	बस्सी	उत्तर पश्चिम
25.	9615/9616 उदयपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस	गोविंदगढ़, मालिकपुर, अटेली भूपाल सागर	उत्तर पश्चिम
26.	4059 दिल्ली-सराय रोहिल्ला जैसलमेर एक्सप्रेस	अजरका	उत्तर पश्चिम
27.	193/194 कोटा-जयपुर पैसेंजर	सिरल	उत्तर पश्चिम
28.	9263 दिल्ली सराय-पोरबंदर एक्सप्रेस	सेंद्रड़ा	उत्तर पश्चिम
29.	9265/9266 ओखा-देहरादून एक्सप्रेस	किशनगढ़	उत्तर पश्चिम
30.	4311 बरेली-भुज एक्सप्रेस	राजगढ़	उत्तर पश्चिम

1	2	3	4
31.	9943/9944 दिल्ली-सराय रोहिल्ला अहमदाबाद एक्सप्रेस	लच्छीपुरा	उत्तर पश्चिम
32.	4846 अहमदाबाद-जोधपुर एक्सप्रेस	रानी	उत्तर पश्चिम
33.	4848 बांद्रा (टी)-जोधपुर एक्सप्रेस	रानी	उत्तर पश्चिम
34.	8411/8412 भुवनेश्वर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस	तापंग	पूर्व तट
35.	2620 मंगलौर-लोकमान्य तिलक (टर्मि.) एक्सप्रेस	मानगांव	कोंकण
36.	327 टाटा-नागपुर पैसेंजर	दाधापारा, दागोरी, करकुरा	दक्षिण पूर्व मध्य
37.	429 रामनगर-मुरादाबाद पैसेंजर	जलपुर हाल्ट	उत्तर पूर्व

अमरनाथ हेतु हेलीकाप्टर सेवा

2505. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए पवन हंस द्वारा हेलीकाप्टर सेवा आरंभ किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड वर्ष 2005 में तीर्थ यात्रा की अवधि के दौरान अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा प्रस्ताव श्री अमरनाथ तीर्थ मंडल अथवा जम्मू कश्मीर सरकार से प्राप्त हो।

[अनुवाद]

सैनिकों में एच.आई.वी. पाजिटिव

2506. श्री खीरेन रिजीजू: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना के कुछ सैनिकों को एच.आई.वी. पाजिटिव पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय सेना के कितने सैनिकों को एच.आई.वी. पाजिटिव पाया गया है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय सेना को एच.आई.वी. के संक्रमण से बचाने हेतु योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) सरकार को भारतीय सेना में कुछ एच.आई.वी. पाजिटिव मामले होने की जानकारी है। भारतीय सेना में एच.आई.वी. पाजिटिव मामलों की प्रतिशतता 0.02 से कम है।

2. भारतीय सेना को एच.आई.वी. संक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) श्रव्य-दृश्य तथा अन्य मीडिया के माध्यम से एच.आई.वी./एड्स के बचाव तथा नियंत्रण पर स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार किया गया है।

(2) सेना कार्मिकों तथा उनके परिवारों के लिए केवल एच.आई.वी. संक्रमण से मुक्त खून का इस्तेमाल किया जाता है।

(3) सेना कार्मिकों के लिए यूनिटों में निरोध नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।

(4) एच.आई.वी. के लिए सिरो-पाजिटिव पाए जाने वाले सेना कार्मिकों की अक्सर जांच की जाती है तथा ऐसे कार्मिकों से संक्रमण न फैले इसके लिए निवारक उपाए किए जाते हैं।

(5) रक्त दाताओं, यौन संचारी रोगों से ग्रस्त मरीजों, क्षयरोगियों, प्रसव-पूर्व के मामलों तथा शांति मिशनों में विदेशों में जाने वाले कार्मिक तथा वहां से स्वदेश लौटने वाले कार्मिक आदि जैसे उच्च जोखिम वाले समूहों की निगरानी रखी जाती है।

सेंसर बोर्ड द्वारा अस्वीकृत फिल्में

2507. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी क्षेत्र के सेंसर बोर्ड द्वारा अस्वीकृत फिल्मों को अपीलीय प्राधिकरण से प्रदर्शन हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र मिल जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड चलचित्रकी अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार फिल्मों को प्रमाणित करता है। इस अधिनियम की धारा 5ग(1) के अनुसार किसी ऐसी फिल्म जिसे बोर्ड के किसी आदेश द्वारा अपकृत कर दिया गया है, के लिए प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख के 30 दिन के अन्दर अधिकरण को अपील कर सकता है। अधिकरण विधिवत विचार करने के बाद जांच समिति/संशोधन समिति द्वारा अस्वीकृत की गई फिल्म को आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकता है।

एअर इंडिया के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2508. श्री महबूब जाहेदी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में सरकार ने एअर इंडिया और इसके सहायक भारतीय होटल निगम (एच सी आई) के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या एच सी आई हेतु अनुमोदित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना एअर इंडिया के कर्मचारियों के लिए अनुमोदित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से भिन्न है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एअर इंडिया में उक्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन में डी पी ई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्राप्त करने वाले एच सी आई के कुछ कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनिवार्य एक माह का नोटिस अथवा नोटिस-वेतन न दिए जाने पर सरकार के पास अभ्यावेदन दिया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि उन कर्मचारियों को एक माह का नोटिस अथवा नोटिस-वेतन मिल सके?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एअर इंडिया तथा भारतीय होटल निगम द्वारा लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (गुजरात पैटर्न) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित थी। दोनों योजनाओं में केवल एक ही अंतर है, जो वी आर एस मुआवजे के संबंध में है। एअर इंडिया के मामले में कर्मचारियों के वेतनमान अभी संशोधित किए जाने हैं और इसलिए जो वी आर एस मुआवजा चुकता किया गया था वह संशोधन पूर्व वेतनमानों के अनुसार अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर था तथा वी आर एस मुआवजा 50% तक बढ़ा दिया गया था। यह कार्रवाई सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी विस्तृत दिशानिर्देशों पर आधारित थी। भारतीय होटल निगम में कर्मचारियों के संशोधित वेतन वर्ष, 1997 से प्रभावी हुए थे। इसीलिए उनके वी आर एस मुआवजे का परिकलन/अदायगी संशोधित वेतनमानों के आधार पर की गई थी।

(घ) से (च) जी, नहीं। वी आर एस को लागू करते समय सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया गया था। यद्यपि, भारतीय होटल निगम के कुछ कर्मचारियों ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसका भारतीय होटल निगम द्वारा उचित उत्तर दे दिया गया था। भारतीय होटल निगम ने कर्मचारियों के नामों की सूची 30 दिन का नोटिस देकर प्रदर्शित/अधिसूचित की थी तथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से पत्र भी भेजे गए थे। एअर इंडिया के मामले में जिस तारीख से कर्मचारी विशेष ने सेवानिवृत्ति चाही थी उस तारीख से एक माह का नोटिस देते हुए उस कर्मचारी को वी आर एस स्वीकृति की सूचना भेजी गई थी तथा इसमें वेतन का भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं था। चूंकि वी आर एस स्वैच्छिक प्रकृति की होती है, अत: एअर इंडिया द्वारा एक महीने का नोटिस दिये जाने अथवा नोटिस अवधि का वेतन दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है और इसलिए एअर इंडिया की योजना में एक अनिवार्य अपेक्षा के तौर पर इसका प्रावधान नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

सी ए आर ए की स्थापना

2509. श्री रघुबीर सिंह कौशल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय और राष्ट्र के पार दत्तक ग्रहण क्षेत्र में कार्यरत मान्यताप्राप्त बाल कल्याणकारी अभिकरणों के कार्यकरण इत्यादि के निरीक्षण, मार्गदर्शन और विनियमन इत्यादि हेतु सेन्ट्रल अडाप्शन रिसार्स एजेंसी (सी ए आर ए) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभिकरण द्वारा की गई प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक अन्य देशों में देशवार कितने भारतीय बच्चों को गोद लिया गया?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) जी, हां। अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण में लगी मान्यताप्राप्त सामाजिक/बाल कल्याणकारी एजेंसियों के कार्यकरण को विनियमित, निरीक्षण और मानीटर करने तथा देश में ही दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) का गठन 28 जून, 1990 को किया गया था। इसने 18.3.1999 से एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करना आरम्भ किया। अंतर देशीय दत्तक ग्रहण, 1993 के संबंध में बाल सुरक्षा तथा सहयोग पर हेग कन्वेंशन के अनुसमर्थन के बाद, कारा को इस कन्वेंशन के अंतर्गत 1.10.2003 से दत्तक ग्रहण मामले में केन्द्रीय प्राधिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 (नवम्बर तक) के दौरान, कारा के रिकार्ड के अनुसार, अंतर देशीय दत्तक ग्रहण की देशवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	2002	2003	2004 (नवम्बर तक)
1	2	3	4	5
1.	आस्ट्रिया	15	20	15
2.	आस्ट्रेलिया	37	29	19
3.	बेल्जियम	28	22	30
4.	बहरीन	02	0	01
5.	कनाडा	19	12	08
6.	डेनमार्क	116	36	106
7.	फिनलैंड	06	05	12
8.	फ्रांस	16	21	13
9.	जर्मनी	23	15	28
10.	हांग कांग	01	0	01
11.	आइसलैंड	09	07	04
12.	आयरलैंड	02	03	04
13.	इटली	100	113	130
14.	लग्जमबर्ग	4	5	2
15.	मारीशस	3	1	1
16.	नीदरलैंड	29	24	26
17.	नार्वे	40	23	21
18.	न्यूजीलैंड	0	2	3
19.	सिंगापुर	10	17	0
20.	स्पेन	104	111	102
21.	स्वीडन	51	39	39
22.	स्वीटजरलैंड	34	22	30
23.	संयुक्त अरब अमीरात	15	45	12
24.	यू के	13	17	19
25.	यू एस ए	381	429	289
26.	केन्या	3	0	1
27.	जापान	1	0	0
28.	रूस	1	0	0
29.	दक्षिण अफ्रीका	1	2	2
30.	तंजानिया	2	2	0
31.	वियतनाम	–	1	0
32.	बेनीन गणराज्य	0	0	1
33.	इण्डोनेशिया	0	1	0
	कुल	1066	1024	919

भूमि पर किए गए निर्माण-कार्य में अनियमितताएं

2510. **श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन:**
श्री सुकदेव पासवान:
श्री रामस्वरूप कोली:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को भूमि पर किए गए निर्माण कार्य और जुबली, सी ओ सी ओ और खुदरा बिक्री केन्द्रों के संबंध में बरती गई अनियमितताओं के बारे में एच.पी.सी.एल. के कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इन शिकायतों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध भूमि निर्माण और जुबिली, कोको और खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओज) के प्रचालन के बारे में 8 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनकी जांच एच पी सी एल द्वारा की गई थी।

(ख) जांच के बाद, इन शिकायतों के संबंध में कोई अनियमितता साबित नहीं हो सकी।

[अनुवाद]

पीपावव पत्तन से सुरेन्द्रनगर तक ब्राडगेज रेल मार्ग

2511. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पीपावव पत्तन से सुरेन्द्रनगर तक ब्राडगेज रेल मार्ग का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो पीपावव से अहमदाबाद तक कब तक सवारी रेलगाड़ी का परिचालन आरंभ होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) लाइन का आमान परिवर्तन पहले ही पूरा हो चुका है और माल यातायात के लिए लाइन खोल दी गई है। सुरेन्द्रनगर धोला के बीच यात्री गाड़ियां चल रही हैं। कुछ शेष बचे कार्य के समापन और रेल संरक्षा आयुक्त से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद धोला के आगे यात्री गाड़ियां चलाने की योजना बनाई जाएगी।

न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का उन्नयन

2512. **श्री डी. नरबुला:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि न्यू जलपाईगुड़ी (एन जी पी) पूर्वी भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है और वर्तमान में यह स्टेशन ए.डी.आर.एम. के अधीन आता है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि डी.आर.एम. के न होने पर रेलवे की कई समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार लोगों की सुविधा के लिए एन.जे.पी. का उन्नयन करने और एन.जे.पी. को मुख्यालय बनाते हुए ए.डी.आर.एम. के बजाय डी.आर.एम. को तैनात करने हेतु कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) यहां पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। अपर मंडल रेल प्रबंधक, न्यू जलपाईगुड़ी मंडल रेल प्रबंधक, कटिहार के अधीन कार्यरत है। वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक रूप से चल रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भगवान लिंगराज मंदिर के विकास हेतु विश्व बैंक की सहायता

2513. **श्री परसुराम मांझी:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक भुवनेश्वर स्थित भगवान लिंगराज मंदिर के विकास हेतु धन उपलब्ध करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक से अनुदान की कितनी धनराशि प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु विश्व बैंक के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) भुवनेश्वर स्थित भगवान लिंगराज मंदिर के विकास हेतु विश्व बैंक कोई धन उपलब्ध नहीं करा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस की एजेंसियां

2514. श्री रनेन बर्मन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जनता की मांग को पूरा करने हेतु बारासात, जलपाईगुड़ी, बालूरघाट और कूच बिहार के निर्वाचन क्षेत्रों में और अधिक संख्या में रसोई गैस की एजेंसियां खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में नई एजेंसियों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर: (क) से (ग) वाणिज्यिक महत्व के आधार पर विभिन्न स्थलों पर एल.पी.जी. वितरण केन्द्रों का पता लगाने और स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) स्वतंत्र हैं। इस समय ओ एम सीज देश में व्यवहार्य स्थलों का पता लगा रही हैं और इस बात की काफी गुंजाइश है कि एल.पी.जी. वितरण केन्द्रों की स्थापना करने संबंधी उनकी भावी योजना में इन संसदीय क्षेत्रों के कुछ स्थलों को शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

शंकर दयाल शर्मा राज्य स्वतंत्रता संग्रहालय

2515. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने डा. शंकर दयाल शर्मा राज्य स्वतंत्रता संग्रहालय के उन्नयन और विकास हेतु 102.00 लाख रुपए का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वीथियों के निर्माण, प्रकाशन, उपकरण की खरीद, प्रलेखन और संग्रहालय-पुस्तकालय के लिए कुल 50.00 लाख रु. की धनराशि अनुमोदित की गई है।

फूलपुर रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं

2516. श्री अतीक अहमद: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-मध्य रेलवे के अंतर्गत फूलपुर रेलवे स्टेशन किस श्रेणी का है;

(ख) क्या इस स्टेशन पर उपलब्ध अपेक्षित सुविधाएं इसकी श्रेणी के अनुरूप हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) फूलपुर रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने और इस स्टेशन के जीर्ण-शीर्ण भवन का पुनरुद्धार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) फूलपुर रेलवे स्टेश पूर्वोत्तर रेलवे में है। यह 'डी' श्रेणी का स्टेशन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं के मानदण्डों के अनुसार, दो अदद् शौचालय, 4 अदद् पेशाबघर तथा प्लेटफार्म नं. 2/3 पर 20 सीटों की कमी है। इसे 31.3.2005 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) फूलपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूदा यात्री आरक्षण प्रणाली संबंधी नीति के अनुसार कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा मुहैया कराने के लिए कार्यभार पर्याप्त नहीं है। स्टेशन की इमारत अच्छी हालत में है। स्टेशन इमारत को संतोषजनक स्थिति में रखने के लिए आवश्यकतानुसार इमारत का सामान्य अनुरक्षण/मरम्मत की जाती है।

कोटा को जयपुर जोनल कार्यालय से जोड़ना

2517. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोटा को जयपुर जोनल कार्यालय से जोड़ने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोटा को जयपुर जोनल कार्यालय से कब तक जोड़े जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नए रेलवे जोनों को परिचालित करते समय मंडलों की भौगोलिक समीपता, यातायात के निर्बाध संचालन तथा बेहतर नियंत्रण मुहैया करवा कर कुशलता में सुधार लाने के लिए सभी जोनों के क्षेत्राधिकारों की एक बार फिर समीक्षा की गई थी और कोटा मंडल को पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर जोन के अधीन रखने का निर्णय लिया गया था।

तेल क्षेत्र विनियामकों हेतु अपीलीय अधिकरण

2518. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित तेल क्षेत्र विनियामकों के निर्णयों से संबंधित अपीलों की सुनवाई हेतु एक अपीलीय अधिकरण गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अधिकरण के मुख्य कार्य क्या होंगे; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय के लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर: (क) से (घ) सरकार प्रस्तावित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के आदेशों और निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव रख रही है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है और जब इसे अंतिम रूप दे दिया जायेगा तो संसद में पेश किये जाने वाले विधेयक में ब्यौरा शामिल कर लिया जायेगा।

राजमार्गों पर पेट्रोल पम्प

2519. श्री ए.एफ.जी. ओसमानी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा और पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाल में स्थापित किए गए एच पी सी एल के कितने पेट्रोल पम्पों ने भू-तल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त नहीं की है;

(ख) ए और बी श्रेणी के स्थलों का विकास करने हेतु एच पी सी एल द्वारा उक्त पंपों पर श्रेणी-वार कितनी धनराशि का निवेश किया गया है; और

(ग) धन का दुरूपयोग करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर: (क) पंजाब और हरियाणा राज्यों में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) के नए स्थापित खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओज), जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) से अंतिम अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है की संख्या क्रमश: 9 और 14 है।

(ख) एच पी सी एल द्वारा "ए" स्थलों (कम्पनी स्वामित्व) और "बी" स्थलों (कम्पनी पट्टा) पर खर्च धनराशि क्रमश: 62 लाख रुपए और 38 लाख रुपए है।

(ग) व्यय मुख्य रूप से चहारदीवारी, स्थल विकास आदि जैसे आरम्भिक कार्यों पर किया जाता है, जो तेल उद्योग द्वारा अपनाई गई एक वाणिज्यिक पद्धति है। राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा विलंब के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है।

एफ एम चैनलों पर समाचार का प्रसारण

2520. श्री बालेश्वर यादव: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी एफ एम चैनलों पर समाचार प्रसारित करने की अनुमति प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय के लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारण के द्वितीय चरण के लिए गठित की गई डा. अमित मित्रा समिति ने सिफारिश की थी कि समाचार और समसामयिक विषयों को अनुमति दी जाए। इसके अतिरिक्त, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सिफारिश की है कि अन्य मीडिया खण्डों में नीतियों को ध्यान में रखते हुए समाचार एवं समसामयिक विषयों की कवरेज पर मौजूदा प्रतिबंध की समीक्षा की जानी चाहिए और इस कदम की सुरक्षा संबंधी समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान होते ही इन प्रतिबंधों को हटा लिया जाए।

(ग) यह मामला इस समय जांचाधीन है और अन्तिम निर्णय के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन से गैस पाइपलाइन बिछाना

2521. श्री ए. साई प्रताप: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी बेसिन से गैस पाइपलाइन बिछाकर किसी दक्षिणी गैस ग्रिड की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सरकार द्वारा किसी दक्षिणी गैस ग्रिड की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, मैसर्स गैस ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड (जी टी आई सी एल), जो मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) द्वारा प्रवर्तित कंपनी है, को काकीनाडा-हैदराबाद-उरण-अहमदाबाद और हैदराबाद-गोवा मार्गों के आसपास प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दे दी गई है।

इसके अलावा, गेल ने उत्पादकों के साथ गैस आपूर्तियों को संबद्ध करने के अध्यधीन काकीनाडा से चेन्नई तक और काकीनाडा-उरण पाइपलाइन परियोजना की भी संकल्पना तैयार की है।

बिहार में सड़क ऊपरि पुल

2522. श्री विजय कृष्ण: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार के विभिन्न हिस्सों में सड़क ऊपरि पुलों का निर्माण आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्मित किए जाने वाले ऐसे प्रत्येक पुल की अनुमानित लागत कितनी है और इनके निर्माण कार्य को कितनी अवधि में पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) लागत के भागीदारी वाले कार्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	कार्य का नाम	रेलवे की भागीदारी (लाख रु. में)	राज्य की हिस्सेदारी (लाख रु. में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	झाझा-पटना खंड पर 593/9 कि.मी. पर समपार सं. 49 के स्थान पर आरा ऊपरि सड़क पुल	194	108	ऊपरि सड़क पुल के रेलवे के हिस्से का कार्य 1988 में पूरा कर लिया गया है।
2.	मीठापुर-मीठापुर के निकट पटना-गया खंड पर 543/14-15 कि.मी. पर समपार सं. 79-ए के स्थान पर ऊपरि सड़क पुल	1456	4198	उप संरचना का कार्य पूरा कर लिया गया है। पुल खास का कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
3.	राजेन्द्रनगर और गुलजारबाग के बीच कि.मी. 540/7-8 पर समपार सं. 75-सी के निकट ऊपरि सड़क पुल का निर्माण	385	385	यह कार्य मैसर्स इरकान को सौंपा गया है।
4.	चुटकी-महेशखुंट और मानसी के बीच समपार सं. 28/विशेष (के 113/5-6) के स्थान पर ऊपरि सड़क पुल	350	350	सभी 40 पीपलाय पूरे कर लिए गए हैं।
5.	भागलपुर ऊपरि सड़क पुल-भागलपुर के निकट ऊपरि सड़क पुल सं. 153 का बदलाव	345	1116	राज्य सरकार के हिस्से का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है। पुल खास का कार्य प्रगति पर है।
6.	सहरसा-पंजगछिया ऊपरि सड़क पुल-समपार सं. 31/विशेष के स्थान पर ऊपरि सड़क पुल	462	474	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
7.	चिरैतातांड़ (पटना) ऊपरी सड़क पुल-मौजूदा ऊपरि सड़क पुल सं. 127ए को चौड़ा करके नए केबल-स्टेड ऊपरि सड़क पुल का निर्माण	794	594	वास्तविक कार्य शुरू कर दिया गया है। 1000 मि.मी. व्यास के 12 पीलपायों और 1200 मि.मी. व्यास वाले 5 पीलपायों को पूरा कर लिया गया है।
8.	मानपुर-बंधुआ के बीच 462/19-20 कि.मी. पर समपार सं. 67-ए के स्थान पर मानपुर ऊपरि सड़क पुल	255	277	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
9.	अनुग्रहनारायण-फेसार के बीच समपार सं. 30 के स्थान पर अनुग्रह नारायणपुर ऊपरि सड़क पुल	892	915	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
10.	रक्सौल और मालवा स्टेशन के बीच कि.मी. 188/13-14 पर समपार सं. 34 के स्थान पर ऊपरि सड़क पुल	586	586	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
11.	सासामूसा और जमालपुर स्टेशन के बीच समपार सं. 10/ए के स्थान पर सासामूसा ऊपरि सड़क पुल	578	570	जी ए डी से अनुमोदित विस्तृत अभिकल्प और नक्शे राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

1	2	3	4	5
12.	अदापुर व रक्सौल स्टेशनों के मध्य 186/13-14 कि.मी. स्थित समपार सं. 33 के स्थान पर अदापुर रेल ऊपरि पुल	586	586	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
13.	गया और कास्था के मध्य समपार सं. 2 के स्थान पर गया रेल ऊपरि पुल	539	561	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
14.	हाजीपुर और सराय स्टेशन के मध्य 0/11-12 कि.मी. समपार सं. 54ए के स्थान पर रेल ऊपरि पुल	586	586	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
15.	सोनपुर और देहरी-आन-सोन के मध्य समपार सं. 33 के स्थान पर सोनपुर रेल ऊपरि पुल	873	895	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
16.	पटना साहिब और गुलजार बाग के मध्य समपार सं. 72 के स्थान पर पटना साहिब रेल ऊपरि पुल	918	940	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
17.	गुलजारबाग और राजेन्द्रनगर स्टेशन के मध्य समपार सं. 74 के स्थान पर पटना साहिब रेल ऊपरि पुल	926	948	कार्य मै. इरकान को सौंप गया है।
18.	बेहता और क्यूलबार के मध्य समपार सं. 45 के स्थान पर बेहता रेल ऊपरि पुल	300	922	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
19.	समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर सेक्शन में 85/19-20 कि.मी. स्थित समपार सं. 101/ए के स्थान पर नरायणपुर रेल ऊपरि पुल	573	573	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
20.	हाजीपुर, छपरा सेक्शन में सोनपुर-परमांदपुर स्टेशन के मध्य 276/10-11 किमी समपार सं. 4 के स्थान पर सोनपुर रेल ऊपरि पुल	627	627	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
21.	नरायणपुर अन्नत-मुजफ्फरपुर स्टेशन के मध्य 84/14-15 किमी स्थित समपार सं. 101 के स्थान पर समस्तीपुर रेल ऊपरि पुल	627	627	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।

1	2	3	4	5
22.	दिगवाड़ा और बड़ा गोपालगंज स्टेशन के मध्य 296/3-4 किमी स्थित समपार सं. 16 के स्थान पर दिगवाडा रेल ऊपरि पुल	627	627	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
23.	दरभंगा स्टेशन यार्ड में 37/12-13 किमी स्थित समपार सं. 26 के स्थान पर दरभंगा रेल ऊपरि पुल	590	590	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
24.	हाजीपुर और सराय स्टेशन के मध्य 6/11-12 किमी स्थित समपार सं. 47 के स्थान पर सराय रेल ऊपरि पुल	567	508	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
25.	दरभंगा स्टेशन में 0/6-7 किमी स्थित समपार सं. 27 के स्थान पर दरभंगा रेल ऊपरि पुल	566	566	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
26.	सीतलपुर-नयागांव स्टेशन के मध्य 289/14-290/0 किमी स्थित समपार सं. 11ए के स्थान पर दो लेन वाले रेल ऊपरि पुल का निर्माण	574	574	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
27.	ककरघाटी-ताड़सराय स्टेशन के मध्य 9/15-16 किमी स्थित समपार सं. 32 के स्थान पर ऊपरि पुल	586	586	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
28.	छपरा और छपरा स्टेशन के मध्य 326/2-3 किमी स्थित समपार सं. 47 के स्थान पर छपरा रेल ऊपरि पुल	568	568	एसई/पीडब्ल्यूडी छपरा से अनुरोध है कि जीएडी शीघ्रता से दिया जाए। इस दौरान रेलवे की तरफ से आंकड़े सग्राह व प्रगति पर है।
29.	हाजीपुर और बिदरूपुर स्टेशन के मध्य 266/0-265/15 किमी स्थित समपार सं. 54/ए के स्थान पर हाजीपुर रेल ऊपरि पुल	579	586	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
30.	गुलजारबाग और राजेन्द्र नगर स्टेशन के मध्य समपार सं. 73 के स्थान पर गुलजारबाग रेल ऊपरि पुल	892	914	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।

1	2	3	4	5
31.	27/3-4 किमी स्थित समपार सं. 15 केजे के स्थान पर पुर्णिया रेल ऊपरि पुल	453	464	रेलवे को अभी तक जी ए डी नहीं सौंपी गई है।
32.	कुदरा स्टेशन सीमा (लिमिट) में समपार सं. 52/ए के स्थान पर कुदरा रेल ऊपरि पुल	557	579	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
33.	समपार सं. 31 के स्थान पर सचिवालय फुलवारी शरीफ रेल ऊपरि पुल	905	927	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
34.	सासाराम स्टेशन सीमा (लिमिट) के मध्य समपार सं. 43 के स्थान पर पर सासाराम रेल ऊपरि पुल	855	877	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
35.	सचिवालय और फुलवारी शरीफ के मध्य समपार सं. 30 के स्थान पर सचिवालय रेल ऊपरि पुल	892	914	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
36.	समपार सं. 47 के स्थान पर तलैया-मरझुआ सड़क ऊपरि पुल	486	508	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
37.	समपार सं. 52 स्थित रैनपो के साथ समस्तीपुर यार्ड-पैदल ऊपरि पुल	69	0	2003-04 में कार्य की स्वीकृति दी गई।
38.	समपार सं. 1 के स्थान पर गया-कास्था रेल ऊपरि पुल	526	548	कार्य मै. इरकान को सौंपा गया है।
39.	मुजफ्फरपुर-रक्सौल सेक्शन-सेमरा-सगौली स्टेशनों के मध्य 186/3-4 किमी स्थित समपार सं. 175 के स्थान पर रेल ऊपरि पुल	743	743	निर्माण कार्यक्रम 2004-05 में कार्य की स्वीकृति दी गई।
40.	छपरा-गोरखपुर सेक्शन में 387/14-15 किमी सिवान स्टेशन यार्ड में समपार सं. 92 के स्थान पर रेल ऊपरि पुल	515	515	निर्माण कार्यक्रम 2004-05 में कार्य की स्वीकृति दी गई।
41.	मैन लाइन (4 लेन) पर जमोई-भलोई स्टेशनों के मध्य 393/0-11 किमी स्थित समपार सं. 46 'ए' के स्थान पर रेल ऊपरि पुल	700	1645	निर्माण कार्यक्रम 2004-05 में कार्य की स्वीकृति दी गई।

1	2	3	4	5
42.	मैन लाइन (4 लेन) पर कुलहरिया-आरा स्टेशन के मध्य 591/25-27 किमी स्थित समपार सं. 48 'ए' के स्थान पर रेल ऊपरि पुल	723	1694	निर्माण कार्यक्रम 2004-05 में कार्य की स्वीकृति दी गई।
43.	जी.सी. सेक्शन में भाभऊ स्टेशन 619/3-5 किमी पर समपार सं. 60 के स्थान पर रेल ऊपरि पुल	767	767	निर्माण कार्यक्रम 2004-05 में कार्य की स्वीकृति दी गई।
44.	सुलतानगंज-समपार फाटक सं. 10/वी/टी के स्थान पर सड़क ऊपरि पुल	504.07	504.07	अनुदान की पूरक मांगें 2004-05 में कार्य की स्वीकृति दी गई।
45.	बरियापुर-समपार फाटक सं. 15/बीटी के स्थान पर सड़क ऊपरि पुल	500	500	अनुदान की पूरक मांगें 2004-05 में कार्य की स्वीकृति दी गई।

लागत में भागीदारी निर्माण कार्यों की प्रत्याशित लागत को उपरोक्त विवरण में दर्शाया गया है। रेलवे ने रेल ट्रेक अर्थात् पुलखाश का निर्माण किया और पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया गया। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य पूरा करने के साथ-साथ रेलवे अपने हिस्से के कार्य को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेगी। कुछ मामलों में रेलवे ने राज्य सरकार के अनुरोध पर कार्य को पूरा करने का दायित्व एकल एजेंसी मैसर्स इरकान को कार्य सौंप दिया है।

साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया को पुनः खोला जाना

2523. श्री विकास चौधरी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वी भारत के एकमात्र साइकिल विनिर्माण उद्योग साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया, आसनकोल को पुनः खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के माध्यम से साइकिल कारखाने को फिर से आरंभ करने के इच्छुक प्रोमोटर्स पर विचार करने हेतु कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार को साइकिल कारखाने (साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया) को फिर से खोलने से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) से (ङ) पश्चिम बंगाल सरकार ने साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की इकाइयों में से एक इकाई अर्थात् आसनसोल इकाई का अधिग्रहण करने के लिए एक निजी कंपनी के अनुरोध-पत्र को अग्रेषित किया था। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया है कि बीआईएफआर ने दिनांक 10.07.2000 को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, के अंतर्गत सीसीआईएल को बंद करने के लिए आदेश जारी कर दिया था तथा बंद करने की प्रक्रिया से संबंधित मामला उच्च न्यायालय के समक्ष है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.12.2002 को बीआईएफआर की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा सरकारी परिसमापक (ओ.एल.) को कंपनी की परिसंपत्तियों का कार्यभार ग्रहण करने का निदेश दिया। सरकारी परिसमापक ने अब वर्ष 2003 की विभिन्न तिथियों को कंपनी की परिसंपत्तियों का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार, परिसंपत्तियों के हस्तान्तरण या विक्रय का निपटान का कोई अन्य तरीका अब सरकार के सामर्थ्य में नहीं है।

गुजरात में महुवा-ढासा रेलमार्ग का आमान परिवर्तन

2524. श्री वी.के. दुग्मर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में महुवा-ढासा रेलमार्ग को मीटर गेज से ब्राड गेज में बदलने का कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या पीपावाव पत्तन अधिकरण इस परियोजना में शामिल था और इस पर होने वाले व्यय में भागीदार बनने वाला था परन्तु अधिकरण द्वारा धन का भुगतान नहीं किया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या रेल मंत्रालय लोगों के लिए असुविधाजनक पीपावाव रेलमार्ग पर नजर रखे हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) महुवा-ढासा का आमान-परिवर्तन पहले ही पूरा हो गया है तथा माल यातायात के लिए यह खंड चालू हो गया है।

(ख) जी नहीं, मैसर्स गुजरात पीपावाव पत्तन लि. (जी पी पी एल) जो इस परियोजना में शामिल है, ने पूरी इक्विटी का भुगतान नहीं किया है।

(ग) और (घ) सुरेन्द्रनगर-पीपावाव लाइन का आमान-परिवर्तन का कार्य रेल मंत्रालय तथा गुजरात पीपावाव पत्तन लि. (जी पी पी एल) के सहयोग से विशेष प्रयोजन उपाय के रूप में पीपावाव रेल निगम कार्पोरेशन लि. (पी आर सी एल) ने कार्यान्वित कर दिया है। पीपावाव रेल कार्पोरेशन लि. की आमदनी से आवश्यक समायोजन करने के बाद बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय रेलवे को पर्याप्त धनराशि मुहैया करा दी गई है।

सैनिकों का कोर्ट मार्शल

2525. श्री अधीर चौधरी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000 से 2003 तक सेना अधिनियम, 1950 के अंतर्गत कितने सैनिकों पर अभियोग चलाया गया/कितनों का कोर्ट मार्शल किया गया/कितनों पर संक्षिप्त विचारण किया गया; और

(ख) इनमें से कितनों को दोष सिद्ध ठहराया गया और कारावास की सजा सुनायी गयी?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) वर्ष 2000 से 2003 के दौरान कोर्ट मार्शल के 4225 मामले हुए थे। इनमें 3966 सैनिकों पर अभियोग चलाया गया तथा उन्हें दोषी ठहराया गया, जिनमें से 2203 सैनिकों को कारावास की सजा दी गई थी।

प्याज की ढुलाई

2526. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र विधान सभा की प्याज संबंधी तदर्थ समिति ने केंद्र सरकार से हवादार वैगनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के माल भाड़े में कमी करने और लसगांव, मनमाड और नासिक जैसे प्याज की पैदावार वाले विभिन्न क्षेत्रों के निकट रेलवे साइडिंग उपलब्ध कराने सहित प्याज की विशेष ढुलाई व्यवस्था करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने 6 नवंबर, 2003 को हुई एक बैठक के दौरान राज्य सरकार को इस मामले में प्रभावी कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र राज्य से प्याज के लदान की सुविधा मुहैया कराने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए:

(1) प्याज के लदान के लिए रेलवे वैगनों की व्यवस्था संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा शीघ्र की जा रही है।

(2) प्याज का संचालन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। वर्तमान में कोई मांग-पत्र बकाया नहीं है।

(3) नासिक रोड लासा गांव (लासा गांव) और मनमाड में प्याज के लदान के लिए पर्याप्त रेलवे साइडिंग सुविधा उपलब्ध है।

(4) प्याज की भाड़ा दरें पहले से ही न्यूनतम वर्गीकरण (श्रेणी-90) में है। आगे किसी प्रकार की कमी संभव नहीं है।

(5) रेलवे, प्याज के लदान के लिए पर्याप्त वैगनों की व्यवस्था कर रही है तथापि प्याज के मौसमी लदान को ध्यान में रखते हुए विशेष वैन्टीलेट वैगन परिचालनिक रूप से उचित नहीं है। क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा और तदनुसार लाभ हासिल नहीं होगा।

रेल पुलों का पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण

2527. श्री सनत कुमार मंडल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में रेल पुलों के पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पश्चिम बंगाल में चिन्हित पुलों का ब्यौरा क्या है और इस वर्ष के लिए इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) पुल निर्माण के आंकड़े क्षेत्रीय रेलवेवार रखे जाते हैं और राज्यवार नहीं। 01.04.2004 को पूर्व, दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अंतर्गत पुनर्निर्माण/पुर्स्थापन के लिए कुल 823 पुल स्वीकृत हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य को भी सेवित करते हैं। पुल निर्माण की रेलवेवार स्थिति और चालू वर्ष के बजट के दौरान निधि का आबंटन नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	रेलवे	01.04.2004 को स्वीकृत पुलों की संख्या	पुलों की संख्या जिन्हें 2004-05 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है	2004-05 में बजट आबंटन (करोड़ रु. में)
1.	पूर्व रेलवे	381	101	75.00
2.	दक्षिण पूर्व रेलवे	158	55	32.00
3.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	284	122	19.00
	जोड़	823	278	126

विमानपत्तनों पर भीड़-भाड़

2528. प्रो. एम. रामदास: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विशेषत: जाड़े के मौसम में संध्या के समय दिल्ली विमानपत्तन पर विमान यातायात सघनता तथा इससे यात्रियों को होने वाली असुविधा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के उपशमन हेतु कौन से उपाय प्रस्तावित हैं;

(ग) गत छह महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की विलम्बित उड़ानों की संख्या कितनी है;

(घ) इस विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि निजी विमान कंपनियां समय की पाबंद रही हैं; और

(ङ) उड़ानों की समयबद्धता के लिए कौन से कदम प्रस्तावित हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) 200 मीटर से कम की विजिबिलिटी नहीं होने की स्थिति में, उड़ानों के आगमन और प्रस्थान को सुगम बनाने की दृष्टि से दिल्ली हवाईअड्डे पर श्रेणी-3ए की उपकरण अवतरण प्रणाली (आईएलएस) पहले ही प्रचालन में है। सरकार की श्रेणी-3बी आईएलएस प्रणाली लगाने की योजना है ताकि 200 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी होने की स्थिति में विमान उतरने/उड़ान भरने में सहायता मिल सके। इन उन्नत तकनीकी उपस्करों का प्रयोग करने के लिए, एयरलाइनों को पायलटों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को तेज करने के लिए कहा गया है। सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर शीत ऋतु में धुंध से निपटने वाले इन तौर-तरीकों को सुनिश्चित करने के लिए उनकी पुनरीक्षा कर ली गई है। एक समन्वय समिति, धुंध के दौरान उड़ानों की आवाजाही को सुनिश्चित करने और उसे प्राथमिकता देने के लिए स्टार्ट-अप क्लीयरेंसेज की मानिटरिंग करेगी। मौसम विभाग धुंध पूर्वानुमान और समय-समय

पर होने वाले मौसम संबंधी रुझानों का ब्यौरा देता रहेगा और इसे इन्टरनेट पर भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। शीत ऋतु के दौरान उड़ानों की आवाजाही सही समय पर ही हो इसके लिए एअर इंडिया ने एक आपात योजना बनाई है। निजी एअर लाइनें भी धुंध के दौरान यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, उसके लिए प्रचालन सेवाओं को व्यवस्थित करने की दिशा में उपाय कर रही हैं।

(ग) पिछले छह माह (जून-नवम्बर, 2004) के दौरान, इंडियन एयरलाइन्स की 26.07% उड़ानों में विलम्ब हुआ।

(घ) विलंब के मुख्य कारणों में प्रतिकूल मौसम, हवाईअड्डा प्रतिबंध, पक्षी संत्रास, सुरक्षा जांच, वीआईपी आवाजाही, तकनीकी खराबी, कर्मीदल की अनुपलब्धता आदि शामिल हैं।

(ङ) अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित उपायों में हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण, तकनीकी उपस्करों का स्तरोन्नयन, इन उपस्करों के प्रयोग से और अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति, ग्राउंड हैंडलिंग सुविधाओं में सुधार तथा यात्री सुविधाएं आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु निदेश

2529. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय अल्पसंख्यकों के कल्याण और सेवाओं में उनके समायोजन से संबंधित भारत सरकार के 15-सूत्री निदेश का अनुपालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठनों में गत तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक वर्ग के कितने लोगों को रोजगार दिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 370 व्यक्तियों को नागर विमानन मंत्रालय के तहत आने वाले विभिन्न संगठनों में रोजगार दिया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है:-

मंत्रालय (प्रमुख)	–	1
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	–	7
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	–	112
एअर इंडिया लिमिटेड	–	112
इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड	–	137
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी	–	1

समुद्र में तेल बिखराव

2530. डा. राजेश मिश्रा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 17 सितंबर, 2004 को सेवेन्थ नेशनल आयल स्पिल डिजास्टर कन्टीन्जेन्सी प्लान एण्ड प्रीपेयर्डनेस (एनओएस-डीसीपी) की बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष/सिफारिशें क्या हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान भारतीय समुद्री सीमा में या भारतीय समुद्री सीमा के निकट पोत परिवहन हेतु अनुपयुक्त पोतों के डूबने की आठ घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) पर्यावरणीय आपदा को रोकने के लिए भारतीय समुद्री सीमा में व्यापक तेल बिखराव प्रबन्धन और पोत परिवहन हेतु अनुपयुक्त पोतों की आवाजाही को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) समुद्र में तेल बिखराव की निगरानी तथा पोत परिवहन हेतु अनुपयुक्त पोतों को डूबने से बचाने के लिए कोस्ट गार्ड सेवा में कब तक प्रस्तावित अत्याधुनिक तीन पोतों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(च) पोत परिवहन हेतु अनुपयुक्त पोतों को डूबने से बचाने के लिए मर्चेंट शिपिंग अमेंडमेंट एक्ट, 2003 के कब तक लागू होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (च) 17 सितंबर, 2004 को सातवें नेशनल आयल स्पिल डिजास्टर कंटीन्जेन्सी प्लान एंड प्रीपेयर्डनेस (एन ओ एस-डी सी पी) की बैठक हुई थी।

इस बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं:-

(1) सभी पणधारी तेल बिखराव रोकने के लिए अपेक्षित सुविधाएं शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करने हेतु कार्यवाही करें।

(2) पणधारी अपनी तेल बिखराव आपदा आकस्मिक योजनाएं यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

(3) पणधारी प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर और संबद्ध व्यय की लागत में हिस्सेदारी के लिए पत्तन-न्यासों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं।

(4) महानिदेशक (नौवहन) ऐसे पोतों की निगरानी करने के साथ-साथ उनके प्रचालन भी विनियमित करे, जो इस्तेमाल योग्य नहीं हैं।

(5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तेल बिखराव होने की स्थिति में, समुद्र-तट की सफाई करने के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाएं और प्रस्तुत करें।

(6) तेल बिखराव प्रबंधन में पणधारियों के लिए अच्छे प्रशिक्षण का आयोजन करें।

पिछले एक वर्ष में भारतीय समुद्र में अथवा उसके आस-पास पोतों के डूबने की आठ घटनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

तारीख एवं वर्ष	पोत	स्थिति
20 फरवरी, 2004	एम एस वी जल ज्योति	भारतीय पंजीकृत जलयान ओखा, गुजरात में डूबा।
19 मार्च, 2004	एम टी डेल्टा-1	पनामा में पंजीकृत जलयान, एम वी ए पी एल पुसान के साथ टकराया और वाडिनार, गुजरात में दो हिस्सों में टूट कर डूबा।
31 मार्च, 2004	टग टी बी मयंग सारी	मलेशिया में पंजीकृत टग अंडमान द्वीपसमूह में नानकावरी द्वीप के निकट भारतीय समुद्र के पास डूबा।
13 अप्रैल, 2004	एम वी जीनियस स्टार 6	मलेशियाई जलयान हल्दिया के निकट सागर द्वीप के पास डूबा।
28 मई, 2004	एम वी अज्बुल भेर	लकड़ी का जलयान पोर्ट ब्लेयर के निकट डूबा।
16 जून, 2004	एम बी डोर्सेट (पुराना नाम नैन्सी)	डी पी आर कोरिया का जलयान मुंबई बंदरगाह के निकट डूबा।
16 अगस्त, 2004	एम वी केन एक्स्प्लोरर	लाइबेरिया का जलयान कैम्बे की खाड़ी के निकट भू-ग्रस्त हो गया।
28 अगस्त, 2004	अल-साह-इन-साह हिन्द	पाल जलयान मुन्दरा, गुजरात के निकट डूबा।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती हुई चिन्ता को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए तेल बिखराव प्रबंधन नीति के संबंध में रोड मैप बनाने के लिए सितंबर, 2002 में एक परियोजना समीक्षा और निगरानी समिति (पी आर एम सी) गठित की गई थी जिसमें सरकारी और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों का प्रतिनिधित्व था।

सरकार ने समुद्री प्रदूषण पर कार्य करने के लिए तटरक्षक, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ आई एस डी) और महानिदेशक (नौवहन) को 8 दिसंबर, 2003 को दिशा-निर्देश जारी किए।

महानिदेशक (नौवहन) ने, कच्चे तेल के आयल टर्मिनल आपरेटरों और किसी भारतीय पत्तन तक और उससे होकर अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर आने-जाने वाले उत्पाद-टैंकरों के चार्टरों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें:

(1) 25 साल से अधिक पुराने टैंकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(2) इस तरह के सभी टैंकरों को इंटरनेशनल एसोसिएशन आफ क्लासिफिकेशन सोसाइटी (आई एस सी एस) के पूर्ण सदस्य अथवा इंडियन रजिस्टर आफ शिपिंग (आई आर एस) के साथ अवश्य वर्गीकृत किया जाए।

(3) टैंकर चार्टर करने वाले और आयल टर्मिनल आपरेटर चार्टर पर लिए गए टैंकरों की गुणता सुनिश्चित करने के कारगर प्रयास करेंगे। ये दिशा-निर्देश 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी हो गए हैं।

महानिदेशक (नौवहन) ने हल्दिया, न्यू मंगलौर और कांडला में भी कार्यालय खोल दिए हैं जिनमें टैंकरों का निरीक्षण करने के

लिए मर्केन्टाईल मैरीन विभाग का एक अधिकारी तैनात किया गया है।

तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण जलयान बनाए जा रहे हैं। पहले जलयान को वर्ष 2006 तक शामिल किए जाने की संभावना है और उसके बाद वाले जलयानों को छह-छह महीने के अंतराल में शामिल किए जाने की संभावना है।

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम 1 मार्च, 2004 से लागू हो गया है।

अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु डीओपीटी के निदेश

2531. श्री रामदास आठवले: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 11.7.2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36028/17/2001 - (स्थापना आरक्षण) में निहित अनुदेशों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन नई दिल्ली ने पदोन्नति के संबंध में स्वयं के मेरिट कांप्सेट को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो 1997 से आज तक कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी गयी है और पद आधारित रोस्टर में अनारक्षित गिना गया है;

(ग) उसी अवधि के दौरान आरक्षित प्वाइंट्स के आधार पर आरक्षण के कारण कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पदोन्नत हुए हैं;

(घ) पदोन्नति में अपनी मेरिट कांप्सेट को कार्यान्वित करके तथा इसे कार्यान्वित किये बिना 2 जुलाई, 1997 से वर्ष-वार कम हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) व्यक्ति विशेष से तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वेलफेयर एसोशिएशन से उक्त विषय के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सैन्य अभियांत्रिकी सेवा को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में शामिल करना

2532. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य अभियान्त्रिकी सेवा को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में नहीं रखा गया है जिसमें केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व होता है जिससे सैन्य अभियान्त्रिकी सेवा के अधिकारी बहुमूल्य कार्य अनुभव से वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सैन्य अभियान्त्रिकी सेवा को सेन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम में शामिल कराने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सेना इंजीनियर सेवा को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम में नहीं रखा गया है।

(ख) केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम, नीति आयोजना, नीति-निर्धारण और कार्यक्रम-कार्यान्वयन में वरिष्ठ स्तरों पर केन्द्र की नए व्यक्तियों की आवश्यकता पर आधारित है। केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम किसी भी सहभागी सेवा के लिए आजीविका को बेहतर बनाने की व्यवस्था नहीं करती। केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम में भाग लेने वाली सेवाओं के अधिकारियों के विकास और उनके लिए कैरियर की अच्छी संभावनाएं अपने-अपने संवर्ग में ही निहित होती हैं। इसके अलावा, केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत पहले ही बड़ी संख्या में संगठित समूह 'क' सेवाएं भाग ले रही हैं। आज की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम में और अधिक सेवाओं को शामिल करने की आवश्यकता तत्काल नहीं है।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ताजमहल की जयन्ती मनाना

2533. श्री मोहन सिंह:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगरा में ताजमहल की 350वीं जयन्ती मनाने हेतु योजनाएं बनायी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ताजमहल और इसके आसपास के इलाके को स्वच्छ बनाने, जन सुविधाएं उपलब्ध कराने और पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई योजना भी तैयार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने पर्यटकों को चांदनी रात में ताजमहल देखने की अनुमति दे दी है; और

(च) यदि हां, तो इस अवसर पर कितने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के ताजमहल देखने आने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। ताज महल की 350वीं वर्षगांठ मनाने के लिए छः सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव है। इनमें से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 28.10.2004 तथा 01.11.2004 को क्रमशः आगरा किला में संगीत कार्यक्रम तथा फतेहपुर सीकरी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। शेष कार्यक्रमों के ब्यौरों को अंमित रूप प्रदान करने के लिए विचार-विमर्श चल रहे हैं।

(ग) और (घ) ताज महल की सुरक्षा तथा जन सुविधाएं और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) ताजमहल की आंतरिक सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा की जाती है। बाहरी सुरक्षा की देखरेख उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है।

(2) ताजमहल के पूर्वी तथा पश्चिमी दरवाजों के साथ लगे क्षेत्र में पर्यटक सुविधा केन्द्र खोले जा रहे हैं जिसमें प्रसाधन कक्ष, पेय जल, स्मृति चिह्न दुकानें, व्याख्या केन्द्र आदि का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(3) ताजमहल के इर्द-गिर्द हरित पट्टी विकसित करने के एक भाग के रूप में मेहताब बाग का विकास तथा रखरखाव करना। ताजमहल तथा आगरा किला के बीच के भूमि के टुकड़े का आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा हरित पट्टी के रूप में रखरखाव किया जा रहा है।

(4) ताजमहल के इर्द-गिर्द निलम्बित विविक्त सामग्री (एस.पी.एम.) की नियमित मानीटरिंग करना।

(5) ताजमहल की 500 मीटर के व्यासार्ध के भीतर पेट्रोल तथा डीजल वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाना।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रदूषण नियंत्रण उपाय जैसे प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों को अन्यत्र भेजने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ) और (च) जी, हां। पूर्णिमा की रातों में 27 व 28 नवम्बर, 2004 को निम्नलिखित संख्या में पर्यटक ताजमहल देखने आए:-

	27 नवम्बर	28 नवम्बर
भारतीय	229	204
विदेशी	49	119
बच्चे	23	24

[अनुवाद]

सांस्कृतिक विरासत पर फिल्में

2534. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना देश की विशेषतः गुजरात की सांस्कृतिक विरासत पर फिल्में बनाने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषतः गुजरात के संस्कृति, पर्यटन और तीर्थों पर कितनी फिल्में बनायी गयी हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कच्चा तेल घोटाला

2535. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में कच्चे तेल की चोरी घोटाला की जांच का काम सी.बी.आई. को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक जांच में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) जांच प्रक्रिया यदि कोई हो, को पूरा करने हेतु, क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) अब तक विभिन्न सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों की ज्ञात लिप्तता का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में असम में कच्चे तेल की चोरी का कोई मामला उनकी जांच के अधीन नहीं है। तथापि, असम सरकार ने 1992 से लेकर आगे असम में कच्चे तेल की चोरी के कुछ मामले जांच के लिए सी.बी.आई. को भेजे हैं और उन्होंने ऐसे पांच मामलों को सूचीबद्ध किया है। इन मामलों की जांच करने के लिए सी.बी.आई. को अधिकार प्रदान करने के लिए डी एस पी ई अधिनियम, 1946 के तहत अधिसूचनाएं अभी जारी की जानी हैं। ओ एन जी सी के अनुसार कच्चे तेल की चोरी में उनके असम एसेट के एक सुरक्षा अधिकारी का लिप्त होना उनके ध्यान में आया है। उनको सिबसागर पुलिस द्वारा 2.8.2004 को गिरफ्तार किया गया और 14.10.2004 को जमानत पर रिहा किया गया। उक्त सुरक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

गुवाहाटी हेतु नियमित उड़ान

2536. डा. टोकचोम मैन्या: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बरास्ता गुवाहाटी दिल्ली-इम्फाल उड़ान को वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर नियमित दैनिक उड़ान में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केवल कतिपय क्षेत्रों में ही "एपेक्स किराया" योजना उपलब्ध कराए जाने का आधार/मानदण्ड क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विमानों की कमी के कारण इंडियन एयरलाइन्स/एलायंस एयर की ऐसी कोई योजना नहीं है।

(घ) एपैक्स किरायों का उद्देश्य हवाई यात्रियों का एक नया बाजार विकसित करके हवाई यात्रा बाजार में वृद्धि करना है। यह कारोबार नीति जैसे प्रतिस्पर्धा की सीमा, बाजार का आकार, प्रदान की गई उड़ान क्षमता तथा परिवहन के अन्य साधनों से मौजूदा ट्रैफिक को हवाई यात्रा के लिए प्रोत्साहित करके नया बाजार उत्पन्न करने की संभावना आधारित है।

केरल में रेल लाइनों का दोहरीकरण

2537. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्री सी.के. चंद्रप्पन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कोझीकोड और मंगलोर, शोरनूर और कोझीकोड ऐर्नाकुलम और पिरावोम, कायमकुलम और हरिपद कायमकुलम और मवेलीकारी के बीच रेल लाइनों के दोहरीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या बरास्ता एलेप्पी और कोट्टायम के ऐर्नाकुलम और कायमकुलम के बीच रेल लाइनों के दोहरीकरण को पूरा करने के लिए कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) 31.3.2004 तक अनुमानित लागत और किए गए खर्च के साथ-साथ चालू दोहरीकरण परियोजनाओं, 2004-05 के दौरान परिव्यय और लक्ष्य जहां निर्धारित किए गए हैं, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	व्यय मार्च 2004 तक	परिव्यय 2004-05	स्थिति
1	2	3	4	5	6
दोहरीकरण					
1.	कालीकट-मैंगलूर (221 किमी.)	583.74 करोड़ रु.	502.28 करोड़ रु.	15 करोड़ रु.	221 किमी. में से 215.69 किमी. कार्य पूरा किया जा चुका है नेटरावटी पुल का कार्य बकाया है। जहां कार्य चल रहा है।

1	2	3	4	5	6
2.	शोरानुर-कालीकट (86 किमी.)	178.23 करोड़ रु.	82.92 करोड़ रु.	30 करोड़ रु.	कालीकट-टैनूर (30 किमी.) का दोहरीकरण पहले से ही पूरा हो चुका है 2004-05 के दौरान टैनूर-पालीपुरम (31 किमी.) का दोहरीकरण पूरा करने का लक्ष्य है।
3.	एर्णाकुलम-मुलांटुरूटी (17.37 किमी.)	53.23	16.70	8	मिट्टी कार्य, पुल कार्य तथा अन्य कार्य चल रहे हैं। यह कार्य 2005-06 के दौरान पूरा होने की संभावना है।
4.	कयानकुलम-मावेलीकारा (7.89 किमी.)	21.84	3.83	2.34	भूमि अधिग्रहण के कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। मुख्य पुल का कार्य शुरू किया जा चुका है।
5.	कयानकुलम-छेप्पड़ (7.76 किमी.)	21.48	3.34	2	अंतिम स्थल सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण के कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जा चुके हैं।
6.	मेवेलीकारा-चेंगान्नूर (12.3 किमी.)	33.65	0	2	अंतिम स्थल सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। विस्तृत अनुमान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मिट्टी का कार्य एवं छोटे पुलों के लिए निविदाओं पर कार्रवाई की जा चुकी है।
7.	छेप्पड़-हरीपद (5.28 किमी.)	14.39	0	2	अंतिम स्थल सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। विस्तृत अनुमान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मिट्टी का कार्य एवं छोटे पुलों के लिए निविदाओं पर कार्रवाई की जा चुकी है।

(ख) और (ग) कोट्टयम/एल्लपी के रास्ते कयानकुलम-एर्णाकुलम के शेष खंड के दोहरीकरण का अद्यतन सर्वेक्षण चल रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव होगा।

पूर्व तटीय रेलवे के अंतर्गत रेल परियोजनाएं

2538. श्री जुएल ओराम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्व तटीय रेलवे के अंतर्गत उड़ीसा में शुरू की गयी और पूरी की गयी रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं में घटिया निर्माण कार्य की सरकार को जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो घटिया सामग्री से इन परियोजनाओं में निर्माण कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पूर्व तटीय रेलवे के अंतर्गत उड़ीसा में पूरी हो चुकी तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम
	पूर्व तटीय रेलवे के अंतर्गत उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी हुई परियोजनाएं:
1.	कपिलास रोड-निरगुण्डि तथा निरगुण्डि-बिरूपा केबिन (8.7 कि.मी.) दोहरीकरण
2.	सालेगांव-निरशुण्डि (5.5 कि.मी.) दोहरीकरण
3.	दैतारी-बांसपानी नई लाइन का जोरोली-केवनझ (48 कि.मी.)
4.	राहाम-पारादीप (23 कि.मी.) दोहरीकरण
	पूर्व तटीय रेलवे के अंतर्गत उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों में बजट में शामिल की गई परियोजनाएं:
1.	संबलपुर-रंगेली दोहरीकरण
2.	कटक-बारंग दोहरीकरण
3.	खुर्दा रोड-बारंग तीसरी लाइन

(ख) पूर्व तटीय रेलवे द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजनाओं के निर्माण कार्य की घटिया गुणवत्ता का ऐसा कोई मामला नहीं है जो कि ध्यान में लाया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस और निजी विमान कंपनियों की उड़ान समय सारणी

2539. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री बीर सिंह महतो:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइंस और अन्य निजी विमान कंपनियों की उड़ान संबंधी समय सारणी निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) इसे किस प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा इसके नियंत्रक अधिकारी कौन हैं;

(ग) क्या समय सारणी में अंतर के कारण इंडियन एयरलाइंस के यात्री निजी एयरलाइंस के यात्रियों की तुलना में अपने गंतव्य पर विलंब से पहुंचते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उड़ान समय सारणी के समन्वयन के संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क), (ख) और (ङ) वाणिज्यिक इनपुट तथा प्रचालनात्मक व्यावहार्यता के आधार पर एयरलाइनें स्वयं ही उड़ान समयावली निर्धारित एवं तैयार करती हैं।

निजी अनुसूचित एयरलाइनों सहित सभी एयरलाइनें अपनी तैयार उड़ान समयावली विभिन्न एयरपोर्ट प्रचालकों जैसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयर हेडक्वार्टर, नौसेना मुख्यालय, एच.ए.एल. बंगलौर, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड को टाइम स्लाट के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती हैं। ये समयावलियां सुरक्षा के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो को भी प्रस्तुत की जाती हैं। इन एजेंसियों से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर उड़ान समयावलियां अंतिम रूप में डी.जी.सी.ए. द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।

(ग) इंडियन एयरलाइंस बाजार अनुभव पर आधारित पहले से स्थापित हिस्टोरिकल टाइमिंग्स के अनुसार प्रचालन कर रही हैं। इंडियन एयरलाइंस के यात्री सामान्यत: समयावली के अनुसार अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अभयपुरी-बोंगाईगांव-न्यू मैनागुड़ी-न्यू जलपाईगुड़ी रेल लाइन को पूरा करना

2540. श्री राजेन गोहेन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अभयपुरी बोंगाईगांव-न्यू मैनागुडी-न्यू जलपाईगुड़ी रेल लाइन को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन की वर्तमान स्थिति/प्रगति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) अभयपुरी-बोंगाईगांव-न्यू मैनागुडी-न्यू जलपाईगुड़ी पहले से ही मौजूदा बड़ी लाइन है। बहरहाल न्यू मैनागुड़ी-जोगीघोपा (अभयपुरी) से नई लाइन के निर्माण का काम प्रगति पर है और इसके लिए अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) पश्चिम बंगाल तथा असम राज्य सरकार के साथ भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया है। जहां भूमि रेलवे को सौंप दी गई है वहां मिट्टी भरने तथा पुलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

मुनाबाओ-खोखरापुर रेल संपर्क

2541. श्री के.एस. राव:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुनाबाओ-खोखरापार रेल संपर्क वर्ष 1965 से जाम पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस रेल संपर्क को पुन: बहाल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ कुछ अन्य रेल संपर्क को पुन: बहाल करने का भी निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) मुनाबाव-खोखरापार रेल लिंक को परिचालित करने के लिए रेलपथ बिछाने और अन्य संबद्ध अवसंरचना तैयार करने जैसे तकनीकी विषयों पर भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच विचार-विमर्श किया जा रहा है। अवसंरचना संबंधी कार्य पूरा करने के बारे में पाकिस्तान सरकार द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेशनों पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ

2542. श्री मधुसूदन मिस्त्री: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर अनेक एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों का आबंटन उनसे एक सौ बीस प्रतिशत या उससे अधिक के कमीशन की वसूली पर आबंटित किए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त के अलावा अधिसूचित का 20 प्रतिशत की दर से भूमि लाइसेंस शुल्क भी वसूला जाता है;

(ग) क्या सरकार की उपर्युक्त कार्रवाई के कारण निविदा राशि को जमा करने के लिए एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ धारक यात्रियों को ठगकर अधिक से अधिक आय के लिए अवैध तरीके अपना रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) कुछ स्टेशनों पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों का आबंटन निविदाकारों द्वारा कोट की गई वित्तीय बोली के आधार पर तथा बी एस एन एल/एम टी एन एल आदि द्वारा उन्हें 100% से भी अधिक कमीशन देने की पेशकश पर किया गया है।

(ख) से (घ) जी हां। वर्ष 2004 में जारी की गई संशोधित नीति के अंतर्गत निविदा में दी जाने वाली राशि की अधिकतम कमीशन की राशि को 100% तक कर दिया गया है।

[हिन्दी]

बेटिकट यात्री

2543. श्री पंकज चौधरी:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलगाड़ियों में बेटिकट पकड़े गए यात्रियों की संख्या कितनी है और गत छह महीनों के दौरान आज तक रेलवे को जोन वार अनुमानत: कितना घाटा हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बेटिकट यात्रियों से जोनवार कुल कितनी राशि अर्थदण्ड के रूप में वसूली गयी है/जमा की गयी है;

(ग) क्या सरकार रेलगाड़ियों में बेटिकट यात्रा को रोकने के लिए सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर केवल उचित टिकटधारी को प्रवेश देने के लिए यात्रियों को रोककर उनसे टिकट की जांच करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या रेलवे का विचार बेटिकट यात्रा को रोकने के लिए विभिन्न स्थानीय और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में बार-बार औचक निरीक्षण को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलगाड़ियों में बेटिकट यात्रा का निरीक्षण करने के लिए रेलवे की अन्य योजनाएं कौन सी हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। बहरहाल, बिना टिकट यात्रा के कारण रेलों को होने वाले नुकसान की गणना करना कठिन है।

(ग) रेलवे प्लेटफार्म पर अनाधिकृत यात्रियों का प्रवेश रोकने के लिए विभिन्न प्रवेश द्वारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए पहले ही व्यवस्था है।

(घ) और (ङ) जो रेलगाड़ियों और खंड बिना टिकट यात्रियों के मामले में संवेदनशील हैं। इनकी पहचान की गई है और इस पर नियमित जांच के अलावा नियमित रूप से विशेष अभियान चलाए जाते हैं। रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों में से एक कदम के रूप में 1.7.2004 से बिना टिकट/अनियमित यात्रा पर आर्थिक दण्ड 50 रु. से बढ़ाकर 250 रु. कर दिया गया है। बिना टिकट/अनुचित टिकट, पर यात्रा करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

रेलवे	रेलगाड़ियों में अनधिकृत रूप से पकड़े गए यात्रियों की संख्या (लाख में) (अप्रैल, 04 से सितंबर, 04)	अनधिकृत यात्रियों से किराए और पेनल्टी के रूप में वसूल की गई कुल राशि (करोड़ रु.) (अप्रैल, 04 से सितंबर, 04)
1	2	3
मध्य	4.99	11.39
पूर्व	4.10	4.61
पूर्व-मध्य	3.47	5.53
पूर्वतट	0.85	1.53
उत्तर	12.98	21.29
उत्तर-मध्य	3.95	8.90
उत्तर पूर्व	2.90	6.03
पूर्वोत्तर सीमा	1.08	2.58
उत्तर पश्चिम	1.67	3.12
दक्षिण	1.78	3.76
दक्षिण-मध्य	4.62	9.29
दक्षिण-पश्चिम	0.70	1.82
दक्षिण-पूर्व	1.45	2.63
दक्षिण-पूर्व-मध्य	1.28	1.85
दक्षिण-पश्चिम	0.70	1.82
पश्चिम	6.21	10.83
पश्चिम-मध्य	5.05	4.75
कुल	54.08	99.91

[अनुवाद]

टी.वी. धारावाहिक निर्माताओं पर बकाया

2544. श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टी.वी. धारावाहिक निर्माताओं पर दूरदर्शन की बहुत बड़ी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे प्रत्येक चूककर्त्ता का दूरदर्शन केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बकाया की वसूली करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) 10.12.2004 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय नेटवर्क पर चूककर्त्ता टी.वी. धारावाहिक निर्माताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा क्षेत्रीय नेटवर्क पर चूककर्त्ताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) प्रसार भारती जो सांविधिक स्वायत्तशासी निगम है, ने सूचित किया है कि उठाए कदमों में पंचाट शर्तों का आह्वान करना पंचाट के अधिनिर्णय को न्यायालय नियम बनाने के लिए कानूनी कार्रवाई करना तथा कम्पनी को अविवादित बकायों हेतु अनुमोदित पुनर्भुगतान योजना के अनुपालन पर चालू कार्यक्रम के लिए अग्रिम भुगतान श्रेणी में रखना शामिल है।

विवरण I

दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा, नई दिल्ली

10.12.2004 के अनुसार राष्ट्रीय नेटवर्क चूककर्त्ता टीवी धारावाहिक निर्माता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	निर्माता का नाम	10.12.2004 में अनुसार देय
1	2	3
1.	फिल्म क्राफ्ट अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई	1266
2.	क्रियेटिव आई पीरागढ़ी, दिल्ली	1200
3.	श्री माधव खार (वेस्ट), मुम्बई	1156
4.	मल्टी चैनल खार (वेस्ट), मुम्बई	1102
5.	फेम काम. वर्ली, मुम्बई	1074
6.	प्लस चैनल अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई	1012
7.	न्यूमेरो यूएनओ जुहू, मुम्बई	1010
8.	निम्बस काम्यूनिकेशन के.जी. मार्ग, नई दिल्ली	649
9.	मार्किट मूवर्स ब्रीच कैण्डी, मुम्बई	311
10.	दृष्टि इंडिया अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई	294
11.	एडवांस टीवी नेटवर्क नारायणा, दिल्ली	213
12.	सागर इन्टरप्राइजेस नटराज स्टूडियो, मुम्बई	196
13.	कानसेप्ट एडवरटाइजिंग झंडेवालान, नई दिल्ली	188
14.	गुरुजी एडवरटाईजिंग प्रीत विहार, दिल्ली	185
15.	बी4यू मल्टीमेडिया अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई	179
16.	एमबीएम अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई	163
17.	ग्लोबल इण्टरप्राइजेज, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली	161
18.	एल.आर. इन्ट., लिंक रोड, मलाड (वेस्ट), मुम्बई	155
19.	प्रीतीश नन्दी काम., अपाजिट लाइन गेट, मुम्बई	154
20.	क्रियेटिव चैनल, लाजपत नगर, नई दिल्ली	150
21.	आनन्द एडवरटाईजिंग, दरिया गंज, दिल्ली	140
22.	वर्ल्ड मीडिया, झंडेवालान, नई दिल्ली	132
23.	मीडिया एशिया, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली	122
24.	माया इन्ट., काण्डीवली (ईस्ट), मुम्बई	120
25.	मैग्ना विजन, जंगपुरा-बी, नई दिल्ली	105
26.	प्रभा फिल्म, वसंत कुंज, नई दिल्ली	75
27.	यूनिवर्सल कम्यूनिकेशन, जे.एस.एस. मार्ग, मुम्बई	73
28.	फर्स्ट आपशन टेली फिल्म, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई	72
29.	किने स्कोप, खार (वेस्ट), मुम्बई	70
30.	आलिया प्रोडक्शंस, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली	60
31.	अभिनव क्रियेशंस, जी.के. 1, नई दिल्ली	55
32.	जया एडवरटाईजिंग, वी.टी. मुम्बई	47
33.	यूरेनस, खार (वेस्ट), मुम्बई	46
34.	कापी डिस्क, मायापुरी, नई दिल्ली	45
35.	जोसलीन काम., रजौरी गार्डेन, नई दिल्ली	42
36.	सिनेमा विजन, जोगेश्वरी (वेस्ट), मुम्बई	35
37.	नेटवर्क 7/वीडियो 1, बेलासीस रोड, मुम्बई	33
38.	ट्रेसर एडवरटाईजिंग, मुम्बई	33
39.	पास इन्टरनेशनल, इन्द्रपुरी, दिल्ली	30
40.	बैग फिल्मस, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली	29
41.	लेहर पब सर्विस, तुला राम बाग, इलाहाबाद	27

1	2	3
42.	जी.एन. काम., ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली	25
43.	इन्नोविजन फिल्म्स, सांताक्रुज, मुम्बई	25
44.	निरजा फिल्म्स, रोहतक रोड, नई दिल्ली	23
45.	स्टार गेजर, सुखदेव विहार, ओखला	22
46.	ट्रांसलिंक टेली., वसंतकुंज, नई दिल्ली	22
47.	आई डी टीवी, रानी झांसी रोड, दिल्ली	21
48.	प्राइम टाइम मीडिया, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	20
49.	एशियन एडी एज, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली	19
50.	पारस मार्केटिंग, रंजीत नगर, नई दिल्ली	19
51.	कोरम काम., साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली	18
52.	एडविजन मल्टीमीडिया, नोएडा	17
53.	डब्ल्यू डी कंजूमर, निरलोन हाउस, वर्ली, मुम्बई	17
54.	जोस मार्केटिंग, खिरकी एक्सटेंशन, नई दिल्ली	15
55.	राधा पब्लिसीटी, जुबली हिल्स, हैदराबाद	13
56.	टाइम शाप एडवरटाईजिंग, मुम्बई	13
57.	आशा कम्यूनिकेशन, प्रीत विहार, दिल्ली	12
58.	बिधान एडवरटाईजिंग, इल्सब्रीज, अहमदाबाद	11
59.	फ्यूचर काम., गोरेगांव, मुम्बई	11
60.	मैजीक बाक्स, अधेरी (वेस्ट), मुम्बई	11
61.	ए एण्ड ए फिल्म्स, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली	6
62.	एके इंट., ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली	5
63.	ग्लोबल विजन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली	5
64.	यूनाइटेड टेलीविजन, साकिनाका, मुम्बई	3
65.	विज्ञापन, नई दिल्ली	3
	कुल	12565

विवरण II

दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा: नई दिल्ली

10.12.2004 के अनुसार क्षेत्रीय नेटवर्क चूककर्त्ता टीवी धारावाहिक निर्माता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि
1	2	3
अहमदाबाद		
1.	पिंकी एडवरटाईजिंग	12.95
2.	ट्रांसलिंक	9.35
3.	कुनाल एडस	8.44
4.	विहिरा	3.30
5.	यूनिवर्सल	1.45
	कुल	35.49
भुवनेश्वर		
1.	स्वीट साउण्ड	38.52
2.	पिंकी एडवरटाईजिंग	14.15
3.	स्वीट मेलोडी	8.45
4.	ट्रांसलिंक टीवी	7.47
5.	ब्रह्मा विजन	3.06
	कुल	79.57
गुवाहाटी		
1.	डेलकान	17.01
2.	प्रोमिनेंट	4.47
3.	स्वीट मेलोडी	3.71
4.	ट्रांसलिंक टीवी	2.44
5.	स्वीट साउण्ड	1.70
6.	जोसलीन	1.61

1	2	3
7.	सनराईज	0.94
8.	टेलस्टार	0.37
	कुल	32.25

बंगलौर

1.	किनेस्कोप	98.05
2.	मैजिक बाक्स	92.48
3.	यूनिट वन	74.33
4.	क्यू-काम	70.25
5.	प्राइम टाइम आईपी मीडिया	45.19
6.	ट्रांसलिंक टीवी	20.10
7.	प्रोफेड	16.52
8.	यूरेनस	10.01
	कुल	426.93

जालंधर

1.	ट्रांसलिंक	26.90
2.	टेलस्टार	22.57
3.	पारस मार्केटिंग	13.37
4.	प्रेमा	11.50
	कुल	74.34

हैदराबाद

1.	एफ.एस. एडवरटाईजिंग	58.63
2.	हंसा विजन	30.77
3.	प्रोफेड	23.51
4.	क्रियेटिव यूनिट	11.32
	कुल	152.62

1	2	3

भोपाल

1.	एम.पी. माध्यम	9.48
2.	क्रियेटिव वीडियो	8.27
3.	ट्रांसलिंक टीवी	6.98
4.	पीएनसी	5.20
5.	स्वीट साउण्ड	5.16
6.	लेहर कम्यूनिकेशन	3.89
7.	आर्ट कामर्सिया	3.43
8.	प्रेमा	0.42
	कुल	42.83

चेन्नई

1.	मल्टी चैनल	185.02
2.	किनेस्कोप	80.49
3.	चैनेल 8	68.15
4.	ग्रीन सिगनल	40.68
5.	प्रोफेड	35.90
6.	विजन टाइम	26.52
7.	ट्रांसलिंक टीवी	25.86
8.	प्रेमा	19.64
	कुल	482.26

जयपुर

1.	फिल्म क्राफ्ट	3.98
2.	ट्रांसलिंक टीवी	2.50
3.	सुयोजन	1.92
4.	क्लीया	1.42
	कुल	9.82

1	2	3
त्रिवेन्द्रम		
1.	ए एण्ड ए फिल्मस	181.00
2.	बेसेलाइन	83.39
3.	इन्नोवेशन	77.62
4.	विजन टाइम	25.15
5.	ट्रांसलिंक टीवी	22.04
6.	यूनिवर्सल	21.12
7.	वैनगार्ड	13.45
8.	ओमेगा	11.54
	कुल	435.31
लखनऊ		
1.	एडविजन एम/मीडिया	25.09
2.	पीईएन	18.86
3.	ट्रेसर	18.68
4.	लेहर कम्यूनिकेशन	18.08
5.	ट्वीन एड्स	13.52
6.	ट्रांसलिंक टीवी	10.69
7.	स्टार गेजर	9.68
8.	इन्नोवेशन	6.96
9.	फिल्माना	3.00
	कुल	124.56
मुम्बई		
1.	सितारा विजन	59.59
2.	एडविजन एम/मीडिया	39.02
3.	फिल्म क्राफ्ट	32.08
4.	मीडिया कैफे	29.20
5.	प्राइम टाइम आईपी मीडिया	28.81
6.	ट्रांसलिंक टीवी	21.76
7.	ओमेगा	19.00
8.	आर्ट कामर्सिया	17.53
	कुल	246.99
कोलकाता		
1.	आरंभ एडवरटाईजिंग	2356.00
2.	चैनेल 8	155.20
3.	स्वीट साउण्ड	94.64
4.	स्वीट मैलोडी	85.32
5.	स्पेल बाइण्डर	69.02
6.	सनराइज मीडिया	66.58
7.	एशियन एड एज	34.17
8.	कान्टिनेंटल	22.55
9.	प्रेमा	18.45
10.	सार वीडियो	17.53
	कुल	2919.46

सभी केन्द्र बकाया राशियों की वसूली के लिए न्यायिक मामले दायर करने सहित आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जहां तक दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता की मैसर्स आरम्भ एडवरटाइजिंग पर बकाया राशि का संबंध है यह बताया गया है कि यह मामला कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है अभी इससे सभी कार्यक्रम बन्द कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों हेतु स्थाई वेतन आयोग

2545. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सशस्त्र बलों हेतु स्थाई वेतन आयोग गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के, सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में संशोधन केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किए जाते हैं। सशस्त्र बलों के लिए उक्त प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किए जाने की परिकल्पना नहीं है।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

2546. श्री राकेश सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित वर्तमान नीति में कोई संशोधन सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि वर्तमान नीति के अनुसार प्रति वर्ष 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुकम्पा के आधार पर भरी जाती हैं तथा जबलपुर में पहले से लंबी सूची में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के कम से कम 60 से 70 मामले प्रति वर्ष जुड़ जाते हैं तथा मृतकों के परिजनों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी नहीं मिल पाती; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सीधे भर्ती के लिए रिक्तियों में से 50 प्रतिशत रिक्तियों को अनुकम्पा के आधार पर निर्धारित करेगी जिससे कि ऐसे शोक संतप्त परिवारों को राहत मिल सके?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश भर में अनुपालन की जा रही मौजूदा नीति के अनुसार, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली समूह 'ग' तथा 'घ' की रिक्तियों में से 5% रिक्तियां अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के लिए हैं। ऐसी रिक्तियों के लिए नियुक्ति की पेशकश, दिवंगत सरकारी कर्मचारी की परिसंपत्तियों तथा दायित्वों को ध्यान में रखकर बनाई गई योग्यता-क्रमसूची के आधार पर की जाती है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदनों की संख्या ऐसी नियुक्तियां किए जाने के लिए उपलब्ध रिक्तियों की तुलना में काफी अधिक होने की वजह से भी आवेदकों को नियुक्ति की पेशकश करना संभव नहीं है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में नया रेल टर्मिनल

2547. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री पी.के. वासुदेवन नायर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल राजधानी शहर में कोचुवेली में नए रेल टर्मिनल के निर्माण कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस टर्मिनल के कब तक पूर्ण होने तथा शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस टर्मिनल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके निर्माण में कितना खर्च आने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) कार्य की प्रगति लगभग 45% है। 540 मीटर का गर्त लाइन तथा 150 मीटर का प्लेटफार्म का कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) यह कार्य 31.3.2005 तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) इस कार्य की मुख्य विशेषताएं एक प्लेटफार्म लाइन, एक स्टैबलिंग लाइन, एक गर्त लाइन, स्टेशन बिल्डिंग, सेवा बिल्डिंग आदि सहित नए टर्मिनल की स्थापना करना है।

कार्य की अनुमानित लागत 8 करोड़ रु. है।

[हिन्दी]

गिरिडीह में रेल साइडिंग का निर्माण

2548. श्री टेक लाल महतो: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झारखण्ड में गिरिडीह जिले में उद्योगों को लौह अयस्क तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए गिरिडीह में रेल साइडिंग के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पैट्रोलियम विनियामक प्राधिकरण

2549. **श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री देविदास पिंगले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री वी.के. दुम्मर:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री मुन्शी राम:
श्री सूरज सिंह:
श्री परसुराम माझी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी वर्ष के आरम्भ में एक स्वतंत्र पेट्रोलियम विनियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा;

(ख) क्या सरकार जनवरी, 2005 में तेल और गैस की खोज के नए 21 ब्लाकों की बोली भी लगाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार नियामक हेतु विधेयक को पुर: स्थापित करने के लिए तैयार है;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस प्राधिकरण की क्या भूमिका होगी;

(ङ) क्या सरकार विकासशील व्यवसाय को सुधारने के लिए हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय का पुनर्गठन भी कर रही है; और

(च) देश में पेट्रोलियम उत्पादों के लिए यह तेल तथा गैस विनियामक किस सीमा तक सहायक होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर: (क), (ग), (घ) और (च) सरकार का एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव है, जिससे उचित मूल्यों पर दूरस्थ क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, उपभोक्ता की रक्षा करने और निवेश को प्रोत्साहित करने और बोर्ड के नियमों और विनियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय विनियमन स्थापित किए जा सकें। जब संशोधित मसौदा विधायन संसद के सदनों के पटल पर रखा जाएगा, तब प्रस्ताव का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा।

(ख) जी, हां। भारत सरकार एन ई एल पी के पांचवें दौर में विश्वव्यापी बोली के अंतर्गत लगभग 20 अन्वेषण ब्लाक रख रही है।

(ङ) संविदाओं की बढ़ी हुई संख्या और संबंधित कार्यभार में बढ़ने के कारण सरकार प्रचालनात्मक कुशलता में सुधार करने के उद्देश्य से हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय की कार्यात्मक अपेक्षाओं की समीक्षा कर रही है और इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है।

रेल ट्यूटोरियल आर्मी कैंप

2550. **श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:**
श्री राजाराम पाल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में जमालपुर रेल फैक्टरी में रेलवे ट्यूटोरियल आर्मी कैंप रक्षा मंत्रालय के सहयोग से चल रहा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे ट्यूटोरियल आर्मी की स्थापना रेलवे की आपात सेवाएं चलाने को ध्यान में रखकर की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त रेलवे ट्यूटोरियल आर्मी कैंप को सरकार ने बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या रक्षा मंत्रालय का विचार रेलवे की आपात सेवाओं को चलाने के लिए रेलवे ट्यूटोरियल आर्मी को पुन: आरंभ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) जी, नहीं। बिहार में जमालपुर रेल कारखाने में ट्यूटोरियल आर्मी का कोई कैंप नहीं था। तथापि, रेलवे की आपात सेवाओं को चलाने के लिए एक रेलवे इंजीनियर्स रेजिमेंट (प्रादेशिक सेना) स्थापित की गई थी किंतु उसे समाप्त कर दिया गया था।

(घ) और (ङ) रक्षा मंत्रालय ने रेल मंत्रालय को जमालपुर में रेलवे इंजीनियर्स रेजिमेंट (प्रादेशिक सेना) खड़ी करने के संबंध में अपनी 'अनापत्ति' पहले ही मई, 2004 में भेज दी है।

[अनुवाद]

आई.जी.एन.सी.सी.ए. का पुनर्गठन

2551. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्र न्यास का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा शामिल किए गए/निकाले गए सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) न्यास के सदस्यों के लिए निबंधन और शर्तें क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के न्यास-विलेख के अनुसार न्यासियों की नियुक्ति 10 वर्ष की अवधि के लिए होगी।

विवरण

भारत सरकार के दिनांक 6.11.2004 के आदेश द्वारा हटाए गए न्यासियों की सूची

1. श्री आर. वेंकटरमण
2. श्री पी.वी. नरसिम्हा राव
3. श्रीमती सोनिया गांधी
4. प्रो. यशपाल
5. श्री आबिद हुसैन
6. पं. भीमसेन जोशी
7. श्री विद्या निवास मिश्र
8. डा. एच. नरसिम्हैया
9. श्री एम.वी. कामथ
10. डा. भूपेन हजारिका
11. सुश्री अंजली झा मेनन
12. सुश्री सोनल मानसिंह
13. डा. के.जे. येसुदास
14. श्री एल.एम. सिंघवी
15. डा. एम.एस. स्वामिनाथन
16. डा. वेदांतम् सत्यनारायण शर्मा
17. प्रो. पी.वी. कृष्ण भट
18. डा. सूर्यकांत बाली
19. केन्द्रीय संस्कृति मंत्री
20. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री
21. सदस्य सचिव, आई जी एन सी ए

6.11.2004 के आदेश के अनुसार आई जी एन सी ए के नव-नियुक्त न्यासियों की सूची

1. श्री अदूर गोपालकृष्णन
   दर्शनम्, अक्कुलम, तिरूवनंतपुरम-695017,
   टेलीफोन नंबर-0471-2446567
2. श्री सलमान हैदर
   ए-65, निजामुद्दीन पूर्व,
   नई दिल्ली-13
3. डा. आर. नरसिम्हन
   द्वारा-सेंटर फार ऐटमास्फेरिक एंड ओशनिक साइंसेज,
   इंडियन इंस्टीच्यूट आफ साइंस,
   बंगलौर-12
4. श्री मृणाल सेन
   14, बालतला रोड,
   कोलकाता,
   टेलीफोन नंबर-030-24754799
5. प्रो. ए. रामचंद्रन
   22, भारती कालोनी,
   विकास मार्ग,
   नई दिल्ली-92
6. श्री रतन टाटा
   अध्यक्ष, टाटा संस लिमिटेड,
   टाटा हाउस, मुंबई

7. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री

8. केन्द्रीय सूचना व प्रसारण और संस्कृति मंत्री

9. सदस्य सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र।

[हिन्दी]

एल.पी.जी. गोदामों का स्थान बदलना

2552. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोल पम्पों तथा एल पी जी गोदामों का स्थान बदलने की अनुमति देने संबंधी सरकार की क्या नीति है;

(ख) मंत्रालय ने स्थान बदलने के कितने मामलों की डी डी ए से सिफारिश की है;

(ग) ऐसे मामले कितने हैं जहां डी डी ए ने पेट्रोल पम्पों तथा एल पी जी गोदामों का स्थान बदलने के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए हैं;

(घ) क्या पेट्रोल पम्पों तथा एल पी जी गोदामों का स्थान बदलने संबंधी डी डी ए की अपनी कोई नीति है;

(ङ) यदि हां, तो स्थान बदलने संबंधी मंत्रालय तथा डी डी ए की नीतियों में क्या अंतर है; और

(च) इस संबंध में व्यापक और पारदर्शी दिशानिर्देश बनाने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (च) पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का स्थान परिवर्तन नए स्थलों की व्यवहार्यता जैसी कतिपय शर्तों को पूरा करने पर ही अनुमेय है। दूरदराज/कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों आदि की सुविधा के लिए पुराने स्थलों की सुविधाएं तभी बंद की जाती है जब तक ने स्थलों पर इन्हें स्थापित न कर लिया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) को वाणिज्यिक स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सुझाए गए कुछ मानदंडों के आधार पर सरकार ने ओ एम सीज की स्थान परिवर्तन संबंधी दिशानिर्देश स्वयं बनाने के लिए प्राधिकृत किया है।

(ख) सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) को स्थान परिवर्तन की कोई सिफारिश नहीं करती है। किन्तु डी डी ए के ध्यान में उन आपवादिक अनुरोधों को लाती है जिन पर विशेष रूप से विचार किया जाना होता है।

(ग) अप्रैल, 2002 से सितम्बर, 2004 की अवधि में डी डी ए द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी टी) में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के स्थान परिवर्तन के दो मामलों में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराए गए हैं।

(घ) डी डी ए की वर्तमान नीति के अनुसार स्थान परिवर्तन तभी किया जाता है जबकि संबंधित भूमि का उपयोग किसी अन्य नियोजित परियोजना/योजना के लिए होता है जिसके लिए पेट्रोल पम्प/गैस गोदाम को बंद करना अनिवार्य हो जाता है; और किसी अन्य स्थिति में स्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

(ङ) प्रश्न (घ) के उत्तर में बताई गई डी डी ए की नीति यद्यपि विशिष्ट है और केवल दिल्ली के एन सी टी में स्थान परिवर्तन के संदर्भ में है, सरकार की देश भर में लागू नीति में विद्यमान और नए स्थलों की व्यवहार्यता, उपभोक्ताओं के हित आदि जैसे अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

[अनुवाद]

चामराजनगर और मेट्टूपलयम के बीच रेल लाइनों का निर्माण

2553. श्री एम. शिवन्ना: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चामराजनगर और मेट्टूपलयम के बीच रेल लाइन के निर्माण के लिए सरकार ने सर्वेक्षण का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने लंबे समय से लंबित इस रेल लाइन के लिए एक नए सर्वेक्षण का आदेश दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) मेट्टूपलयम तक विस्तार सहित मैसूर-चामराजनगर (चरण-1) के आमान परिवर्तन का कार्य आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात् कार्य शुरू करने की शर्त के साथ 1997-98 के बजट में पहले से ही शामिल है। चामराजनगर पर आमान परिवर्तन के कार्य को शुरू करने के लिए अपेक्षित स्वीकृतियां सितंबर 2001 में प्राप्त कर ली गई हैं और यह कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों पर है।

चूंकि इस परियोजना के सर्वेक्षण का कार्य काफी समय पहले किया गया था, अत: चामराजनगर से मेट्टूपलयम पर रेल लाइन के विस्तार के लिए अद्यतन सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

2554. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कटनी से सतना-मणिकपुर और इटारसी से जबलपुर के बीच रेल लाइन का कब तक विद्युतीकरण किये जाने की संभावना है; और

(ख) जबलपुर-बालाघाट-गोंडिया रेल लाइन के आमान परिवर्तन के लिए बालाघाट तथा मांडला जिले में भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलपथ का विद्युतीकरण आवश्यकता पर आधारित कार्य है जिसकी सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है। रेल विद्युतीकरण पर निवेश रेल प्रणाली की यातायात संबंधी आवश्यकता पर आधारित है और उन खंडों का, जिन्हें आवश्यक समझा जाता है, विद्युतीकरण कार्य शुरू किया जाता है। इस समय, कटनी-सतना-माणिकपुर और इटारसी-जबलपुर रेल लाइन का विद्युतीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) बालाघाट और मांडला जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के पास आवेदन-पत्र फाइल कर दिए गए हैं और उनके पास धनराशि भी जमा करा दी गई है।

[अनुवाद]

ट्रांसमीटरों का कार्यकरण आरंभ किया जाना

2555. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा दो-तीन वर्ष पूर्व स्थापित किए गए कई एच पी टी, वी एल पी टी तथा एल पी टी ने कार्य करना आरंभ नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तकनीकी रूप से तैयार इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्होंने कार्य करना आरंभ नहीं किया है तथा प्रत्येक ट्रांसमीटर पर व्यय की गई धनराशि तथा उनके तकनीकी रूप से तैयार होने की तारीखों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के आरंभ न होने का कारण कर्मचारियों की अनुपलब्धता है;

(घ) यदि हां, तो कर्मचारी को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय का विचार अन्य परियोजनाओं से कर्मचारियों की तैनाती द्वारा तकनीकी रूप से तैयार इन परियोजनाओं को आरंभ करने का है; और

(च) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) ट्रांसमीटर परियोजना तकनीकी रूप से तैयार, परन्तु जिन्हें अभी चालू किया जाना है, उनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आकाशवाणी चूडाचांदपुर को छोड़कर अन्य सभी परियोजनाएं स्टाफ की स्वीकृति के अभाव में रोक दी गई हैं।

(घ) से (च) प्रसार भारती द्वारा कई परियोजनाओं को स्टाफ को पुन: तैनात करके चालू कर दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी से अन्य केन्द्रों के लिए स्टाफ स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं को अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् चालू किया जाएगा। कोई निश्चित समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

विवरण

तकनीकी रूप से तैयार दूरदर्शन के प्रक्षेपक

(रुपये लाखों में)

राज्य	अल्प शक्ति प्रक्षेपक का नाम	पूरा होने की तिथि	वहन किया गया व्यय
आंध्र प्रदेश	पुंगनूर	जन., 02	84.42
	मुधोल	जन., 02	67.69
	सिंघनूर	मार्च, 02	61.18
	कोल्हापुर	जन., 03	71.44
असम	सत्रसाल	मार्च, 03	78.58
हरियाणा	कैथल	मार्च, 04	72.27
	फतेहाबाद	सित., 04	66.10
उड़ीसा	बहाल्दा	फर., 03	81.76
राजस्थान	खाजूवाला	फर., 04	57.69

शुरू करने के लिए तकनीकी रूप से तैयार परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	स्थान	राज्य	परियोजना	तकनीकी रूप से तैयार	पूंजी गत लागत (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	अगरतला	त्रिपुरा	10 कि.वा. एफ.एम. प्रेषित्र एवं स्टूडियो	मार्च 2001	335.00
2.	आइजल	मिजोरम	6 कि.वा. एफ.एम. प्रेषित्र एवं स्टूडियो	मार्च 2002	351.80
3.	धर्मापुरी	तमिलनाडु	10 कि.वा. एफ.एम. प्रेषित्र सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	मार्च 2001	469.65
4.	हिम्मत नगर	गुजरात	1 कि.वा. मी. वेव प्रेषित्र सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	मार्च 2001	284.15
5.	इम्फाल	मणीपुर	10 कि.वा. एफ.एम. प्रेषित्र एवं स्टूडियो	मार्च 2001	335.00
6.	मचरेला	आंध्र प्रदेश	3 कि.वा. एफ.एम. प्रेषित्र सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	मार्च 2002	353.00
7.	मांडला	मध्य प्रदेश	1 कि.वा. एफ.एम. प्रेषित्र सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	मार्च 2002	265.65
8.	मंजेरी	केरल	3 कि.वा. एफ.एम. प्रेषित्र सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	मार्च 2002	358.60
9.	रायगढ़	मध्य प्रदेश	3 कि.वा. एफ.एम. प्रेषित्र सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	मार्च 2002	285.00

1	2	3	4	5	6
10.	सरायपल्ली	छत्तीसगढ़	1 कि.वा. एफ.एम. प्रेषित्र सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	मार्च 2002	265.65
11.	शिलौंग	मेघालय	10 कि.वा. एफ.एम. प्रेषित्र एवं स्टूडियो	मार्च 2002	300.00
12.	सोरो	उड़ीसा	1 कि.वा. एफ.एम. प्रेषित्र सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	मार्च 2001	284.15
13.	चुराचांदपुर	मणीपुर	6 कि.वा. एफ.एम. प्रेषित्र सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	मार्च 2000	315.00
14.	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	10 कि.वा. एफ.एम. प्रषित्र एवं स्टूडियो	मार्च 2004	620.00
15.	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10 कि.वा. एफ.एम. प्रेषित्र एवं स्टूडियो	मार्च 2004	570.00
	दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित				
1.	दीस्किट	जम्मू-कश्मीर	1 कि.वा.मी.वेव. प्रेषित्र रहित रिले केंद्र	सितम्बर 2002	210.00
2.	नयोमारप	जम्मू-कश्मीर	1 कि.वा.मी.वेव. प्रेषित्र रहित रिले केंद्र	मार्च 2002	210.00
3.	तेषरू	जम्मू-कश्मीर	1 कि.वा.मी.वेव. प्रेषित्र रहित रिले केंद्र	मार्च 2002	210.00
4.	पदम	जम्मू-कश्मीर	1 कि.वा.मी.वेव. प्रेषित्र रहित रिले केंद्र	सितम्बर 2002	210.00
5.	द्रास	जम्मू-कश्मीर	1 कि.वा.मी.वेव. प्रेषित्र रहित रिले केंद्र	मार्च 2002	210.00

[हिन्दी]

भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में निवेश

2556. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मुंशीराम:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सरकारी क्षेत्र की कंपनियां ईरान में रेल परियोजनाएं क्रियान्वित करेंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण कार्य हमारी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के निवेश द्वारा किए जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो क्या ईरान की सरकारी क्षेत्र की कंपनियां भी उक्त परियोजनाओं में निवेश करेंगी; और

(घ) यदि हां, तो दोनों देशों के प्रतिशत भाग का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। ईरान में रेल परियोजनाओं के निष्पादन के लिए रेल मंत्रालय के अधीन दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम राइट्स लि. और इरकान इंटरनेशनल लि. ईरानी प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं।

(ख) इन परियोजनाओं में हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निवेश को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) इन परियोजनाओं में निवेश में ईरान की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी उनके वित्तीय लाभ और ईरान सरकार द्वारा उन्हें दिए गए निदेशों पर निर्भर करती है। किसी भी परियोजना में दोनों देशों की किसी प्रतिशत भागीदारी को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

छात्रों को रियायत

2557. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस विमान यात्रा करने वाले छात्रों को रियायत देता है;

(ख) यदि हां, तो क्या छात्रों को रियायत प्रदान करने के लिए एक पुरानी और दुरूह प्रणाली प्रचलन में है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रणाली को सरल करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार दो पहचान पर आधारित एक सरल प्रणाली पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी हां।

(ख) से (च) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइंस की घरेलू सेवाओं में छात्र रियायत सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु किसी भी छात्र के लिए मात्र निर्धारित छात्र रियायत सुविधाफार्म को भर कर उसे अपने फोटो सहित प्रस्तुत किया जाना जरूरी है, यह फार्म संबंधित शैक्षिक संस्थान के प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम तक रेल लाइनों का विद्युतीकरण

2558. श्री सुग्रीव सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम के बीच रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम तक रेल लाइनों के विद्युतीकरण का काम पूरा कर दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वृद्ध लोगों के लिए कल्याण योजनाएं

2559. श्री मंजुनाथ कुन्नुर:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
योगी आदित्यनाथ:
श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री सुरेश कलमाडी:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री अजीत जोगी:
श्री सीता राम सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वृद्ध व्यक्तियों के लिए कल्याण योजना के अंर्तगत प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मंत्रालय द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों तथा 2003-04 और 2004-05 के दौरान आवंटित/ जारी तथा उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का योजनावार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा गैर-सरकारी संगठन/स्वयंसेवी संगठनवार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में वृद्ध व्यक्तियों तथा चल रहे वृद्धाश्रमों की वर्तमान संख्या तथा उससे लाभान्वित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने वृद्धाश्रम खोले जाने हैं;

(च) इन वृद्धाश्रमों को चलाने के लिए विदेशों से प्राप्त वित्तीय सहायता का क्या ब्यौरा है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए योजनाओं का और विस्तार करने तथा धनराशि के उपयोग की उचित निगरानी के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और स्वीकृति राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

योजना का नाम	2003-04		2004-05	
	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए)	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	14 दिसम्बर, 04 तक स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए)
वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	491	15.83	407	7.60
पंचायती राज संस्थानों/स्वैच्छिक संगठनों/स्व सहायता समूहों को सहायता	8	0.70	2	0.05

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान निधियों की निर्मुक्ति के बारे में योजनावार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और गैर-सरकारी संगठनवार विस्तृत सूचना मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर देखी जा सकती है।

(घ) जनगणना, 2001 के अनुसार, भारत में 60 वर्ष और इससे अधिक की आयु के व्यक्तियों की संख्या 7.66 करोड़ है। इसमें मणिपुर के सेनापति जिले के सब-डिविजन माओ मारम, पाओमाला और पुरुल की जनसंख्या नहीं है।

वृद्धि व्यक्ति समेकित कार्यक्रम योजना के अंतर्गत, 2003-04 के दौरान, 322 वृद्ध आश्रमों को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिससे लगभग 10,00 वृद्ध व्यक्ति लाभान्वित हुए।

(ङ) वास्तविक स्वीकृत संख्या, राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के पूरा होने पर निर्भर करेगी।

(च) इन वृद्धाश्रमों के चलाने के लिए कोई बाहरी/विदेशी निधियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(छ) स्कीमों का विस्तार इस बात पर निर्भर करेगा कि बजटीय आबंटन बढ़ाए जाएं और राज्य सरकारों के माध्यम से पूर्ण मामले प्राप्त हों।

[हिन्दी]

खतरनाक पुलों के संबंध में खन्ना समिति की रिपोर्ट

2560. श्री गणेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खन्ना समिति ने उन खतरनाक रेलवे पुलों के संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जोकि भार वहन करने की अपनी क्षमता खो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में की गई कार्रवाई का पुलवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके स्पष्ट कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) खन्ना समिति (1999) ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि ऐसे डिस्ट्रेस्ड पुल जो 100 वर्षों से अधिक पुराने हैं, और पहले की स्टील से निर्मित हैं, का निरीक्षण कार्य दल (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर) द्वारा और किया जाना चाहिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में किसी विशेष सूची के पुलों का उल्लेख नहीं किया है। बहरहाल, समिति ने 1.4.99 तक भारतीय रेल में मौजूद 262 डिस्ट्रेस्ड पुलों को नोट किया है। समिति की सिफारिश के अनुसरण में, सभी डिस्ट्रेस्ड पुलों का रेलवे के क्षेत्रीय मुख्य इंजीनियर द्वारा निरीक्षण किया गया था और उनकी पुनर्स्थापना/पुनर्निर्माण शुरू किया गया। इन डिस्ट्रेस्ड पुलों का वर्ष 2001-02 में विशेष रेलवे संरक्षा निधि (एस आर एस एफ) के स्थापित होने के कारण पुनर्स्थापना/पुनर्निर्माण किया गया और नए डिस्ट्रेस्ड पुलों की भी मरम्मत/पुनर्निर्माण किया गया और पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल 927 डिस्ट्रेस्ड पुलों का पुनर्स्थापना/पुनर्निर्माण किया गया।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में आमान परिवर्तन परियोजना

2561. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में दक्षिण रेलवे के छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए लंबित रेल पटरी की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) इस परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह परियोजना निर्धारित समय से पीछे चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इसके त्वरित क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) 31.3.2004 को तमिलनाडु में 1986 कि.मी. की लंबी छोटी लाइन थी।

(ख) चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडू राज्य में आंशिक/पूर्णरूप से की जाने वाली आमान परिवर्तन की चल रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल परिव्यय 135.96 करोड़ रुपए है

(ग) और (घ) लगभग 1100 कि.मी. की आमान परिवर्तन परियोजना पर कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों पर है। मदुरै-मनामदुरै (48 कि.मी.) और थनजावुर-तिरुवरूर (55 कि.मी.) खंडों के आमान परिवर्तन के कार्य को वर्ष 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

(ङ) चालू परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के लिए संसाधनों में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से राज्य सरकारों की साझेदारी, सार्वजनिक/निजी हिस्सेदारी, रक्षा मंत्रालय से निधि की उपलब्धता, राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन तथा राष्ट्रीय खेल विकास योजना के लिए निधि आवंटित करना शामिल है दूरवर्ती क्षेत्रों में रेल संपर्क योजना की घोषणा कर दी गई है तथा इसके लिए निधि की व्यवस्था की जा रही है। इन प्रयासों से परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाना संभव होगा।

एस.सी.पी. और टी.एस.पी. की निगरानी

2562. श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री रामदास आठवले:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष संघटक योजना और जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से धनराशि आने की निगरानी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के अंतर्गत वर्तमान राशि का प्रवाह योगदान करने वाले राज्यों की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा "एस.सी.पी." और "टी.एस.पी." की तैयारी तथा निगरानी के बारे में माननीय संसद सदस्यों अथवा सामाजिक संगठनों से कोई सुझाव अथवा अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) अभी तक एस.सी.पी. और टी.एस.पी. तैयार करने वाले केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों का ब्यौरा क्या है और शेष मंत्रालयों/विभागों को इसके लिए राजी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा बनाई कार्य नीति के अंतर्गत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय मंत्रालयों को विशेष संघटक योजना एवं जनजातीय योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता के हिसाब से योजना निधियों को अलग से निर्दिष्ट करना अपेक्षित है। इस समय, 23 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जनजातीय उप-योजना तथा 27 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष संघटक योजना क्रियान्वित कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजना एवं जनजातीय उप-योजना के निरूपण और क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ) हरियाणा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल नामक पांच राज्यों ने पिछले दो वर्ष में अपने राज्यों की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुसार विशेष संघटक योजना के अंतर्गत अलग से निधियां आबंटित की। अन्य राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों को समय-समय पर स्मरण कराया जाता है कि वे अपने राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुसार निधियां आबंटित करें।

जनजातीय उप-योजना

कुछ केन्द्रीय मंत्रालय जनजातीय उप-योजना संघटक के लिए निधियां आबंटित नहीं कर रहे हैं और यदि कुछ मंत्रालयों ने जनजातीय उप-योजना के लिए निधियां आबंटित की भी हैं, तो ये देश में जनजातीय जनसंख्या के निर्धारित संघटकों से कम हैं। इसी तरह, कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशत के मुकाबले टी.एस.पी. फ्लो से कम राशि आबंटित कर रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने टी.एस.पी. के अंतर्गत जनजातीय मंत्रालय के बजट का 8% अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट करने के मामले को उठाया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अपनी निधियों को व्यय करने की आवश्यकता के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है और जनजातीय विकास की योजनाओं का भी पता लगा रहा है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। तथापि, योजना आयोग द्वारा 1999 में गठित की गई केन्द्रीय स्थाई त्रिपक्षीय समिति ने विशेष संघटक योजना (एस सी पी) और जनजातीय उप-योजना (टी एस पी) के अंतर्गत निधियां निर्दिष्ट करने की व्यवहार्यता के आधार पर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की तीन श्रेणियां बनाई थी। 30 मंत्रालयों/विभागों को, जो सेवा अभिमुखी हैं और जिनके विभिन्न प्रकृति के कार्यकलाप हैं को श्रेणी-3 में रखा गया है।

संसदीय श्रम और कल्याण संबंधी स्थाई समिति तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्यों ने जनजातीय कार्य मंत्रालय हेतु अनुदान की मांग पर चर्चा के समय राजस्थान में समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं (आई टी डी पोज) के कार्य का पुनरीक्षण किया और इस पहलू और जनजातीय उप योजना (टी एस पी) की कार्यनीति के अक्षरश: वांछित कार्यान्वयन पर टिप्पणियां की थी।

इन समितियों की सिफारिशों को उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के ध्यान में लाया गया था।

(ज) फिलहाल, 16 केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग विशेष संघटक योजना और 17 केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग जनजातीय उप-योजना को तैयार और कार्यान्वित कर रहे हैं। अन्य मंत्रालयों/विभागों को बराबर राजी किया जा रहा है।

आकाशवाणी की डी टी एच सेवा

2563. श्री गुरूदास कामत: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी की डायरेक्ट-टु-होम (डी टी एच) सेवा आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने चैनलों पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा;

(घ) क्या आकाशवाणी की कुछ सेवाओं के बंद हो जाने की आशंका है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) दूरदर्शन की के.यू. बैंड परियोजना, जिसमें 30 टी.वी. चैनल और 12 आकाशवाणी चैनल शामिल हैं, का 16.12.2004 को उद्घाटन किया जाने का कार्यक्रम तय है। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर पूरे देश में के.यू. बैंड सिग्नल उपलब्ध हैं। के.यू. बैंड अभिग्रहण प्रणाली की सहायता से सिग्नलों को प्राप्त किया जा सकता है।

(ग) प्रसार भारती के के.यू. बैंड समूह में आकाशवाणी के 12 चैनल शामिल हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति के लड़के/लड़कियों के लिए भवनों का निर्माण

2564. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुसूचित जाति के लड़के तथा लड़कियों के लिए भवनों के निर्माण हेतु लागत का 50 प्रतिशत भाग प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति तथा धनराशि के जारी करने पर केन्द्र सरकार को क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, वर्ष 2004-05 के दौरान 11,95,66,500 रुपए की अनुमानित लागत पर अनुसूचित जाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु कर्नाटक सरकार की परियोजनाओं का अनुमोदन कर दिया है। उपर्युक्त अनुमानित लागत में से 50% केन्द्रीय सहायता अर्थात् 5,97,83,250 रुपए की निर्मुक्ति के लिए स्वीकृति 29.4.2004 को जारी कर दी गई है।

[हिन्दी]

जैमर्स का विफल हो जाना

2565. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विस्फोटकों को निष्क्रिय करने वाले सिक्योरिटी जैमर्स के अचानक विफल हो जाने से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिससे सेना के बहुत से जवानों की मौत हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो जैमर्स के विफल होने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकार को सुरक्षा जैमरों में अचानक खराबी आ जाने की वजह से हुई दुर्घटना की कोई जानकारी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप कामचलाऊ विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से सेना के जवान मारे गए थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर के रेल यातायात की वर्तमान स्थिति

2566. चौधरी लाल सिंह:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू से उधमपुर के बीच तथा उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला में रेल लाइनें बिछाने तथा अवसंरचना के संबंध में कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है तथा इस पर कितना खर्च हो चुका है;

(ख) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति तथा यदि कोई परीक्षण किया गया है तो उसका क्या ब्यौरा है;

(ग) सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस पर कितना खर्च आने की संभावना है;

(घ) इन लाइनों के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि के विस्थापितों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(ङ) क्या जम्मू-कश्मीर के ऐसे भू-विस्थापितों को रेलवे द्वारा रोजगार दिया गया है;

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने लोगों को भर्ती किया गया; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जम्मू-श्रीनगर रेलवे परियोजना का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	अप्रत्याशित व्यय मार्च 2004 तक	2004-05 के दौरान परिव्यय	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू-उधमपुर (53.6 किमी.)	515 करोड़ रु.	482.80 करोड़ रु.	10.44 करोड़ रु.	कार्य पूरा हो चुका है तथा वाणिज्य माल यातायात इस खंड पर चल रहा है।

1	2	3	4	5	6
2.	उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला (287 किमी.)	5000 करोड़ रु.	1286.43 करोड़ रु.	300 करोड़ रु.	इस खंड की समग्र प्रगति लगभग 38.5% है। इस कार्य को चरणों में शुरू किया गया और प्रगति निम्नानुसार है:- (1) उधमपुर-कटरा (0-25): मिट्टी का कार्य, सुरंगीकरण तथा मुख्य/छोटे पुलों का कार्य प्रगति पर है। (2) कटरा-काचीगुंड (25-167): 25-30 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य हो चुका है एवं सुरंगीकरण कार्य प्रगति पर है। 30-167 कि.मी. के लिए, भूमि अधिग्रहण विस्तृत निर्माण सर्वेक्षण चल रहा है। 30-50 कि.मी. के बीच सुरंगीकरण का कार्य प्रगति पर है। जहां भूमि उपलब्ध करायी गई है। प्रगति लगभग 10% है। (3) काचीगुंड बारामुला (167-287 कि.मी.) मिट्टी का कार्य पुलों का कार्य इत्यादि प्रगति पर है। 15-122 कैनाल भूमि में से 14,853 कैनाल भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। प्रगति लगभग 75% पर है।

भूमि अधिग्रहण में विलंब और सुरक्षा तंगियों के कारण, निर्माण कार्य की प्रगति पर कुछ प्रभाव पड़ा है। भूमि विवादों को पुन: सुलझाने के लिए मामले पर राज्य सरकार के साथ नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है और भूमि रेलवे को बिना किसी कठिनाई के सौंप दी गई है। परियोजना संरेखण पर सुरक्षा प्रबंध और अधिक मजबूत करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) राज्य सरकार द्वारा भूमि विस्थापितों को मुआवजा वितरित किया गया है। राज्य सरकार को जम्मू-उधमपुर परियोजना के लिए 10.92 करोड़ रु. तथा उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला परियोजना के लिए 441.50 करोड़ रु. का भुगतान किया जाना है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) राज्य सरकार को उन व्यक्तियों के नाम देने के लिए कहा गया है जो विस्थापित नीति पर आधारित रोजगार के लिए पात्र है।

दूरदर्शन केन्द्र, जलपाईगुड़ी का उन्नयन

2567. श्रीमती मिनाती सेन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दूरदर्शन केन्द्र, जलपाईगुड़ी 'किसान' कार्यक्रम को सप्ताह में पांच दिन केवल 30 मिनट के अल्प समय के लिए प्रसारित कर रहा है;

(ख) क्या संबंधित मंत्रालय को यह जानकारी है कि उक्त केन्द्र को बहुभाषी, बहु सांस्कृतिक, बहुजातीय लोगों वाले उत्तरी बंगाल के लोगों की मूल आवश्यकता के लिए खोला गया है; और

(ग) यदि हां, तो सीमावर्ती जिलों के मद्देनजर "दैनिक समाचार" और अन्य कार्यक्रमों को प्रसारित करने के उद्देश्य से इस दूरदर्शन केन्द्र को पूर्ण विकसित केन्द्र के रूप में उन्नयन न करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) जलपाईगुड़ी एक कार्यक्रम निर्माण केन्द्र है और यह दूरदर्शन कोलकाता के कार्यक्रमों को रिले करता है और यह 'किसान' कार्यक्रम जो कृषि मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित स्थानीय किसानों के विकास हेतु कार्यक्रम है, को प्रसारित करता है।

(ग) दूरदर्शन की मौजूदा आधारभूत संरचना का विस्तार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्कीमों और उनके कार्य निष्पादन के लिए उपलब्ध करायी जा रही धनराशि पर निर्भर करता है। दूरदर्शन केन्द्र जलपाईगुड़ी पर सुविधाओं का कोई तत्काल विस्तार विचाराधीन नहीं है।

केबल मूल्य नियंत्रित करना

2568. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री पवन कुमार बंसल:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 2003 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा केबल मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए जारी किये गये आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये आदेश अब भी लागू हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इनमें क्या परिवर्तन किये गये हैं और इसके लिए वर्तमान मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केबल आपरेटरों ने केबल मूल्यों में चालीस/पचास प्रतिशत की वृद्धि कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है; और

(च) केबल आपरेटरों के कार्यकरण को सुचारू बनाने तथा इनके एकाधिकार और दबाव डालने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने वर्ष 2004 के दौरान निम्नलिखित प्रशुल्क आदेश जारी किए हैं:-

क्र.सं.	आदेशों का ब्यौरा	जारी करने की तारीख
1.	दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं प्रशुल्क आदेश, 2004	15.01.2004
2.	दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) प्रशुल्क (प्रथम संशोधन) आदेश, 2004	10.03.2004
3.	दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) प्रशुल्क आदेश, 2004	1.10.2004
4.	दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) प्रशुल्क (प्रथम संशोधन) आदेश, 2004	26.10.2004
5.	दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2004	1.12.2004

(ख) और (ग) दिनांक 1 अक्तूबर, 2004 का दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (द्वितीय) प्रशुल्क आदेश और इसमें किए गए संशोधन प्रवृत्त हैं। दिनांक 15 जनवरी, 2005 का दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा प्रशुल्क आदेश, 2004 और इसमें किए संशोधन को दिनांक 1 अक्तूबर, 2004 के दूरसंचार (प्रसार एवं केबल) सेवा (द्वितीय) प्रशुल्क आदेश, 2004 द्वारा रद्द कर दिया गया था तथा केबल उपभोक्ताओं द्वारा केबल आपरेटरों आदि को देय प्रभारों की अधिकतम सीमा को दिनांक 1.1.2005 से 7 प्रतिशत से बढ़ाने की अनुमति दी गयी है ताकि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम किया जा सके। नए चैनलों के लिए विशेष शुल्क प्रभारित किया जा सकता है। फ्री-टू-एयर चैनलों को पे चैनलों में बदला जा सकता है।

(घ) से (च) उपभोक्ताओं से केबल प्रभारों में वृद्धि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर कानून के अंतर्गत उपयुक्त

कार्रवाई की जाएगी। तथापि, उपभोक्ता अपनी शिकायतों/विवादों के निदान के लिए उपभोक्ता न्यायालयों अथवा दूरसंचार (विवाद एवं निपटारा) अपीलीय न्यायाधिकरण में जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

विदेशी एयरलाइन्स को पारस्परिक यातायात अधिकार

2569. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन सी विदेशी एयरलाइन्स को भारत में यातायात अधिकार प्राप्त हैं;

(ख) कौन-कौन सी विदेशी एयरलाइन्स यात्रा अधिकारी के बिना भारत से होकर गुजरती है;

(ग) क्या एअर इंडिया अथवा इंडियन एयरलाइन्स को विदेशी एयरलाइन्स वाले देशों में पारस्परिक अधिकार प्रदान किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) भारत अब तक 100 देशों के साथ हवाई सेवा समझौते कर चुका है। इन देशों द्वारा नामित एयरलाइनें भारत से/को प्रचालनों के लिए ट्रैफिक अधिकारों का लाभ प्राप्त कर रही हैं। इस समय 60 विदेशी एयरलाइनें भारत से होकर/को प्रचालन कर रही हैं।

(ख) फिन एयर ही एक ऐसी विदेशी एयरलाइन है जो कि बिना कोई ट्रैफिक अधिकार प्राप्त किए भारत से पारगमन करती है।

(ग) से (ङ) बाहर के देशों को प्रदत्त सभी यातायात अधिकार पारस्परिक आधार पर हमारे नामित विमान कम्पनियों के पास भी हैं।

बीदर और गुलबर्गा के बीच नयी रेल लाइन

2570. श्री नरसिंगराव हु. सूर्यवंशी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक राज्य में बीदर और गुलबर्गा के बीच नयी रेल लाइन बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसे कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(घ) इस राशि में से अभी तक प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) और (ङ) बीदर से गुलबर्गा (140 कि.मी.) तक नई लाइन को इस शर्त के साथ वर्ष 1997-98 के बजट (पूरक) में शामिल किया गया था कि अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने, जो वर्ष 1998-99 में प्राप्त की गई थी, के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। वर्ष 2004-05 के बजट के दौरान इस कार्य के लिए 10 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत 369.70 करोड़ रु. है। नई लाइन का कार्य पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आगामी वर्षों में संशोधनों की उपलब्धता के आधार पर इस कार्य को पूरा किया जाएगा।

(घ) 31.03.2004 तक इस परियोजना पर 20.01 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

इलैक्ट्रानिक्स और मकैनिकल इंजीनियर्स (ई.एम.ई.) कैंप पर आतंकवादी हमला

2571. श्री पवन कुमार बंसल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई, 2003 में जम्मू के निकट टांडा में इलैक्ट्रानिक्स और मकैनिकल इंजीनियर्स (ई.एम.ई.) कैंप के सैनिकों पर हुए आतंकवादी हमले की जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्रिगेडियर वी.के. गोविल शुरू में इस हमले से बच गए थे लेकिन अत्यधिक खून बहने से उनकी मौत हो गई जिसका कारण स्थिति का अपर्याप्त प्रबंधन था;

(घ) क्या दिवंगत ब्रिगेडियर की माता को अपने पुत्र के शव को देखने के लिए जम्मू जाने की सुविधा तक प्रदान नहीं की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जांच कार्य पूरा हो गया है तथा दोषी सैन्य कार्मिकों के विरुद्ध समुचित अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की गई है।

(ग) जी, नहीं। कोई अव्यवस्था नहीं थी।

(घ) ब्रिगेडियर वी.के. गोविल की माता जी को उनके पुत्र का शव देखने हेतु जम्मू जाने की अनुमति देने से कभी इन्कार नहीं किया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र विमानपत्तन विकास कंपनी (एम.ए.डी.सी.) की स्थापना

2572. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के माध्यम से महाराष्ट्र विमानपत्तन विकास कंपनी नामक एक विशेष प्रयोजन कंपनी गठित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से महाराष्ट्र में मौजूदा विमानपत्तनों की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की परिसम्पत्तियों को महाराष्ट्र विमानपत्तन विकास कंपनी को हस्तांतरित करने का भी अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कदम उठाये हैं और इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) नागपुर में एक मल्टी माडल अन्तर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो हब हवाईअड्डे का विकास करने के प्रयोजन से महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहले ही महाराष्ट्र हवाईअड्डा विकास कम्पनी के नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस पीवी) का गठन किया जा चुका है।

(ग) से (ङ) जी, हां। नागर विमानन मंत्रालय के परामर्श पर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा नागपुर में यथोचित रूप से हवाईअड्डा आधारित संरचना का गहन अध्ययन किया गया था तथा दिनांक 26 अक्तूबर, 2004 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

अवेरी में सैन्य छावनी की स्थापना

2573. **श्रीमती प्रतिभा सिंह:**
श्री सुरेश चन्देल:

क्या **रक्षा मंत्री** अवेरी में सैन्य छावनी की स्थापना के बारे में 4.12.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 386 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश के कुल्लु जिले के अवेरी में किस तिथि को नए सैन्य स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया गया था;

(ख) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कब से चल रही है;

(ग) अधिग्रहण कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) किस तिथि को अधिग्रहित भूमि पर कई स्थानों पर स्थित राज्य सरकार की 261 बीघा और 16 विस्वा भूमि के हस्तांतरण का मामला राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया था और इस मामले की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ङ) अधिग्रहित भूमि वाले क्षेत्रों में सेना स्टेशन की स्थापना में कितनी प्रगति की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) अवेरी में सैन्य स्टेशन की स्थापना के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु सरकार की मंजूरी दिनांक 2.7.1991 को जारी की गई थी।

(ख) अधिग्रहण की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई।

(ग) निजी भूमि के अधिग्रहण का कार्य 1998 में पूरा कर लिया गया है।

(घ) राज्य सरकार की 261 बीघा, 16 विस्वा भूमि के हस्तांतरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए, वर्ष 2002 के मध्य में राज्य सरकार से संपर्क किया गया था। भूमि के हस्तांतरण के प्रति राज्य सरकार को 1,47,54,150 रुपए की धनराशि अदा की जानी है।

(ङ) सैन्य स्टेशन, अवेरी के लिए जोनल प्लान स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया जा रहा है। अवसंरचना संबंधी निम्नलिखित कार्य मंजूरी तथा निष्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत हैं:-

(1) 165 लाख रुपए की लागत से एचटी (हाई टेंशन) लाइन का पुन: संरेखण; और

(2) 222 लाख रुपए की लागत से फिल्टर संयंत्र लगाना तथा जल आपूर्ति में वृद्धि करना।

[अनुवाद]

सबरी रेल का त्रिवेन्द्रम तक विस्तार

2574. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंगमाली से प्रस्तावित सबरी रेल के कार्य के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शुरू किये गए कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार को राज्य सरकार से सबरी रेल त्रिवेन्द्रम बरास्ता पुनालूर और नेदमंगढ़ तक विस्तार करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) अंगमाली से सावरीमाला तक नई रेल लाइन का निर्माण एक स्वीकृत परियोजना है। राज्य सरकार और केरल की विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2001-04) की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए इस लाइन को आरक्षित वन क्षेत्र से पहले अजूया में ही समाप्त करने का विनिश्चय किया गया है। इस परियोजना की प्रत्याशित लागत 550 करोड़ रुपये है और वर्ष 2004-05 के दौरान इस कार्य के लिए 2 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के साथ इस मामले में बातचीत की जा रही है। अभी तक रेलवे को भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

बुकस्टाल का ठेका

2575. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने दिनांक 27 जनवरी, 1969 के पत्र संख्या 68 टी जी III/461/10/सीएआईआईआई और यातायात वाणिज्यिक संहिता के पैरा 741 के अनुसार, बुक स्टाल का ठेका बेरोजगार स्नातकों और समाज के कमजोर वर्गों को आवेदन आमंत्रित करके किया जाएगा न कि निविदाएं आमंत्रित करके; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जोनल रेलवे में बेरोजगार स्नातकों के पास बुक स्टालों का मंडल-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) यातायात (वाणिज्यिक) विभाग संबंधी भारतीय रेल संहिता के पैरा 738 (न कि 741) में उल्लिखित है "रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों और पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि की बिक्री के लिए लाइसेंस आवेदन पत्र आमंत्रित करके दिए जाने चाहिए न कि निविदाएं आमंत्रित करके बुक स्टाल का ठेका प्रदान करते समय उन फर्मों जो पहले से पुस्तक बिक्री के व्यवसाय में हैं, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वे नई फर्मों की अपेक्षा बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में होगी"।

उक्त पैरा में समाज के कमजोर वर्गों सहित बेरोजगार स्नातक शब्द नहीं है। बहरहाल, रेलों पर बेरोजगार स्नातकों, उनकी सहकारी समितियों, भागीदारी उद्यमों, एसोसिएशनों आदि को बुक स्टाल लाइसेंस प्रदान किए गए थे और 'बी' 'सी' 'डी' 'ई' और 'एफ' कोटि के स्टेशनों पर बेरोजगार स्नातकों, उनकी सहकारी समितियों, उनके संगठनों, भागीदार उद्यमों आदि को बुक स्टाल लाइसेंस आबंटित करने के लिए संशोधित बुक स्टाल नीति शब्द में भी प्रावधान मौजूद है।

(ख) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर बेरोजगार स्नातकों के पास जो बुक स्टाल हैं, उनका मंडलवार ब्यौर संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बेरोजगार स्नातकों द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे (मंडलवार) पर धारित बुक स्टालों की संख्या

क्र.सं.	रेलवे	मंडल	बुक स्टालों की संख्या
1	2	3	4
1.	मध्य	भुसावल	4
		नागपुर	3
		मुम्बई सी एस टी	21
		सोलापुर	–
		पुणे	–
		कुल	28
2.	पूर्व	मालदा	04
		हावड़ा	16
		सियालदह	26
		आसनसोल	06
		कुल	52
3.	पूर्व मध्य	दानापुर	12
		धनबाद	14
		सोनपुर	01
		मुगलसराय	01
		समस्तीपुर	22
		कुल	50
4.	पूर्व तटीय	खुर्दा रोड	2
		वाल्टेयर	–
		सम्बलपुर	01
		कुल	03
5.	उत्तर	अंबाला	15
		फिरोजपुर	11
		लखनऊ	05
		मुरादाबाद	04
		दिल्ली	26
		कुल	61
6.	पूर्वोत्तर सीमा	कटिहार	01
		लंबडिंग	–
		तिनसुकिया	01
		अलीपुरद्वार	01
		रंगिया	01
		कुल	04
7.	पूर्वोत्तर	लखनऊ	20
		वाराणसी	19
		इज्जतनगर	10
		कुल	49
8.	उत्तर मध्य	इलाहाबाद	06
		झांसी	07
		आगरा	01
		कुल	14
9.	उत्तर पश्चिम	बीकानेर	01
		जोधपुर	03
		जयपुर	04
		अजमेर	02
		कुल	10
10.	दक्षिण	चेन्नै	14
		मदुरै	03
		पालघाट	03
		तिरूचिरापल्ली	02
		त्रिवेन्द्रम	10
		कुल	32

1	2	3	4
11.	दक्षिण मध्य	सिकन्दराबाद	06
		हैदराबाद	01
		गुंतकल	07
		विजयवाडा	05
		गुंटूर	03
		नांदेड	03
		कुल	25
12.	दक्षिण पूर्व	खड़गपुर	03
		चक्रधरपुर	–
		आर्द्रा	03
		रांची	–
		कुल	06
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	नागपुर	05
		बिलासपुर	10
		रायपुर	02
		कुल	17
14.	दक्षिण पश्चिम	बंगलौर	–
		मैसूर	07
		हुबली	10
		कुल	17
15.	पश्चिम	भावनगर	01
		मुम्बई सेंट्रल	02
		रतलाम	03
		राजकोट	02
		अहमदाबाद	–
		वडोदरा	–
		कुल	08
16.	पश्चिम मध्य	जबलपुर	03
		भोपाल	06
		कोटा	04
		कुल	13

पंचायतों के लिए कम धनराशि का आबंटन

2576. श्री जोवाकिम बखला:
श्री रमेन बर्मन:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मंत्रालय के वृहत् अधिकार क्षेत्र के मद्देनजर मंत्रालय के लिए 20 करोड़ रु. की धनराशि के आवंटन से संतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा योजना आयोग से अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल राज्य के लिए वर्तमान बजट में कितनी धनराशि का आबंटन किया है;

(घ) सरकार देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से इतनी अल्प धनराशि से संविधान के भाग नौ का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पंचायती राज मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए 30.60 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। यह धनराशि इस बात को ध्यान में रखते हुए आबंटित की गई है कि यह मंत्रालय हाल ही में बनाया गया है और इसे पूरी तरह कार्य करने में कुछ समय लगेगा। पद आदि सृजित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अगले वर्ष के लिए अधिक आबंटन का अनुरोध किया गया है।

(ख) अगले वित्तीय वर्ष के लिए निधियां बढ़ाने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया गया है।

(ग) पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर निधियां रिलीज की जाती हैं। पश्चिम बंगाल से प्राप्त एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) पंचायती राज राज्य का विषय है। पंचायती राज मंत्रालय संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन में सहायता देने और इसकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य पंचायती राज अधिनियम, अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप ही है और इसका अक्षरश: क्रियान्वयन किया जा रहा है। ''पंचायती राज के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण समृद्धि'' विषय पर मुख्यमंत्रियों और राज्यों के ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 29-30 जून, 2004 को आयोजित किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज से संबंधित संविधान के भाग-IX तथा IX ''क'' के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को विचार-विमर्श के लिए रखा गया था। सम्मेलन में सात गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। छह गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें पंचायती राज के 18 तय विषयों में से 16 विषयों पर चर्चा की गई। शेष दो विषयों पर जयपुर में 17-19 दिसम्बर, 2004 को आयोजित होने वाले सातवें गोलमेज सम्मेलन में चर्चा की जाएगी।

धूबरी और फकीराग्राम के बीच रेल लाइन

2577. श्री अनवर हुसैन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धूबरी और फकीराग्राम के बीच रेल सेवा बंद कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार लाइनों का निर्माण करती है और इसे मीटर लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कार्य करती है; और

(घ) यदि हां, तो रेलगाड़ी को पुन: चलाने के कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) फकीराग्राम धूबरी खंड पर मीटर लाइन रेलगाड़ियों का चालन 9.8.2000 से खराब कानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर निलंबित कर दिया गया था। फकीराग्राम-सपथग्राम पर रेलगाड़ी सेवाएं 23.11.2002 से पुन: शुरू की गई थीं। बहरहाल, यह खंड न्यू जलपाईगुड़ी-समुकतला मार्ग पर आमान परिवर्तन के कारण 27.10.2003 से अन्तत: बन्द कर दिया गया है।

(ग) और (घ) फकीराग्राम-धूबरी खंड पर आमान परिवर्तन का कार्य हाथ में लिया गया है और इसे आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

पशु कंकालों की मौजूदगी

2578. श्री सुरेश कलमाडी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना के कई विमान रक्षा विमानपत्तनों के निकट पशु कंकालों की नियमित मौजूदगी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना है;

(ख) सरकार ने इस संबंध में कौन-कौन से निवारक उपाय किए हैं;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय को इस समस्या पर काबू पाने के लिए कुछ धनराशि आबंटित की थी;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस धनराशि, यदि कोई है, का उपयोग न करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) रक्षा एयरफील्डों के आस-पास पशु-कंकालों की मौजूदगी से पक्षी आकर्षित होते हैं, जो विमानों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। कुछ विमान दुर्घटनाएं पक्षियों के टकराने से होती हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय वायुसेना का कोई भी विमान पक्षी के टकराने से दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है।

(ख) भारतीय वायुसेना से एयरफील्ड के आस-पास पक्षियों का आना-जाना रोकने के लिए कतिपय निवारक उपाय किए हैं। इन उपायों में, पक्षियों के कारण पेश आने वाले जोखिम का मुकाबला करने के लिए दलों की तैनाती, एयरफील्ड सुरक्षा क्षेत्र में वनस्पति की सफाई, पक्षियों को डराने वाले उपकरण लगाना तथा दस प्रमुख वायुसेना बेसों के आस-पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों की स्थापना करना शामिल हैं।

(ग) से (ङ) पक्षी-रोधी उपायों, जिनमें अन्य के साथ-साथ पशु कंकालों का प्रबंधन शामिल है, के लिए धनराशि आबंटित की

गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि इस प्रकार है:-

वित्त वर्ष	आबंटित धनराशि
2001-02	385.00 लाख रुपए
2002-03	395.00 लाख रुपए
2003-04	471.91 लाख रुपए

आबंटित धनराशि का पूर्णतया उपयोग किया गया था।

सैनिक विद्यालय खोलना

2579. श्री पी.सी. थामस:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री सुरेश कलमाडी:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राज्यवार कितने सैनिक विद्यालय हैं और ये कहां-कहां हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में और सैनिक विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो इनके लिए राज्यवार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(घ) इन विद्यालयों को कब तक खोला जाएगा;

(ङ) क्या सैनिक विद्यालयों में अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थियों को इन विद्यालयों द्वारा फीस में अत्यधिक वृद्धि के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पड़ी है;

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(छ) क्या सैनिक विद्यालयों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है ताकि वे शैक्षिक और अन्य कार्यकलापों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) रक्षा मंत्रालय के तहत देश में बीस सैनिक स्कूल चलाए जा रहे हैं। उनकी राज्य-वार अवस्थिति संलग्न विवरण में है।

(ख) मिजोरम में एक सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है।

(ग) मिजोरम में छिंगछिप।

(घ) किसी सैनिक स्कूल को खोलने के लिए समय-सीमा, रक्षा मंत्रालय से मामले की मंजूरी के बाद सैनिक स्कूल सोसायटी के नियमों तथा विनियमों के अनुसार अपेक्षित निधियां उपलब्ध करवाए जाने की पुष्टि के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा आवश्यक ढांचा तथा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने पर निर्भर करती है।

(ङ) 1999-2000 में फीस में हुई वृद्धि के कारण प्रारंभ में कुछ विद्यार्थियों द्वारा अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की प्रवृत्ति थी।

(च) फीस तथा आहार प्रभारों में आर्थिक सहायता देने के लिए सैनिक स्कूलों को 10.54 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान दिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक कैडेट प्रतिवर्ष लगभग 9,500/- रु. की सीमा तक फीस में सहायिकी प्राप्त करता है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और सशस्त्र सेनाओं के तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले लड़के कक्षा XI और XII में भुगतान की गई अपनी फीस की पूरी वापसी भी प्राप्त करते हैं।

(छ) जी हां।

(ज) कैडेटों की अकादमिक, शारीरिक तथा मानसिक दक्षता के लिए सैनिक स्कूलों को पर्याप्त अवसंरचनाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। योग्य संकाय, खेलों पर बल, साहसिक क्रियाकलाप और राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रशिक्षण में भाग लेना, कैडेटों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	सैनिक स्कूल की अवस्थिति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	कोरूकोण्डा
2.	असम	गोलपाड़ा
3.	बिहार	गोपालगंज
4.	बिहार	नालंदा
5.	गुजरात	बालचड़ी
6.	हरियाणा	कुंजपुरा

1	2	3
7.	हिमाचल प्रदेश	सुजानपुरा टीरा
8.	जम्मू-कश्मीर	नगरोटा
9.	झारखंड	तिलैया
10.	कर्नाटक	बीजापुर
11.	केरल	कजाकोटम
12.	मध्य प्रदेश	रीवा
13.	महाराष्ट्र	सतारा
14.	मणिपुर	इम्फाल
15.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
16.	पंजाब	कपूरथला
17.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़
18.	तमिलनाडु	अमरावती नगर
19.	उत्तरांचल	घोड़ाखाल
20.	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया

अतिरिक्त कलपुर्जों का स्टाक

2580. श्री बी. विनोद कुमार: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा गोदामों में करोड़ों रुपए के अतिरिक्त कलपुर्जे जमा हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अतिरिक्त कलपुर्जों, उनके मूल्य और उनके उत्पादन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अतिरिक्त कलपुर्जों की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त की गई है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि नए कलपुर्जों के आर्डर देने से पहले अतिरिक्त कलपुर्जों के स्टाक का इस्तेमाल किया जाए?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) रक्षा गोदामों में करोड़ों रुपए के अतिरिक्त हिस्से-पुर्जे जमा नहीं हैं।

मुख्य उपस्कर के लिए अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की अधिप्राप्ति, प्रत्येक उपस्कर के लिए विनिर्माता द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की सूची और रक्षा सेवाओं की विशेषज्ञ एजेंसियों अर्थात् वैद्युत एवं अभियांत्रिकी इंजीनियर कोर तथा महानिदेशक गुणता आश्वासन द्वारा नियत मापदण्ड के अनुसार की जाती है। स्टाक में रखे अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की मात्रा संपूर्ण मरम्मत (ओवरहाल) और सामान्य रख-रखाव की वार्षिक आवश्यकता पर निर्भर करती है। यह युद्ध और विशेष संक्रियाओं जैसी आकस्मिकताओं की भी पूर्ति करती है। स्टाक में रखे अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों के सही-सही मूल्य का हिसाब नहीं लगाया जा सकता क्योंकि खपत के कारण स्थिति निरंतर बदलती रहती है। अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों का स्रोत स्वदेशी और आयात दोनों ही होता है।

स्टाक में रखे ये अतिरिक्त हिस्से-पुर्जे बिक्री के लिए नहीं होते अपितु रक्षा बलों को आवश्यकतानुसार जारी किए जाने के लिए होते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक अतिरिक्त हिस्से-पुर्जे जमा न किए जाएं, वार्षिक सामग्री समीक्षा की जाती है, जिसमें अपशिष्ट के पैटर्न का हिसाब-किताब लगाया जाता है और केवल ऐसे अतिरिक्त हिस्से-पुर्जे की अधिप्राप्ति की जाती है, जिनकी वर्ष के दौरान आवश्यकता हो।

अलाभकारी उद्देश्यों के लिए खर्च की गयी धनराशि

2581. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तेल कंपनियां वाणिज्यिक महत्व न रखने वाले अलाभकारी उद्देश्यों जैसे कि मेले, सरकारी कार्यालयों का पुनरुद्धार, खेल इत्यादि पर धनराशि खर्च कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन गतिविधियों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी और इसका पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) क्या सरकार का विचार तेल कंपनियों की अर्थव्यवस्था और कार्यनिष्पादन को अधिकतम स्तर पर सुनिश्चित करने का है ताकि आम आदमी को तेल कंपनियों की फिजलूखर्ची का दंड भोगना न पड़े?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) तेल कंपनियों ने अनुत्पादक प्रयोजनों पर कोई खर्च नहीं किया है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों (पी एस यूज) ने अपने नैगम

सामाजिक उत्तरदायित्वों के लिए मेलों, खेलकूद पर अपनी नैगम छवि में सुधार करने के लिए मामूली राशि खर्च की है। तेल क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सामान्यतया अपने करोपरांत लाभ का 0.75% नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च करते हैं। चूंकि पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण लागत जमा लाभ आधार पर नहीं होता, अत: पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों पर इन गतिविधियों का प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) सरकार द्वारा मितव्ययिता, सादगी उपायों पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जिनका सभी तेल पी एस यूज द्वारा अनुसरण करना अपेक्षित है। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ विदेश यात्रा, गोष्ठियां, सेमीनार, कार्यशालाओं पर प्रतिबंध, नए वाहनों की खरीद पर रोक, ऋणों का समय पर भुगतान, पी ओ एल और यात्रा आदि पर 10 प्रतिशत की कटौती शामिल है।

विदेशों में प्रशिक्षण हेतु भेजे गए व्यक्ति

2582. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपने अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक, प्रबंध, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ख्याति प्राप्त विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए राजकोष और प्रायोजन के बल पर भेजता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से विदेशों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लोगों सहित वर्षवार कितने व्यक्ति विदेश भेजे गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है-

वर्ष	अधिकारियों की संख्या	
	सामान्य	अ.जा./अ.ज.जा.
2001	2	शून्य
2002	1	1
2003	1	शून्य

पश्चिम बंगाल के प्रस्ताव

2583. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने मंत्रालय को दुर्गापुर में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की बंद पड़ी एम ए एम सी इकाई की विद्यमान अवसंरचना से बी एच ई एल की एक इकाई की स्थापना करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने लघु और मझौली औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की बंद इकाई की भूमि के हस्तांतरण/उसकी उपलब्धता के लिए भी प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत तथ्य क्या हैं और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रस्ताव की जांच की गयी, परन्तु इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

रेल बजट घोषणा का कार्यान्वयन

2584. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के रेलवे बजट में कितनी रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की गयी थीं;

(ख) क्या रेलवे बजट में घोषित सभी रेलगाड़ियां चला दी गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक चलाये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) रेल बजट 2003-2004 में घोषणा की गई सभी गाड़ियां चला दी गई हैं और इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	गाड़ी नं.	से	तक	नाम-प्रकृति
1	2	3	4	5
1.	1469/1470	जबलपुर	कोटा	एक्सप्रेस
2.	2159/2160	जबलपुर	नागपुर	एक्सप्रेस
3.	8415/8416	भुवनेश्वर	यशवंतपुर	एक्सप्रेस
4.	8103/8104	टाटानगर	अमृतसर	एक्सप्रेस
5.	7035/7036	सिकंदराबाद	सिरपुरकागजनगर	एक्सप्रेस
6.	6607/6608	चेन्नै एग्मोर	ईरोड	एक्सप्रेस
7.	6021/6022	चेन्नै	बेंगलौर	एक्सप्रेस
8.	2131/2132	पुणे	नागपुर	एक्सप्रेस
9.	1037/1038	पुणे	पटना	एक्सप्रेस
10.	2427/2428	रेवा	नई दिल्ली	एक्सप्रेस
11.	2705/2706	विजयवाड़ा	सिकंदराबाद	एक्सप्रेस
12.	7037/7038	बीकानेर	सिकंदराबाद	एक्सप्रेस
13.	6033/6034	चेन्नै	देहरादून/चंडीगढ़	एक्सप्रेस
14.	6311/6312	त्रिवेन्द्रम	जोधपुर	एक्सप्रेस
15.	1049/1050	बेंगलौर	लोकमान्य तिलक (टी)	एक्सप्रेस
16.	2811/2812	रांची	लोकमान्य तिलक (टी)	एक्सप्रेस
17.	8613/8614	हटिया	यशवंतपुर	एक्सप्रेस
18.	9679/9680	अजमेर	मुंबई सैंट्रल	एक्सप्रेस
19.	8201/8202	दुर्ग	गोरखपुर	एक्सप्रेस
20.	3503/3504	सियालदह	आसनटोल	एक्सप्रेस
21.	5635/5636	ओखा	गुवाहाटी	एक्सप्रेस
22.	5933/5934	डिबरूगढ़	अमृतसर	एक्सप्रेस
23.	2107/2108	लखनऊ	लोकमान्य तिलक (टी)	एक्सप्रेस
24.	4201/4202	लखनऊ	आगरा केंट/मथुरा	एक्सप्रेस
25.	5639/5640	पुरी	गुवाहाटी	एक्सप्रेस
26.	7311/7312	वास्को	चेन्नै	एक्सप्रेस
27.	9035/9036	सूरत	बांद्रा एक्सप्रेस	एक्सप्रेस

1	2	3	4	5
28.	5637/5638	गुवाहाटी	सिकंदराबाद	एक्सप्रेस
29.	3105/3106	बलिया	सियालदह	एक्सप्रेस
30.	9317/9318	इंदौर	नागपुर	एक्सप्रेस
31.	5227/5228	मुजफ्फरपुर	यशवंतपुर	एक्सप्रेस
32.	7203/7204	बिजयवाड़ा	लोकमान्य तिलक (टी)	एक्सप्रेस
33.	2985/2986	सियालदह	जयपुर	एक्सप्रेस
34.	8305/8306	सम्बलपुर	रायपुर	एक्सप्रेस
35.	4115/4116	इलाहाबाद	हरिद्वार	एक्सप्रेस
36.	5741/5742	अलीपुरद्वार	सिलीगड़ी	एक्सप्रेस
37.	4025/4026	आजमगढ़	दिल्ली	एक्सप्रेस
38.	9765/9766	जयपुर	उदयपुर	एक्सप्रेस
39.	2397/2398	गया	नई दिल्ली	एक्सप्रेस
40.	5531/5532	जयनगर	नरकटियागंज	एक्सप्रेस
41.	3349/3350	अहमदाबाद	धनबाद	एक्सप्रेस
42.	913/914	तिनसुकिया	मरियानी	यात्री
43.	409A/410A	चिरमिरी	रेवा	यात्री
44.	625/626	अलीपुरद्वार	न्यू जलपाईगुड़ी	यात्री
45.	573/574	सेलेम	यशवंतपुर	यात्री
46.	623/624	न्यू जलपाईगुड़ी	सिलीगड़ी	यात्री
47.	2649/2650	यशवंतपुर	निजामुद्दीन	एक्सप्रेस
48.	3027/3028	वाराणसी	हावड़ा	एक्सप्रेस
49.	9909/9910	भावनगर	अहमदाबाद	एक्सप्रेस
50.	9271/9272	भावनगर	बांद्रा	एक्सप्रेस
51.	447/448	भोजूडीह	चन्द्रापुर	एम ई एम यू
52.	451/452	भोजूडीह	भागा	एम ई एम यू
53.	761/762	विरार	दहानू रोड	एम ई एम यू
54.	453/454	आद्रा	भागा	एम ई एम यू
55.	479/480	आद्रा	मिदनापुर	एम ई एम यू

1	2	3	4	5
56.	477/478	आद्रा	पुरूलिया	एम ई एम यू
57.	473/474	बिष्णुपुर	आद्रा	एम ई एम यू
58.	475/476	आद्रा	भोजूडीह	एम ई एम यू
59.	555/556	मोकामा	पटना	एम ई एम यू
60.	411/412	पेंडरा रोड	बिलासपुर	एम ई एम यू
61.	561/562	पटना	बक्सर	एम ई एम यू
62.	229/230	जोनपुर	औडिहाट	डी एम यू
63.	231/232	जोनपुर	औडिहाट	डी एम यू
64.	233/234	जोनपुर	औडिहाट	डी एम यू

राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल समपार

2585. श्री अशोक कुमार रावत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों विशेषकर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने रेलवे समपार हैं;

(ख) क्या सरकार ने राजमार्गों पर अधिक संख्या में अंडर/ओवर ब्रिज बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) देश के विभिन्न भागों में 572 समपार हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं जिसमें से 68 समपार उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं।

(ख) और (ग) मौजूदा नियमों के अनुसार ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण रेलवे, राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर उन व्यस्त समपारों के स्थान पर करती हैं जहां गाड़ी वाहन इकाइंया (टीवीयू) 1 लाख से अधिक होती है बशर्ते कि राज्य सरकार लागत में भागीदारी के प्रस्ताव को प्रायोजित करने पर सहमति प्रदान करे और ऊपरी/निचले सड़क पुल (आरओबी/आरयूबी) के शुरू होने पर समपार बंद करना, भूमि अधिग्रहण हेतु अग्रिम में कार्रवाई करना, कार्य को क्रमश: राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण की वार्षिक योजना में शामिल करना, पहुंच मार्गों पर भी साथ-साथ कार्य शुरू करने जैसी अन्य शर्तों को स्वीकार करें। उन समपारों पर जहां यातायात घनत्व 1 लाख टीवीयू से कम है वहां ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण निक्षेप शर्तों पर किया जाता है जिसमें प्रायोजित प्राधिकरण द्वारा पूरी लागत वहन की जाती है.

राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित 104 समपारों को ऊपरी/निचले सड़क पुलों में बदलने का कार्य लागत भागीदारी/निक्षेप/बोट (निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण) के आधार पर स्वीकृत किया गया है।

[हिन्दी]

नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाना

2586. श्री अनंत नायक:
श्री हंसराज जी. अहीर:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री जुएल ओराम:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाने के कार्य का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बाड़ लगाने के कार्य की प्रगति पर पाकिस्तानी विरोध का कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) अब तक कितने मील नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगा दी गई है;

(ङ) बाड़ लगाने के शेष कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(च) इससे घुसपैठ रोकने में कितनी मदद मिलेगी?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) पाकिस्तान, समय-समय पर यह दावा करता रहा है कि भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण-रेखा पर बाड़ लगाए जाने की कार्रवाई कुछ द्विपक्षीय करारों का उल्लंघन है।

तथापि, भारत सरकार ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया है कि बाड़ लगाए जाने की कार्रवाई शिमला समझौते अथवा नियंत्रण-रेखा के चिह्नांकन संबंधी दिसंबर 1972 के समझौते का उल्लंघन नही है। वस्तुत: यह एक संक्रियात्मक आवश्यकता थी और पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से प्रायोजित घुसपैठ तथा आतंकवाद के कारण भारत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण-रेखा पर बाड़ लगाने का कार्य शुरू करने के लिए विवश हो गया था।

(ग) से (ङ) कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण-रेखा पर कुल 734 कि. मी. बाड़ लगाई गई है। बाड़ लगाने का कार्य 30 सितंबर, 2004 को पूरा हो गया था।

(च) इस बाड़ ने, घुसपैठ करने/वापस जाने का प्रयास करने वाले आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें रोकने की सेना की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है यह आतंकवादियों के विरुद्ध प्रभावी निवारण कार्य कर रही है।

लदाई हेतु माल डिब्बों की उपलब्धता

2587. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक महीने से अधिक समय से मालडिब्बों की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली में बिहार और असम में हाल ही में ही आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए दान के रूप में एकत्र की गई गेहूं की विशाल मात्रा की लदाई हेतु प्रतीक्षा करनी पड़ी और संदूषित हो गई;

(ख) यदि हां, तो गेहूं और राहत सामग्री की लदाई और ढुलाई में असाधारण विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) कितने मूल्य का गेहूं और अनाज संदूषित हो गया; और

(घ) इसमें कितना नुकसान हुआ और राहत सामग्री की ढुलाई में वास्तव में कितना विलंब हुआ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं.

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता.

हड़ताल के कारण प्रभावित हवाई उड़ान

2588. श्री अशोक अर्गल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया कर्मचारी यूनियन तथा एअर इंडिया सर्विस इंजीनियर एसोशिएशन 19 नवम्बर, 2004 की शाम को सांकेतिक हड़ताल पर चले गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस सांकेतिक हड़ताल के क्या कारण हैं और इसके कारण मुम्बई, दिल्ली तथा अन्य महानगरों में कितनी एअर इंडिया तथा अन्य कैरियर उड़ानों के आगमन और प्रस्थान पर प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या इस मुद्दे को प्रबंधन/नागर विमानन मंत्री द्वारा अब सुलझा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पंचायतों को सीधे निधियों का हस्तांतरण

2589. श्री तथागत सत्पथी:
श्री रायापति सांबसिवा राव:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय धनराशि को सीधे ही पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) को अंतिम रुप से हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय प्रधान मंत्री द्वारा मुख्य मंत्रियों को दिए गए भाषण के बाद लिया गया है कि देश में गरीबी उम्मूलन के लिए पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पंचायतों को सीधे ही वित्तपोषित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार बिना बिलम्ब और विपथन के पंचायतों को कड़ी निगरानी द्वारा निधियों को अंतरण, राज्य पर सरकारों के परमर्श से विचार किया जा रहा है और पंचायती राज के विभिन्न आयामों पर विचार करने के लिए, आयोजित किए जा रहे गोल मेज सम्मेलनों में पंचायती राज मंत्रियों के इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई है।

सेंसर बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित फिल्में

2590. **श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक साल के दौरान आज तक सेंसर बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित फिल्मों तथा वृत्तचित्रों के राज्य-वार नाम तथा संख्या कितनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फिल्मों तथा वृत्तचित्रों से निर्माताओं, निर्देशकों ने इस कदम का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड चलचित्रको अधिनियम, 1952 के अनुसार फिल्मों को प्रमाणित करता है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को किसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु अधिक धनराशि का आवंटन

2591. **श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य राज्यों/संघों राज्य क्षेत्रों ने हाल ही में अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिक कल्याण हेतु योजनाएं शुरू करने हेतु अधिक धनराशि मांही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अधिक धनराशि आबंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) जी नहीं, तथापि, दिशा-निर्देशों के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है।

बुनियादी ढ़ांचा तथा सामाजिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

2592. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बुनियादी ढ़ांचा उपभोक्ता तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति संबंधी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त नीति संबंधी निर्णय के अनुसार किस क्षेत्र में निवेश किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण

2593. श्री दुष्यंत सिंह:
प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में नई रेल लाइन तथा आमान परिवर्तन, दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण की नई/चालू तथा लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये परियोजनाएं कब से विचाराधीन हैं तथा इनके कब तक पूर्ण होने की संभावना है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए पिछले दो वर्षों में से प्रत्येक तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा इन परियोजनाओं को आरम्भिक लागत कितनी है;

(घ) इन परियोजनाओं के सर्वेक्षण के पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि क्या है; और

(ङ) रेलवे के संबंध में राजस्थान की उपेक्षा के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) (1) राजस्थान में नई/चल रही परियोजनाओं और निधियों के आबंटन और लक्ष्य तिथि जहां कहीं निर्धारित है, का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	बजट में शामिल करने का वर्ष	आरंभिक लागत	बजटीय परिव्यय			प्रगति और लक्ष्य तिथि जहां कहीं निर्धारित है
				2002-03	2003-04	2004-05	
1	2	3	4	5	6	7	8
नई लाइनें							
1.	दौसा-गंगापुर	1996-97	151.84	15.00	10.00	5.00	भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है।
2.	रामगंजमंडी-भोपाल	2000-01	425.00	20.00	20.00	27.00	रामगंजमंडी-झालावाड़ खंड पर भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति पर है।
3.	अजमेर-पुष्कर	2001-02	67.00	10.00	5.00	5.00	भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है।
4.	कोलायत-फलौदी	2002-03	171.00	0.1	30.00	81.00	यह परियोजना रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित की जा रही है और

1	2	3	4	5	6	7	8
							2005-06 तक पूरी कर लिए जाने का लक्ष्य है। मिट्टी संबंधी, मिट्टी आपूर्ति, बड़े पुलों पर कार्य प्रगति पर है।
आमान परिवर्तन							
5.	रेवाड़ी-सादुलपुर, सादुलपुर-हिसार सहित	1997-98	198.00	10.86	7.32	5.00	सादुलपुर-हिसार खंड (70 किमी) के लिए मिट्टी संबंधी कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
6.	भील्डी-समदड़ी	1990-91	267.00	15.00	30.00	20.00	यह कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है और समदड़ी से भीनमल (122 किमी) का कार्य उत्तर पश्चिम रेलों का सौंपा गया है।
7.	उदयपुर से उमरा तक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण आशोधन सहित अजमेर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर	1996-97	262.00	30.00	30.00	41.55	पहले चरण में चित्तौड़गढ़-उदयपुर का आमान परिवर्तन शुरू कर दिया गया है और 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। अजमेर-चित्तौड़गढ़ खंड का कार्य भी शुरू कर दिया गया है जहां मिट्टी संबंधी और छोटे/बड़े पुलों का कार्य प्रगति पर है।
8.	श्रीगंगानगर-सरूपसर	1997-98	69.00	0.01	4.83	3.21	तल्प कार्य, आरंभिक कार्य और पुल कार्य के लिए विस्तृत अनुमान स्वीकृत/मिट्टी संबधी और पुलों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही है।
9.	आगरा फोर्ट-बांदीकुई	1995-96	88.73	26.00	40.00	40.00	बांदीकुई-भरतपुर का

1	2	3	4	5	6	7	8
							आमान परिवर्तन पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। बांदीकुई-आगरा फोर्ट के आमान परिवर्तन का कार्य 2004-05 के दौरान पूरा कर लेने का लक्ष्य है। रेल पथ संपर्क के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
10.	पीपाड रोड-बिलारा	1993-94	258.00	5.00	5.00	3.00	पुल कार्य, मिट्टी संबंधी कार्य और गिट्टी आपूर्ति कार्य प्रगति पर हैं।
दोहरीकरण							
11.	जयपुर-फुलेरा	2004-05	82.80	–	–	3.00	कार्य शुरू करने के लिए आरंभिक प्रबंध किए जा रहे है।

(2) चल रहे सर्वेक्षण

परियोजना का नाम	लक्ष्य तिथि जहां कहीं निर्धारित
नई लाइनें	
1. फलौदी-नागौर	31.12.2004
2. जैसलमेर-बाड़मेर	31.12.2004
3. पुष्कर-मेड़ता रोड	–
4. झुनझुन-पिलानी	–
5. अनूपगढ़-बीकानेर	31.3.2005
6. बिलाड़ा-बाड़	31.12.2004
7. उज्जैन-झालावाड़/रामगंज मंडी	–
8. जैसलमेर-कांडला	31.3.2005
9. बड़ी सादड़ी-नीमच	30.4.2005
10. रतलाम-बांसवाड़ा बरास्ता डूंगरपुर	31.12.2004
आमान परिवर्तन	
11. धौलपुर-सिरमुतरा	–
12. सादुलपुर-रतनगढ़-बीकानेर और रतनगढ़-डेगाना	31.1.2005
13. लोहारू-सीकर-चुरू-रींगुस-जयपुर और सूरतपुरा-हनुमानगढ़	–
14. उदयपुर सिटी-हिम्मतनगर-अहमदाबाद	31.3.2005
दोहरीकरण	
15. जयपुर-मेड़ता रोड	31.12.2004
16. दिल्ली अहमदाबाद	30.4.2005

(ङ) राजस्थान में बड़ी संख्या में चल रही परियोजनाओं जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के दृष्टिगत रेलों के संबंध में राजस्थान की उपेक्षा नहीं की जा रही है।

यूरोपीय संघ देशों के साथ विमानन संधि

2594. मो. मुकीम: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय संघ के देशों (ए एस डी) के साथ विमानन संधि और दो वर्षों के लिए बढ़ा दी है जैसा कि 30 नवम्बर, 2004 के इकोमामिक टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दोनों पक्षों की ओर से अनेक विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेंगे; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित एरोप्पेस अकादमी सहित भारतीय पक्ष की ओर से लगाई गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ई यू इंडिया नागर विमानन परियोजना के कार्यान्वयन फेस को 30.11.2004 से आगे 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। विस्तारित फेज में उत्पाद प्रबंधन, वैमानिक उत्पादों के डिजाइन, उत्पाद तथा सर्विसिंग, उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, एयरोस्पेस अकादमी की स्थापना के लिए पृष्ठ भूमि तैयार करने, उत्पादों का पारस्परिक प्रमाणीकरण करने तथा भारत में एअर ट्रैफिक मैनेजमैट सिस्टम में सुधार जैसे कार्यों में भारत तथा यूरोपियन एन्टरप्राइजेज में साझेदारी की संभावना है। भारतीय विशेषज्ञों द्वारा भी विशेष रूप से, नागर विमानन सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ रही धमकियों के परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय अनुभवों का लाभ उठाएं जाने की संभावना है। पहले फेस के बचे हुए कार्यों को विस्तारित फेज के दौरान अतिरिक्त कार्यकलापों के रूप में निष्पादित किया जाएगा तथा इस संबंध में मूल वचनबद्धता की दृष्टि से दोनों में से किसी भी पक्ष पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

पूर्वोत्तर राज्यों तक विमान संपर्क में सुधार

2595. डा. एच. टी. संगलिअना: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की एक शिकायत पूर्वोत्तर राज्यों को अपर्याप्त विमान संपर्क की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर की सभी उड़ानों में उड़ान के दौरान सेवा तथा विमान यात्रियों को दिए जाने वाला जलपान अत्यधिक घटिया होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का प्रयत्न कर रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और अधिक हवाई सम्पर्क सेवा की मांग रही है।

(ख) जी, नहीं। आपरेटरों को सूचित कर दिया है कि वे पूर्वोत्तर की सभी उड़ानों में अच्छे स्तर के जलपान की व्यवस्था करें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नांदेड़ मण्डल को मध्य रेल में लाने का प्रस्ताव

2596. श्री डी.बी. पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में दक्षिण केन्द्रीय रेल के अंतर्गत आने वाले नांदेड़ (महाराष्ट्र) रेल मण्डल को मध्य रेल के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मासिक सीजन टिकट जारी करना

2597. श्री संजय धोत्रे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के अकोला जिले से नागपुर जाने वाले रेल यात्रियों द्वारा सीजनल टिकट जारी करने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठन, अमरावती के अखिल भारतीय परिसंघ (आल इंडिया कान्फेडरेशन) द्वारा अकोला

और नागपुर के बीच सीजन टिकट जारी करने की मांग की गई है।

(ग) नियमों के अनुसार, 150 कि.मी. तक की दूरी के लिए सीजन टिकट जारी किए जाते हैं। अकोला और नागपुर के बीच स्टेशनों की दूरी 150 कि.मी. से अधिक होने के कारण सीजन टिकट जारी नहीं किए जा सकते।

[अनुवाद]

गेल प्रमुख द्वारा पाइप लाइन योजना का विरोध

2598. श्री उदय सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अक्तूबर, 2004 के ''स्टेट्समेन'' में प्रकाशित ''गेल चीफ अपोजेस यप्पर्स पाइपलाइन प्लान'' नामक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में गैस पाइपलाइन स्थापित करने में गेल के एकाधिकार को तोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में गेल के एकाधिकार को समाप्त करने से उपभोक्ताओं को किस हद तक लाभ मिलेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) गेल ने गैस प्रेषण व्यवसाय में अन्य पक्षकारों के प्रवेश के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है क्योंकि उसके विचार से इससे क्षेत्र में गेल के लिए पाइपलाइनों के सुचारू प्रचालन और विकास अवसरों पर रोक लगेगी। गेल ने इसलिए देश में सारी प्राकृतिक गैस अंतर राज्य प्रेषण पाइपलाइनें बिछाने के लिए एकाधिकार प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति के अनुसार कोई भी निकाय सरकार से किसी प्राधिकार/लाइसेंस के बिना गैस प्रेषण और वितरण नेटवर्क स्थापित कर सकता है। प्राकृतिक गैस/एल एन जी मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) के अधीन हैं और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। तथापि, चूंकि प्राकृतिक गैस की पाइपलाइनें अत्यधिक पूंजी गहन परियोजनाएं हैं, इसलिए इन्हें स्वाभाविक एकाधिकार माना जाता है और इसलिए सरकार का इनका विनियमन करने का प्रस्ताव है। विभिन्न पणधारकों, जिनमें मुख्य घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय तेल और गैस कम्पनियां वाणिज्य और उद्योगों के विभिन्न चैम्बर, राज्य सरकारें आदि सम्मिलित हैं, से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर और अंतर-मंत्रालयीन परामर्श के बाद सरकार एक प्रारूप पाइपलाइन नीति पर विचार कर रही है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को साथ लेते हुए एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बुनियादी सुविधाओं का विकास परिकल्पित है। इससे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, कुशलता और अधिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और इन सबसे अंततः उपभोक्ता और सामान्य रूप से अर्थतंत्र को लाभ होगा।

हांग कांग तथा जेद्दाह में इंडियन एयरलाइन्स का प्रचालन

2599. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने सरकार को हांग कांग तथा जेद्दाह में नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य शुरू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स का पूर्वी, यू.के. तथा यू.एस. में इसके प्रचालन को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ङ) इन भावी योजनाओं के लिए इंडियन एयरलाइन्स किस तरह से अपने विमानों का प्रबंध करेगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) भारतीय विमान कंपनियों को संबंधित विमान सेवा करारों के अधीन, हांग-कांग और सऊदी अरेबिया सहित, हांग-कांग और जेद्दाह के लिए प्रचालन करने हेतु यातायात अधिकार पहले से ही प्राप्त है।

(ग) से (ङ) इस समय इंडियन एयरलाइन्स को दक्षिण पूर्व एशिया, खाड़ी/मध्य पूर्व तथा सार्क देशों के गंतव्य स्थानों के लिए प्रचालन करने हेतु नामित किया गया है। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नये विमान प्राप्त करके उत्तरोत्तर नये गंतव्य स्थानों/उड़ानों में वृद्धि किए जाने की योजनाएं हैं। जहां तक यू.एस.ए. और यू.के. का संबंध है, इस समय केवल एअर इंडिया को ही इन मार्गों पर प्रचालन करने के लिए भारतीय विमान कंपनी के रूप में नामित किया गया है।

वर्दी की गुणवत्ता

2600. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य दलों को उपलब्ध कराई गई लड़ाई के दौरान पहने जाने वाली वर्दी, वेब उपकरण तथा कोट पर्का श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में घटिया गुणवत्ता के होते हैं;

(ख) क्या जैकेट अथवा जर्सी फैब्रिकेटिड नहीं होती तथा रेनकोट की काफी घटिया गुणवत्ता के होते हैं;

(ग) यदि हां, जो उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के क्या कारण हैं;

(घ) क्या रक्षा उत्पादन तथा गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में वर्षों के अनुभव के बावजूद डी.जी.क्यू.ए. गुणवत्ता में सुधार नहीं ला सका है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में सिविलियन स्रोतों का दोहन करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (च) सरकार को श्रीलंका की सैन्य टुकड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही वर्दियों की गुणवत्ता के बारे में जानकारी नहीं है। जैकेटों, जर्सियों तथा रेनकोटों का विनिर्माण आयुध निर्माणियां करती हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये उत्पाद विनिर्देशों के अनुरूप हैं, इनकी गुणवत्ता की जांच आयुध निर्माणियों का गुणता नियंत्रण विंग और गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा की जाती है। सेना को आपूर्ति की जा रही वर्दियों की गुणता में सुधार लाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार वस्त्र-मदों की अधिप्राप्ति हेतु सिविलियन स्रोतों का भी लाभ उठाती है।

गुणवत्ता आश्वासन संगठनों का उत्तरदायित्व

2601. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना तथा वायु सेना के गुणवत्ता आश्वासन संगठनों अर्थात् वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय की विभाग के अंतर्गत रक्षा उत्पादन की जिम्मेदारी है;

(ख) क्या विगत में विभिन्न उच्चाधिकार प्राप्त समितियों ने ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध सिफारिश की है क्योंकि इससे उनके स्वतंत्र कार्य में हस्तक्षेप तथा हितों में मतभेद उत्पन्न होता है; और

(ग) यदि हां, तो उच्चाधिकार समितियों की सिफारिशों पर ध्यान न देते हुए विद्यमान व्यवस्था को जारी रखने तथा एक स्वायत्तशासी रक्षा गुणता आश्वासन बोर्ड का गठन न करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) डा. वी.जी. रत्नाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, रक्षा गुणता आश्वासन बोर्ड के गठन के साथ-साथ गुणता आश्वासन एजेंसियों को और अधिक स्वायत्तता दिए जाने की सिफारिश की थी।

(ग) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन गुणता आश्वासन संगठन, आयातित उपस्कर और निजी क्षेत्र से होने वाली आपूर्तियों सहित सशस्त्र सेनाओं की गुणता संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सशस्त्र सेनाओं के साथ गहन समन्वय स्थापित करके कार्य करते हैं तथा उन्हें अपना कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है।

बकाया भाड़े की वसूली

2602. श्री रघुनाथ झा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे विभिन्न एजेन्सियों से अपना बकाया भाड़ा वसूल नहीं कर पाई है; और

(ख) यदि हां, तो इन एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है तथा इनसे कितनी राशि की वसूली की जानी है तथा इनसे भाड़े की शीघ्र वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां, रेलों पर भाड़े का उपचय और वसूली एक सतत् प्रक्रिया है। सितम्बर, 2003 की तुलना में सितम्बर, 2004 में बकाया भाड़े की वसूली में 131.44 करोड़ रुपए का सुधार हुआ है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एजेन्सियों का विवरण उनसे वसूल की जाने वाली राशि सहित इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

एजेन्सियां	सितंबर, 2003 को बकाया भाड़ा (1)	सितंबर, 2004 को बकाया भाड़ा (2)	(1) और (2) में अंतर
राज्य विद्युत बोर्ड	1835.75	1716.92	118.83
राज्य विद्युत बोर्डों से इतर	58.00	45.39	12.61
जोड़	1893.75	1762.31	131.44

बकाया भाड़े की शीघ्र वसूली के लिए उठाए गए कदम:

(क) कोयले की ढुलाई के लिए बुकिंग स्टेशन पर भाड़े के अग्रिम भुगतान की योजना अपनाने के लिए बिजली घरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों/बिजली घरों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें करके राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशि की वसूली की कड़ी निगरानी रखना।

(ग) समय-समय पर संबद्ध मंत्रालयों के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठकें भी की जाती हैं।

(घ) कुछ राज्य विद्युत बोर्डों के संबंध में कर्षण बिलों के साथ बकाया राशि का समायोजन करना।

(ङ) स्टेशन बकाया राशि के निपटान के लिए लेखा और वाणिज्य पदाधिकारियों की टीमें बनाकर समय-समय पर विशेष अभियान चलाना।

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय केन्द्रों के कार्यकलाप

2603. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उज्जैन के सामाजिक न्याय केन्द्र तथा मध्य प्रदेश के ऐसे अन्य केन्द्रों में शुरू किए गए विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): मध्य प्रदेश में केवल एक सामाजिक न्याय केन्द्र है। उज्जैन में स्थित इस केन्द्र की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	यूनिट	शामिल निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट)	निर्माण की संभावित लागत (लाख रुपए)	प्रशासनिक संगठन	स्थिति
1		2	3	4	5
1.	माडल प्रोडक्शन यूनिट, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)	26,500	300.00	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	परियोजना कन्सलटेंसी और प्रबंधन संविदा के संबंध में प्रारंभिक कारवाई की गई। तथापि जमीन का टाइटिल निर्णयाधीन है।
2.	स्टडी सर्किल, लाइब्रेरी एंड आडिटोरियम	5,000	50.00	अम्बेडकर प्रतिष्ठान	कार्रवाई जारी है
3.	वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर एंड रेमिडियल कोचिंग सेन्टर	7,500	75.20	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	कार्रवाई जारी है
4.	जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र	4,880	20.20	राष्ट्रीय मानसिक मंदता संस्थान	कार्रवाई जारी है
5.	आडिटोरियम	500 सीटों के लिए 5000 स्क्वायर फिट	250.00	अम्बेडकर प्रतिष्ठान	कार्रवाई जारी है

1		2	3	4	5
6.	मीडिया एंड सूचना केन्द्र	2,000	18.00	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	मूल सुविधाएं प्रदान की गई हैं, 22.90 लाख रुपए का व्यय हुआ है। एक स्टाफ सदस्य तैनात किया गया है।
7.	केफिटेरिया	2,000	–	सभागार के अंदर विचार किया जा सकता है।	अध्ययन केन्द्र, पुस्तकालय और सभागार के हिस्से के रूप में विचार किया जाएगा।
8.	बैंक	4,000	40.00	–	बाद में शुरू किया जाएगा।
9.	फिजियोथैरेपी एंड आक्यूपेशनल थैरेपी सेन्टर एंड ट्रेनिंग सेन्टर फार ओरियन्टेसन	5,000	50.00	भारतीय पुनर्वास परिषद	प्रस्ताव छोड़ दिया गया है।

[अनुवाद]

दानकुनी रेलवे स्टेशन में फ्लाईओवर

2604. श्री महबूब जाहेदी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दानकुनी रेलवे स्टेशन में फ्लाईओवर निर्मित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) दानकुनी में कि.मी. 11/30-32 पर समपार सं. 8 के बदले एक ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) लागत में हिस्सेदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है तथा रेलवे के 2001-02 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। निर्माण स्थल पर भू तकनीकी जांच पूरी हो गई है। ऊपरी सड़क पुल के लिए सामान्य आरेखण व्यवस्था राज्य सरकार सड़क प्राधिकरण को अनुमोदनार्थ भेज दी गई है।

[हिन्दी]

ट्रेनों में मोबाइल रिचार्जिंग सुविधा

2605. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ट्रेनों में ही मोबाइल फोन तथा लैपटाप रिचार्जिंग सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक पहचान की गई ट्रेनों की संख्या कितनी है तथा उक्त सुविधा के कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वातानुकूल सवारी डिब्बों में मोबाइल फोनों और लैपटाप कंप्यूटरों के लिए इलेक्ट्रिक रिचार्जिंग सुविधा चरणबद्ध आधार पर मुहैया कराने की योजना बनाई गई है बशर्ते कि इसके लिए संसाधन उपलब्ध हों।

आर्थिक व्यवहार्यता के बिना पेट्रोल पम्प

2606. श्री ए.एफ.जी. ओसमानी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रम 100 से 150 किलोमीटर प्रतिमाह की बिक्री पर ध्यान देने के लिए भी स्थलों की क्षमता तथा आर्थिक व्यवहार्यता पर ध्यान दिए बिना अधिक संख्या में पेट्रोल पम्प लगा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एच पी सी एल 1 कि.मी. से कम दूरी पर एक पम्प लगा रहा है और अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों को

लाभ पहुंचाने के लिए कोको की तरह निकास करने का प्रयास कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो हरियाणा में कार्य कर रहे एच पी सी एल अधिकारियों के विरुद्ध उनके गैर-कानूनी कार्यों के लिए क्या कार्यवाही किए जाने प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) किए गए स्थान-वार सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर पर्याप्त सम्भाव्यता वाले निर्धारित स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पम्पों) की स्थापना करती हैं। स्थान की साध्यता उस बाजार की श्रेणी, जिसमें बिक्री केन्द्र की स्थापना की जानी है, और प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा किए जाने वाले निवेशों के अनुसार भिन्न होती है।

(ख) दिशानिर्देशों के अनुसार सम्भाव्यता की उपलब्धता और सांविधिक मानकों के अनुरूप रहने के अधीन 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर नए खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना पर कोई प्रतिबंध नहीं है। रिकार्ड के अनुसार मनसा देवी काम्पलेक्स, पंचकुला, हरियाणा में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का एक खुदरा बिक्री केन्द्र है, जो उसी कंपनी के एक अन्य विद्यमान खुदरा बिक्री केन्द्र से 1 किलोमीटर के भीतर स्थित है। यह बिक्री केन्द्र जिला प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन और अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद हरियाणा नगर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि पर कंपनी स्वामित्व कंपनी प्रचालन आधार पर जुलाई, 2004 में चालू किया गया था। इस नए बिक्री केन्द्र के चालू करने के बावजूद वर्तमान खुदरा बिक्री केन्द्र प्रति माह 350 किलोलीटर पेट्रोल पम्प और 250 किलोलीटर डीजल की औसतन बिक्री कर रहा है। इससे यह प्रकट होता है कि नए खुदरा बिक्री केन्द्र की योजना उपलब्ध संभाव्यता के आधार पर बनाई गई थी।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

कच्चे तेल के दामों में गिरावट

2607. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विश्व बाजार में कच्चे तेल के दामों में निरंतर वृद्धि और गिरावट के प्रभावों से घरेलू बाजार को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तेल पूल घाटा कितना है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में तेल उत्पादक देशों के साथ वाणिज्यिक समझौते किए हैं;

(घ) यदि हां, तो समझौतों की विषय-वस्तु क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा तेल के दामों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ङ) सरकार/तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने पेट्रोल, डीजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों का प्रभाव सीमित करने के लिए निम्न उपाय किए हैं-

(1) सरकार ने 16.6.2004 से पेट्रोल, डीजल और घरेलू एल पी जी पर उत्पाद शुल्क क्रमश: 4%, 3% और 8% कम कर दिया। बाद में 19.8.2004 से पेट्रोल, डीजल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल पर उत्पाद शुल्क क्रमश 3%, 3% और 4% कम कर दिया गया। इसके अलावा 19.8.2004 से पेट्रोल, डीजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी प्रत्येक पर सीमा शुल्क 5% कम कर दिया गया।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी रियायती उत्पाद हैं। सरकारी राजसहायता के अलावा तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में पूरी वृद्धि इन उत्पादों के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों पर अंतरित न करते हुए भार को वहन करते रहे हैं। तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वर्तमान वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुसार पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में असंशोधन के बतौर अल्प-वसूलियां हुईं।

पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य व्यवस्था की समाप्ति की घोषणा के साथ तेल पूल खाते 1.4.2002 से समाप्त कर दिए गए हैं।

तेल कंपनियां कच्चा तेल सावधि संविदा आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से तस्थान आधार पर खरीदती हैं। इस संबंध में सरकारी स्तर के कोई वाणिज्यिक करार नहीं है।

पेट्रोल पम्प डीलरों के चयन की सी.बी.आई. की जांच

2608. श्री अधीर चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. जोधपुर क्षेत्र (राजस्थान) में बी पी सी एल द्वारा पेट्रोल पम्प डीलरों के चयन की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या हरियाणा और पंजाब में बी पी सी एल अधिकारियों द्वारा डीलरों के चयन संबंधी शिकायतों का भी संदर्भ लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सी बी आई ऐसी कोई जांच नहीं कर रही है। वैसे सी बी आई, जोधपुर ने जिला जोधपुर में पिपार राज्य राजमार्ग पर खुदरा बिक्री केन्द्र (आर ओ) के आबंटन में कथित अनियमितता की एक शिकायत की जांच की थी और बी पी सी एल पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र जांच/भूमि के वास्तविक सत्यापन में विसंगितियों की ओर इंगित किया तथा जैसी उचित समझी जाए वैसी कार्रवाई करने की सिफारिश की।

(ख) और (ग) सी बी आई, चंडीगढ़ ने जैसी उचित समझी जाए वैसी कार्रवाई के लिए पंजाब में गांव जलालाईवाल और हलवाड़ा में आर ओज के आबंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक शिकायत बी पी सी एल को भेजी है।

हरियाणा पेट्रोलियम डीलर संघ से अ.जा./अ.ज.जा. के नाम में माफिया को पेट्रोल पम्पों/बेनामी आबंटनों के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप की शिकायत प्राप्त हुई है।

गुजरात में उत्पादन इकाई के लिए परियोजना

2609. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेलयात्री डिब्बे पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात में रेल डिब्बा उत्पादन एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। पहले से निर्धारित गाड़ियों को चलाने के लिए रेल डिब्बों की कोई कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेल के दो रेल डिब्बा कारखाने यथा सवारी डिब्बा कारखाना (सडिका), चेन्नै तथा रेल डिब्बा कारखाना (रेडिका), कपूरथला जिसमें दो अन्य रेल डिब्बा कारखाने या निजी क्षेत्र की मैसर्स जेसब एंड कंपनी, कोलकाता तथा क्षेत्र की मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बेंगलोर भी सहयोग दे रही है, द्वारा की जाने वाली वर्तमान उत्पादन क्षमता भारतीय रेल की मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है.

कालका से शिमला के लिए द्वितीय श्रेणी आरक्षण बंद किया जाना

2610. श्री सुरेश चन्देल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों से कालका से शिमला के लिए द्वितीय श्रेणी आरक्षण बंद किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार इस सुविधा को पुन: शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो यह कब तक पुन: शुरू हो जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) गत कुछ वर्षों में कालका से शिमला के लिए दूसरे दर्जे में यात्रा के लिए कोई सुविधा नही थी। इसलिए, कालका से शिमला तक चलने वाली गाड़ियों में दूसरे दर्जे में कोई भी टिकट आरक्षित नहीं की जा सकती है।

सरकारी उपक्रमों का कार्यनिष्पादन

2611. प्रो. एम. रामदास: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए सरकारी नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी उपक्रमों का कार्यनिष्पादन कैसा रहा तथा इस नीति का क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) समझौता ज्ञापन पर अब तक हस्ताक्षर नहीं करने वाले सरकारी उपक्रमों की संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में और सुधार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अनुसार सरकार की नीति केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाने, लाभार्जनकारी सरकारी कपंनियों को पूर्ण प्रबंधकीय एवं वाणिज्यिक स्वायत्तता प्रदान करने, 'नवरत्न' श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को बनाये रखने, आम तौर पर लाभार्जनकारी सरकारी उपक्रमों का निजीकरण नहीं करने, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों का पुनरुद्धार/पुर्नगठन करने तथा लंबे समय से घाटा उठाने वाले उद्यमों के कामगारों की वैद्य देयताओं तथा क्षतिपूर्ति का भुगतान करके उन उद्यमों की बिक्री कर देने या उन्हें बंद कर देने की है।

(ख) सरकारी क्षेत्र की उद्यमों पर सरकारी नीति का प्रभाव कुछ समय के बाद प्रदर्शित होता है। नई नीति के अन्तर्गत किए जाने वाले उपायों के प्रभाव की जानकारी अगले कुछ वर्षों में प्राप्त हो सकेगी। गत दस वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन का ब्यौरा वर्ष 2002-03, जिस नवीनतम अवधि तक जानकारी उपलब्ध है, के लोक उद्यम सर्वेक्षण में उपलब्ध है। लोक उद्यम सर्वेक्षण सरकारी अधिकार-क्षेत्र में आने वाला एक प्रकाशित दस्तावेज है तथा इसे हर वर्ष संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है।

(ग) 31.3.2003 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में 240 उद्यम प्रचालनरत थे और इनमें से 158 उपक्रमों (51 सहायक कंपनियों सहित) को वर्ष 2004-05 के दौरान समझौता ज्ञापन प्रणाली के अर्न्तगत लाया गया था। शेष 82 केन्द्रीय उद्यमों को इस प्रणाली से बाहर रखा गया था, जिनमें से 45 उद्यमों का मामला बीआईएफआर को सौंप दिया गया था तथा 37 उद्यम या तो 'छोटे आकार' वाले थे या 'रूग्ण' थे अथवा निर्माणाधीन कंपनी थे। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपर्युक्त 158 उद्यमों में से 107 उद्यमों को वर्ष 2004-05 के दौरान समझौता ज्ञापन के लिए चुना गया था। बहरहाल, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 4 उद्यमों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि तीन उद्यमों नामशः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि. को समझौता ज्ञापन से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से छूट दी गई है तथा एक उद्यम अर्थात एनटीसी (धारक) कं. लि. को अभी समझौता ज्ञापन का प्रारूप प्रस्तुत करना है।

(घ) और (ङ) सरकार सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने एवं प्रभावशाली बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि उपर्युक्त (क) में वर्णित नीति के अनुसार इन सरकारी उद्यमों के सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति इनके वाणिज्यिक कार्यचालन द्वारा की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक पहल की गई है।

गैस संयंत्रों को गैस की आपूर्ति

2612. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने अपने गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए अधिक गैस देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी राज्य से, उनके विद्युत संयंत्रों के लिए गैस की आपूर्ति करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस समय मांग की तुलना में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता काफी कम है जिसके कारण आवश्यक रूप से आनुपातिक आपूर्ति करनी पड़ रही है। विशेष आकस्मिकताओं के अनुरूप, जहां व्यवहार्य हो, कदम उठाएं गए हैं, जैसे गुजरात में जहां सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए अन्य उपभोक्ताओं से विद्युत संयंत्रों को कुछ एल एन जी का विपथन किया गया था। इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गेल और ओ. एन. जी. सी. को विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता बढ़ाने के बेहतर प्रयास करने के लिए निर्देश दिया गया है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास

2613. श्री रामदास आठवले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त मात्रा में छात्रावास उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रभावी योजना बनाने का है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को आज तक इस संबंध में माननीय संसद सदस्यों अथवा किसी अन्य सामाजिक संगठन से कोई अनुरोध अथवा सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाएंगे?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके अन्तर्गत मीडिल स्कूल, उच्च सेकेण्डरी स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों को राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा छात्रावास सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जबकि राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों विश्वविद्यालयों को नये छात्रावासों के निर्माण और साथ ही विद्यमान सुविधाओं के विस्तार के लिए सहायता दी जाती है, केन्द्रीय सहायता गैर-सरकारी संगठनों की स्कीम के अन्तर्गत केवल विद्यमान छात्रावास भवनों के विस्तार के लिए ग्राह्य है। राज्य सरकार को वित्तीय सहायता 50:50 आधार पर दी जाती है जबकि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100% सहायता दी जाती है। विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों को इस योजना के अन्तर्गत 45% केन्द्रीय सहायता दी जाती है। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने की योजनाएं तैयार की जाती हैं।

(ख) जी, नहीं। इस मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्कूली बच्चों में नशे की लत

2614. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री ए.के. मूर्ति:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहरों में कम उम्र में बहुत से स्कूली बच्चे नशे की लत के शिकार हो रहे हैं तथा नशा करने वाले बच्चों की आयु में तीव्रता से गिरावट हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने शहर में स्कूल जाने वाले बच्चों में नशे की लत के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार को स्कूली बच्चों द्वारा दवाइंया किन स्रोतों से प्राप्त किए जाने का पता चला है; और

(ङ) स्कूली बच्चों में नशे की बढ़ती लत पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए है/किये जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस आफिस आफ ड्रग्यूस एण्ड क्राइम के सहयोग से भारत में नशीले पदार्थ दुरुपयोग की मात्रा, पैटर्न तथा प्रवृत्ति पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया है। इस नमूना में आयु समूह 12-16 वर्ष के बीच था। सर्वेक्षण के अनुसार 12-18 वर्ष के आयु समूहों में 8587 के नमूना आकार में प्रयुक्त नशीले पदार्थ विद्यमानता इस प्रकार थी:

भांग	3.0%
पोस्त (अफीम)	0.1%

(घ) स्कूली बच्चे अक्सर, फेरीवालों तथा स्वग्राही व्यक्तियों जो उस क्षेत्र में जहां शिक्षण संस्थाएं स्थित होती हैं के आस-पास घूमते रहते हैं, से नशीले पदार्थ प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ अपने साथियों जो पहले से ही नशीले पदार्थों के आदी होते हैं, से नशीले पदार्थ प्राप्त करते हैं।

(ङ) माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्र दबाव कारकों, साथियों के प्रभाव, हार्मोन संबंधी परिवर्तनों आदि के कारण नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति सुभेद्य होते हैं। यह महसूस किया गया है कि स्कूल पाठ्यक्रम में उचित उपादानों के माध्यम से नशीली दवाइयों के कुप्रभावों के संबंध में उन्हें शिक्षित करने से बुराई से निपटने में सहायता मिल सकती है। मद्यपान तथा पदार्थ (नशीले) दुरुपयोग के निवारण के लिए, नोडल मंत्रालय के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्कूल पाठ्यक्रम में इन उपादानों को शामिल करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ वार्तालाप कर रहा है। यह मंत्रालय नशीले पदार्थ दुरुपयोग निवारण में उन स्वयंसेवी संगठनों को, जो चेतना कार्यक्रम चला रहे हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये संगठन अपने बाह्य पहुंच कार्यक्रमों के अन्तर्गत, स्कूलों तथा कालेजों को शामिल करते हैं। इसके अतिरिक्त, छात्रों को फेरीवालों से नशीले पदार्थों को रोकने के लिए एक उपाय के रूप में किसी स्कूल/शिक्षण संस्था के आस-पास ऐसे पदार्थों की बिक्री के लिए और बड़ी सजा दी जानी चाहिए।

नेपाल को तेल की आपूर्ति बंद करना

2615. श्री सदाशिव दादोबा मंडलिक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान नेपाल को भारतीय तेल की आपूर्ति बंद कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा 6.9.2004 से वेयरहाउसिंग सुविधाएं वापस लेने के कारण मैसर्स इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (आई ओ सी) से मैसर्स नेपाल आयल कारपोरेशन (एन ओ सी) को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति 6.9.2004 से 9.9.2004 के दौरान प्रभावित हुई थी जिसमें तेल कंपनियों के डिपुओं/टर्मिनलों से बगैर उत्पाद शुल्क का भुगतान किए पेट्रोलियम उत्पादों को निकालने की अनुमति दी गई थी। लेकिन, बाद में भारत सरकार ने दिनांक 8.9.2004 के परिपत्र के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए 'निर्यात वेयरहाउसिंग'' की अनुमति दे दी और उसके तुरन्त बाद आई ओ सी से एन ओ सी को नियमित आपूर्ति की बहाली कर दी गई।

पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ना

2616. श्री सुरेश कुरूप:
श्री अजीत जोगी:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की प्रत्येक पंचायत को इंटरनेट से जोड़ने की कोई योजना है चूंकि यह आवश्यक आधारभूत जरूरत बन गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सभी पंचायतों में कंप्यूटर उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को धनराशि आबंटित कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को केरल सरकार से खण्ड/पंचायत स्तर पर इंटरनेट जोड़ने के लिए 88 करोड़ रुपये लागत का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए है/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) पंचायती राज के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण समृद्धि विषय पर मुख्यमंत्रियों और ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों को एक सम्मेलन ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रुप से 29-30 जून, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पंचायती राज से संबंधित संविधान के भाग IX तथा IX ''क'' के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विचार-विमर्श के लिए कार्य बिन्दु के रुप में प्रस्तुत किया गया था। सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक कार्य-योजना का मसौदा तैयार करने के लिए सात गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि संविधान के प्रावधान के अनुसार आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को स्व-शासन की एक वास्तविक संस्था में बनने में सक्षम बनाया जा सके। छह गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें पंचायती राज के 18 चिन्हित विषयों में 16 विषयों पर चर्चा की गई है। शेष दो विषयों अर्थात क्षमता निर्माण और आई. टी. के द्वारा ई. गवर्नेंस पर जयपुर में 17-19 दिसम्बर, 2004 को आयोजित होने वाले सातवें गोलमेज सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। सातवें गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्रत्येक पंचायत को आपसी संपर्क प्रदान करने के विषय पर चर्चा की जाएगी। पंचायतों के प्रभारी मंत्रिगण और उनके प्रतिनिधि विचाराधीन विषयों के संबंध में छठे गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्राप्त निष्कर्षों पर आगे आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अपने संबंधित सरकारों से सिफारिश करने पर सहमत हुए। इसी प्रकार पंचायतों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा सातवीं गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्राप्त निष्कर्षों पर अपने संबंधित सरकारों से सिफारिश करने का भी प्रस्ताव है ताकि इन्हें लागू किया जा सके।

पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों को कंप्यूटर उपलब्ध कराने के लिए कोई निधियां आवंटित नहीं की हैं। तथापि इसे जयपुर में आयोजित किए जाने वाले आगामी सातवें गोलमेज सम्मेलन में आई. टी. द्वारा ई-गवर्नेंस पर निष्कर्षों के प्रकाश में उठाया जाएगा।

(घ) और (ङ) पंचायती राज मंत्रालय को केरल सरकार से ब्लाक/पंचायत स्तर पर संपर्कता के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल स्थित के.ई.एल. कंपनी को आदेश

2617. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य के स्वामित्व वाली केरल इलेक्ट्रिकल एण्ड अलाएड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कुन्दरा, केरल, जो ब्रशलेस, अल्टर्नेटर्स और रेगुलेटर्स बनाने वाला सरकारी क्षेत्र का एक मात्र उपक्रम है और जिन्हें रेलवे डिब्बों में प्रकाश व्यवस्था करने और उनके वातानुकूलन हेतु उपयोग में लाया जाता है, को रेलवे द्वारा आपूर्ति आदेश नहीं दिए जा रहे हैं जबकि इस प्रयोजनार्थ कुछ निजी फर्मों को प्राथमिकता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या के.ई.एल. को पर्याप्त आदेश नहीं दिए जा रहे हैं तथा इसकी वजह से सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम को बंद करना पड़ सकता है जिससे 500 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेलवे द्वारा कम से कम वर्तमान में मूल्यांकन की जा रही निविदा में इस कंपनी को अधिकतम आदेश देने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार उद्धृ दर, क्षमता/सामर्थ्य, निविदा में भाग लेने वाले विभिन्न बोली लगाने वालों के विगत निष्पादन को विधिवत ध्यान में रखते हुए मैरिट के आधार पर निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाता है। अत: केरल इलेक्ट्रिकल और अलाएड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (के.ई.एल.) सहित किसी भी फर्म को आदेश प्राप्त करने के लिए निविदा में भाग लेना होगा।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कार चलाने के लिए राजसहायता प्राप्त तरलीकृत पेट्रोलियम गैस

2618. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कार चलाने के लिए राजसहायता प्राप्त तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के दुरूपयोग के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या यह खतरनाक है; और

(ग) यदि हां, तो कार चलाने के लिए राजसहायता प्राप्त तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) विभिन्न बाजारों में वाहनों में आटो ईंधन के लिए घरेलू एल. पी. जी. सिलेंडरों के दुरुपयोग जो असुरक्षित है और साथ ही एल. पी. जी. (मोटर वाहनों का विनियमन) आदेश, 2001 की शर्तों के अनुसार गैर कानूनी है, की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ग) सरकार ने वाहनों में आटो ईंधन के प्रयोजनार्थ एल.पी.जी. सिलेंडरों के प्रयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(1) गैर-कानूनी तौर पर अप्राधिकृत प्रयोजनों के लिए घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों का प्रयोग करने के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 लागू किया गया है।

(2) एल.पी.जी. (मोटर वाहन में प्रयोग का विनियमन) आदेश, 2001 वाहनों में प्रयुक्त होने वाले केवल नियमित एल.पी.जी. ईंधन टैंकों की ही अनुमति देता है।

(3) इन आदेशों के प्रावधानों के तहत, राज्य सरकारों को अप्राधिकृत प्रयोग हेतु घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों के दोषी प्रयोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं।

(4) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के अधिकारी वितरक के गोदाम, सुपुर्दगी स्थल साथ ही मार्गस्थ विपथन को रोकने के लिए औचक जांच करते हैं।

(5) विपणन अनुशासन (एम डी जी) डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौतों की शर्तों के अनुसार दोषी वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई करना।

(6) ओ एम सीज के राज्य स्तरीय समन्वयकों की जांच करने और छापे मारने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को लिखा है ताकि आटो ईंधन प्रयोजनों हेतु घरेलू एल.पी.जी. के अप्राधिकृत प्रयोग का पता लगाया जा सके और उसे रोका जा सके।

(7) पूर्वाधार खपत प्रतिमानों के आधार पर वितरकों को रिफिलों की आपूर्ति विनियमित की जा रही है।

(8) आटो एल पी जी वितरण स्टेशन वाले शहरों में अक्तूबर, 2004 में एक संयुक्त प्रेस विज्ञापन जारी किया गया था, ताकि वहां की जनता को आटो ईंधन के रूप में घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों के प्रयोग से जुड़े सुरक्षा उपायों से अवगत कराया जा सके और चयनित पेट्रोल पम्पों पर उपलब्ध आटो एल.पी.जी. का प्रयोग करने के लिए उपभोक्ताओं से निवेदन किया जा सके।

हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड का भारत संचार निगम लिमिटेड में विलय

2619. श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** हिन्दुस्तान केबल कारखाने की पुन: संरचना के बारे में 22 जुलाई, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2244 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार, विभाग में हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड (एचसीएल) के भारत संचार निगम लिमिटेड में विलय की संभावना पर विचार किया है तथा मंत्रालय को अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) एचसीएल के बीएसएनएल में विलय करने के मामले को दूरसंचार विभाग के साथ उठाया गया था। दूरसंचार विभाग ने प्रारंभिक उत्पाद (पोलिथीन विद्युतरोधी जेली फिल्ड केबल) की गिरती हुई मांग और नयी प्रौद्योगिकियों के उभरने की दृष्टि से इस प्रस्ताव पर सहमत होने में अपनी असमर्थता जतायी है।

[हिन्दी]

म्यांमार तथा बांग्लादेश में गैस पाइपलाईन

2620. श्री देविदास पिंगले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ गैस पाइपलाईन परियोजना को मंजूरी देने पर विचार कर रही है जैसा कि 19 नवम्बर, 2004 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाइपलाईन म्यांमार से प्रारम्भ होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संयुक्त गैस पाइपलाईन से जोड़े जाने वाले देश के राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त पाइपलाईन के प्रारम्भ होने के बाद सरकार को होने वाली अनुमानित वार्षिक आय का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) और गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), देबू इंटरनेशनल और दक्षिण कोरिया की कोगास के साथ म्यांमार में ए-1 ब्लाक में भागीदार है। उन्हें इस ब्लाक में गैस मिली है। जमीन या अपतट पाइपलाईन के माध्यम से म्यांमार से भारत को गैस का परिवहन किया जा सकता है बशर्ते कि पाइपलाईन से लाने के लिए वाणिज्यिक रूप से गैस की मात्रा उपलब्ध हो। बांग्लादेश से होकर आने वाला भू-पाइपलाईन मार्ग अति किफायती विकल्प दिखाई देता है। तथापि, बंग्लादेश सरकार को इस मामले में अपना अंतिम दृष्टिकोण रखना है। तीनों देशों के पैट्रोलियम/प्राकृतिक गैस क्षेत्रों के प्रभारी मंत्रियों की एक बैठक की व्यवस्था की जा रही है।

(च) प्रस्तावित पाइपलाइन से देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्यत: लाभ होने की आशा है।

(ङ) यह प्रस्ताव प्रारंभिक चरण पर है और इन ब्यौरों का आकलन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

देश में सीएनजी फिलिंग स्टेशन

2621. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2004 को देश में राज्य-वार सीएनजी फिलिंग स्टेशनों की संख्या कितनी थी;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक राज्य में स्थापित किये जाने वाले नए सीएनजी फिलिंग स्टेशनों की राज्यवार, विशेषकर कर्नाटक में संख्या कितनी है;

(ग) क्या प्रस्तावित सीएनजी स्टेशन वाहनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) 30.6.2004 की स्थिति के

अनुसार देश में 212 सीएनजी केन्द्र प्रचालन में थे। राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

महाराष्ट्र	84
गुजरात	6
दिल्ली	122

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिल्ली और महाराष्ट्र में क्रमश: 10 और 36 अतिरिक्त सीएनजी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। फिलहाल, वर्तमान वर्ष के दौरान कर्नाटक में कोई सीएनजी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) वर्तमान सीएनजी केन्द्र, संबंधित नगरों में सीएनजी से चलने वाले वाहनों की वर्तमान ईंधन जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं।

तथापि, वाहनों को सीएनजी से चलने वाले वाहनों में बदलने और उनकी आवश्यकता के समान सीएनजी वितरण ढांचे का विकास एक सतत प्रक्रिया है।

आटो ईंधन के रूप में सीएनजी देश के भिन्न-भिन्न नगरों में एक चरणबद्ध ढंग से प्राकृतिक गैस और गैस परिवहन के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के अध्यधीन आरंभ की जाएगी।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कल्याणकारी योजनाएं

2622. डा. अरूण कुमार शर्मा:
श्री सुशील कुमार मोदी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र, विशेषकर असम तथा बिहार में गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित/जारी की गई धनराशि का गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में विशेषकर असम तथा बिहार में इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वास्तव में उपयोग की गई धनराशि का गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषकर असम तथा बिहार में संख्या कितनी है; और

(घ) इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा देश में विशेषकर असम तथा बिहार में क्रियान्वित किये जा रहे चालू कार्यक्रमों तथा हासिल प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों, देख-भाल एवं सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों तथा नशीली दवा दुरुपयोग के शिकार व्यक्तियों के कल्याणार्थ कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं के अधीन निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की गई सहायता अनुदान का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट (www.socialjustice.nic.in) पर उपलब्ध है। वर्ष के दौरान, गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की दूसरी किस्त, पूर्व वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र और व्यय का लेखा-परीक्षित विवरण प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्मुक्त की जाती है।

मंत्रालय ने अब तक निम्नलिखित 76 स्वैच्छिक संगठनों को काली-सूची में डाला है, जो इस मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर रहे थे: आंध्र प्रदेश (12), बिहार (2), गोवा (1), गुजरात (2), कर्नाटक (5), मध्य प्रदेश (5), महाराष्ट्र (12), उड़ीसा (2), राजस्थान (3), सिक्किम (1), तमिलनाडु (3), उत्तर प्रदेश (36), पश्चिम बंगाल (1) और दिल्ली (1)। पिछले तीन वर्ष के दौरान और अब तक काली-सूची-बद्ध किए गए गैर-सरकारी संगठनों का राज्यवार ब्यौरा भी मंत्रालय की वेबसाइट (www.socialjustice.nic.in) पर उपलब्ध है।

वायुयानों का कार्यकरण

2623. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे वायुयानों का दैनिक औसत उड़ान समय कितना है;

(ख) क्या यह औसत उड़ान समय निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स के वायुयानों का अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों तथा मानकों के अनुसार उपयुक्त रख-रखाव तथा सर्विस नहीं की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वायुयानों की असंतोषजनक कार्य प्रणाली के बारे में पायलटों द्वारा कितनी शिकायतें की गई है; और

(च) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) वर्ष 2003-04 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उपयोग में लाए जा रहे विमानों का प्रतिदिन औसत उड़ान समय निम्नानुसार है:

1.	ए-300 विमान	-	7.8 घंटे
2.	ए-320 विमान	-	9.4 घंटे
3.	बी-737 विमान	-	7.00 घंटे
4.	डोर्नियर-228 विमान	-	1.9 घंटे
5.	एटीआर विमान	-	5.6 घंटे

(ख) औसत उड़ान के समय के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक निश्चित नहीं किए गए हैं। तथापि विमान निर्माताओं के अनुसार, एअरबस ए 320 तथा ए 300 विमान के लिए विश्व का औसत उड़ान समय क्रमश: 9.09 घंटे तथा 5.51 घंटे है।

(ग) और (घ) विमानों का अनुरक्षण, विमान निर्माताओं के अनुदेशों नागर विमानन महानिदेशालय के अनुदेशों तथा विमान निर्माता देश के प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमानों के अनुरक्षण संबंधी प्रक्रियाओं तथा निदेशों के अनुपालन की निगरानी स्पाट चेक तथा सुनियोजित लेखा-परीक्षा के माध्यम से समय-समय पर, नागर विमानन महानिदेशालय के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है।

(ङ) विमानों के अंसतोषजनक रूप से कार्य करने के संबंध में पायलटों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पायलटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

2624. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लड़ाकू विमानों की विभिन्न दुर्घटनाओं के मद्देनजर भारतीय वायुसेना का विचार लड़ाकू विमान पायलटों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो मिराज सहित लड़ाकू विमानों में तकनीकी गड़बड़ी, यदि कोई हो, को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) परिवर्तनशील संक्रियात्मक तथा सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लड़ाकू विमानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की पुनरीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है। जांच-अदालतों के निष्कर्षों से उत्पन्न सिफारिशों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण के ढांचे में निरन्तर संशोधन किये जा रहे हैं। मिराज-2000 की पिछली दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए रात्रि उड़ान पाठ्यक्रम को पुन: तैयार किया जा रहा है।

(ग) नेमी किस्म की खामियों को रोजमर्रा के आधार पर यूनिटों में दूर कर दिया जाता है। बड़ी खामियों को दूर करने के लिए खराब हिस्से-पुर्जे मरम्मत एजेंसी को भेज दिए जाते हैं। विनिर्माण संबंधी खराबी की आशंका होने पर मूल उपस्कर विनिर्माता के साथ भी परामर्श किया जाता है।

वियना में ओपेक बैठक

2625. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने वियना में हुई ओपेक बैठक में एशियन प्रिमियम के मुद्दे को उठाया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा ओपेक बैठक प्रिमियम में किन मुख्य मुद्दों को उठाया गया;

(ग) इसमें क्या मुख्य निर्णय लिये गए;

(घ) किस सीमा तक भारतीय दृष्टिकोण पर विचार किया गया;

(ङ) क्या भारत में एशिया तथा पश्चिमी देशों के लिए तेल मूल्यों में समानता की मांग की है;

(च) क्या भारत को ओपेक सदस्यों पर दबाव बनाने में जापान तथा चीन का सहयोग मिला था; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (छ) पश्चिम एशिया के कुछ देशों की राष्टीय तेल कंपनियों (एनओसीज) के उत्तरी

अमेरिका, यूरोप और एशिया प्रशान्त जैसे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कच्चे तेल की बिक्री हेतु अलग-अलग मूल्य निर्धारण फार्मूले हैं। विपणन व्यवहार के अनुसार मूल्य निर्धारण फार्मूले प्रत्येक क्षेत्र अर्थात् उत्तरी अमेरिका के लिए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड आयल, यूरोप के लिए ब्रेन्ट क्रूड आयल और एशियाई ग्राहकों के लिए ओमान एंड दुबई क्रूड आयल्स हेतु मार्कर/संगत बैंचमार्क क्रूड आयल से संबद्ध है। मूल्य निर्धारण फार्मूले के आधार पर एशियाई ग्राहकों द्वारा प्रदत्त मूल्य कभी अधिक और कभी कम होता है। यद्यपि अक्सर यह मूल्य अमेरिकी और यूरोप के ग्राहकों से लिए जा रहे मूल्य की तुलना में अधिक नहीं होता है। इसे कभी-कभी ''एशियन प्रीमियम'' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

वियना में 16 और 17 सितम्बर, 2004 को ''पेट्रोलियम इन ऐन इन्टरडिपेंडेन्ट वर्ल्ड'' नाम से आयोजित ओपेक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के एक सत्र के मुख्य संबोधन के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार को आमंत्रित किया गया था। अपने संबोधन में उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ पश्चिम एशिया के कुछ देशों की एनओसीज की विश्व के विभिन्न क्षेत्रों हेतु कच्चे तेल की बिक्री के लिए भिन्न-भिन्न मूल्य निर्धारण फार्मूले संबंधी उपर्युक्त पद्धति के बारे में बताया।

एशियाई तेल अर्थव्यवस्था में स्थिरता, सुरक्षा और सतता पर चर्चा करने के लिए भारत, कुवैत और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम द्वारा संयुक्त रूप से 6 जनवरी, 2005 को आयोजित की जा रही बैठक में तेल के मुख्य एशियाई आपूर्तिकर्त्ताओं और खरीदारों को आमंत्रित किया गया है। भागीदारों में जापान और चीन शामिल हैं।

[हिन्दी]

रेलवे में स्क्रैप की नीलामी पर रोक

2626. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नए रेल बजट में सभी प्रकार के स्क्रैप की नीलामी नहीं करने का निर्णय था;

(ख) यदि हां, तो क्या 27 प्रकार के स्क्रैप की नीलामी पर ही रोक लगाई है तथा शेष वस्तुएं जैसे पहिया, वैगन तथा संपूर्ण बोगियों इसमें शामिल नहीं की गयी है;

(ग) पहियों, वैगनों तथा संपूर्ण-बोगियों की नीलामी पर रोक नहीं लगाने के पीछे क्या तर्क है तथा सरकार द्वारा इनकी नीलामी पर कब तक रोक लगाए जाने की संभावना है; और

(घ) स्क्रैप की नीलमी पर रोक लगाने से रेलवे को कितना नुकसान हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) रेल बजट 2004-05 में यह निर्णय लिया गया था कि लागत आधारित विश्लेषणों तथा तथ्यों आदि की विस्तृत जांच करते हुए स्क्रैप की घरेलू प्रयोग की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशें लंबित होने के कारण रेलवे के उस स्क्रैप जो प्रथमदृष्टया रि-साइकिल नहीं किया जा सकता/जिसको रि-साइकिल किया जाना किफायती नहीं है, को बेचने दिया गया था। कमेटी ने हाल ही में अपनी सिफारिशें दी हैं और उनकी जांच की जा रही है। पहियों/पहियों के सेट, पहियों की डिस्कें, कास्ट आयरन, बोगी फ्रेम, वेगनों के अंडर फ्रेम, एक्स गार्ड आदि को घरेलू तौर पर रि-साइकिल करके पहियों एवं एक्सलों तथा स्टील कास्टिगों का निर्माण किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नए रेडियो स्टेशनों की स्थापना

2627. श्री ब्रजेश पाठक:
श्री नरसिंगराव हु. सूर्यवंशी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कार्यरत आकाशवाणी स्टेशनों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए पहचान किए गए स्थान कौन से हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) वर्तमान में, देश में 215 आकाशवाणी स्टेशन कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 14 उत्तर प्रदेश में हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में 3 नये रेडियो स्टेशनों सहित देश में 72 नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव हैं जो इनके अनुमोदन एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

आकाशवाणी केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य	स्थान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद
2.		अनंतपुर
3.		कुडप्पा
4.		हैदराबाद
5.		काठगोदाम
6.		करनूल
7.		मर्कापुरम
8.		निजामाबाद
9.		तिरूपती
10.		विजयवाडा
11.		विशाखापटनम
12.		वारंगल
13.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर
14.		पासीघाट
15.		तवांग
16.		तेजू
17.		जिरो
18.	असम	धुबरी
19.		डिब्रूगढ़
20.		डिफू
21.		गुवाहाटी
22.		हाफलांग
23.		जोरहट
24.		कोकराझार
25.		नवगांव
26.		सिलचर
27.		तेजपुर
28.	बिहार	भागलपुर
29.		दरभंगा
30.		पटना
31.		पुर्णिया
32.		सासाराम
33.	छत्तीसगढ़	अम्बिकापुर
34.		बिलासपुर
35.		जगदलपुर
36.		रायगढ़
37.		रायपुर
38.	दिल्ली	दिल्ली
39.	गोवा	पणजी
40.	गुजरात	अहमदाबाद
41.		अहवा
42.		भुज
43.		गोधरा
44.		राजकोट
45.		सूरत
46.		वडोदरा
47.	हरियाणा	हिसार
48.		कुरूक्षेत्र
49.		रोहतक
50.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला
51.		हमीरपुर
52.		कसौली
53.		किनौर (कल्पा)

1	2	3
54.		कुल्लू
55.		शिमला
56.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू
57.		कारगिल
58.		कथुआ
59.		लेह
60.		पुंछ
61.		श्रीनगर
62.		भदरवा
63.		कुपवारा
64.		खलसी
65.		नौशेरा
66.		राजौरी
67.	झारखंड	चाईवासा
68.		डालटनगंज
69.		हजारीबाग
70.		जमशेदपुर
71.		रांची
72.	कर्नाटक	बंगलौर
73.		भदरावती
74.		बिलारी
75.		बीजापुर
76.		चित्रदुर्गा
77.		धारवाड
78.		गुलबर्गा
79.		हासन
80.		हासपेट

1	2	3
81.		कारवार
82.		मंगलोर उदीपी
83.		मरकारा
84.		मैसूर
85.		रायचूर
86.	केरल	एलेपी
87.		कालीकट
88.		कनौर
89.		कोचीन
90.		इडुकी (देविकाकुलाम)
91.		त्रिचूर
92.		त्रिवेन्द्रम
93.	मध्य प्रदेश	बलाघाट
94.		बेतुल
95.		भोपाल
96.		छत्तरपुर
97.		छिंदवाड़ा
98.		गुना
99.		ग्वालियर
100.		इंदौर
101.		जबलपुर
102.		खंडवा
103.		रिवा
104.		सागर
105.		शहडोल
106.		शिवपुरी
107.	महाराष्ट्र	अहमदनगर

1	2	3
108.		अकोला
109.		औरंगाबाद
110.		बीड
111.		चंद्रपुर
112.		धूले
113.		जलगांव
114.		कोल्हापुर
115.		मुम्बई
116.		नागपुर
117.		नांदेड़
118.		नासिक
119.		ओसमानाबाद
120.		परभणी
121.		पूणे
122.		रत्नागिरी
123.		सांगली
124.		सतारा
125.		शोलापुर
126.		यावतमल
127.	मणीपुर	इम्फाल
128.	मेघालय	जोवाई
129.		नांगस्टोन
130.		शिलांग
131.		तुरा
132.		विलियमनगर
133.	मिजोरम	आइजेवल
134.		लुंगलह
135.		साइहा
136.	नागालैंड	कोहिमा
137.		मोकाकचुंग
138.		मोन
139.		तयुनसांग
140.	उड़ीसा	बारीपडा
141.		ब्रह्मपुर
142.		भवानीपटना
143.		बोलानगीर
144.		कटक
145.		जयपोर
146.		जोरांडा
147.		क्योंझार
148.		पुरी
149.		राउरकेला
150.		संबलपुर
151.	पंजाब	भटिंडा
152.		जालंधर
153.		पटियाला
154.	राजस्थान	अजमेर
155.		अलवर
156.		बांसवारा
157.		बाड़मेर
158.		बिकानेर
159.		चित्तौरगढ़
160.		चुरू
161.		जयपुर

1	2	3
162.		जैसलमेर
163.		झालवाड़
164.		जोधपुर
165.		कोटा
166.		माउंट आबू
167.		नागौर
168.		सवाई माधोपुर
169.		सूरतगढ़
170.		उदयपुर
171.	सिक्किम	गंगटोक
172.	तमिलनाडु	चेन्नई
173.		कोयम्बटूर
174.		कोडाईकनाल
175.		मदुरई
176.		नागारकाल
177.		ओटाकामुंड
178.		तिरूचिरापल्ली
179.		त्रिवेन्द्रम
180.		तुटीकोरीन
181.	त्रिपुरा	अगरतला
182.		बेलोनिया
183.		कैलाशहर
184.	संघ शासित क्षेत्र	चंडीगढ़
185.		दमन
186.		पांडिचेरी
187.		कराइकल
188.		कावरती

1	2	3
189.		पोर्ट ब्लेयर
190.	उत्तर प्रदेश	आगरा
191.		अलीगढ़
192.		इलाहाबाद
193.		बरेली
194.		फैजाबाद
195.		गोरखपुर
196.		झांसी
197.		कानपुर
198.		लखनऊ
199.		मथुरा
200.		नजीबाबाद
201.		ओबरा
202.		रामपुर
203.		वाराणसी
204.	उत्तरांचल	अल्मोरा
205.		गोपेश्वर (चमोली)
206.		मसूरी
207.		पौड़ी
208.		पिठौरागढ़
209.		उत्तरकाशी
210	पश्चिम बंगाल	आसनसोल
211.		कोलकाता
212.		करसयौंग
213.		मुरशीदाबाद
214.		शांतिनिकेतन
215.		सिलीगुड़ी

विवरण II

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित एफ.एम. तथा मीडियम वेव केन्द्रों की सूची

एफ.एम. आकाशवाणी केन्द्र (संख्या-70)

क्र.सं.	राज्य	स्थान	पावर (कि.वाट.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	काकिनाडा	10
2.		करीम नगर	5
3.		श्रीकाकुलम	1
4.	अरुणाचल प्रदेश	अनीनी	1
5.		बोमडीला	1
6.		डापोरीजो	1
7.		चांगलैंग	1
8.		खोन्सा	1
9.	असम	करीमगंज	1/5
10.		लुमडिंग	1/5
11.		गोलपारा	1/5
12.	बिहार	गया	10
13.		मोतीहारी	10
14.		बांका	10
15.		मधुबनी	10
16.	छत्तीसगढ़	दांतेवाड़ा	5
17.		राजनंदगांव	5
18.		जशपुरनगर	5
19.		बैकंठपुर	5
20.	गुजरात	जामनगर	10
21.		जूनागढ़	10
22.	हरियाणा	अम्बाला	5
23.	झारखंड	धनबाद	10
24.		दुमका	5
25.		गुमला	5
26.	कर्नाटक	श्रिंगेरी	10
27.		बिलारी	10
28.	केरल	कोणी	5
29.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	5
30.	महाराष्ट्र	शिरदी	5
31.		ओरस	5
32.		अमरावती	10
33.	मणीपुर	तमेंगलंग	1/5
34.		उखरूल	1/5
35.	मेघालय	डावकी	1/5
36.	मिजोरम	चम्फई	1/5
37.		ट्यूपंग	1/5
38.		कोलासिब-सारचीप	1/5
39.	नागालैंड	फेक	1
40.		जूनहेबोटो	1
41.		वोखा	1
42.	उड़ीसा	देवघर	5
43.		रायगाडा	5
44.		रायरंगपुर	1/5
45.		पारलेकीमीडी	5
46.	पंजाब	फाजिल्का	10
47.		अमृतसर	20
48.	राजस्थान	रामगढ	20
49.		चौटान हिल	20
50.	तमिलनाडु	कांचिपुरम	5
51.	त्रिपुरा	उदयपुर	1/5

1	2	3	4
52.		नूतन बाजार	1/5
53.		लौंगथराय	6
54.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	10
55.		बांदा	10
56.		लखीमपुर खीरी	10
57.	उत्तरांचल	देहरादून	10
58.		हल्दवानी	10
59.		बागेश्वर	5
60.		चंपावत	1
61.		गेरेसेन	1
62.		रूद्रप्रयाग	1
63.		न्यू तेहरी	1
64.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	10
65.		पुरूलिया	10
66.		माल्दा	10
67.		कुचविहार	10
68.		वर्द्धमान	10
69.		तमलुक	5
70.		बेलूरघाट	10
	मीडियम वेव आकाशवाणी केन्द्र (संख्या-2)		
1.	राजस्थान	दुगरपुर	1
2.	उत्तरांचल	धारचूला	1

तेल तथा हाइड्रोकार्बन की खोज करने के लिए पोत किराये पर लेना

2628. श्री तूफानी सरोज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) ने तेल तथा हाइड्रोकार्बन की खोज करने के लिए कुछ और पोत किराये पर लिये हैं/लिये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किराये पर लिये गए ऐसे पोतों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन पोतों को किराये पर लेने से कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने तेल और गैस के अन्वेषण के लिए 3 वर्ष के लिए दो गहरे पानी में काम करने वाले वेधन पोत और दो उथले पानी वाले पोत/फ्लोटर्स/नौकाएं किराए पर ली हैं।

(ग) तीन वर्षों में इन चार पोतों के किराए पर 3,696.64 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने की अनुमान है।

[अनुवाद]

बराक मिसाइलों की खरीद

2629. श्री निखिल कुमार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इजरायल से बराक मिसाइलों की खरीद आसूचना एजेंसियों की जांच के घेरे में आ गई है जैसा कि 22 अक्तूबर, 2004 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) मैसर्स आई.ए.आई., इजराइल से बराक प्रक्षेपास्त्र-रोधी रक्षा प्रणाली की अधिप्राप्ति का मामला, तहलका वीडियो टेपों में उल्लिखित लेन-देनों की छान-बीन करने के लिए पिछली सरकार द्वारा न्यायमूर्ति वैंकटस्वामी/न्यायमूर्ति एस.एन. फुकन आयोग द्वारा जांच किए जाने वाले मामलों में से एक था। अब यह आयोग समाप्त कर दिया गया है और जांच कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

[हिन्दी]

समस्तीपुर रेलवे मंडल में बर्दी घोटाला

2630. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समस्तीपुर रेलवे मंडल में 10 लाख रुपये के वर्दी घोटाले का पता चला है;

(ख) क्या गत चार वर्षों से समस्तीपुर रेलवे मंडल में कर्मचारियों को वर्दी की आपूर्ति नहीं की गई है तथा भण्डार से 6575 वर्दियां गायब पाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) समस्तीपुर मंडल में वर्दी कक्ष के स्टाक के सत्यापन से पता चला है कि 7.62 लाख रु. के मूल्य वाली 30 मदें कम और 0.51 लाख रुपये के मूल्य वाली 21 मदें अधिक थीं।

(ख) और (ग) जी नहीं, महोदय। ग्रीष्म 2004 से संबंधित 6479 अदद वर्दियों को छोड़कर जो स्टाक सत्यापन में कम पाई गई हैं, समस्तीपुर मंडल के कर्मचारियों को नियमित रूप से वर्दियां सप्लाई की जा रही है।

(घ) मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए तीन अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है और इसी बीच अनियमितता के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले संदिग्ध कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

कच्चे तेल पाइपलाइन में भागीदारी

2631. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिस्र ने भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ने वाली अपनी कई बिलियन डालर की कच्चे तेल पाइपलाइन परियोजना में भागीदारी के लिए भारत को प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाइपलाइन ने कैस्पियन सागर और मृत सागर क्षेत्रों के तेल भंडार में भारत को पहुंच का मौका दिया है;

(ग) क्या इस नई पाइपलाइन ने अलजीरिया और लीबिया से पश्चिमी समुद्री मार्ग भी खोल दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या ईरान ने नामांकन आधार पर तेल क्षेत्र में भारत को 20 प्रतिशत का प्रस्ताव किया है और बदले में ईरान चाहता है कि भारत $2.57 मिलियन बी.टी.यू. पर प्रस्तावित प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन एलएनजी को खरीद करे;

(ङ) यदि हां, तो क्या मिस्र और ईरान दोनों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) वियना में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, भारत सरकार और उनके मिश्र के सहयोगी के बीच 16 सितंबर, 2004 को हुई बैठक में दौरान ओपेक अंतर्राष्ट्रीय सेमीनार की तर्ज पर मिश्र के प्रधान मंत्री ने संकेत दिया था कि उनका इरादा लंबी दूरी की पाइपलाइन बनाने का है जो भूमध्य सागर के तट से लालसागर तक होगी। उन्होंने मिश्र की तरफ से इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् इस परियोजना पर विचार करने में भागीदारी के लिए भारत को आमंत्रित किया। संरेखण, कार्यक्षमताएं और प्रयोग के आधार, जिस पर पाइपलाइन निष्पादित करनी है, यह भूमध्य सागर से लगे हुए क्षेत्रों से भारत तक पहुंच सके। गेल इस आमंत्रण में भाग लेने की कार्रवाई कर रही है।

(घ) से (च) हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और ईरान इस्लामी गणराज्य के पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच 27 जनवरी, 2003 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अंतर्गत सहयोग की प्रगति का अनुसरण करने और इसकी निगरानी करने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई दल (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है। जेडब्ल्यूजी की मई, 2003 में आयोजित पहली बैठक के कार्यवृत्त में सहयोग के पैकेज का प्रावधान है। इस पैकेज में ईरान से भारत को 5 एमएमटीपीए एलएनजी का निर्यात और ईरान द्वारा तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धात्मकता के अधीन ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जैसी किसी भारतीय सा.क्षे.उ. को अच्छे आकार का खोजा गया ईरानी तेल क्षेत्र और एक अर्ध खोजा गया ईरानी तेल प्रदान करने पर वार्ता करने के लिए सहमत होना सम्मिलित है।

इस बारे में करार को अंतिम रूप देना वाणिज्यिक निबंधनों के अध्यधीन है, जिसमें मूल्य पर आपसी रूप से सहमति होना शामिल है। वार्ताएं जारी हैं।

सफदरजंग विमानपत्तन का सौंदर्यीकरण

2632. डा. एम जगन्नाथ: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग विमानपत्तन का वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे क्षेत्र को मिले विरासत स्थल का दर्जा प्रभावित होगा;

(ग) क्या पूर्व में भी विभिन्न एजेंसियों के विरोध के कारण इसके वाणिज्यीकरण की ऐसी कई योजनाओं को रोक दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थल को बागवानी उद्यान के रूप में विकसित करने या बैलूनिंग कार्निवल के लिए उपयोग करने या बहुत ही छोटे और हल्के पर्यटक विमानों या राष्ट्रीय विमानन संग्रहालय के लिए उपयोग करने की संभावना का पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सफदरजंग हवाईअड्डे को वीवीआईपी तथा वीआईपी उड़ानों एवं विमानन संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल, सरकार के पास इस हवाईअड्डे की भूमि को वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इससे पहले, विभिन्न एजेंसियों ने यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समागम एवं प्रदर्शनी केन्द्र, हैरिटेज सेन्टर तथा राष्ट्रीय विमानन संग्रहालय आदि के निर्माण का सुझाव दिया था। इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

(घ) सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताओं के कारण सफदरंजग हवाईअड्डे को माइक्रोलाइट्स, पर्यटक उड़ानों, बैलूनिंग कार्निवालों अथवा हार्टीकल्चर पार्क के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाएं सीमित है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्व जुटाने हेतु विशेष बान्ड

2633. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व जुटाने हेतु आकर्षक विश्व बान्ड जारी करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेल मंत्रालय के लिए भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा योजना संसाधनों को बढ़ाने के लिए बान्ड्स जारी किए जाते हैं और उनका प्रयोग चल स्टाक की खरीद के लिए किया जाता है। राजस्व इकट्ठा करने के लिए कोई बांड्स जारी नहीं किए जाते हैं।

पैट्रोलियम सचिव शिष्टमंडल का तेहरान दौरा

2634. **श्री के.एस. राव:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय शिष्टमंडल ने ईरान के साथ तेल क्षेत्र के लिए गैस संबंधी सौदे को अंतिम रूप देने हेतु तेहरान का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत द्वारा ईरान से कुल कितनी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद की खरीद किए जाने की संभावना है; और

(घ) आपूर्ति कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार तथा ईरान के इस्लामिक गणराज्य के पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच हाईड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 27 जनवरी, 2003 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के उपबंधों के अंतर्गत अनुवर्ती कार्रवाई करने और सहयोग की प्रगति की निगरानी करने के लिए संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है। मई, 2003 में आयोजित जेडब्ल्यूजी की प्रथम बैठक में कार्यवृत्त में एक सहयोग पैकेज का प्रावधान है। इस पैकेज के मुख्य संकेन्द्र में ईरान से भारत को 5 एमएमटीपीए एलएनजी का निर्यात और ईरान का ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जैसे किसी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) को तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा के अध्यधीन एक अच्छे आकार का खोजा गया ईरानी तेल क्षेत्र और

एक अर्धखोजा गया ईरानी तेल क्षेत्र प्रदान करने के लिए ईरान का सहमत होना शामिल हैं।

सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की 23-24 नवंबर, 2004 को तेहरान की यात्रा के दौरान पूर्वोक्त पैकेज के संबंध में ब्यौरे को अंतिम रूप दिए जाने की प्रगति का पुनरीक्षण किया गया। इस विषय पर उस समय मंत्री स्तर पर भी चर्चा की गई जब भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने 5-6 दिसंबर, 2004 को तेहरान की यात्रा की। वार्ताएं जारी हैं। हमारी गैस की खरीद और तेल क्षेत्रों में निवेश के लिए करार को परस्पर स्वीकार्य वाणिज्यिक शर्तों के अध्यधीन अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से ऋण

2635. श्री पंकज चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सड़क परिवहन से प्रतिस्पर्धा स्वरूप सड़कों के समानांतर रेल ढांचे की स्थापना हेतु विश्व बैंक से बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त करने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयास के क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) सरकार द्वारा पहले ही निम्नलिखित दो परियोजनाओं के लिए धनराशि हेतु विश्व बैंक से चर्चा की गई है:

(1) कानपुर-मुगलसराय खंड के लिए क्षमता एवं संरक्षा बढ़ाने के लिए परियोजना (कुल लागत 23 मिलियन अमरीकी डालर)

(2) मुंगेर पुल (कुल लागत 180 मिलियन अमरीकी डालर)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विश्व बैंक से धनराशि हेतु आधुनिकीकरण, उत्पादन में वृद्धि करना, संरक्षा बढ़ाना और रिमोट एरिया रेल संपर्क योजना आदि शुरू करने के लिए कार्य चिन्हित किए गए हैं।

सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुन: रोजगार देना

2636. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की सैन्य कर्मियों के शीघ्र सेवानिवृत्त होने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने हेतु कौन-सी योजना है;

(ख) क्या सरकार का विचार अर्द्धसैनिक बलों में सैन्य बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुन: रोजगार देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकार के पास सशस्त्र बलों के कार्मिकों के शीघ्र सेवानिवृत्त होने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए कई पुनर्वास योजनाएं हैं। इन योजनाओं में सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सेवानिवृत्त होने अथवा सेवा से कार्यमुक्त होने के पश्चात् उनकी नियोज्यता को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किए जाने की सुविधा, भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसियों तथा भूतपूर्व सैनिकों की कोयला परिवहन कंपनियों के माध्यम से रोजगार के अवसर शामिल हैं।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह ग और समूह घ के पदों में क्रमश: 10% तथा 20% आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। यह आरक्षण केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों की रिक्तियों पर भी लागू है। इनके अलावा, केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों में सहायक कमांडेंटों के 10% पद भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।

[अनुवाद]

पूर्व-सेना प्रमुखों का सम्मेलन

2637. श्री विजय कृष्ण:
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली में पूर्व सेना प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) सरकार ने पूर्व सेनाध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित नहीं किया था। तथापि, सेना मुख्यालय ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें संगठनात्मक, प्रशासनिक तथा कल्याणकारी पहलुओं से संबंधित अवर्गीकृत विषयों पर चर्चा की गई थी।

योजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य

2638. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी ने वर्ष 2003-04 के दौरान 36 योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या 11 योजनाएं पूरी हो गई और निविदा प्रक्रिया में विलंब के कारण 6 योजनाएं पूरी नहीं की जा सकीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने वर्ष 2004-05 के दौरान सभी नई योजनाओं को पूरा करने और कुछ योजनाओं को सामने लाने की कोई रणनीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 36 आकाशवाणी परियोजनाओं के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2003-04 के दौरान 28 परियोजनाएं (2003-04 में लक्ष्य न रखी गयी 4 परियोजनाओं सहित) पूरी की गयी थीं। कमी इसलिए रही है क्योंकि निविदाओं पर कार्रवाई करने के दौरान बोलीदाताओं द्वारा की गयी आपत्तियों के कारण ट्रांसमीटरों के लिए आदेश नहीं दिए जा सके।

(घ) और (ङ) लक्षित परियोजनाओं को इस वर्ष के दौरान पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजना स्थल का बार-बार दौरा करके परियोजनाओं की प्रगति की गहनता से मानीटरिंग की जा रही है ताकि विभिन्न कार्यस्थल संबंधी समस्याओं का तीव्रता से समाधान किया जा सके।

गुरूवयूर से एडापल्ली तक नई रेल लाइन का निर्माण

2639. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोडुंगलुर और उत्तरी परूर से होकर गुरूवयूर से एडापल्ली (एर्नाकुलम) को जोड़ने हेतु नई लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) गुरूवयूर से इडापल्ली तक नई लाइन के निर्माण और इडापल्ली से वल्लारपदम तक रेल संपर्क मुहैया कराने के लिए एक मिश्रित सर्वेक्षण रिपोर्ट सितंबर 2003 में पूरी हो गई थी। मै. रेल विकास निगम लि. ने प्रस्ताव का विश्वसनीयता अध्ययन भी किया है और परियोजना विश्वसनीय नहीं पाई गई है।

[हिन्दी]

एनईएलपी के अंतर्गत कंपनियों को लाइसेंस

2640. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल की खोज संबंधी नई लाइसेंस नीति के अंतर्गत तेल और गैस खोज के लिए कंपनियों को लाइसेंस जारी करने हेतु योजना बनाई है जैसा कि दिनांक 27 नवंबर, 2004 को "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो घरेलू उपलब्धता बढ़ाने हेतु उठाए गए कदम के परिणामस्वरूप वर्ष 2004-05 के दौरान कच्चे तेल उत्पादन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) इस वर्ष अप्रैल से सितंबर माह के दौरान कच्चे तेल का कुल कितना मीट्रिक टन उत्पादन हुआ;

(घ) लाइसेंस जारी किए गए तेल कंपनियों द्वारा किन स्थानों और क्षेत्रों में तेल की खोज की गई; और

(ङ) वर्ष 2003-04 के दौरान आज तक सरकार द्वारा तेल क्षेत्रों की खोज पर कितना व्यय किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सरकार ने 1997 में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) अनुमोदित की थी जो 1999 से प्रचालन में आई है। बोलियों के चार चक्र पूरे कर लिए गए हैं। बोलियां आमंत्रित करने के विभिन्न प्रारंभिक कार्यकलापों को पूरा करने के उपरांत जनवरी, 2005 के पहले सप्ताह मे पांचवें चक्र के तहत अन्वेषण ब्लाकों के लिए बोलियां आमंत्रित करने की आशा है। देश के जमीनी, उथले पानी वाले अपतट और गहरे पानी वाले क्षेत्रों में लगभग 20 ब्लाक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) चूंकि खोज और विकास/उत्पादन के बीच समय लगता है, अत: वर्ष 2004-05 में, एनईएलपी अन्वेषण ब्लाकों में निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा की गई हाइड्रोकार्बन खोजों के परिणामस्वरूप कच्चे तेल उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। तथापि अप्रैल, 2004 से सितंबर, 2004 तक कुल कच्चे तेल का उत्पादन 16.987 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) तथा जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 4.2% अधिक है।

(घ) तेल और गैस के अन्वेषण हेतु एनईएलपी के चौथे चक्र के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के साथ 90 ब्लाकों के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनमें 26 ब्लाक भूमि पर है, 30 ब्लाक उथले पानी में है और 34 ब्लाक गहरे पानी वाले क्षेत्र में है।

(ङ) एनईएलपी के तहत ब्लाकों के अन्वेषण में सरकार से कोई निवेश अपेक्षित नहीं है। तथापि, 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार एनईएलपी के तहत अन्वेषण ब्लाकों का कार्य प्राप्त करने वाली कंपनियों द्वारा किया गया निवेश 3047 करोड़ रुपए (अनंतिम) तक था।

जबलपुर-गोंदिया रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2641. श्री राकेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जबलपुर-गोंदिया रेल लाइन के आमान परिवर्तन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना की कुल लागत कितनी है और अब तक इस पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत और आवंटित की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जबलपुर-गोंदिया (बालाघाट-कटांगी शाखा लाइन सहित) आमान परिवर्तन परियोजना के गोंदिया-बालाखंड पर कार्य प्रगति पर है और इस खंड का कार्य 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा जबलपुर छोर तक 12 कि.मी. घुमावदार संरेखण का कार्य प्रगति पर है। बालाघाट-कटांगी और बालाघाट-नैनपुर खंड पर पुलों का निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) इस परियोजना की स्वीकृत कुल लागत अब तक 511.86 करोड़ रुपए है और 31.3.2004 तक इस परियोजना पर 109.81 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान इस परियोजना के लिए 38.06 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय आवंटित किया गया है और इस परियोजना पर चालू वित्तीय वर्ष में नवंबर, 2004 की समाप्ति तक 26.19 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

किशोर गृह के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

2642. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किशोर गृहों की स्थापना और रख-रखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को किशोर गृहों की स्थापना, प्रोत्साहन और रख-रखाव के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और गैर-सरकारी संगठन-वार आबंटित/जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) भारत सरकार किशोर सुधार गृहों को स्थापित करने और इनके रख-रखाव के लिए सीधी कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती लेकिन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से इन्हें निधियां निर्मुक्त करती है। पूर्व तीन वर्षों और इस वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त राशि जिसे इस संबंध में फिर गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त किया गया, को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य, जहां गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी गई	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 नवम्बर, 2004 तक
1.	कर्नाटक	6.07	6.38	10.02	6.63
2.	पश्चिम बंगाल	31.02	28.53	19.83	–
3.	हरियाणा	7.23	8.39	8.32	8.54
4.	महाराष्ट्र	354.21	354.21	539.51	547.53
5.	उड़ीसा	–	0.34	0.70	0.78
6.	गुजरात	–	–	13.39	52.66
7.	दिल्ली	–	–	6.68	–

नि:शक्तता अधिनियम में संशोधन

2643. श्री एम. शिवन्ना: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1996 के नि:शक्तता अधिनियम (समानता का अधिकार) में संशोधन का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास पिछले कई वर्षों से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) संशोधन कब तक पारित हो जाने की आशा है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए प्राप्त सुझावों पर कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

[अनुवाद]

अमौसी विमानपत्तन के लिए सुविधाएं

2644. श्री अतीक अहमद: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमौसी विमानपत्तन, लखनऊ में राज्य सरकार के विमानों के लिए उतरने, ठहराव और आर.एन.एफ.सी. सुविधाओं को नि:शुल्क प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का कोई अनुरोध विचारार्थ लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास लखनऊ में अमौसी हवाईअड्डे पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित विमानों के लिए फ्री लैंडिंग और पार्किंग सुविधा सुलभ कराने के संबंध में कोई अनुरोध-पत्र लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी विमान कम्पनियों को द्विपक्षीय अधिकार

2645. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी विमान कम्पनियों को और अधिक विदेशी गन्तव्यों के लिए उड़ाने भरने की अनुमति देने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया उड़ान भरे जाने वाले गन्तव्य, स्थलों की सरकारों के साथ हुए द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करने में असमर्थ है;

(ग) क्या धनराशि लेकर विदेशी विमान कम्पनियों को अप्रयुक्त द्विपक्षीय अधिकार दिए जाने के स्थान पर सरकार उन्हीं मार्गों पर उड़ान भरने हेतु निजी विमान कम्पनियों को अनुमति देने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सरकार ने फिलहाल निजी एयरलाइनों को सार्क देशों में, भारतीय पक्ष की अनप्रयुक्त पात्रता के बदले में प्रचालन करने की अनुमति इस शर्त पर दी है कि संबंधित हवाई सेवा समझौते में विविध एयरलाइनों को नामित किए जाने का प्रावधान हो।

(ख) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का प्रचालन संबंधित एयरलाइन्स के वाणिज्यिक विवेक से संबंधित मामला है जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास कितना विमान बेड़ा सुलभ है तथा यातायात की मांग कितनी। भारत की नामित एयरलाइनें, अपने विमानों एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, उन्हें उपलब्ध अनुमति के आधार पर, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य अधिकांश अधिकारों का उपयोग कर रही है।

(ग) और (घ) निजी एयरलाइनों को, फिलहाल, सार्क देशों में भारतीय पक्ष के अनप्रयुक्त यातायात अधिकारों के बदले में हवाई प्रचालन करने की अनुमति दे दी गई है। दूसरे गंतव्य स्थलों के लिए प्रचालन करने हेतु निजी एयरलाइनों को अनुमति दिए जाने के संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

नोएडा को अन्य राज्यों के साथ जोड़ना

2646. श्री गुरूदास कामत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आनंद विहार, नई दिल्ली में अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे द्वारा नोएडा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य शहरों के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। आनंद विहार पर विकास कार्य 85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत कर दिया है इस कार्य में अन्य आवश्यक सर्विस इमारतों और अवसंरचना सहित 3 प्लेटफार्मों, 2 वाशिंग लाइनों तथा 3 स्टेबलिंग लाइनों के निर्माण का कार्य शामिल है।

(ग) और (घ) नोएडा विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर दिल्ली और नोएडा को जोड़ने का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। फरवरी 1999 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। 29.18 किलोमीटर लंबी इस लाइन की लागत 110.32 करोड़ रुपये आंकी गई है। वर्ष 2000 में नोएडा के रास्ते तुगलकाबाद से दादरी तक नई बड़ी लाईन के सर्वेक्षण का कार्य भी किया गया था। संरेखण की लंबाई 35.80 किलोमीटर थी और उसकी लागत 287.58 करोड़ रुपये थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ए.एच. व्हीलर एंड कंपनी को दिए जाने वाले बुक स्टाल संविदा का नवीनीकरण

2647. डा. राजेश मिश्रा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स ए.एच. व्हीलर एंड कंपनी को दिए जाने वाले बुक स्टाल संविदा को नवीकृत कर दिया गया है जो दिसंबर, 2002 को समाप्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त संविदा को नवीकृत न किए जाने के विस्तृत कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 12.10.2004 को संशोधित बुक स्टाल नीति-2004 बनाई गई है, जिसमें ठेके की अवधि की समाप्ति पर किसी लाइसेंस के नवीकरण की व्यवस्था नहीं है और यह हिदायत दी गई है कि ठेके की अवधि समाप्त होने पर नए ठेके देने के लिए नए सिरे से निविदा/आवेदन मंगाए जाएं।

संस्कृति संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

2648. श्री कैलाश मेघवाल: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संस्कृति संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बोर्ड के विचारार्थ विषय क्या है; और

(घ) नीति निर्माण में सरकार को इससे कितनी मदद मिलेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों के अलग-अलग विचारों के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए बोर्ड का गठन किया गया है।

बोर्ड के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है:

(1) ऐसे कार्यक्रम तैयार करने में नीतिगत स्तर पर संस्कृति मंत्रालय को परामर्श देना जिनका मुख्य बल भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अलग-अलग स्तर पर उस सृजनात्मकता पर होगा जो अभी तक उपेक्षित रही है अथवा जो मौजूदा संस्थागत तन्त्र के माध्यम से संपोषित नहीं हो पाई है।

(2) विविध उप-क्षेत्रों में मानव प्रतिभाओं का पता लगाना तथा संचरण की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ऐसे कार्यक्रमों की कार्यनीतियों के संबंध में परामर्श देना जो इन दीर्घकालिक परम्पराओं की सृजनात्मक को विकास की प्रक्रियाओं से जोड़ते हों।

(3) मंत्रालय के अधीन प्रत्येक निकाय के कार्यों में समन्वय स्थापित करना ताकि एक व्यापक सुगठित नीति तैयार हो सके;

(4) संबंधित एजेंसियों द्वारा भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर किस हद तक और किस प्रकार ध्यान दिया जा रहा है, इसकी जांच करना।

(5) संस्कृति के क्षेत्र में नवीन आवश्यकता-आधारित कार्यक्रम के प्रारूपण के लिए जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता करना।

(6) संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय मिशनों के कार्य में परामर्श देना।

बाल फिल्म परिसर

2649. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश वर्ष 1995 से अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या हैदराबाद में बाल फिल्म महोत्सव परिसर का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) दसवीं योजना से उस प्रस्ताव को हटाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त निर्णय पर विचार करने और परियोजना को स्वीकृत करने हेतु आंध्र प्रदेश से कोई अनुरोध किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (च) 1995 से बाल चित्र समिति, भारत (सी.एफ.एस.आई.) द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। यह समारोह प्रत्येक दो वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। वर्ष 1997 में, हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह हेतु स्थायी स्थल के रूप में घोषित किया गया था। जब हैदराबाद में बाल फिल्म परिसर के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन था तो उस समय व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) ने स्वयं बाल चित्र समिति, भारत को समाप्त करने की सिफारिश की थी। यह महसूस किया गया कि प्रत्येक दो वर्षों में सात दिनों की अवधि हेतु आयोजित किए जाने वाले समारोह के लिए कार्यालयों एवं थियेटरों सहित सम्पूर्ण समारोह परिसर की स्थापना करना अपेक्षित पूंजीगत निवेश के औचित्य को सिद्ध नहीं करेगा। इस आधार पर इस स्कीम को दसवीं पंचवर्षीय योजना से निकाल दिया गया था। तदनन्तर, आंध्र प्रदेश सरकार से हैदराबाद में परिसर के निर्माण हेतु परियोजना की मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसका जवाब दे दिया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से पहले प्रस्ताव पर फिर से विचार करने हेतु एक अन्य अनुरोध प्राप्त हुआ था। यह मामला मंत्रालय के विचाराधीन है।

पुलों का निर्माण

2650. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने चालू वित्त वर्ष (2004-05) के दौरान गुजरात में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण रोड अंडर ब्रिज और सड़क ऊपरि पुल के निर्माण की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उनका स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) अब तक कुल कितनी राशि जारी की गई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु परियोजना-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलवे द्वारा व्यस्त समपार के स्थान पर सड़क ऊपरि/निचले पुल का निर्माण लागत भागीदारी आधार पर, यदि यातायात सघनता एक लाख या अधिक टी.वी.यू. हो (टी.वी.यू.-24 घंटे में गाड़ियों की संख्या को समपार से गुजरने वाले सड़क वाहनों की संख्या से गुणा करके प्राप्त की गई एक इकाई) किया जाता है अन्यथा निक्षेप शर्तों पर किया जाता है। दोनों मामलों में प्रस्ताव वर्तमान नियमों के तहत अपेक्षित कुछ आरंभिक पूर्व-अपेक्षित शर्तों को पूरा करके राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित करने होंगे। वर्ष के दौरान गुजरात राज्य सरकार से ऐसा केवल एक ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे 2004-05 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

(ख) वडोदरा-गोधरा खंड पर वडोदरा-साविल मार्ग पर 13/4-13/8 कि.मी.पर समपार सं. 9 बी के बदले सड़क ऊपरी पुल।

(ग) से (ङ) रेल पथ पर पुल का निर्माण रेलवे द्वारा और पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वर्ष के दौरान रेलवे के भाग के कार्य निष्पादन के लिए 10 लाख रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे पहुंच मार्गों सहित रेलवे द्वारा अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

अ.पि.व. सूची में जाति को शामिल करना

2651. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और पंजाब राज्य द्वारा अ.पि.व. की सूची में कच्छी-कुशवाहा, कच्छी-शोकिया और कच्छी मौर्य जाति को शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में "मौर्य" जाति के लोगों को अ.पि.व. का दर्जा न दिये जाने के कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां। कच्छी कुशवाहा, कच्छी शाक्य और कच्छी मौर्य जातियों को पंजाब राज्य की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची तथा पंजाब राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल कर लिया गया है।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र चंड़ीगढ़ के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में "मौर्य" जाति को शामिल किए जाने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

सैनिक स्कूलों का उद्देश्य

2652. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सैनिक स्कूलों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सक्षम स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से राज्य सरकार के प्रत्येक जिले में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने के लक्ष्य के साथ सैनिक स्कूल आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त प्रस्ताव स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय के पास लंबित है;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या प्रत्येक राजस्व जिले में लड़कियों के लिए कम से कम एक सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए कितने सैनिक स्कूल खोले गए;

(छ) क्या लड़कियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने लड़कियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ञ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सैनिक स्कूलों का मूल उद्देश्य बच्चों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के जरिए सशस्त्र बलों में प्रवेश दिलवाने के लिए शैक्षिक, शारीरिक तथा मानसिक रूप से तैयार करना है। इसके अन्य उद्देश्य हैं - पब्लिक स्कूल शिक्षा को आम आदमी की पहुंच के भीतर लाना, सशस्त्र बलों के अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा बच्चों के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक गुणों का विकास करना जिससे आज के युवा लड़के कल के अच्छे और योग्य नागरिक बन सकें।

(ख) से (च) महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) लड़कियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है।

(ज) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी लड़कों के लिए है, जिन्हें सशस्त्र सेनाओं में स्थायी कमीशन देने पर विचार किया जाता है। महिलाओं को सिवाय चिकित्सा अधिकारी के सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन देने पर विचार नहीं किया जाता है, इसलिए वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में बैठने के लिए अर्हक नहीं हैं।

(झ) जी, हां।

(ञ) इस मामले पर विचार किया गया है तथा फिलहाल मौजूदा नियमों में परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

कच्चे तेल की पंपिंग

2653. श्री वी.के. ठुम्मर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा खेत में कुएं से कच्चे तेल की पंपिंग के लिए कब्जे में ली गई भूमि किराये के आधार पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम को विशेष लघु भूमि क्षेत्र को खरीदने का निदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम मूल्य निर्धारित करने के लिए किसानों से बातचीत करेगा;

(घ) क्या प्राधिकरण यह पता लगाने का प्रयास करेगा कि क्या किसानों की भूमि को बेचने में अथवा भूमि को किराया आधार पर जारी रखने में रुचि है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) ओएनजीसी किसानों से आरंभ में कूप तीन वर्ष के लिए किराया आधार पर लेकर अथवा सरकारी भूमि के मामले में संबंधित राज्य सरकार से तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए विभिन्न राज्यों में भूमि का अधिग्रहण कर रही है। जब कोई कूप विशेष शुष्क हो जाता है तो भूमि को परित्याग किसानों को पुनरोद्धार लागत सहित कर दिया जाता है ताकि भूमि कृषि के योग्य बन सके।

पाइपलाइन बिछाने के लिए ओएनजीसी प्रयोग का अधिकार (आरओयू) प्राप्त करती है और पाइपलाइन बिछाने के बाद यह भूमि मुआवजे सहित किसानों को लौटा दी जाती है। तथापि किसी अधिष्ठापन की स्थापना के मामले में भूमि का अपेक्षाकृत बड़ा क्षेत्र संबंधित राज्य सरकार के जरिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार स्थाई रूप से अधिग्रहीत कर लिया जाता है।

जब कभी कूप उत्पादन आरंभ करता है, समक्ष प्राधिकारी की सहमति से किसानों के साथ वार्ता के माध्यम से अथवा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार भूमि का स्थाई रूप से अधिग्रहण किया जाता है।

(ग) जी, हां। ओएनजीसी राजस्व प्राधिकारियों के साथ मिलकर किसानों के साथ मूल्य पर वार्ताएं करती है।

(घ) सामान्यत: किसान किराया योजना में रुचि दिखाते हैं परन्तु यदि कूपों से उत्पादन आरंभ हो जाता है अथवा किसी अधिष्ठापन की स्थापना हो जाती है तो ओएनजीसी स्थाई रूप से भूमि के अधिग्रहण को अधिमान देती है।

(ङ) भूमि के किरायों/अधिग्रहण के लिए पिछले तीन वर्ष के दौरान किसानों को भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	किसानों को भुगतान किया गया मुआवजा (करोड़ रुपये में)
2001-2002	15.07
2002-2003	15.42
2003-2004	19.29
2004-2005 (30.9.04 तक)	07.89

प्राकृतिक गैस के भंडार के निरीक्षण में निवेश

2654. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में तटीय क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर प्राकृतिक गैस के भंडार के निरीक्षण में निवेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने पिछले तीन वर्षों में हाइड्रोकार्बनों के निवेश पर क्रमश: 6358.78 करोड़ रुपए और 829.70 करोड़ रुपए के निवेश किए हैं। ओएनजीसी/ओआईएल द्वारा राज्यवार निवेश संलग्न विवरण में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के तहत अन्वेषण ब्लाकों पर विदेशी/निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा 1.4.2004 तक 1843 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस प्रकार निवेश की कुल राशि 9031.48 करोड़ रुपए है।

विवरण

ओएनजीसी एवं ओआईएल द्वारा अन्वेषण पर किया गया निवेश

राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
आंध्र प्रदेश	141.58	164.51	150
असम	439.41	552.66	585.03
गुजरात	190.16	158.22	222.49
हिमाचल प्रदेश	17.48	18.83	9.12
मध्य प्रदेश	2.51	0	0
उड़ीसा	3.07	3.5	4.77
राजस्थान	13.97	14.96	17.3
तमिलनाडु	164.86	194.15	191.85
त्रिपुरा	56.22	58.35	60.66
उ.प्र./उत्तरांचल	28.67	31.16	38.36
पश्चिम बंगाल	43.17	144.72	102.81
तटीय क्षेत्र (अपतट)	814.47	944.75	1604.71
योग	1915.57	2285.81	2987.1

ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. द्वारा पिछले तीन वर्षों में अन्वेषण पर किया गया निवेश : 7188.48 करोड़

एन.ई.एल.पी. के अधीन अन्वेषण खण्डों पर विदेशी/निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों द्वारा किया गया निवेश : 1843 करोड़

अन्वेषण पर किया गया कुल निवेश : 9031.48 करोड़

100 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं

2655. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 100 करोड़ रु. या उससे अधिक लागत वाली परियोजना की निगरानी की द्विस्तरीय प्रणाली अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त निगरानी समिति को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या निगरानी समिति ने हर तिमाही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशें बिना किसी बाधा के कार्यान्वित की गई हैं;

(च) यदि हां, तो 100 करोड़ रु. अथवा उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं के निर्माण में असाधारण विलंब के क्या कारण हैं;

(छ) क्या कार्यपालक प्राधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा 100 करोड़ रु. अथवा उससे अधिक लागत वाली सभी परियोजनाओं को समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) रेलवे में विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं पर निगरानी रखने की सुस्थापित और प्रभावी प्रणाली मौजूद है। उपयुक्त अधिकारियों द्वारा फील्ड और क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर प्रगति को लगातार मानीटर किया जा रहा है। बोर्ड स्तर पर, मासिक प्रगति रिपोर्टों और रेलवे के साथ नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से भी प्रगति की निगरानी की जाती है। हाल ही में, 1,000 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को मासिक आधार पर और 100 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की प्रगति भी हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। उच्च स्तरीय समिति संविदागत मामलों में विलंब और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मामलों सहित परियोजनाओं की निगरानी और उनकी प्रगति की समीक्षा करेगी।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

(घ) जी नहीं। उच्चस्तरीय समिति की बैठक अभी आयोजित होनी है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) परियोजना निष्पादन प्राधिकरण, जहां विलंब उसके नियंत्रण से बाहर है, को छोड़कर परियोजनाओं का समय पर निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार है।

(ज) परियोजनाओं का निष्पादन धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सीमित स्त्रोत होने के कारण सभी परियोजनाओं के लिए समय सीमा निर्धारित करना व्यवहारिक नहीं है। चालू परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की सुविधा उपलब्ध कराने में प्रयास किए गए है।

तिरूवनंतपुरम दूरदर्शन केन्द्र का विस्तार और आधुनिकीकरण

2656. श्री पी.सी. थामस: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दूरदर्शन केन्द्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई है;

(ख) इस संबंध में योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरदर्शन केन्द्र, तिरूवनंतपुरम के विस्तार की क्या स्थिति है और इस संबंध में भविष्य की क्या योजनाएं हैं;

(घ) क्या इस केन्द्र के कार्यक्रम और समाचार अनुभागों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हैं;

(ङ) क्या तिरूवनंतपुरम दूरदर्शन केन्द्र के कर्मचारियों ने विभिन्न शिकायतों संबंधी अभ्यावेदन दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि रायपुर और रांची में अतिरिक्त स्टूडियो निर्माणाधीन है। देहरादून और गोरखपुर में स्थापित किए जाने हेतु भी स्टूडियो को अनुमोदित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दसवीं योजना के दौरान 17 प्रमुख दूरदर्शन केन्द्रों के पूर्ण डिजिटलीकरण और 30 लघु स्टूडियो केन्द्रों का 50 प्रतिशत तक डिजिटलीकरण किए जाने की भी परिकल्पना है।

(ग) दूरदर्शन केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम में एक स्टूडियो के डिजिटलीरण का कार्य पूरा हो गया है। दूसरे स्टूडियो के डिजिटलीकरण का कार्य 2006-07 तक पूरा हो जाने की संभावना है। केन्द्र को एक न्यूज किल्प वितरण प्रणाली मुहैया करवा दी गई है। 2004-06 के दौरान स्क्रिप्ट न्यूज आटोमेशन और एक डी.एस.एन.जी. यूनिट भी मुहैया करवाये जाने की योजना है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अभ्यावेदनों पर विषय संबंधी नियमों/अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही कर दी गई है।

भर्ती निविदा और कबाड़ के निपटान में भ्रष्टाचार

2657. श्री बी. विनोद कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भर्ती, निविदा, कबाड़ आदि में अत्यधिक भ्रष्टाचार के कारण राजस्व का भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना घाटा हुआ है;

(ग) अब से सरकार द्वारा इस स्थिति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रेलवे ने कबाड़ के निपटान के लिए निविदा का विज्ञापन देते समय निविदाओं के लिए धरोहर राशि जमा कराने के लिए कहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या रेलवे द्वारा पालन किए जाने के लिए निविदा से संबंधित कोई लिखित दस्तावेज है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। भर्ती के मामलों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं है। बहरहाल, स्क्रैप के लिए निविदा मांगने और उसके निपटान में राजस्व होने वाली हानि का पता चला है।

(ख) पिछले तीन सालों, प्रत्येक में उसके कारण होने वाला घाटा इस प्रकार है:

मद	2002	2003	2004 (अक्तूबर तक)
भर्ती	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
निविदाएं	32.11 लाख रुपए	कोई नहीं	कोई नहीं
स्क्रैप का निपटान	23* करोड़ रुपए	34.7* करोड़ रुपए	35.7* करोड़ रुपए

*ये आंकड़े उस स्क्रैप की कम/अधिक गणना के लिए हैं जो समय पर पता चल जाने के कारण राजस्व की हानि से बच गए।

(ग) रेल मंत्रालय ने स्क्रैप के निपटान में राजस्व के घाटे को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे कि गहन जांच करना, विभिन्न शैडों और डिपो पर इलैक्ट्रानिक तौल चौकियों की व्यवस्था करना तथा सभी रेल और रेलपथ सामग्री का कम्प्यूटराइजेशन करना।

(घ) भर्ती और निविदाओं से संबंधित शिकायतों की सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जाती है और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ङ) निविदाधारकों को निविदा की 5% राशि के बराबर अग्रिम धनराशि जमा कराना अपेक्षित है। यह राशि प्रत्येक निविदा के मामले अधिकतम 50,000/- रुपए है। सेल एडवाइज के जारी होने से पहले सफलतम निविदाकारों को जमानत राशि के तौर पर 10% राशि जमा करानी अपेक्षित है। अग्रिम धनराशि निविदा को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद असफल निविदादाताओं को लौटाई जाती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी हां।

(ज) निविदा के लिए निम्नलिखित लिखित कागजात हैं जिनका रेलवे द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित है।

(1) संविदा की सामान्य शर्तें

(2) निविदा की मानक विशेष शर्तें

(3) मानक विनिर्दिष्टयां

(4) इंजीनियरिंग विभाग के लिए भारतीय रेलवे संहिता (तृतीय पुनर्मुद्रण) 1999

(5) इंजीनियरिंग स्थायी आदेश संख्या 10 जिसमें निविदा पर रेलवे बोर्ड के परिपत्र शामिल हैं।

(6) इस विषय पर रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य लिखित परिपत्र

(7) बीआईएस/आईआरएस और अन्य नियमावली

(8) भंडार विभाग के लिए भारतीय रेल संहिता वाल्यूम-1 और आपूर्ति संविदा के नियम

उपुर्यक्त के अलावा क्षेत्रीय रेलें रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सामान्य नीति मार्गनिर्देशों के तहत विस्तृत परिपत्र भी जारी करती हैं, ताकि ठेकेदार उनसे लाभान्वित हो सकें। उपर्युक्त प्रलेख या तो करार का अंश होती है या संविदा प्रलेख में इस बात का उल्लेख होता है कि ठेके को निष्पादित करते समय पालन किया जाएगा।

अहमदाबाद से मास्को के लिए उड़ानें

2658. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की अहमदाबाद से मास्को के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित होने जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) इस समय अहमदाबाद से मास्को तक सीधी उड़ान आरंभ करने के संबंध में न तो एअर इंडिया की और न ही इंडियन एयरलाइन्स की कोई योजना है। तथापि, मुंबई से सप्ताह में तीन बार अहमदाबाद से मास्को के लिए उड़ान सुलभ है, जिसे कि कोड शेयर उड़ानों की मार्फत एयरोफ्लोट के सहयोग से प्रचालित किया जाता है।

भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए विभाग की स्थापना

2659. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों का समुचित ढंग से निवारण करने के लिए विभाग की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रस्तावित विभाग भूतपूर्व सैनिकों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् की आवश्यकताओं की भी जांच करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पहले ह एक अलग भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का गठन कर दिया है।

(ख) इस विभाग के प्रमुख एक अपर सचिव हैं। रक्षा मंत्रालय के भीतर समन्वय के प्रयोजन से रक्षा सचिव इसका समग्र पर्यवेक्षण करेंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) भूतपूर्व सैनिक विभाग, भूतपूर्व सैनिकों की सेवानिवृत्ति के बाद ही निम्नलिखित आवश्यकताओं के संबंध में कार्यवाही करेगा:-

(1) भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के पुनर्वास तथा कल्याण संबंधी सभी पहलू;

(2) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना; और

(3) सशस्त्र सेनाओं के पेंशन संबंधी सभी मामले।

[हिन्दी]

एअर इंडिया द्वारा कालीनों की खरीद

2660. श्री अधीर चौधरी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया द्वारा की गई कालीनों की खरीद में कोई अनियमितता पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक ऐसे कितने मामलों को सरकार के ध्यान में लाया गया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) एअर इंडिया द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान, विमानों के लिए

मैसर्स पेनसिल्वेनिया वोवेन कार्पेट मिल्स (पी.डब्ल्यू.सी.एम.), यू.एस.ए. से कालीनों की खरीद किए जाने के मामले में कुछ अनियमितताएं देखने में आयी थीं।

(ख) एअर इंडिया को मैसर्स पेनसिल्वेनिया वोवेन कार्पेट मिल्स द्वारा कालीनों की आपूर्ति न किए जाने के कारण 197.70 लाख रुपए की हानि उठानी पड़ी थी।

(ग) इसके अतिरिक्त, और कोई मामला सरकार के सामने नहीं आया है।

(घ) एअर इंडिया ने इस प्रकार की अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) खरीद आदेश जारी करने के पश्चात् पार्टी द्वारा उसे स्वीकार किए जाने, उसकी पावती भेजे जाने तथा अन्तिम रूप से माल प्राप्त होने तक लगातार मानीटरिंग की जाती है;

(2) अग्रिम राशि का भुगतान किए जाने के लिए अनुमोदन का प्राधिकार केवल उप महाप्रबन्धक तथा उससे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है;

(3) प्रभावी नियंत्रण के लिए मैक्सी-मर्लिन सिस्टम (आन-लाइन सामग्री प्रबन्धन) शुरू किया गया है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्रतिभा उन्नयन योजना

2661. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए प्रतिभा उन्नयन योजना सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस योजना के कब तक स्वीकार किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) इस नाम की कोई भी योजना लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूरे देश में गैस पाइपलाइन

2662. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार क्षेत्रीय असंतुलन से बचने के लिए पूरे देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में प्राकृतिक गैस पारेषण अवसंरचना के विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपने नामांकित अभिकरण के माध्यम से गैस की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों को भी आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्राकृतिक गैस ग्रिड की स्थापना करने का प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) जी हां। प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नीति के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने अभ्यावेदन दिया है कि सभी अंतर्राज्यीय गैस प्रेषण पाइपलाइनें बिछाने के लिए गेल को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पश्चिम बंगाल सरकार के विचार में निजी क्षेत्र को अंतर्राज्यीय पाइपलाइन बिछाने में भागीदारी करने की अनुमति देने से गैस बाजारों का विकास विषम हो सकता है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन में और वृद्धि होगी।

(ङ) वर्तमान नीति के अनुसार कोई भी निकाय सरकार से किसी प्राधिकार/लाइसेंस के बिना गैस प्रेषण और वितरण नेटवर्क स्थापित कर सकता है। प्राकृतिक गैस/एलएनजी मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अधीन है, और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है। तथापि, चूंकि प्राकृतिक गैस की पाइपलाइनें अत्यधिक पूंजी गहन परियोजनाएं हैं। इसलिए इन्हें स्वाभाविक एकाधिकार माना जाता है और इसलिए सरकार का इनका विनियमन करने का प्रस्ताव है। विभिन्न पणधारकों, जिनमें मुख्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनियां वाणिज्य और उद्योगों के विभिन्न चैम्बर, राज्य सरकार आदि सम्मिलित है, से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर और अंतर-मंत्रालयीन परामर्श के बाद एक प्रारूप पाइपलाइन नीति का सरकार के विचाराधीन है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को साथ लेते हुए एक विनियामक की निगरानी में एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में राष्ट्रव्यापी गैस ग्रिड का विकास परिकल्पित है। इस पाइपलाइन का उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, कुशलता तथा और अधिक निवेश को प्रोत्साहन देना है, जिसमें अंतत: उपभोक्ता और

कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। क्षेत्रीय वितरण पर विशेष ध्यान दिए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

सिगनल प्रणाली में परिवर्तन

2663. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आमान परिवर्तन के साथ सिगनल प्रणाली में परिवर्तन का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो फुलेरा और जोधपुर के बीच सिगनल प्रणाली में परिवर्तन न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सिगनल प्रणाली में कब तक परिवर्तन किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) कांटों और सिगनलों के केंद्रीकृत परिचालन के लिए आधुनिक सिगनल प्रणाली मुहैया कराने के प्रस्ताव पर परिचालनिक आवश्यकताओं और निधियों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा। बहरहाल, स्टेशन यार्डों के ट्रैक परिपथन का संरक्षा कार्य चल रहा है और 31.3.2007 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

एन.सी.सी. का विस्तार

2664. श्री अनंत नायक: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एन.सी.सी. के सुदृढ़ीकरण और विस्तार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकार के पास फिलहाल राष्ट्रीय कैडेट कोर का तत्काल विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण करने संबंधी कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, नवंबर, 2001 में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्वीकृति कैडेट संख्या 12 लाख कैडेट से बढ़ाकर 12,76,560 कैडेट कर दी गई थी तथा अक्तूबर, 2002 में इसे और बढ़ाकर 13 लाख कर दिया गया था।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

फिल्मों का निर्माण

2665. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एक वर्ष में कितनी फिल्मों का निर्माण होता है;

(ख) सरकार द्वारा फिल्म उद्योग से कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ग) फिल्म उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(घ) फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) भारत में फिल्म उद्योग एक निजी क्षेत्र है और सरकार इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखती है।

तथापि, भारत ने फिल्म उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्षस्थ निकाय, भारतीय फिल्म फेडरेशन से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतिवर्ष देश में औसतन 800 फीचर फिल्मों का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 2003 के दौरान सेल्यूलाइड फोर्मेट पर 877 भारतीय फिल्में प्रमाणित की गयी तथा वर्ष 2004 के दौरान दिनांक 31.01.2004 तक सेल्यूलाइड फोर्मेट पर 751 भारतीय फीचर फिल्में प्रमाणित की गयी।

फिल्म उद्योग पर राज्य सरकारों द्वारा मनोरंजन कर लगाया जाता है। केन्द्र सरकार को केन्द्रीय उत्पाद एवं आयकर नियमों के अंतर्गत होने वाली आय को छोड़कर किसी प्रत्यक्ष या विशिष्ट उपकर के जरिए फिल्म उद्योग से कोई राजस्व अर्जित नहीं होता है।

(ग) भारतीय फिल्म फेडरेशन से प्राप्त सूचना के अनुसार फिल्म क्षेत्र में लगभग 10 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से और लगभग 40 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है।

(घ) इस क्षेत्र के समग्र विकास के हित में मनोरंजन क्षेत्र में परिवर्तन करने हेतु सरकार ने अनेक पहले की हैं।

* अब मनोरंजन उद्योग को संस्थागत और बैंक वित्त पोषण सुलभ हैं।
* फिल्म क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमेय है।
* फिल्म उद्योग की दृश्यता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सहभागिता का मार्ग प्रशस्त किया है।
* विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक आधार पर फिल्म-सप्ताहों और समारोहों का आयोजन किया जाता है।
* भारतीय फिल्म उद्योग के लिए वित्त-पोषण और बाजारों के अवसरों को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ दृश्य-श्रव्य सह-निर्माण करारों की संभावना का पता लगाया जा रहा है।
* फिल्म उद्योग के लिए नीतिगत ढांचे का सुझाव देने के लिए गठित मनोरंजन क्षेत्र विकास समिति ने मनोरंजन-कर में कटौती करने, फिल्म क्षेत्र में चोरी को रोकने हेतु कदम उठाने, भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग को सुविधाजनक बनाने के उपाय करने आदि की सिफारिश की है।
* इस क्षेत्र में उद्यम पूंजी के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कार्यनीति का सुझाव देने के उद्देश्य से गठित उद्यम पूंजी समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं।
* इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फिल्मों के लिए समिति निधियन की व्यवस्था करता है और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए फिल्म उद्योग के एकीकृत विकास का पर्यवेक्षण करता है।

कोटा-बारन खंड का विद्युतीकरण

2666. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोटा-बारन-गुना-बीना और जयपुर-सवाई माधोपुर खंड के विद्युतीकरण के प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन खंडों के विद्युतीकरण में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन विद्युतीकरण प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आमान-परिवर्तन

2667. श्री डी.बी. पाटिल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नांदेड़ (महाराष्ट्र) मंडल के अंतर्गत मुदखेड-आदिलाबाद और मुदखेड-सिकंदराबाद रेल लाइन पर आमान परिवर्तन कार्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बड़ी लाइन की रेलगाड़ियां इसी लाइन पर चलेंगी;

(ग) यदि हां, तो क्या आमान परिवर्तन की कठिनाइयां धनराशि की कमी के कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या रेल मंत्रालय इस लाइन के लिए धनराशि प्रदान करेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) मुदखेड-आदिलाबाद खंड पर आदिलाबाद-किनवात का आमान परिवर्तन पहले ही पूरा हो चुका है। शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है। मुदखेड-सिकंदराबाद खंड पर मुदखेड-निजामाबाद और सिकंदराबाद-मनोहराबाद के बीच आमान परिवर्तन पहले ही पूरा किया जा चुका है। मनोहराबाद-निजामाबाद के आमान परिवर्तन के शेष कार्य को 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) मुदखेड-आदिलाबाद खंड पर बड़ी लाइन की गाड़ियां तभी शुरू की जा सकती है जब बड़ी लाइन चालू होगी।

(ग) और (घ) जिन खंडों को चालू वर्ष के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और उनकी प्रगति हो रही है और इनके लिए आवश्यकतानुसार धनराशि मुहैया कराई जाएगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल सवारी डिब्बा विनिर्माण कारखानें

2668. श्री सनत कुमार मंडल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने रेल सवारी डिब्बा विनिर्माण कारखानें हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) इन कारखानों की प्रतिवर्ष कितने एसी और बिना एसी वाले सवारी डिब्बों का विनिर्माण करने की क्षमता है;

(ग) क्या इन कारखानों द्वारा विनिर्मित सवारी डिब्बे रेल सवारी डिब्बों की मांग/आवश्यकता को पूरा करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन कारखानों की विनिर्माण क्षमता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेल मंत्रालय के अधीन दो रेल सवारी डिब्बा विनिर्माण कारखाने हैं, वे हैं: सवारी डिब्बा कारखाना (सडिका), पेरम्बूर और रेल कोच फैक्ट्री (रे.को.फै.) कपूरथला। इन उत्पादन इकाइयों की सहायता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में एक इकाई अर्थात् मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी.ई.एम.एल.), बेंगलूरू और निजी क्षेत्र में कलकता के पास की एक इकाई मैसर्स जैसप भी कार्य कर रही हैं।

(ख) प्रतिवर्ष वातानुकूलित और गैर-वातानुकूलित सवारी डिब्बों के विनिर्माण क्षमता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

टिप्पणी: सामान्यत: वातानुकूलित सवारी डिब्बे वार्षिक उत्पादन का लगभग 10% होता है और वर्ष दर वर्ष परिवर्तित होते रहते हैं:-

इकाई	स्थापित क्षमता
सडिका	1000
रे.को.फै.	1000

सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र (रेल मंत्रालय के अधीन नहीं हैं) की इकाइयों में सवारी डिब्बों के विनिर्माण की लाइसेंसशुदा/स्थापित क्षमता निम्नानुसार है।

बीईएमएल	450 सवारी डिब्बे (ब.ला.)
जैसप	72 ई एम यू, 180 मी.ला. सवारी डिब्बे

(ग) जी हां, भारतीय रेल के लिए सवारी डिब्बों की आवश्यकता के मौजूदा स्तर को पूरा करने के लिए इन इकाइयों में उपलब्ध कुल क्षमता पर्याप्त है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। पिछले तीन वर्षों के दौरान विनिर्माण किए गए रेल सवारी डिब्बों की सं. और ब्यौरा निम्नानुसार है:

सवारी डिब्बे	2001-02	2002-03	2003-04
कुल	2262	1938	2332

(ङ) भविष्य में प्रत्याशित यातायात की मांग को ध्यान में रखते हुए सडिका और रे.को.फै. की उत्पादन क्षमता को निम्नानुसार बढ़ाया जा सकता है:-

	वर्तमान में	भविष्य में
सडिका	1000	1150
रे.को.फै.	1000	चरण I में 1400 एवं चरण II में 1500

[हिन्दी]

झोगोआं में कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा

2669. श्री संजय धोत्रे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के अकोला जिले में झोगोआं और मुर्तिजापुर रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंप्टूरीकृत आरक्षण प्रदान करने संबंधी पूर्वोक्त निर्णय के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। इस समय ऐसी सुविधा उपलब्ध कराए जाने की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ईरान के साथ समझौता ज्ञापन

2670. श्री कीर्ति वर्धन सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन ने विभिन्न चरणों में दक्षिण भागों में गैस भंडार का विकास करने के लिए ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में कितना भंडार होने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन ने ईरान की पेट्रोमार्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत दोनों कंपनियों का प्रस्ताव ईरान की राष्ट्रीय तेल कंपनी नेशनल ईरानियन आयल कंपनी (एनआईओसी) को एक एकीकृत परियोजना के संयुक्त विकास के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने का है जिसमें निम्नलिखित शामिल हो:

1. गैस के लिक्विफैक्शन के लिए संबंधित ''डाऊन स्ट्रीम सुविधाओं'' की सुपुर्दगी करने के लिए पर्याप्त फीड गैस के उत्पादन के लिए साऊथ पार्स गैस फील्ड के एक चरण की ''अपस्ट्रीम सुविधाएं'' ताकि प्रति वर्ष 9.0 मिलियन टन एलएनजी का उत्पादन हो, और

2. संबंधित डाऊनस्ट्रीम गैस लिक्विफैक्शन सुविधाओं का विकास

(ग) साऊथ पार्स गैस फील्ड में 280 टीसीएफ से अधिक प्राकृतिक गैस होने की रिपोर्ट है। ईरान ने इस क्षेत्र को 20 चरणों में विभक्त करके इससे गैस का मौद्रीकरण करने के लिए एक प्रमुख योजना विकसित की है। इंडियन आयल कार्पोरेशन और पेट्रोपार्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए जाने वाले क्षेत्र में भंडार उस चरण पर निर्भर करेंगे जो एनआईओसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। तथापि, 25 वर्ष के लिए लगभग 9.0 एमएमटीपीए एनलएनजी के उत्पादन के लिए पर्याप्त किसी क्षेत्र को लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

एनएफ रेलवे के रिक्त पदों को भरना

2671. श्री राजेन गोहेन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एनएफ रेलवे में बड़े पैमाने पर रिक्त पदों को क्षेत्र से बाहर के लोगों द्वारा भरे जाने की जानकारी है;

(ख) एनएफ रेलवे में रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है और ये पद किन श्रेणियों में रिक्त हैं;

(ग) क्या सरकार को एनएफ रेलवे में 595 पदों के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को वंचित करके मानदंडों के विरुद्ध भरे जाने की जानकारी है जिसके कारण एक आंदोलन आरंभ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। रेलवे के मूल निवास के आधार पर भर्ती का ब्यौरा नहीं रखा जाता है क्योंकि ऐसे रोजगार को शामिल करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भर्ती देश के सभी नागरिकों के लिए खुली होती है।

(ख) 1.12.2004 को 10,679 (समूह ''ग''-8119 और समूह ''घ'' 2560)

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित मानदंडों का अनुसरण करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पिछली बकाया रिक्तियों के संबंध में समूह ''घ'' में 595 पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की गई है। कथित चयन के संबंध में किसी विरोध की सूचना नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती

2672. श्री मोहन सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाने के लिए योजना कार्यक्रम बनाए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार श्री लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में दिल्ली में कोई बड़ा स्मारक बनाने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व और इतिहास पर कोई पुस्तक प्रकाशित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) भारत सरकार ने श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म शताब्दी समारोह वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों की सिफरिश करने/सुझाव देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। वर्ष भर चलने वाले समारोह 2 अक्तूबर, 2004 से आरंभ हुए। श्री लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि

2673. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी का विचार कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने और विदेश स्थित तेल क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तावित निवेश कुल कितना होगा; और

(ग) इससे सरकार को कुल कितनी आमदनी होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के प्रबंधन ने विभिन्न वर्धित/उन्नत तेल निकासी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लगभग 13,750 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमोदन किया है, जिनमें मुंबई हाई दक्षिण और मुंबई हाई उत्तर पुनर्विकास और पश्चिमी अपतट, वसई पूर्व, बसीन क्षेत्र आदि का विकास भी सम्मिलित है।

देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), ओएनजीसी की सहायक कंपनी, निवेश में इक्विटी तेल का अर्जन और विदेश में अन्वेषण रकबों और उत्पादक परिसंपत्तियों का अर्जन कर रही है। विदेश में ओवीएल के अन्वेषण और उत्पादन कार्यों के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में 13,550 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(ग) उपरिवर्णित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वर्धित तेल उत्पादन और विदेश में तेल क्षेत्र में भागीदारी से सरकार से होने वाली संभावित कुल आय अच्छी होगी किन्तु इस अवस्था में इसकी पूरी मात्रा नहीं बताई जा सकती।

केन्द्रीय एजेंसी द्वारा पंचायतों की निगरानी

2674. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के सभी राज्यों में पंचायती राज पद्धति को कड़ाई से लागू करने पर ध्यान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन राज्यों में पंचायती राज पद्धति लागू की गई है उनकी निगरानी केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जाती है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय एजेंसी द्वारा अब तक निगरानी किये गए राज्यों के नाम क्या है;

(ङ) क्या पंचायतों को पंचायती राज अधिनियम द्वारा वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार इसे कब तक लागू करेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) "जी हां। इस उद्देश्य के लिए पंचायती राज के माध्यम से "गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण समृद्धि" विषय पर मुख्यमंत्रियों और ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों को एक सम्मेलन ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 29-30 जून, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

पंचायती राज से संबंधित संविधान के भाग IX और IX "क" के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विचार-विमर्श के लिए कार्यबिन्दु के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इन मुद्दों में कार्यों, निधियों, कर्मियों का प्रभावी अंतरण, आयोजना ग्राम सभा, महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विशेष समस्याएं, चुनाव, लेखा-परीक्षा, समानान्तर निकाय क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण और पंचायत रिपोर्ट की स्थिति तथा न्यायप्रक्रिया से संबंधित मुद्दे शामिल थे। सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक कार्य-योजना का मसौदा तैयार करने के लिए सात गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि संविधान के प्रावधान के अनुसार आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों की

योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को स्व-शासन की एक वास्तविक संस्था बनने में सक्षम बनाया जा सके।

छह गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें पंचायती राज के 18 चिन्हित विषयों में से सोलह विषय पर चर्चा की गई है। शेष दो विषयों पर जयपुर में 17-19 दिसम्बर, 2004 को आयोजित होने वाले सातवें गोलमेज सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। पंचायतों के प्रभारी मंत्रिगण और उनके प्रतिनिधि विचाराधीन विषयों के संबंध में छठे गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्राप्त निष्कर्षों पर आगे आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अपने संबंधित सरकारों से सिफारिश करने पर सहमत हुए। इसी प्रकार पंचायतों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा सातवें गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्राप्त निष्कर्षों पर अपने संबंधित सरकारों से सिफारिश करने का भी प्रस्ताव है ताकि इन्हें लागू किया जा सके।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) कानून की देख रेख राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आती है। पंचायतों को, राज्य पंचायती राज अधिनियमों के द्वारा अलग-अलग मात्रा में वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।

पंचायतों को शक्तियां प्रदान करने संबंधी कृतिक बल

2675. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऊर्जा के अन्य स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए पंचायतों को अधिकार प्रदान करने और इसकी आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में करने हेतु एक कृतिक बल का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रस्तावित कृतिक बलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे कृतिक बलों के गठन के साथ इन कृतिक बलों में विभिन्न राज्यों और पंचायतों से लिये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) महाराष्ट्र में गठित किये जाने वाले ऐसे प्रस्तावित कृतिक बलों की संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी नहीं। तथापि, पंचायतों को पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी और मदद से लघु विद्युत उत्पादन की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए इंडिपेन्डेंट पावर प्रोडयूसर्स एसोसियेशन से संपर्क रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रिक्त रेलवे क्वार्टरों की वजह से रेलवे को हानि

2676. श्री रघुनाथ झा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी 2004 (रेलवे) की रिपोर्ट संख्या 8-पैरा 5.3.1 में यह उल्लेख किया है कि रिक्त रेलवे क्वार्टरों के आबंटन में विलम्ब की वजह से रेलवे को 1.87 करोड़ की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) रिक्त पड़े रेलवे क्वार्टरों का ब्यौरा क्या है और रेलवे कर्मचारी कब से वर्ग-वार आवास के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

डीलरशिप में वित्तीय भागीदारी

2677. श्री अधीर चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संबंधित तेल कंपनी की अनुमति से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप में वित्तीय भागीदारों को शामिल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या करार पर हस्ताक्षर होने के बाद वित्तीय भागीदार डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का अंग बन जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे भागीदारों को फर्म के असली स्वामी की मृत्यु की स्थिति में फर्म के पुनर्गठन की अनुमति होती है और उसके कानूनी वारिसों को डीलरशिप का अंग बनाने से इंकार किया जा सकता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके पुनर्गठन की अनुमति उसे न देने के क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार इस मामले में कानूनी मत मांगेगी; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। मूल आबंटिती की मृत्यु की स्थिति और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से कारोबार चलाने की अनिच्छा की स्थिति में संबंधित तेल कंपनी के अनुमोदन से और कुछ शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन शेष भागीदारों के साथ डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का पुनर्गठन अनुमेय है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार का इस मामले में कोई कानूनी राय लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को वाणिज्यिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए सरकार ने ओएमसीज को सरकार द्वारा सुझाए गए व्यापक प्राचलों के आधार पर डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के पुनर्गठन पर अपने दिशानिर्देश बनाने के लिए अधिकृत किया है।

लकड़ी के स्लीपरों हेतु भंडारण सुविधा

2678. श्री सुरेश अंगडि: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास विभिन्न रेलवे जोनों के लकड़ी के स्लीपरों को भंडारित करने के लिए कोई समुचित भंडारण सुविधा नहीं है जिससे लकड़ी के स्लीपर खुले में पड़े रहते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचता है;

(ख) यदि हां, तो उन डिपो का जोन-वार ब्यौरा क्या है जहां लकड़ी के स्लीपर भंडारित किए जाते हैं;

(ग) क्या रेलवे को लकड़ी के स्लीपरों की क्षति के वजह से भारी हानि उठानी पड़ी है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। स्लीपरों के भंडारण के लिए बंद गोदाम ही आवश्यक नहीं हैं और लकड़ी के स्लीपर खुले में भंडारित किए जा सकते हैं। बहरहाल, इनके भंडारण के समय कुछ पूर्व सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है।

(ख) प्रत्येक रेल पथ पर्यवेक्षक के पास लकड़ी के स्लीपरों सहित रेल पथ सामग्री के भंडारण के लिए आवश्यक डिपो (बंद और खुला दोनों) होता है।

(ग) जी नहीं। खुले में लकड़ी के स्लीपरों के भंडारण में पूर्व सावधानियों का ध्यान में रखने के कारण लकड़ी के स्लीपरों में हाल ही में हुई नुकसानियां नगण्य हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मेहसाणा-विरमगाम रेल लाइन

2679. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेहसाणा-विरमगाम रेल लाइन का आमान परिवर्तन कार्य यथा निर्धारित समय से प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बड़ी लाइन पर कार्य कब तक पूरा होने और यात्री रेलगाड़ी शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) जी हां। हाल ही में मीटर लाइन के आमान परिवर्तन का काम पूरा किया गया है। यात्री गाड़ी चलाने के संबंध में योजना बनाई जा रही है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन और आकाशवाणी का कार्यनिष्पादन

2680. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस तथ्य कि नब्बे प्रतिशत से अधिक जनसंख्या की पहुंच राष्ट्रीय चैनलों तक होने के बावजूद दूरदर्शन और आकाशवाणी की लोकप्रियता और गुणवत्ता निजी चैनलों की तुलना में दिन-प्रतिदिन घट रही है;

(ख) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी की लोकप्रियता में कमी का कारण कार्यक्रमों की खराब गुणवत्ता है;

(ग) यदि हां, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) इसमें सरकार को किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि लोगों को सूचना देने, शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने के लोक सेवा प्रसारक के जनादेश को पूरा करने के उद्देश्य से प्रसार भारती विषय-वस्तु और गुणवत्ता दोनों के रूप में उत्कृष्टता हेतु सतत रूप से कार्य करता आ रहा है। प्रसार भारती अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सतत रूप से कार्य कर रहा है। दूरदर्शन अपने विभिन्न चैनलों पर प्रसारित धारावाहिकों/कार्यक्रमों की गुणवत्ता की सतत रूप से समीक्षा करता है और कार्यक्रमों की विषय-वस्तु और तकनीकी गुणवत्ता/प्रसारण को और सुधारने के लिए प्रयास करता है। कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए स्टूडियो और उपस्करों का निरन्तर रूप से आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

दूरदर्शन द्वारा शुरू की गई हाल की पहलों में 30 टेलीविजन चैनलों (दूरदर्शन/निजी) और 12 रेडियो चैनलों के समूह वाली एक फ्री-टू-एयर डी.टी.एच. सेवा, ब्लाक बुस्टर फिल्मों का प्रसारण भारतीय गौरव ग्रंथों पर आधारित धारावाहिकों का निर्माण जैसी "तहरीर मुंशी प्रेमचन्द की" सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर कार्यक्रम जैसे "कल्याणी I और II" खेल आयोजनों जैसे एथेन्स ओलम्पिक्स 2004, इण्डो-पाक, इण्डो-आस्ट्रेलिया एण्ड इण्डो-साऊथ अफ्रीका क्रिकेट सीरिज 2004 आदि का प्रसारण करना शामिल है।

[अनुवाद]

वायुयान के प्रयोग हेतु बकाया धनराशि

2681. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक रक्षा मंत्रालय के समक्ष विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा वायुयानों के प्रयोग के लिए लम्बित बकाया धनराशि कितनी है;

(ख) वह राशि कब से लम्बित पड़ी है; और

(ग) उक्त धनराशि की वसूली के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध लंबित बकाया राशियों का अलग-अलग लेखा-जोखा मंत्रालय में पृथक रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, विमानों के इस्तेमाल के कारण विभिन्न राज्य सरकारों के प्रति बकाया राशियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) बकाया राशियों की वसूली के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ लगातार कार्रवाई की जाती है।

विवरण

राज्य	धनराशि (करोड़ में)	कब से लंबित है (आरंभिक बिल की तिथि)
1	2	3
अरूणाचल प्रदेश	78.01 रु.	17.06.98
उड़ीसा	54.13 रु.	13.08.01
हिमाचल प्रदेश	40.60 रु.	10.06.98
उत्तरांचल	01.56 रु.	18.01.01
बिहार	06.26 रु.	14.05.97
उत्तर प्रदेश	00.53 रु.	29.08.01
मध्य प्रदेश	01.57 रु.	19.12.97
राजस्थान	00.53 रु.	18.09.96
आंध्र प्रदेश	04.30 रु.	04.09.00
असम	02.47. रु.	01.04.98
गुजरात	01.08 रु.	12.08.97
हरियाणा	0.002 रु.	08.04.99
जम्मू-कश्मीर	36.64 रु.	15.05.98
कर्नाटक	00.86 रु.	12.07.00
केरल	00.12 रु.	20.09.04
महाराष्ट्र	00.76 रु.	29.08.01

1	2	3
मणिपुर	01.44 रु.	03.04.96
मेघालय	00.06 रु.	03.01.77
मिजोरम	00.08 रु.	11.09.01
नागालैंड	00.07 रु.	14.03.00
पंजाब	00.32 रु.	01.01.94
सिक्किम	00.27 रु.	1985-87
तमिलनाडु	00.75 रु.	14.07.03
त्रिपुरा	00.09 रु.	1986-87
छत्तीसगढ़	04.40 रु.	31.03.04
झारखंड	00.38 रु.	28.04.04
केन्द्र शासित प्रदेश		
अंडमान और निकोबार	00.24 रु.	10.01.00
दादरा और नगर हवेली	00.09 रु.	30.11.04

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवानिवृत्ति की आयु

2682. श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) सरकार सेवानिवृत्ति की आयु में कमी करने से संबंधित ऐसे किसी सामान्य नीतिगत प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डी.टी.एच. के परिचालन और अनुदेशों की समीक्षा

2683. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधू यादव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार और ट्राई को डी.टी.एच. के परिचालन और अनुदेशों की समीक्षा करने और देश में डी.टी.एच. उपभोक्ताओं को अश्लील चैनलों से बचाने और राष्ट्र विरोधी संदेशों के प्रसारण को रोकने के लिए त्रुटिहीन तकनीकी समाधान के लिए निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी.टी.एच. उपभोक्ता चोर बाजार से कंडीशनल एक्सेस मोडुल कार्ड भी खरीद सकते हैं और इस कार्यप्रणाली का दुरूपयोग आतंकवादी संगठनों द्वारा/राष्ट्र विरोधी संदेशों के प्रसारण के लिए भी किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनके समक्ष दायर एक जनहित मुकदमा याचिका पर केबल अन्तरिम आदेश दिए हैं। यह मामला इस समय न्यायाधीन है।

(ग) और (घ) अश्लील चैनलों को देखने और गुप्त/राष्ट्र विरोधी संदेशों हेतु दुरूपयोग करने संबंधी इसकी संदिग्धता के लिए डी.टी.एच. सेवा के संभव दुरूपयोग के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित मुकदमा याचिका दायर की गयी थी। अगस्त, 2004 में मंत्रालय में इस मामले की जांच की गयी थी और जनहित मुकदमा याचिका में व्यक्त की गयी चिंताओं पर सचिव (सूचना और प्रसारण) द्वारा आयोजित बैठक में संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गयी थी। विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में स्थिति के संदर्भ में संदेश के जरिए सुरक्षा भंग होने की विभिन्न संभावनाओं की जांच करने के लिए इस मंत्रालय से संयुक्त सचिव (प्रसारण) की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का और निर्णय लिया गया। इस समिति ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि सरकार केबल डी.टी.एच. सेवाओं की मानीटरिंग के उद्देश्य से ही नहीं बल्कि भारत में अभिग्रहणीय उपग्रह प्रसारणों के लिए भी अपना स्वयं का मानीटरिंग स्टेशन स्थापित कर सकती है। तदनुसार इस मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) को एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैट्रोलियम उत्पादों की दर

2684. श्री देविदास पिंगले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवंबर, 2004 के प्रथम सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों की दर क्या थी और यह भारत में वर्तमान दर से कितनी अधिक है;

(ख) दर में कम वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय तेल वितरण कंपनियों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में लगातार वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) रिफाइनरियों को आयात समता आधार पर पेट्रोल, डीजल, सा.वि.प्र. मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के मूल्यों का भुगतान करती हैं। ओएमसीज इसके बदले सरकार के साथ परामर्श करते हुए इन उत्पादों के घरेलू उपभोक्ता बिक्री मूल्यों की समीक्षा करती हैं। सरकार इन उत्पादों के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों की लगातार निगरानी कर रही है और सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रहा है जिससे घरेलू उपभोक्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ाव से यथासंभव सीमा तक रक्षा की जा सके।

5.11.2004 को नई दिल्ली में इन उत्पादों के वास्तविक खुदरा बिक्री मूल्यों (आरएसपी) की उन खुदरा बिक्री मूल्यों से तुलना अनुबंध पर है, जो आयात समता आधार पर प्राप्त होंगे।

(ग) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि से देश के तेल आयात बिल में वृद्धि हुई है। अप्रैल-सितंबर, 2004 की अवधि के लिए मात्रा और मूल्य के संबंध में कच्चे तेल के आयात को पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि से तुलना नीचे दी गई है:

	अप्रैल-सितंबर, 2004		अप्रैल-सितंबर, 2003	
	मात्रा (एमएमटी)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (एमएमटी)	मूल्य (करोड़ रु.)
कच्चे तेल के आयात	50.01	61,177	43.98	38,665

अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप पैट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति संबंधी दबाव भी पड़ता है।

ओएमसीज ने अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार सा.वि.प्र. मिट्टी तेल, घरेलू एलपीजी, डीजल और पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्यों में संशोधन न होने के कारण अप्रैल-सितंबर, 2004 के दौरान लगभग 9800 करोड़ रुपए की अल्प वसूलियों का अनुमान लगाया है।

उत्पाद	नई दिल्ली में 5.11.04 को आरएसपीज	
	वास्तविक आरएसपीज	आयात समता आधार पर आरएसपीज*
सा.वि.प्र. मिट्टी तेल (रु./लीटर)	9.01	22.05
घरेलू एलपीजी (रु./सिलेंडर)	281.60	438.10
डीजल (रु./लीटर)	26.28	28.40
पेट्रोल (रु./लीटर)	39.00	39.00

*-सा.वि.प्र. मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के लिए अक्तूबर, 2004 के औसत अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और डीजल और पेट्रोल के लिए अक्तूबर, 2004 के दूसरे पखवाड़े हेतु औसत अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर।

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर धारावाहिकों को मंजूरी

2685. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन में धारावाहिकों को मंजूरी प्रदान करने के लिए किन अनुदेशों का अनुसरण किया जाता है;

(ख) क्या इन अनुदेशों की अवहेलना हुई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन अनुदेशों की अहवेलना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि "प्रायोजकता श्रेणी" के अंतर्गत प्रस्तावों को अनुमोदित करने संबंधी दूरदर्शन के दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ एक मूल्यांकन समिति द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन करने उक्त समिति द्वारा संस्तुत प्रस्ताव/पायलेट की दूरदर्शन के अधिकारियों और बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करके बनायी गयी एक चयन समिति द्वारा

जांच करने का प्रावधान है। इस मूल्यांकन/जांच के कार्य को अन्य बातों के साथ-साथ दूरदर्शन कार्यक्रम संहिता के प्रावधानों द्वारा संचालित किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना

2686. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे की कितनी हैक्टेयर भूमि अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) क्या सरकार का विचार महानगरों और अन्य शहरी क्षेत्रों में अधिशेष भूमि के वाणिज्यिक दोहन के लिए रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(ग) भूमि के प्रयोग और धन उगाहने हेतु प्रस्तावित अन्य कदम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलवे के पास लगभग 42,846 हैक्टेयर खाली भूमि है।

(ख) जी हां।

(ग) रेलवे भूमि/आकाशीय क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास के अतिरिक्त, खाली पड़े रेलवे भूमि जिसकी परिचालनिक और अनुरक्षण संबंधी प्रयोजनों के लिए तत्काल आवश्यकता नहीं है, को रेलवे की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रयोजनों (यथा बल्क आयल संस्थापनाओं, साइडिंगों, वाणिज्यिक, वृक्षारोपण आदि) के लिए अल्पकालिक लाइसेंस पर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

इराक में अंतर्राष्ट्रीय फर्मों से भारी निवेश आकर्षित करना

2687. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इराक अपने तेल और गैस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय फर्मों से भारी निवेश को आकर्षित करने में अत्यधिक रुचि ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इराक के तेल उद्योग में निवेश करने के पक्ष में है;

(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या है जिन्होंने इराक के तेल उद्योग में निवेश करने में रुचि दर्शाई है; और

(घ) इराक के तेल उद्योग में निवेश करने के लिए कितनी भारतीय कंपनियों को आर्डर प्राप्त हो गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) जबकि इराक को तेल क्षेत्र में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है, वहीं इस क्षेत्र में निवेश के बारे में विशेष परियोजनाओं और नीतिगत ढ़ांचे के संबंध में निर्णय इराक सरकार द्वारा अभी लिया जाना है। इस बारे में निर्णय केवल चुनी हुई सरकार द्वारा लिया जाएगा। पहले ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने ब्लाक-8, जो इराक स्थित एक ब्लाक है, के अन्वेषण के लिए इराक सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। इराक में विद्यमान स्थितियों के कारण ओवीएल ने अनिवार्य बाध्यता घोषणा प्राप्त की है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आमान परिवर्तन

2688. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में उन रेलवे लाइनों की संख्या कितनी है जिनका अभी तक आमान परिवर्तन नहीं हुआ है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी लाइन में परिवर्तित हुई रेलवे लाइनों की लंबाई कितनी है और इस पर राज्य-वार कितना व्यय हुआ;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषकर उत्तर प्रदेश में आमान परिवर्तन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) उन खंडों का ब्यौरा क्या है जहां चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक परियोजना पूरी होने की संभावना है;

(ङ) क्या इस परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त धनराशि हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलवे लाइनों को आमान-वार, समूह-वार और खंड-वार वर्गीकृत किया गया है। इन्हें मीटर लाइन/छोटी लाइन की संख्या के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। 01.04.2003 को देश में 17,500 रूट

कि.मी. मीटर लइन/छोटी लाइन मौजूद थीं जिनमें से 1771 कि.मी. उत्तर प्रदेश में थीं।

(ख) नौवीं योजना के दौरान पूरे किए गए आमान परिवर्तन का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

राज्य	आमान परिवर्तन कि.मी.
आंध्र प्रदेश	214
असम	186
बिहार	139
गुजरात	187
कर्नाटक	220
मध्य प्रदेश	50
महाराष्ट्र	264
राजस्थान	102
तमिलनाडु	526
उत्तर प्रदेश	155
उत्तरांचल	50
कुल	2103

(ग) परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य परियोजना की प्रगति और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। आगरा-बांदीकुई, जो अंशत: उत्तर प्रदेश में आता है, को 2004-05 में पूरा करने का लक्ष्य है।

(घ) सूचना नीचे दिए अनुसार है:

खंड	लंबाई कि.मी. में
मानसी-सहरसा	44
आगरा किला-बांदीकुई का भरतपुर-आगरा किला	53
अजमेर-उदयपुर का उदयपुर-चित्तौड़गढ़	108
न्यू जलपाईगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव का समुक्तला-न्यू बोंगाईगांव	78
सिकंदराबाद-मुदखेड़ का मनोहराबाद-निजामाबाद	118
मुदखेड़-आदिलाबाद का आदिलाबाद-किंवत	45
जबलपुर-गोंदिया का गोंदिया-बालाघाट	48
रांची-लौहारडगा	67
रूपसा-बांगड़ीपोसी का रूपसा-बारीपड़ा	52
बांकुड़ा-दामोदर नदी रेलवे लाइन का बांकुड़ा-सोनमुखी	42
मुदैरा-रामेश्वरम का मदुरै-मानामदुरै	48
त्रिची-नागौर-करैकल का तन्जौर-तिरूवरूर	55
हसन-मेंगलौर का बीजापुर-सकलेशपुर	55
बीजापुर-गदग का बीजापुर-बगलकोट	94
सुरेन्द्र नगर-पिपावाव का सिहौर-परितलाना	27
जोगबनी-कटिहार-राधिकापुर का बरसोई-राधिकापुर	53
भिलदी-विरंगम का विरंगम-मेहसाणा (बिल्ड आन ट्रांसफर)	65
कुल	1052

(ङ) और (च) परियोजना को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधि बजटीय समीक्षा के दौरान पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

रेलवे द्वारा नदियों पर पुस्ता बनाना

2689. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व मध्य रेलवे ने हाल ही में बिहार की विभिन्न नदियों के पुस्तों को मजबूत बनाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अन्य राज्यों में विशेषत: झारखण्ड में नदियों पर पुस्तों को मजबूत बनाने के लिए रेलवे के प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हाइड्रोकार्बन चैस बोर्ड

2690. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम मंत्रालय ऊर्जा सुरक्षा हेतु संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की कार्यसूची के अनुसरण में भारत की ऊर्जा स्थिति को ठीक करने के लिए वैश्विक हाइड्रोकार्बन चैस बोर्ड के संबंध में विभिन्न कदमों पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या भारत की योजना विदेशी तेल क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए प्रतिवर्ष एक बिलियन डालर से अधिक धन खर्च करने की है किन्तु यह चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो विश्व के ऊर्जा मानचित्र में भारत के नाम को दर्ज कराने में भारत किस सीमा तक सफल होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के ऊर्जा सुरक्षा खंड के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), साथ ही आईओसी, ओआईएल और गेल जैसी अन्य राष्ट्रीय तेल कंपनियां विदेशों में तेल इक्विटी प्राप्ति के साथ-साथ विदेशों में तेल और गैस अन्वेषण रकबे प्राप्त करने और विशेषता हासिल करने में लगी हुई है। इन कंपनियों का वियतनाम, सूडान, इराक, ईरान, म्यांमार, लीबिया, सीरिया, आस्ट्रेलिया और आइवरी कोस्ट स्थित तेल और गैस परियोजनाओं में भागीदारी हित है। ये तेल कंपनियां अब तक विदेश स्थित तेल और गैस परियोजनाओं में लगभग 2500 मिलियन अमेरिकी डालर का निवेश कर चुकी हैं।

अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों के सहयोग से ओवीएल कजाखस्तान, कुवैत, यमन, कतर, अंगोला, क्यूबा, सिएरा लोन, बांग्लादेश और इक्वेजेर जैसे देशों में ई एंड पी अवसरों का सक्रियता से पता लगा रही है। यह उन देशों में और अधिक ई एंड पी परिसंपत्तियां प्राप्त करने के प्रयासों के अतिरिक्त है जहां यह इस समय प्रचालनरत है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ओवीएल के विदेशों में ई एंड पी कार्यकलापों के लिए 13,550 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस प्राप्ति का क्षेत्र बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक है जहां ओवीएल को चीन जैसे तेल और गैस की कमी वाले राष्ट्रों साथ ही विकसित देशों की तेल कंपनियों के समक्ष कड़ी चुनौती का सामना करना होता है।

विदेश में तेल इक्विटी प्राप्त करने के प्रयासों में भारतीय तेल कंपनियों को दिशानिर्देश और सलाह देने के लिए सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा हेतु तेल राजनय पर एक सलाहकार समिति का गठन किया है जिसमें उन देशों और क्षेत्रों का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं जिनके साथ तेल कंपनियों द्वारा अंतर्संपर्क किए जाने की संभावना है।

प्लेटफार्मों पर अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश

2691. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर ढीली-ढाली टिकट निरीक्षण प्रणाली की वजह से प्लेटफार्मों पर हजारों अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश हो जाता है जिससे रेलवे को लाखों रुपये की हानि होती है और आतंकवाद के मौजूदा परिदृश्य में यह सुरक्षा को गम्भीर चुनौती भी पेश करता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) रेलवे प्लेटफार्मों पर अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए समय-समय पर जांचें आयोजित की जाती है।

मालगाड़ी का पटरी से उतरना

2692. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 2004 में पुराने फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से आने और जाने के दौरान मालगाड़ियों के पटरियों से उतरने की कुछ घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो मालगाड़ियों के पटरी से उतरने के क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार ने रेल पथ की कमियों का पता लगाने और मालगाड़ियों का भार ढोने की क्षमता जानने के लिए कोई अध्ययन किया है और क्या रेल पथों से गंभीर दुर्घटनाओं एवं पटरी से उतरने की संभावनाओं में वृद्धि होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) माल डिब्बे में खराबी के कारण 13.10.2004 को फरीदाबाद टाउन स्टेशन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी। बहरहाल, मालगाड़ी के पटरी से उतरने की दूसरी घटना रेल पथ में खराबी के कारण फरीदाबाद के पास पलवल और असौती स्टेशनों के बीच 09.10.2004 को हुई।

(ग) और (घ) रेल पथ ढांचा यातायात की अपेक्षित किस्म के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है और चलती गाड़ी की संरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से उचित सावधानी और अध्ययन के बाद गति की अनुमति दी जाती है।

इस उद्देश्य के लिए रेल पथ की मरम्मत और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। आवश्यकता के आधार पर अनुरक्षण कार्य नियमित रूप से किया जाता है। यातायात की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल पथ का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और जहां कहीं अपेक्षित हो तत्काल निवारक कार्रवाई की जाती है। यदि किसी स्थिति में आवश्यक हो तो संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गति सीमा भी लागू की जाती है। नवीकरण की आवश्यकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर रेल पथा का नवीकरण भी किया जाता है।

(ङ) भारतीय रेल संरक्षा प्राथमिक चिंता का विषय है और रेल पथ को सुदृढ़ करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में रेल पथ ज्यामिति और चालू रेल पथ की विशेषताओं की निगरानी, परिष्कृत रेल पथ रिकार्डिंग का और ओसिलोग्राफ कार, रेल पथ ढांचे का अपग्रेडेशन, रेल पथ का यांत्रिकृत अनुरक्षण, पटरी इस्पात की विशिष्टियों का अपग्रेडेशन रेलवे कर्मचरियों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए उनका प्रशिक्षण, अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर का प्रयोग, पटरी की छुपो हुई कमियों का पता लगाने के लिए रेल पथ का नियमित निरीक्षण और गैंगमैन द्वारा रेल पथ की गश्त शामिल हैं।

रेलवे का फ्रिक्वेंट ट्रेवलर्स प्रोग्राम

2693. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का बारम्बार आवागमन करने वाले यात्रियों के लाभार्थ ''फ्रिक्वेंट ट्रेवलर्स प्रोग्राम'' को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) बार-बार यात्रा करने वाले रेलयात्री जो इस योजना के लिए अपना नाम दर्ज कराएंगे उन्हें उनकी यात्रा की बारम्बारता के आधार पर प्वाइंट दिए जाएंगे। उनके पास जमा होने वाले प्वाइंटों के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।

[हिन्दी]

डी.ए.वी.पी. द्वारा विज्ञापन जारी करने में भेदभाव

2694. श्री सुरेश चन्देल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) लघु, मध्यम और बड़े समाचारपत्रों को केन्द्रीय सरकार के विज्ञापन जारी करने में भेदभाव करता है जिसका विशेषकर लघु और क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों को खामियाजा भुगतना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कतिपय संसद सदस्यों ने निदेशालय द्वारा विज्ञापनों को जारी करने में किए जा रहे भेदभाव की शिकायत की है तथा इसमें पारदर्शिता बरतने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके सुझावों पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान लघु, मध्यम और बड़े समाचारपत्रों को अलग-अलग कितने-कितने प्रतिशत विज्ञापन दिए गए?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय अपने पैनल में शामिल समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। भारत सरकार की विज्ञापन नीति और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में समाचारपत्रों को शामिल करने संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में समाचारपत्रों को विज्ञापन जारी किए जाते हैं। ग्राहकों की वरीयताओं, प्रचार संबंधी आवश्यकताओं, बजट, लक्ष्यित दर्शकगण आदि को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन जारी किए जाते हैं। माननीय संसद सदस्यों से जब कभी शिकायतें/उल्लेख प्राप्त होते हैं तो उनकी जांच की जाती है तथा वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत करा दिया जाता है।

(ङ) वर्ष 2003-04 और 2004-05 (नवम्बर, 2004 तक) के दौरान छोटे मझोले और बड़े समाचारपत्रों को दिए गए विज्ञापनों की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2003-2004 (01.04.2003 से 31.03.2004 तक) के दौरान प्रतिशतता सहित जारी विज्ञापन

श्रेणी	समाचार पत्रों की संख्या	कुल अंतर्वेशन	अंतर्वेशनों की प्रतिशतता	स्थान कालम से.मी.	स्थान प्रतिशतता	राशि (रु. में)	राशि की प्रतिशतता
लघु	1,762	51,672	23.00	52,00,114	29.55	15,03,68,217	9.45
मझौले	639	92,111	40.99	71,71870	40.76	38,40,85,988	24.13
बड़े	183	80,908	36.01	52,23,434	29.69	105,70,06,783	66.42
कुल	2,584	2,24,691	100.00	1,75,95,418	100.00	159,14,60,988	100.00

वर्ष 2004-2005 (01.04.2004 से 30.11.2004 तक) के दौरान जारी किए गए विज्ञापन, प्रतिशतता सहित

श्रेणी	समाचार पत्रों की संख्या	कुल अंतर्वेशन	अंतर्वेशनों की प्रतिशतता	स्थान कालम से.मी.	स्थान प्रतिशतता	राशि (रु. में)	राशि की प्रतिशतता
लघु	1,737	35,457	23.32	22,18,675	26.39	6,49,73,198	7.42
मझौले	656	60,060	39.50	32,56,440	38.73	16,58,72,734	18.95
बड़े	187	56,536	37.18	29,32,584	34.88	64,45,84,762	73.63
कुल	2,580	1,52,053	100.00	84,07,699	100.00	87,54,30,694	100.00

पेंशन हेतु अर्ह सेवा अवधि

2695. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेनाकर्मियों के लिए पूरी पेंशन प्राप्त करने हेतु 33 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करना आवश्यक है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उनमें इस प्रावधान की वजह से भारी असंतोष है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) सैनिकों की यह मांग रही है कि पूरी पेंशन अर्जित करने के लिए 33 वर्ष की शर्त हटा दी जाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने इस मुद्दे पर विचार किया था परन्तु उसने पूरी पेंशन की अर्हता के लिए 33 वर्ष की सेवा की अपेक्षा को हटाने की सिफारिश नहीं की। चूंकि पूरी पेंशन अर्जित करने के लिए 33 वर्ष की शर्त, पेंशन संगणना के लिए एक मूलभूत सिद्धांत है जो रक्षा और सिविलियन पेंशनभोगियों दोनों के लिए समान रूप से लागू है इसलिए सरकार ने यह विचार किया है कि इसे छोड़ देने से इसके सिविल क्षेत्र में भी व्यापक वित्तीय और प्रशासनिक प्रभाव पड़ेंगे।

[अनुवाद]

हल्दिया पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का पुनरूद्धार

2696. श्री विजय कृष्ण:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयलन कार्पोरेशन (आईओसी) का विचार हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का पुनरूद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो आईओसी द्वारा इस संबंध में तैयार की गयी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी निवेश ब्यूरो ने एचपीएल के पुनरूद्धार कार्य शुरू करने हेतु आईओसी को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्य में होने वाले संभावित व्यय का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), जो एक नवरत्न कंपनी है, ने अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एचपीएल) के बराबर 150 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करने का निर्णय लिया। अपने निवेश के पदले आईओसी कार्यकारी समितियों में शामिल होने के अलावा, एचपीएल के बोर्ड में एक प्रतिनिधि को नामित करने की हकदार होगी।

आसियान देशों हेतु नया मार्ग निर्धारण फार्मूला

2697. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर भारत जैसे अलाभकारी क्षेत्रों में और अधिक उड़ान भरने वाली निजी भारतीय विमान कंपनियों को नये मार्ग निर्धारण फार्मूले के अंतर्गत आसियान देशों हेतु और लाभकारी उड़ानों के अधिकार प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नया फार्मूला तैयार कर लिया गया है और इसे अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत ने मल्टीपल एयरलाइनों को विमानन दर्जा देने हेतु आसियान देशों से कोई अनुरोध किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(छ) क्या निजी एयरलाइनों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने से पहले इंडियन एयरलाइन्स को इस प्रतिस्पर्धा को सामना करने हेतु तैयार कर दिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) सरकार ने फिलहाल निजी एयरलाइनों को सार्क देशों में, भारतीय पक्ष की अनप्रयुक्त पात्रता के बदले में प्रचालन करने की अनुमति इस शर्त पर दी है कि संबंधित हवाई सेवा समझौते में विविध एयरलाइनों को नामित किए जाने का प्रावधान हो। दूसरे गंतव्य स्थलों के लिए प्रचालन करने हुए निजी एयरलाइनों को अनुमति दिए जाने के संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। संबंधित हवाई सेवा समझौते के अंतर्गत सभी आसियान देशों के लिए एकाधिक एयरलाइनों को नामित किए जाने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया है। सिंगापुर, मलेशिया तथा थाइलैण्ड ने हमारा प्रस्ताव मंजूर कर लिया है।

(छ) और (ज) इंडियन एयरलाइन्स की विमान बेड़ा अधिग्रहण योजना को पी.आई.बी. स्तर पर पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। हमारे पास उपलब्ध अप्रयुक्त यातायात अधिकारों के बदले में निजी एयरलाइनों को सार्क देशों में प्रचालन करने की अनुमति दी गई है।

केरल और अन्य राज्यों में लक्जरी पर्यटन रेलगाड़ियां

2698. श्री सी.के. चंद्रप्पन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में पैलेस आन व्हील्स की तर्ज पर एक लक्जरी पर्यटक रेलगाड़ी शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केंद्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में ऐसी लक्जरी पर्यटक रेलगाड़ियां शुरू करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केंद्र सरकार द्वारा उनके प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) जी नहीं, बहरहाल, केंद्रीय रेल बजट 2004-05 में केरल सरकार द्वारा एक लक्जरी टूरिस्ट गाड़ी (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल को जोड़ने वाली) की घोषणा के संबंध में 18 जून, 2004 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था 2 जुलाई, 2004 को राज्य सरकारों अर्थात् आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल को यह सुझाव दिया गया था कि वे रेलवे के विचारार्थ एक विस्तृत प्रस्ताव भेजें जिसमें प्रतिफल की दर, लागत/राजस्व हिस्सेदारी संबंधी प्रणाली विज्ञान आदि की जानकारी दी जाए। संबंधित राज्यों से उत्तर की प्रतीक्षा है। बहरहाल, दिसंबर, 2002 में कर्नाटक में लक्जरी गाड़ी चलाने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

जबलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफार्म का विस्तार

2699. श्री राकेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर रेलवे स्टेशन पर विद्यमान रेलवे प्लेटफार्म का विस्तार कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 के निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृति की गई है; और

(ग) उक्त परियोजना हेतु कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। केवल नए प्लेटफार्म सं. 4 का कार्य स्वीकृत हुआ है।

(ख) और (ग) कार्य का कुल खर्च 6.44 करोड़ रुपए है। प्लेटफार्म सं. 4 के निर्माण और संबंधित कार्यों के लिए 2004-05 में 50 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

एमईओआर तकनीक द्वारा तेल निकालना

2700. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा माइक्रोबियल एनहान्सड आयल रिकवरी (एमईओआर) तकनीक का प्रयोग करके भारतीय समुद्र में तेल की खोज करने की संभावना के बारे में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कराए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माइक्रोबियल एनहान्सड आयल रिकवरी तकनीक के माध्यम से तेल निकालने का कोई सफल परीक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस तकनीक का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर तेल की कम निकासी करने वाले कुंओं पर किया गया;

(ङ) इन योजनाओं के नाम क्या है;

(च) क्या सरकार एमईओआर तकनीक द्वारा व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) माइक्रोबायल वर्धित तेल निकासी (एमईओआर) प्रौद्योगिकी का उपयोग रिक्त तेल कूपों से तेल की निकासी बढ़ाने के लिए किया जाता है और यह कोई तेल अन्वेषण तकनीक नहीं है।

(ख) से (ङ) ओएनजीसी ने गुजरात के कलोल, लिम्बोदरा, सोभासन, उत्तरी कादी, पादरा और कोसाम्बा तेल क्षेत्रों और असम के बदरपुर तेल क्षेत्र में 26 कम उत्पादक तेल क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर एमईओआर तकनीक अजमाई है।

(च) और (छ) अब तक प्राप्त किए गए उत्साहवर्धक परिणामों के आधार पर ओएनजीसी का बड़ी संख्या में रिक्त तेल कूपों में एमईओआर प्रौद्योगिकी लागू करने का प्रस्ताव है।

रेलवे पेंशन कोष में कमी

2701. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राकेश मोहन समिति ने रेलवे पेंशन कोष के विनियोजन के वर्ष 2000 तक 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमी होने का अनुमान लगाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे पेंशन प्रभारों को पूरा करने हेतु वास्तविक गणना के अनुरूप निधियों का विनियोजन करता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उन जोनल रेलवे का ब्यौरा क्या है जिनके पास पेंशन कोष में प्रतिकूल डेबिट बैलेंस है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) राकेश मोहन समिति ने अनुमान लगाया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देयता और वर्तमान कर्मचारियों की 30 अप्रैल, 2000 तक की पिछली सेवाओं के लिए अर्जित की गई पेंशन राशि के संबंध में भविष्य में होने वाली पेंशन देयता 40,000 करोड़ रुपए होगी। समिति ने यह मत व्यक्त किया था कि इसका अर्थ यह नहीं है कि इस धनराशि की तत्काल आवश्यकता है-बल्कि यह वह नकद धनराशि है, जिसका यदि उस समय निवेश किया जाता तो यह आगे आने वाली उपार्जित देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होती।

(ख) वर्ष 1964 में जब पेंशन कोष की स्थापना की गई थी तो सरकारी ऐक्चूरी द्वारा गणना करने बाद इसे अग्रता प्रदान की गई थी। इसके पश्चात् वर्ष 1974 में बीमांकिक गणनाएं की गई। बहरहाल, चालू अधिशेष में से 'जाने पर वेतन के आधार पर' पेंशन कोष के विनियोग की गणना की ज़ा रही है।

(ग) दिनांक 31.3.2004 को निम्नलिखित क्षेत्रीय रेलों पर पेंशन कोष में प्रतिकूल बैलेंस है:-

1. मध्य
2. पूर्व
3. उत्तर
4. पूर्वोत्तर
5. दक्षिण
6. दक्षिण-मध्य
7. दक्षिण-पश्चिम

[हिन्दी]

भ्रामक विज्ञापन

2702. श्री रामदास आठवले: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को टेलीविजन और अन्य मीडिया द्वारा अधिकांश संख्या में प्रसारित किए जा रहे उन विज्ञापनों की जानकारी है जो ग्राहकों को भ्रमित करते हैं तथा अधूरी और गलत सूचना देते हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है अथवा किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (च) भारतीय प्रेस परिषद प्रेस की स्वतंत्रता को परिलक्षित रखने और भारत में समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने एवं सुधारने के लिए स्थापित एक सांविधिक निकाय है। भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारिता, आचार संहिता के लिए मानदण्ड स्थापित किए हैं जिनमें यह उल्लेख है कि संपादकों को विज्ञापनों की स्वीकृति या अस्वीकृति में अन्तिम निर्णय लेने के अपने अधिकार पर बल देना चाहिए।

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा बनाई गई विज्ञापन संहिता का उद्देश्य विज्ञापनों द्वारा किए गए दावों के अभ्यावेदनों की सत्यता एवं सच्चाई तथा भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध सुरक्षोपायों को सुनिश्चित करना है।

जहां तक इलेक्ट्रानिक मीडिया का संबंध है प्रसार भारती, जो कि एक सांविधिक स्वायत्तशासी निगम है, वाणिज्यिक विज्ञापन हेतु अपनी संहिता का पालन करता है जिसमें सामान्यत: समाज और विशेषकर उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क जरिए प्रसारित/पुन:प्रसारित विज्ञापनों द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्धारित विज्ञापन संहिता के प्रावधानों का पालन करना अपेक्षित होता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि विज्ञापन देश के कानूनों के अनुरूप होंगे। विज्ञापित उत्पाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में यथा-उल्लिखित किसी दोष या न्यूनता से ग्रस्त नहीं होगा और उसमें ऐसे संदर्भ नहीं होंगे जिनसे जनता द्वारा कोई ऐसा निष्कर्ष निकाले जाने की संभावना बनती हो कि विज्ञापित उत्पाद में कुछ ऐसे

चमत्कारिक गुण या गुणवत्ता है जिनको सिद्ध करना मुश्किल हो। केबल अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत कोई भी "प्राधिकृत अधिकारी" अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट/उपमंडलीय मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त तथा केबल अधिनियम, 1995 के अंतर्गत इस संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाला कोई भी ऐसा अन्य अधिकारी विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई कर सकता है।

केन्द्र सरकार ने टी.वी. चैनलों द्वारा विज्ञापन संहिता का उल्लंघन किए जाने के संबंध में स्व-प्रेरणा के संज्ञान लेने अथवा विशिष्ट शिकायतों की जांच करने हेतु एक अन्तर्मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। अभी तक ऐसा कोई मामला समिति के पास नहीं आया है।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 (ख) के उपबंधों तथा उनके अंतर्गत निर्मित दिशा-निर्देशों के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु विज्ञापन-फिल्मों सहित सभी फिल्मों को प्रमाणित करता है।

इस्पात वैगनों के स्थान पर एल्युमिनियम वैगनों का प्रयोग

2703. श्री कैलाश मेघवाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अब इस्पात वैगनों के स्थान पर हल्के एल्युमीनियम वैगनों का प्रयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एल्युमीनियम वैगनों का उत्पादन चेन्नै (मद्रास) में अब शुरू हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस्पात वैगनों और एल्युमीनियम वैगनों की लागत में अंतर का वैगन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। हालांकि, एल्युमीनियम की बाडी वाले वैगनों के साथ फील्ड परीक्षण करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी नहीं।

(ग) स्टील वैगन तथा एल्युमीनियम वैगन की लागत में वास्तविक अन्तर केवल प्रोटोटाइप एल्यूमीनियम वैगन आने के पश्चात् ही जाना जाएगा। हालांकि, यह अनुमान है कि एल्यूमीनियम वैगन की प्रारम्भिक निर्माण लागत स्टील की वाडी वैगन की लागत से लगभग 4 लाख रु. अधिक है।

[अनुवाद]

फायरिंग रेंज को स्थानांतरित किया जाना

2704. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद के बाहरी इलाकों में स्थित फायरिंग रेंज के आसपास बन गए रिहायशी इलाकों की वजह से नागरिकों की जान को लगातार खतरा बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी;

(ग) क्या सरकार का विचार इस फायरिंग रेंज को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि फायरिंग अभ्यास की वजह से आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मौजूदा स्थायी संक्रियात्मक प्रक्रिया के अनुसार, गोलाबारी कार्यक्रम से 72 घंटे पूर्व पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से स्थानीय लोगों को सूचना दे दी जाती है। इसके अलावा चांदमारी सुरक्षा संबंधी सभी एहतियाती उपाय पूरी सावधानी के साथ किए जा रहे हैं।

रेलगाड़ियों में इंटरनेट सेवाएं

2705. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने चलती रेलगाड़ियों में इंटरनेट/ब्राडबैण्ड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यह सुविधा प्रदान करने हेतु किन रेलगाड़ियों और मार्गों का चयन किया गया है;

(घ) क्या उक्त सेवा को रेलगाड़ियों के सभी डिब्बों में उपलब्ध कराया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह सुविधा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(च) ऐसी सुविधा से रेलवे यात्रियों को क्या लाभ होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। रेलवे ने पायलट परियोजना के आधार पर नई दिल्ली-मथुरा की एक गाड़ी में ब्राडबैंड/इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए रेलटेल को प्राधिकृत किया है।

(ख) से (ङ) नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के एक्जिक्यूटिव कुर्सी यान में एक इंटरनेट कीआस्क मुहैया कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त उसी सवारी डिब्बे में हाट स्पाट उपलब्ध कराने के लिए एक्सेस प्वाइंट मुहैया कराए जाएंगे जिसके माध्यम से अपने लैपटाप और वाई-फाई कार्ड का इंटरनेट के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे और चलती गाड़ियों में ही अपनी ई-मेल का लाभ उठा सकेंगे। इस सुविधा के वर्ष 2004-05 के अंत तक शुरू होने की संभावना है।

(च) इस सुविधा के प्राप्त होने से, यात्री चलती गाड़ी में भी उच्च गति ब्राडबैंड इंटरनेट के जरिए बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकते हैं और अपनी ई-मेल चैक कर सकते हैं तथा प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी यात्रा के समय का सदुपयोग कर सकते हैं।

दूरदर्शन हेतु एम.एम.डी.एस.

2706. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन हेतु माइक्रोवेव मल्टी-प्वायंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा जनता को इस सेवा की सुविधा उठाने हेतु कितनी कीमत का भुगतान करना होगा; और

(ग) एम.एम.डी.एस. की सुविधा कितनी आबादी तक पहुंचाने का लक्ष्य है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) माइक्रोवेव मल्टी-प्वायंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू करने का मामला मई, 2004 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को भेजा गया था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देने के लिए परामर्शी प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।

माल ढुलाई के माध्यम से रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व

2707. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान आज तक रेलवे द्वारा माल ढुलाई के माध्यम से कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से दर्ज राजस्व वृद्धि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्षमता के कम उपयोग, यदि कोई हों, के क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान रेलवे ने माल यातायात से निम्न राजस्व अर्जित किया:-

वर्ष	राशि
2003-04	27617.96 करोड़ रु.
2004-05 (अक्तूबर, 04 तक)	16853.65 करोड़ रु.

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान माल यातायात से राजस्व में निम्नलिखित वृद्धि दर्ज की गई:-

वर्ष	वृद्धि (प्रतिशत में)
2001-02	6.61
2002-03	6.68
2003-04	4.20

(ग) क्षमता का अपेक्षित से कम उपयोग नहीं हुआ है।

(घ) रेलवे की भागीदारी बढ़ाने के लिए रेलवे बजट 2002-03 में माल भाड़ा संरचना को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और यह अब भी जारी है। रेलवे बजट 2003-04 में उच्च दरों वाली वस्तुओं पर भाड़ा दरें कम कर दी गई थी ताकि रेल की ओर अधिक यातायात आकर्षित किया जा सके।

अधिक रेल यातायात प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कुछ अन्य कदम उठाये गये:-

(1) माल भाड़ा दरों के लिए श्रेणियों की संख्या 59 से घटाकर 27 कर दी गई है।

(2) उच्चतम श्रेणी 300 को घटाकर श्रेणी 250 कर दी गई है।

(3) पी ओ एल, लौह तथा इस्पात इत्यादि का वर्गीकरण उपयुक्त रूप से घटा दिया गया है।

(4) गाड़ी भार वर्गीकरण सभी वस्तुओं पर लागू कर दिया गया है।

(5) स्टेशन से स्टेशन दरों को उद्धृत करने के लिए 24% तक माल भाड़ा में छूट देने के लिए अधिकार महाप्रबंधकों की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं।

(6) प्रमुख ग्राहक जो श्रेणी 135 और अधिक के अंतर्गत वस्तुओं के लिए अपनी साईडिंग से कम से कम 25 करोड़ प्रतिवर्ष का अर्जन करते है उन्हें प्रत्येक 5 करोड़ शुद्ध अतिरिक्त माल भाड़ा राजस्व पर 2% छूट का प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

(7) ग्राहकों के स्वामित्व वाले विशेष प्रकार के वैगनों में विशेष गाड़ियों द्वारा भारी मशीनिरीयों के पारेषण के वहन के लिए भाड़ा-प्रभारों में 10% की छूट दी गई है।

(8) आरम्भिक एवं गन्तव्य स्थानों पर लदान तथा उतराई, भंडारण और रोड की ब्रिजिंग सहित सिंगल विंडो सर्विस की व्यवस्था करने के लिए 22 माल भाड़ा टर्मिनलों का एक नेटवर्क विकसित करने के लिए सी.डब्ल्यू.सी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये है।

(9) दो स्थानों वाले ब्लाक रेक की बुकिंग के लिए गाड़ी भार की दर का लाभ एक छोर से दूसरे छोर तक परिवहन की समूची दूरी के लिए प्रदान किया जायेगा।

(10) ग्राहकों को बड़ी लाइन के 8-पहिया वैगनों में 12 पारेषणों को एकीकृत करने की अनुमति दी गई है।

बेरोजगार स्नातकों के बुक स्टाल ठेके का नवीकरण

2708. श्री वी.के. ठुम्मर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बेरोजगार स्नातक श्रेणी और अन्य छोटे ठेकेदारों, जो पूर्णत: बुक स्टाल व्यवसाय पर निर्भर है के बुक स्टाल ठेकों का नवीकरण नहीं किया जाएगा हालांकि वे यात्रियों को पूर्णरूपेण संतोषजनक ढंग से सेवा दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। 12.10.2004 को जारी संशोधित बुक स्टाल नीति के अनुसार पहले से समाप्त अथवा समाप्त होने वाले मौजूदा लाइसेंसों का कोई नवीकरण नहीं होगा। ए बी एवं सी कोटि के स्टेशनों के लिए नए निविदा आमंत्रित किए जाएंगे और ठेकों की समाप्ति पर बुकस्टाल लाइसेंसों के तहत डी, ई और एफ कोटि के स्टेशनों पर नए सिरे से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे।

संशोधित बुकस्टाल नीति 2004 एकाधिकार को दूर रख कर और समाज के विभिन्न वर्गों को अच्छा मौका देने के लिए बनाई गई है। बुक स्टालों के आवंटन की नयी नीति पारदर्शिता और प्रतियोगिता का दृष्टि से तैयार की गई है। व्यक्तिगत बेरोजगार स्नातक, उनके सहयोगी, साझेदार और बेरोजगार स्नातकों एवं व्यक्तिगत बेरोजगार स्नातकों के संगठन जो सेवारत व सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के पुत्र/आश्रित हैं, बी, सी, डी एवं एफ कोटि के स्टेशनों पर बुक स्टाल लाइसेंसों के लिए पात्र हैं। बहरहाल, ए कोटि के स्टेशनों पर कोई फर्म/कंपनी आदि पात्रता के मानदण्ड पूरे करके बुक स्टाल लाइसेंसों के लिए निविदा में भाग ले सकती हैं।

केन्द्रीय आयुध डिपुओं और निर्माणियों का आधुनिकीकरण

2709. श्री सुरेश कलमाडी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने सभी केन्द्रीय आयुध डिपुओं और निर्माणियों का आधुनिकीकरण करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में सभी केन्द्रीय आयुध डिपुओं और निर्माणियों का आधुनिकीकरण करने का है अथवा सरकार ने उनके आधुनिकीकरण का कार्य शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक किए गए ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) भारत सरकार ने आगरा, मुंबई, छिवकी, दिल्ली छावनी, देहू रोड, जबलपुर तथा कानपुर स्थित सभी सात केन्द्रीय आयुध डिपुओं का चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है। तथापि, सबसे

पहले केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर के आधुनिकीकरण का कार्य आरंभ किया है जिसमें लगभग 187 करोड़ रुपए का व्यय निहित है। यह परियोजना पूरी होने वाली है। आगरा तथा जबलपुर स्थित आयुध डिपुओं से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर के आधुनिकीकरण में आधुनिकतम भंडारगृह सुविधाएं निहित हैं जिसमें स्थान की ऊंचाई का अपेक्षाकृत अधिक इस्तेमाल, सामग्री की स्वचालित रूप से सार-संभाल, कंप्यूटरीकृत मालसूची प्रबंधन प्रणाली तथा आधुनिकतम अग्नि रोधक, अग्नि शामक और सुरक्षा प्रणालियां स्थापित करना शामिल हैं।

आयुध निर्माणियों में आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण का कार्य एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मौजूदा उत्पादों तथा दसवीं योजनावधि तक सेना में शामिल किए जाने वाले नए उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मुख्य मांगकर्त्ताओं के साथ परामर्श करके एक संदर्शी योजना तैयार की गई है। नौवीं योजनावधि के दौरान, अद्यतन प्रौद्योगिकीयुक्त संयंत्र एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति के लिए 1062 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश किया गया है। दसवीं योजनावधि के अंत तक, 1804 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की योजना है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा राजस्व अर्जन

2710. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान आज तक देश में इंडियन एयरलाइन्स की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से कुल कितने यात्रियों ने यात्रा की और कितनी मात्रा में सामान की ढुलाई की गयी;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ संतोषजनक रूप से प्रतिस्पर्धा कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) वर्ष 2003-04 के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में सितम्बर, 2004 तक इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वहन किए गए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या तथा सामान की मात्रा (निःशुल्क सामान सहित) से संबंधित विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	वहन किए गए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या (लाख में)	ले जाया गया सामान (हजार टन में)
2003-04	16.2	38.6
2004-05 (सितम्बर, 2004 तक)	8.9	20.7

(ख) इस मद में अर्जित राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	अर्जित राजस्व (रुपए करोड़ में)
2003-04	1530
2004-05 (सितम्बर, 2004)	835

(ग) से (च) वर्ष 2003-04 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अर्जित सीट फैक्टर 69.6 प्रतिशत था तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में (सितम्बर, 2004 तक) में यह 72.6 प्रतिशत हो गया है। इन सीट फैक्टरों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि इंडियन एयरलान्स का अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन, अन्य एयरलाइनों के साथ संतोषजनक प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

[हिन्दी]

रेलवे जोनों का गठन

2711. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नए रेलवे जोन किन-किन स्थानों पर बनाए गए हैं;

(ख) क्या नए रेलवे जोनों को पर्याप्त कर्मचारी मुहैय्या करा दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन नए जोनों हेतु और अधिक रेलवे भर्ती बोर्डों की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कुछ राज्यों में बाहरी लोगों की भर्ती किए जाने के संबंध में असंतोष है जहां इन जोनों के मुख्यालय स्थित हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) सरकार ने सात नए रेलवे जोनों का सृजन किया है जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:-

क्र.सं.	जोन का नाम	मुख्यालय
1.	पूर्व-मध्य रेलवे	हाजीपुर
2.	पूर्वतट रेलवे	भुवनेश्वर
3.	उत्तर-मध्य रेलवे	इलाहाबाद
4.	उत्तर-पश्चिम रेलवे	जयपुर
5.	दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे	बिलासपुर
6.	दक्षिण-पश्चिम रेलवे	हुबली
7.	पश्चिम मध्य रेलवे	जबलपुर

(ख) और (ग) नए रेलवे जोनों ने उनकी आवश्यकता के अनुसार मुख्यालय के लिए 9138 कर्मचारी निर्धारित किए हैं। कर्मचारियों द्वारा किए गए विकल्पों के आधार पर 6011 कर्मचारियों ने नए जोनों के मुख्यालयों में कार्यभार संभाला है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) मौजूदा रेल भर्ती बोर्ड नए जोनों सहित भारतीय रेलों की भर्ती आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर रहे हैं।

(च) और (छ) क्षेत्रीय आधार पर भर्ती की मांगों के बावजूद सरकारी आदेशों तथा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर चयन किए जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सेवानिवृत्ति की उम्र

2712. श्री सुनील खां: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष रखा जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को घटाने के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है। तथापि, कुछेक सरकारी उद्यमों ने अनेक कारणों से सेवानिवृत्ति की आयु को घटाकर पुन: 58 वर्ष कर दिया है।

(ख) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी एक ऐसा सरकारी उद्यम है, जहां सेवानिवृत्ति की आयु इसके निदेशक मण्डल की सिफारिशों पर घटा कर कम की गई थी। तथापि, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय प्रबंधन, श्रमिक संघों और हितधारकों से इस संबंध में प्राप्त विभिन्न सुझाव के आधार पर सेवानिवृत्ति के मुद्दे की जांच-पड़ताल कर रहा है।

[अनुवाद]

काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठन

2713. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन अब भी कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मंत्रालय किस प्रकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ समन्वय करेगा और काली सूची में डाले गए ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अनुदान लेने से रोकने के लिए इनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि

2714. श्री गणेश प्रसाद सिंह:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री राम कृपाल यादव:
श्री सुकदेव पासवान:
श्री अजीत जोगी:
श्री चन्द्र प्रताप सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने विश्व में कच्चे तेल के बढ़ते मूल्यों के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि कृत्रिम अभाव का परिणाम है;

(ग) क्या कच्चे तेल के आयात पर अतिरिक्त भार से हमारा विकास प्रभावित होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, नहीं। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति इस मामले पर विचार कर रही है।

(ख) विगत कुछ महीनों के दौरान कच्चे तेल के ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारणों में सट्टेबाजी, भौगोलिक-राजनैतिक तनाव, अपर्याप्त अतिरिक्त क्षमता के लिए मांग आशंकाओं में वृद्धि, स्वीट कच्चे तेल की आपूर्ति और मांग के बीच बेमेल, हरीकेन आईवान आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) अप्रैल-सितंबर, 2004 के दौरान हमारा कच्चे तेल के आयात का बिल पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 38,665 करोड़ रुपये की तुलना में 61,177 करोड़ रुपये हो गया है। तथापि पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडारों और समुचित प्रापण प्रबंधों के बूते यह सुनिश्चित किया गया है कि हमारी क्रूड मांग पूर्णत: पूरी की जा रही है।

उड़ीसा का पाण्डुलिपि अभियान

2715. श्री विक्रम केशरी देव: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा राज्य के पाण्डुलिपि अभियान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) इस समय राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन का उड़ीसा राज्य संग्रहालय में एक पाण्डुलिपि संसाधन केन्द्र तथा उड़ीसा में दो पाण्डुलिपि संरक्षण केन्द्र है। उड़ीसा में लगभग 90,000 पाण्डुलिपियों का सूचीपत्र तैयार किया गया है। 22 और 26 नवम्बर, 2004 के बीच लगभग 1500 लोगों की भागीदारी से उड़ीसा से तीस जिलों में जिला स्तरीय सर्वेक्षण किया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5 लाख पाण्डुलिपियों के बारे में जानकारी एकत्र की गई है। पाण्डुलिपियों की हालत का जायजा लेने के लिए प्रत्येक जिले में सर्वेक्षकों के साथ संरक्षण विशेषज्ञ भी भेजे गये थे। मिशन की प्रायोगिक डिजिटलीकरण परियोजना के लिए उड़ीसा के ताड़पत्र की सचित्र पाण्डुलिपियों को भी चुना गया है। इस परियोजना के तहत पाण्डुलिपियों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरिक्षत रखने के उद्देश्य से स्कैनिंग के अत्याधुनिक तरीकों का प्रयोग करके उड़ीसा की सचित्र पाण्डुलिपियों को इलेक्ट्रानिक रूप में पुर्नउत्पादित किया जाएगा। मिशन के सर्वेक्षण, सूचीकरण, संरक्षण तथा डिजिटलीकरण संबंधी नियमित कार्यक्रमों के अलावा, मिशन ने जनता को अपनी पाण्डुलिपियों के बारे में सूचना देने और उन्हें सुरिक्षत रखने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए।

बर्न स्टैण्डर्ड एमप्लाइज के कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग के वेतनमान देना

2716. श्री सुनील खां: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत वैगन अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को उत्पादन, क्रय संबंधी प्राथमिकता, एल डी सुविधाएं, विक्रय संबंधी प्राथमिकता और पांचवें वेतन आयोग के वेतनमान जैसी प्रत्येक सुविधा दे रहा है जबकि बर्न स्टैण्डर्ड अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को उत्पादन, विक्रय संबंधी प्राथमिकता और पांचवें वेतन आयोग के वेतनमान जैसी सुविधाएं नहीं दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बर्न स्टैण्डर्ड के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को ऋण भुगतान पर 18 प्रतिशत ब्याज अदा करना पड़ता है जबकि बैंक की ब्याज दर 7 से 8 प्रतिशत है;

(घ) क्या बर्नपुर की बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड, का विलय भारत वैगन में किया जाएगा या यह इकाई स्वयं ही चलती रहेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड में पुन: उत्पादन आरंभ करने के लिए रेल मंत्रालय के समन्वय में परिनिर्धारित नुकसानों (एलडी) की माफी, लंबित अक्रियान्वित आदेशों का फ्रीजिंग और बोगियों तथा काप्लरों की

मुक्त आपूर्ति जैसे विशेष उपाय किये गये हैं। इन कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों पर पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती हैं। बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी को भी सहायता देने के लिए इच्छुक, भारी उद्योग विभाग ने बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी को भी बोगियों और काप्लरों की मुक्त आपूर्ति की सुविधायें मुहैया कराने के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है।

(ग) जो कर्मचारी वीआरएस पर चले गये हैं, उन्हें भुगतान की गई राशि पर कोई ब्याज देना अपेक्षित नहीं है।

(घ) और (ङ) बीएससीएल की बर्नपुर इकाई की उत्तरजीविता के लिए इसका भारत वैगन में विलयन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोल्लम, केरल में रेलवे ओवरब्रिज

2717. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोल्लम, केरल में समपार संख्या 541 पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए कोई निविदा आमंत्रित की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) 2001-02 के निर्माण कार्यक्रम के दौरान, शुरू में कोल्लम में ऊपरी सड़क पुल (आर ओ बी) का कार्य लागत में हिस्सेदारी के आधार पर मौजूदा समपार सं. 543 के बदले स्वीकृत किया गया था लेकिन बाद में राज्य सरकार के अनुरोध पर इसे क्विलोन में कि.मी. 156/8-9 पर समपार सं. 541 के बदले में परिवर्तित किया गया था। वस्तुपरक आशोधन उसी लागत पर जारी किए गए थे। रेलवे रेलपथ के ऊपर पुल का निर्माण करेगी तथा राज्य सरकार पहुंचमार्गों का निर्माण करेगी।

(ग) अभी नहीं।

(घ) चालू वर्ष के दौरान रेलवे के हिस्से के कार्य को पूरा करने के लिए 50 लाख रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

(ङ) सामान्य आरेखण प्रबंधन अनुमोदित कर दिया गया है। पहुंचमार्ग वाले हिस्से का अनुमान राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड

2718. श्री महबूब जाहेदी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय ने बंद होने की कगार पर खड़े कभी प्रतिष्ठित रहे नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड को खरीदने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) क्या जादवपुर विश्वविद्यालय न केवल सार्वजनिक उपक्रम के भवन तथा अत्याधुनिक आप्टिकल उपकरणों को खरीदना चाहता है बल्कि लगभग 60 कर्मचारियों को भी रखना चाहता है;

(ग) यदि हां, तो क्या जादवपुर विश्वविद्यालय ने केन्द्र सरकार को कारखाने के लिए 10 करोड़ रुपये का भुगंतान करने का प्रस्ताव दिया है;

(घ) क्या जादवपुर विश्वविद्यालय उद्योग विश्वविद्यालय में तालमेल बढ़ाने हेतु अपनी योजना में नये संसाधनों को शामिल करना चाहता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ङ) जादवपुर विश्वविद्यालय ने हाल ही में, भूमि, भवन तथा जनशक्ति के संबंध में नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के उत्तरदायित्व का अधिग्रहण करने की अपनी रुचि व्यक्त की है। रुचि व्यक्त करते समय पत्र में वित्त संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। रुचि-अभिव्यक्ति से संबंधित पत्र सरकार के जांच के अंतर्गत है।

बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड, रानीगंज

2719. श्री महबूब जाहेदी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में रानीगंज स्थित बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) की रिफ्रेक्टरी इकाईयां प्रमुख रूप

से बर्नपुर स्थित इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिलीका ईंटें बनाती है;

(ख) क्या बराबर घाटा होने के कारण इन इकाईयों को 1 नवम्बर, 2000 को बंद कर दिया गया था;

(ग) क्या रिफ्रेक्टरी एण्ड सिरेमीन यूनिट्स के 3500 कामगारों को दिये जाने वाले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु व्यय की गई धनराशि का उपयोग राष्ट्र हित में आधुनिकीकरण के लिए बेहतर उपयोग किया जा रहा था;

(घ) यदि हां, तो कृपया यह स्पष्ट करें कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए कितनी राशि व्यय की गई थी;

(ङ) क्या सरकार का विचार कुछ रिफ्रेक्टरी एण्ड सिरेमीन इकाईयों का आधुनिकीकरण करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(छ) क्या बंद होने के बाद बीएससीएल प्रबंधन ने उन बंद पड़े रिफ्रेक्टरी एण्ड सिरेमीन इकाईयों की संपत्ति एवं मशीनरी की रक्षा हेतु सुरक्षा एजेंसी के 112 रक्षा गार्डों को अल्प राशि पर लगाया है जो कि केवल 70 गार्डों की ही धनराशि वहन कर सकेगा;

(ज) क्या पिछले 11 महीनों से भी अधिक समय से उन रक्षा गार्डों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है जिससे सुरक्षा एजेंसी का नवीकरण न होने के कारण भुखमरी का सामना करना पड़ेगा; और

(झ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां। इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (आईआईएससीओ) रानीगंज वर्क्स द्वारा उत्पादित सिलिका ईंटों का एक प्रमुख खरीदार था।

(ख) दिनांक 16.04.1999 को मैसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बी.एस.सी.एल.) की पुनरुद्धार स्कीम की मंजूरी देते समय बीआईएफआर ने अन्य बातों के साथ-साथ रानीगंज इकाईयों सहित हानि उठा रही 7 उष्मसह (रिफ्रेक्टरी) इकाइयों और मृतिका (सिरैमिक) इकाइयों को बन्द करने की सिफारिश की है क्योंकि वे जैव्य नहीं पायी गयी।

(ग) से (च) बंद होने की तिथि 31.12.2000 की तिथि के अनुसार रानीगंज समूह की रिफ्रैक्टरी इकाइयों (रानीगंज संख्या-2, लालकोठी, दुर्गापुर, अंदल) में 428 कर्मचारी थे। सभी कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के तौर पर 625.60 लाख रुपये का भुगतान करके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के तहत पृथक किया गया। चूंकि बीआईएफआर द्वारा इकाइयों को जैव्य नहीं पाया गया, इसलिए उसे आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) से (झ) रानीगंज वर्क्स की सुरक्षा के लिये एक निजी एजेंसी को नियुक्त किया गया था। हालांकि, रानीगंज वर्क्स के पूर्व-कर्मचारियों ने उक्त एजेंसी को कार्य करने की अनुमति नहीं दी। उसके परिणामस्वरूप, सुरक्षागार्डों को वेतन का भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता।

स्टेशनों पर "टच स्क्रीन इन्क्वायरी टर्मिनल"

2720. श्री पंकज चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां पर वर्तमान में "टच स्क्रीन इन्क्वायरी टर्मिनल" उपलब्ध कराए गए हैं और इन पर राज्य-वार/जोन-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी विशेषकर दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों में ऐसे टर्मिनलों को स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी नाम क्या हैं और इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार/जोन-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) उक्त टर्मिनलों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) उन रेलवे स्टेशनों/स्थानों के नाम जहां पर किए गए व्यय सहित "टच स्क्रीन टर्मिनल" की व्यवस्था की गई है, उनके नाम राज्य-वार/जोन-वार संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) दिल्ली के स्टेशनों/स्थलों सहित उन रेलवे स्टेशनों/स्थलों के नाम, जिनमें "टच स्क्रीन" टर्मिनलों की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं जिनमें इन टर्मिनलों को चालू करने के लिए वित्त पोषण और समय-सीमा का ब्यौरा भी दिया गया है।

विवरण I

"टच स्क्रीन" टर्मिनलों वाले स्टेशनों/स्थलों के नाम

क्र.सं.	स्टेशन/स्थल	जोन/रेलवे	राज्य	अनुमानित लागत (रु. में)
1	2	3	4	5
1.	भुसावल	मध्य	महाराष्ट्र	1.41 लाख
2.	नासिक रोड	मध्य	महाराष्ट्र	1.41 लाख
3.	अकोला	मध्य	महाराष्ट्र	प्रायोजन के आधार पर
4.	सोलापुर	मध्य	महाराष्ट्र	1.78 लाख
5.	गुलबर्ग	मध्य	महाराष्ट्र	1.78 लाख
6.	नागपुर	मध्य	महाराष्ट्र	प्रायोजन के आधार पर
7.	कोल्हापुर	मध्य	महाराष्ट्र	0.25 लाख
8.	हवड़ा	पूर्व	पश्चिम बंगाल	प्रायोजन के आधार पर
9.	सियालदह	पूर्व	पश्चिम बंगाल	प्रायोजन के आधार पर
10.	हजारा रोड	पूर्व	पश्चिम बंगाल	प्रायोजन के आधार पर
11.	भुर्रा बाजार	पूर्व	पश्चिम बंगाल	प्रायोजन के आधार पर
12.	श्याम बाजार	पूर्व	पश्चिम बंगाल	प्रायोजन के आधार पर
13.	भुवनेश्वर	पूर्व तट	उड़ीसा	प्रायोजन के आधार पर
14.	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट आरक्षण केंद्र आईआरसीए भवन	उत्तर रेलवे	दिल्ली	प्रायोजन के आधार पर
15.	ग्वालियर	उत्तर मध्य	मध्य प्रदेश	2.55 लाख
16.	आगरा कैंट	उत्तर मध्य	उत्तर प्रदेश	प्रायोजन के आधार पर
17.	जयपुर	उत्तर पश्चिम	राजस्थान	3.5 लाख
18.	चेन्नै सेंट्रल	दक्षिण	तमिलनाडु	प्रायोजन के आधार पर
19.	मदुरै	दक्षिण	तमिलनाडु	4.5 लाख
20.	सेलम	दक्षिण	तमिलनाडु	1.3 लाख
21.	कोयंबटूर	दक्षिण	तमिलनाडु	1.3 लाख
22.	तिरूवनंतपुरम सैंट्रल	दक्षिण	केरल	प्रायोजन के आधार पर
23.	त्रिचूर	दक्षिण	केरल	प्रायोजन के आधार पर

1	2	3	4	5
24.	पालक्काड	दक्षिण	केरल	1.3 लाख
25.	कालीकट	दक्षिण	केरल	1.3 लाख
26.	कन्नूर	दक्षिण	केरल	1.3 लाख
27.	हावड़ा दक्षिण	दक्षिण पूर्व	पश्चिम बंगाल	प्रायोजन के आधार पर
28.	खड़गपुर	दक्षिण पूर्व	पश्चिम बंगाल	
29.	पुराना कोयलाघाट	दक्षिण पूर्व	पश्चिम बंगाल	
30.	टाटा नगर	दक्षिण पूर्व	झारखंड	
31.	बिलासपुर जं.	दक्षिण-पूर्व मध्य	छत्तीसगढ़	5.7 लाख
32.	विधान सभा (रायपुर)	दक्षिण-पूर्व मध्य	छत्तीसगढ़	
33.	गोदिया	दक्षिण-पूर्व मध्य	छत्तीसगढ़	
34.	मुंबई सेंट्रल	पश्चिम	महाराष्ट्र	2.4 लाख
35.	राजकोट	पश्चिम	गुजरात	1 लाख
36.	द्वारका	पश्चिम	गुजरात	1 लाख
37.	इंदौर	पश्चिम	मध्य प्रदेश	1 लाख
38.	रतलाम	पश्चिम	मध्य प्रदेश	1 लाख
39.	उज्जैन	पश्चिम	मध्य प्रदेश	1 लाख
40.	महू	पश्चिम	मध्य प्रदेश	1 लाख
41.	चित्तौड़गढ़	पश्चिम	राजस्थान	1 लाख
42.	भोपाल	पश्चिम मध्य	मध्य प्रदेश	5 लाख
43.	हबीबगंज	पश्चिम मध्य	मध्य प्रदेश	
44.	कोटा	पश्चिम मध्य	राजस्थान	1 लाख
45.	जबलपुर	पश्चिम मध्य	मध्य प्रदेश	13 लाख
46.	कटनी	पश्चिम मध्य	मध्य प्रदेश	
47.	सतना	पश्चिम मध्य	मध्य प्रदेश	
48.	मदन महल	पश्चिम मध्य	मध्य प्रदेश	
49.	सागर	पश्चिम मध्य	मध्य प्रदेश	
50.	दमोह	पश्चिम मध्य	मध्य प्रदेश	

विवरण II

प्रस्तावित स्टेशनों के नाम जहां "टच स्क्रीन" टर्मिनलों की व्यवस्था की जानी है

क्र.सं.	स्टेशन/स्थल	जोन/रेलवे	राज्य	अनुमानित व्यय	समय सीमा
1	2	3	4	5	6
1.	कोयलाघाट नया	पूर्व	पश्चिम बंगाल	प्रयोजन के आधार पर प्रस्तावित	मार्च 2005 तक
2.	फेयली प्लेस	पूर्व	पश्चिम बंगाल		
3.	बेलीगंज	पूर्व	पश्चिम बंगाल		
4.	टोलीगंज	पूर्व	पश्चिम बंगाल		
5.	खिद्दरपुर	पूर्व	पश्चिम बंगाल		
6.	चौरंगी	पूर्व	पश्चिम बंगाल		
7.	सोनारपुर	पूर्व	पश्चिम बंगाल		
8.	नई दिल्ली	उत्तर	दिल्ली	प्रयोजन के आधार पर प्रस्तावित	मार्च 2005 तक
9.	दिल्ली मेन	उत्तर	दिल्ली		
10.	हजरत निजामुद्दीन	उत्तर	दिल्ली		
11.	झांसी	उत्तर मध्य	मध्य प्रदेश	2.75 लाख	मार्च 2005 तक
12.	बांदा	उत्तर मध्य	मध्य प्रदेश	2.75 लाख	
13.	मुरैना	उत्तर मध्य	मध्य प्रदेश	2.75 लाख	
14.	रेवाडी	उत्तर पश्चिम	राजस्थान	3.5 लाख	मार्च 2005 तक
15.	अलवर	उत्तर पश्चिम	राजस्थान	3.5 लाख	
16.	नागरकाविल	दक्षिण	तमिलनाडु	47 लाख*	मार्च 2005 तक
17.	इरोड	दक्षिण	तमिलनाडु		
18.	तिरूपुर	दक्षिण	तमिलनाडु		
19.	तिरूच्चिरापल्लि	दक्षिण	तमिलनाडु		
20.	तंजावूर	दक्षिण	तमिलनाडु		
21.	पांडिचेरी	दक्षिण	तमिलनाडु		
22.	विल्लूपुरम	दक्षिण	तमिलनाडु		
23.	तिरूनेलवेली	दक्षिण	तमिलनाडु		
24.	टूटीकोरिन	दक्षिण	तमिलनाडु		
25.	दिंडीगुल	दक्षिण	तमिलनाडु		

1	2	3	4	5	6
26.	तिरूवेल्ला	दक्षिण	केरल		
27.	षोर्णपुर	दक्षिण	केरल		
28.	तेलीचेरी	दक्षिण	केरल		
29.	मंगलोर	दक्षिण	कर्नाटक		
30.	रवीन्द्र सदन (कोलकाता)	दक्षिण पूर्व	पश्चिम बंगाल	प्रयोजन के आधार पर प्रस्तावित	मार्च 2005 तक
31.	रांची	दक्षिण पूर्व	झारखंड		
32.	बोकारो स्टील सिटी	दक्षिण पूर्व	झारखंड		
33.	राउरकेला	दक्षिण पूर्व	उड़ीसा		
34.	चर्चगेट	पश्चिम	महाराष्ट्र	19 लाख	मार्च 2005 तक
35.	बांद्रा टर्मिनस	पश्चिम	महाराष्ट्र		
36.	अंधेरी	पश्चिम	महाराष्ट्र		
37.	मलाढ	पश्चिम	महाराष्ट्र		
38.	बोरीवली	पश्चिम	महाराष्ट्र		
39.	भयंदर	पश्चिम	महाराष्ट्र		
40.	वसई रोड	पश्चिम	महाराष्ट्र		
41.	विरार	पश्चिम	महाराष्ट्र		

*कोयंबटूर, सेलम, कालीकट, कन्नूर और पालक्काड के मौजूदा स्थलों को बढ़ाने के लिए निधियां शामिल हैं।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की अनुमति

2721. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में निजी पार्टियों/फर्मों को विभिन्न पत्तनों पर तेल कंपनियों की सुविधाओं का उपयोग करते हुए एलपीजी, मिट्टी का तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्य में कितनी निजी पार्टियां/फर्में संलग्न हैं;

(ग) इस कार्य हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने लोगों को एलपीजी मिट्टी के तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) वर्तमान निर्यात-आयात (एक्जिम) नीति के अनुसार, परिवहन ईंधनों और मिट्टी तेल समेत कुछ उत्पादों को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादों के आयात स्वतंत्र रूप से अनुमति है। परिवहन ईंधनों के मामले में, उन कंपनियों को छोड़कर जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 8.3.2002 के संकल्प की शर्तों के अनुसार परिवहन ईंधनों के विपणन का अधिकार प्रदान किया गया है जिनमें

एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईबीपी शामिल है जो इस तिथि से पहले से परिवहन ईंधनों का विपणन कर रहे हैं, राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई) के तौर पर आईओसी के माध्यम से आयात की अनुमति है। अग्रिम लाइसेंस धारकों को आपूर्ति करने के लिए एसटीसी, जो राज्य व्यापार उद्यम के रूप में नामित है, के साथ एसटीईज अर्थात् आईओसी, एचपीसी, बीपीसी और आईबीपी के माध्यम से सभी प्रयोजनों के लिए मिट्टी तेल के आयात की अनुमति है। अग्रिम लाइसेंस धारकों को यह विकल्प है कि वे एसटीसी समेत उपर्युक्त एसटीईज से एसकेओ आयात करे।

जहां तक निजी पक्षकारों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए विभिन्न पत्तनों स्थित तेल कंपनियों की सुविधाओं का प्रयोग करने का संबंध है यह तेल कंपनियों के साथ संबंधित पक्षकारों के आपसी निर्णय पर निर्भर है। आईओसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भी उनकी पत्तन सुविधाओं का प्रयोग करते हुए किसी ने भी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात नहीं किया है। आईओसी निजी ग्राहकों के विवरण दी गई विशिष्ट गुणवत्ता अपेक्षाओं के अनुसार उन्हें भट्टी तेल और नाफ्था के आयात, भंडारण और प्रेषण की सुविधा प्रदान कर रही है।

विवरण

ग्राहक का नाम	स्थान	उत्पाद	पर आयातित
मैसर्स जुआरी इंडस्ट्रीज लि.	वास्को, गोवा	एफओ	आईओसी, वास्को
मैसर्स जुआरी इंडस्ट्रीज लि.	वास्को, गोवा	नाफ्था	आईओटीएल, वास्को
मैसर्स एमसीएफएल	मंगलोर	एफओ	आईओसी, मंगलोर
मैसर्स एमसीएफएल	मंगलोर	नाफ्था	आईओसी, मंगलोर
मैसर्स डीसीडब्ल्यू लि.	तूतीकोरिन	एफओ	आईओसी, तूतीकोरिन
मैसर्स टाटा पावर	बेलगाम	एफओ	पक्षकार का पट्टे पर टैंक

रुग्ण उद्योगों के कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

2722. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के 24 उपक्रमों का अनुमानित घाटा अब 1800 करोड़ रुपए हो गया है;

(ख) क्या घाटे में चल रही उन कंपनियों जिनमें पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है, के कर्मचारियों को न केवल कम वेतन के मामले में अपितु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के जिन 24 उद्यमों को दिनांक 31.7.2004 तक लंबित मजदूरियों/वेतनों तथा सांविधिक देय राशियों के भुगतान हेतु हाल ही में वित्तीय सहायता प्रदान की है, वर्ष 2003-04 में उनकी अनुमानित हानि 1915 करोड़ रुपये थी।

(ख) और (ग) केन्द्रीय मंहगाई भत्ता स्कीम के तहत सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों, जिनमें पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है, में सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम अपनाने वाले कर्मचारियों की कठिनाई को कम करने हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत स्वीकार्य अनुग्रह राशि के भुगतान को उनके वर्तमान वेतनमानों पर 50% की राशि बढ़ाने की अनुमति दे दी है।

चेन्नई में सीएनजी का उपयोग

2723. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चेन्नई और अन्य महानगरों में सीएनजी के उपयोग को आवश्यक बनाने और वाहनों से बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सीएनजी की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) उपलब्ध कराने के लिए, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और प्राकृतिक गैस के विकास के लिए मूलभूत ढांचा होना आवश्यक है।

वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली और मुंबई में आटो ईंधन के रूप में सीएनजी की शुरूआत की गई है। देश के विभिन्न शहरों में आटो ईंधन के रूप में सीएनजी की शुरूआत एक चरणबद्ध तरीके से की जाएगी जो प्राकृतिक गैस और गैस पारेषण संरचना की उपलब्धता के अध्यधीन होगी।

[हिन्दी]

भूमि का वर्गीकरण

2724. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के सागर में सेना के कब्जे वाली सारी भूमि को ए-1 प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो भूमि में कितने क्षेत्र को पुन: वर्गीकृत नहीं किया गया है और कौन-कौन व्यक्ति प्रक्रिया में विलंब के जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या 1974 से पट्टे की समाप्ति के बाद से सागर के किसानों द्वारा किराए का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान जबलपुर मध्य प्रदेश के रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा कृषि भूमि किराए को संग्रहित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या छावनी परिषदों को भंग कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और चुनाव कब तक कराए जाएंगे?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं होता।

(ग) और (घ) समाप्त हुए पट्टों के संबंध में किसानों द्वारा वर्ष 1974 से किसी किराए का भुगतान नहीं किया जा रहा था। चूंकि ये पट्टे समाप्त हो गए हैं तथा इनका नवीकरण नहीं किया गया है, इसलिए उनसे कोई किराया वसूल नहीं किया गया है।

(ङ) ऐसी कोई छावनी परिषदें नहीं हैं। तथापि, 62 छावनी बोर्डों में से 56 छावनी बोर्डों के गठन को छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 14 के अधीन बदला गया है तथा ये छावनी बोर्ड कार्य कर रहे हैं।

(च) छावनी बोर्डों के चुनाव कराने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में सैन्य अकादमी की स्थापना

2725. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में सैन्य अकादमी की स्थापना का है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता ने निकट बैरकपुर में अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सैन्य अकादमी की स्थापना हेतु बैरकपुर का नाम तय करते हुए वहां पर सैन्य अकादमी स्थापित किए जाने की सिफारिश की है।

(ग) यह प्रस्ताव अभी प्रारंभिक चरण में है तथा उपयुक्त स्थलों का पता लगाया जा रहा है।

विभिन्न रेलवे जोनों द्वारा अर्जित राजस्व

2726. श्री अनन्त नायक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न रेलवे जोनों द्वारा चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान कितना राजस्व अर्जित किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न रेलवे जोनों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही (सितंबर 2004 तक) के दौरान विभिन्न रेलवे जोनों द्वारा अर्जित किए गए राजस्व की राशि 22178.60 करोड़ रुपए है।

(ख) अनुदान सं. 16 के अतंर्गत प्रथम छमाही (सितंबर, 2004 तक) के दौरान विभिन्न रेलवे जोनों के विकास पर किए गए खर्च की राशि 4273.96 करोड़ रु. है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, उत्पादन इकाइयों, अन्य इकाइयों जैसे रेल विद्युतीकरण संगठन, महानगर परिवहन परियोजनाओं आदि और थोक आदेश आदि पर किए गए खर्च की राशि 2531.86 करोड़ रु. है।

ताप विद्युत संयंत्र में गैस की मात्रा

2727. **श्री दुष्यन्त सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रामगढ़ ताप विद्युत संयंत्र में वर्तमान में गैस की कितनी मात्रा उपलब्ध है;

(ख) क्या मैसर्स आयल इंडिया और मैसर्स गैस अथारिटी आफ इंडिया (गेल) ने अतिरिक्त मूल्य पर गैस की और अधिक मात्रा देने पर सहमति जतायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन ताप विद्युत संयंत्रों को आवश्यक मात्रा में गैस की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) 1.11.2004 से रामगढ़ विद्युत संयंत्र के लिए 0.75 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) प्राकृतिक गैस उपलब्ध है।

(ख) और (ग) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) के साथ गैस की मूल संविदागत मात्रा 0.55 एमएमएससीएमडी, ओआईएल से 0.5 एमएमएससीएमडी और ओएनजीसी से 0.05 एमएमएससीएमडी है। ओआईएल क्षेत्रों से 0.20 एमएमएससीएमडी की अतिरिक्त मात्रा की आरआरवीयूएनएल को आपूर्ति करने पर सहमति हुई है। 0.20 एमएमएससीएमडी की अतिरिक्त मात्रा की उपलब्धता से ओआईएल द्वारा आपूर्त 0.70 एमएमएसीएमडी की संपूर्ण मात्रा आरआरवीयूएनएल और ओआईएल के बीच सहमत संशोधित मूल्य पर आपूर्त की जाएगी।

(घ) गेल ने 0.2 एमएमएससीएमडी गैस की अतिरिक्त मात्रा आरआरवीयूएनएल के रामगढ़ विद्युत संयंत्र को आपूर्ति के लिए 1.11.2004 से उपलब्ध कराने के लिए ओआईएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

शिवाजी की मूर्ति की स्थापना

2728. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मेघदाम्बरी, रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को स्थापित करने का अनुरोध किया था जिसे सरकार द्वारा पुरातात्विक महत्व के स्थलों और स्मारकों के संरक्षण हेतु कतिपय दिशा-निर्देशों के आधार पर नामंजूर कर दिया गया है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उक्त किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को स्थापित करने के लिए इस वर्ष जून में केन्द्र सरकार से फिर से अनुरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए पत्र में किन विशेष मुद्दों को उठाया गया है;

(घ) क्या सरकार ने तब से इसकी पुन: समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय संरक्षित स्मारक मेघदाम्बरी रायगढ़, में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना के लिए अनुमति संबंधी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का दिनांक 26 जून, 2004 का पत्र जो भारत के प्रधानमंत्री को संबोधित था, की प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत विस्तृत जांच की गई तथा इसे सहमति प्रदान नहीं की गई क्योंकि इसके हस्तक्षेप से स्मारक के मूल परिवेश, प्राचीन विशेषताओं तथा सौन्दर्यपूर्ण दृश्य पर प्रभाव पड़ेगा। केन्द्र सरकार का निर्णय उचित प्राधिकारी को 9 जुलाई, 2004 को भेज दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे में खादी की खरीद

2729. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे में खादी के प्रयोग को अनिवार्य बनाया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान रेलवे में बैड शीट्स और पर्दों के लिए कुल कितनी मात्रा में खादी को खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है और इस पर कितना धन खर्च किया गया है/किया जाएगा;

(ग) रेलवे में खादी को खरीदने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया/मानदंड क्या हैं; और

(घ) बिचौलियों के चंगुल में आए बिना ही गरीब बुनकरों को रेलवे में खादी के उपयोग का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की योजना क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार रेलवे के लिए यह अनिवार्य है कि रेलगाड़ियों, रेल कार्यालयों, प्रतीक्षालयों, विश्रामालयों, रनिंग रूम आदि को सुसज्जित करने के लिए साज सामान जैसे बिस्तर आदि के लिए आवश्यक वस्तुएं (केवल वातानुकूलित डिब्बों में उपयोग में लाए जाने वाले परदे के कपड़े, जो कि आग देर से पकड़ने की किस्म का होता है को छोड़कर) खादी/हैंडलूम में उपलब्ध अलग-अलग किस्मों में से खरीदी जाएं। रेलवे में खादी के कपड़े की खरीद के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार खादी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खादी की खरीद केवल खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) से करनी आवश्यक है, जिनका रेलवे द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग सरकारी निकाय के तौर पर समन्वय एवं खादी की सप्लाई का कार्य करता है। इसमें कोई अन्य बिचौलिए न होने के कारण बुनकरों को प्रत्यक्ष लाभ न मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

डी.आर.एम. कार्यालय में रिमोट ट्रेन सिगनल प्रणाली

2730. श्री तूफानी सरोज: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में डी.आर.एम. कार्यालय में स्थापित रिमोट ट्रेन सिगनल सिस्टम को समाप्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सिगनल सिस्टम की स्थापना पर कितना व्यय किया गया और इसे समाप्त किए जाने के कारण और आधार क्या हैं; और

(ग) इस सिगनल सिस्टम की स्थापना और इसे हटाने पर धन को बर्बाद करने के जिम्मेदार व्यक्ति कौन हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1994 में डी आर एम कार्यालय, नई दिल्ली में 32.38 करोड़ रुपए की लागत से रिमोट कंट्रोल ट्रेन सूचना प्रणाली की स्थापना की गई। सिस्टम को दिल्ली क्षेत्र में परिचालनिक सुविधाएं जैसे रूट की आटोमैटिक सेटिंग, रिमोट कंट्रोल आपरेशन, गाड़ी स्थिति प्रदर्शित करना, ट्रेन ग्राफ बनाना आदि मुहैया कराने के लिए स्थापित किया है। बहरहाल, अधिक एवं तीव्र बदलती हुई यातायात स्थिति, यार्डों के अभिन्यास परिवर्तन, परिचालन के दौरान स्थानीय और दूर की चीजों के बीच बार-बार अदला-बदली किए जाने के लिए बार-बार शंटिंग परिचालनों के कारण मंडलीय प्राधिकार द्वारा इसकी परिचालनिक उपयोगिता को बनाए रखने के लिए सिस्टम बनाया गया है। उपर्युक्त को देखते हुए, दिल्ली मंडल ने वार्षिक अनुरक्षण, वातानुकूलन, स्थान के अवरोध, बिजली खपत आदि पर खर्चों के भार को रोकने के लिए सिस्टम को हटा दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुवाहाटी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

2731. श्री राजेन गोहेन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्रियों की कमी के कारण एअर इंडिया की गुवाहाटी-बैंकाक उड़ान को रोकने के मद्देनजर सरकार का विचार गुवाहाटी से अतंर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ानों के पुन: मूल्यांकन का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गुवाहाटी-काठमांडू और गुवाहाटी-ढाका-कोलकाता के बीच उड़ान शुरू करने का है जिसमें अधिक संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) इंडियन एयरलाइन्स की पहली जनवरी, 2005 से गुवाहाटी-बैंकॉक मार्ग पर प्रचालन सेवाएं शुरू करने की योजना है।

(ख) और (ग) नेपाल और बंगलादेश के साथ हमारे मौजूदा विमानसेवा करारों के अनुसार, हमारे पास अपने पक्ष के उपलब्ध अनप्रयुक्त यातायात अधिकार हैं। तथापि, वास्तविक प्रचालन सेवाएं एयरलाइनों के वाणिज्यिक विवेक पर आधारित होंगी।

[अनुवाद]

परियोजनाओं के लिए अपेक्षित धनराशि

2732. श्री के.एस. राव:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी उपक्रमों संबंधी स्थायी सम्मेलन ने विभिन्न औद्योगिक तथा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए धनराशि जुटाने हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पूंजी बाजार का दोहन करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लेखकों को वित्तीय सहायता

2733. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2004 से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लेखकों के नाम, तथा पुस्तकों के विषय तथा प्रदान की गई धनराशि कितनी है; और

(ख) जनवरी, 2004 से प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकों के नाम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) प्रकाशन विभाग लेखकों को "वित्तीय सहायता" उपलब्ध नहीं कराता है। उन्हें बेची गयी प्रतियों के आधार पर एकमुश्त 5000/- रुपये अथवा 15% रायल्टी का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ विशेष मामलों में आकस्मिक लागत को वहन करने के लिए लेखकों को 2500/- रुपये जेब खर्च के रूप में प्रदान किया जाता है।

(ख) प्रकाशन विभाग द्वारा जनवरी, 2004 से प्रकाशित पुस्तकों की सूची संलग्न विवरण के रूप में दी गई है।

विवरण

प्रकाशन विभाग द्वारा जनवरी, 2004 से अब तक प्रकाशित पुस्तकों की सूची निम्नानुसार है:

अंग्रेजी

1. इंडिया ए रेफरेंस एनुअल 2004
2. फोर्ट्स आफ इंडिया (पुन: प्रकाशित)
3. कल्पना चावला
4. टाइमली गिफ्ट एंड अदर स्टोरीज
5. इंडियन कास्ट्यूम्स (पुन: प्रकाशित)
6. अर्थक्वेक्स
7. प्रेजीडेंट के.आर. नारायणन: सेलेक्टिड स्वीचीज (खंड II)
8. मास मीडिया इन इंडिया 2003
9. स्टोरीज आफ विक्रमादित्य (पुन: प्रकाशित)
10. टुवर्डस ए न्यू वर्ल्ड
11. टुवर्डस ए डिवेलप्ड इकनोमी-डिफाइनिंग मोमेंट्स
12. इंडियाज फारेन पालिसी (पुन: प्रकाशित)
13. इंडिया: ए रेफरेंस एनुअल 2004 (पुन: प्रकाशित)
14. मदर टेरेसा
15. प्रेस इन इंडिया 2002-2003 (खंड I और खंड II)
16. रिपोर्ट आफ दि रेडियो ब्राडकास्ट पालिसी कमेटी
17. इंडियाज स्ट्रगल फार फ्रीडम (पुन: प्रकाशित)
18. महात्मा गांधी बाय रोमेन रोलैंड (पुन: प्रकाशित)
19. दि ब्लेसिंग एंड अदर स्टोरीज
20. कल्चर एंड रिलीजियस ट्रेडिसंस इन टेम्पल्स आफ गोवा

21. हाइड एंड सीक (पुनः प्रकाशित)
22. दि टाकिंग ड्रम एंड अदर स्टोरीज
23. मदर टेरेसा-इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स (पुनः प्रकाशित डी एक्स)

हिन्दी

1. भारत 2004
2. आलहा-उदल (पुनः प्रकाशित)
3. सी डब्ल्यू एम जी (संशोधित) खंड 91
4. सी डब्ल्यू एम जी (संशोधित) खंड 100
5. जनकथाकार शैलेश मतियानी
6. भारत के लोक गाथा गीत (पुनः प्रकाशित)
7. नुपूर नक्षत्र
8. निकोलई रोरिक
9. क्लोनिंग
10. डा. राजेन्द्र प्रसाद व्याख्यान माला (भाग I)
11. डा. राजेन्द्र प्रसाद व्याख्यान माला (भाग II)
12. आदिवासी गढ़ छत्तीसगढ़
13. नये विश्व की ओर-वीरनायक दौड़
14. विकसित अर्थव्यवस्था की ओर
15. सी डब्ल्यू एम जी खंड 39 (संशोधित)
16. सी डब्ल्यू एम जी खंड 42 (संशोधित)
17. सी डब्ल्यू एम जी खंड 43 (संशोधित)
18. डा. के.बी. हेडगेवार (बीएमआई)
19. जनकवि नागार्जुन
20. कविता आजकल
21. भारत 2004 (पुनः प्रकाशित)
22. युगपुरुष अम्बेडकर (पुनः प्रकाशित) संशोधित
23. भीमराव अम्बेडकर (पुनः प्रकाशित) बीएमआई
24. विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं (भाग I) पुनः प्रकाशित
25. सांस्कृतिक एकता का गुलदस्ता (पुनः प्रकाशित)
26. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (पुनः प्रकाशित)
27. अंतरिक्ष में भारत (पुनः प्रकाशित)
28. पौराणिक बाल कथाएं (पुनः प्रकाशित)
29. एकता की बोलती तस्वीरें (पुनः प्रकाशित)
30. सुकुमालिया का त्याग (पुनः प्रकाशित)
31. विदेशी यात्रियों की नजर में भारत (पुनः प्रकाशित)
32. लक्षद्वीप की समुद्री कथाएं (पुनः प्रकाशित)
33. लाक्षाग्रह (पुनः प्रकाशित)
34. बाल बोध कथाएं (पुनः प्रकाशित)
35. बागवानी कैसे करें (पुनः प्रकाशित)
36. अपनी हिन्दी सुधारें (पुनः प्रकाशित)
37. खीर की गुडिया (पुनः प्रकाशित)
38. एक देश के हृदय (पुनः प्रकाशित)
39. कबूतर उड़ गए (पुनः प्रकाशित)
40. रोचक ऐतिहासिक कहानियां (भाग-II) (पुनः प्रकाशित)
41. नोबेल पुरस्कार विजेता महिलाएं (पुनः प्रकाशित)
42. चेतक और प्रताप (पुनः प्रकाशित)
43. स्वामी शाहजहानंद सरस्वती (बीएमआई)
44. पंडित दीन दयाल उपाध्याय (बीएमआई) (पुनः प्रकाशित)
45. हमारे आज के क्रिकेट सितारे (पुनः प्रकाशित)
46. सफर का साथी (पुनः प्रकाशित)
47. रिपोर्ट आफ दि रेडियो ब्राडकास्ट पालिसी कमेटी
48. छुप्पम छुपई
49. देश भक्ति के नाटक
50. लो गुब्बारे (पुनः प्रकाशित)
51. विकलांगता, करण, बचाव व निदान
52. कहानी आजकल-खंड II (डीएक्स)
53. समय का सफर
54. हमारे बहादुर बच्चे (पुनः प्रकाशित)

55. जवाहरलाल नेहरू (पुनः प्रकाशित)-बीएमआई
56. वेद गाथा (डीएक्स)
57. तारों भरा आकाश (डीएक्स)

क्षेत्रीय भाषाएं

1. ग्रेट मेन ग्रेट डीडस (तमिल)
2. फर्ज दी पहचान (पंजाबी)
3. टु फ्रेंडस (तमिल)
4. डा. के.बी. हेडगेवार (मराठी)
5. डा. के.बी. हेडगेवार (मलयालम)
6. एन आउटलाईन हिस्ट्री आफ इंडियन पीपल (उरिया)
7. डा. के.बी. हेडगेवार (संस्कृत)
8. डा. के.बी. हेडगेवार (तेलुगु)
9. सीरस एंड थिंकर्स (गुजराती)
10. पोइटस, ड्रामिस्ट्स, एंड स्टोरी टेलर्स (गुजराती)
11. एन आउटलाईन हिस्ट्री आफ इंडियन पीपल (कन्नड)
12. साइंटिस्टस (तेलुगू)
13. पोइटस, ड्रामिस्ट्स एंड स्टोरी टेलर्स (तेलुगु)
14. ट्राइबल डांसिज आफ गुजरात (गुजराती)
15. डीवोशनल पोइटस एंड मिस्टिक्स (भाग I) (तेलुगु)
16. डीवोशनल पोइटस एंड मिस्टिक्स (भाग II) (तेलुगु)
17. फ्रीडम मुवमेंटस इन आंध्र प्रदेश (पुनः प्रकाशित) (तेलुगु)
18. ग्लोरी आफ विजयनगर प्रभावम (पुनः प्रकाशित) (तेलुगु)
19. अफसाना आजकल (उर्दु)

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदय: सभा अब पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार करेगी।

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) छावनी बोर्डों के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1190/04]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1191/04]

(ख) (एक) भारत अर्थ मूर्वस लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत अर्थ मूर्वस लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1192/04]

(ग) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1193/04]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) गांधी स्मृति एण्ड दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति एण्ड दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति एण्ड दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1194/04]

(3) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1195/04]

(5) (एक) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1196/04]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 705(अ) जो 27 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में यथाउल्लिखित 10 राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों में पेट्रोल में 5 प्रतिशत की सीमा तक एथनोल के अनिवार्य मिश्रण के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1197/04]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1198/04]

(ख) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1199/04]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1200/04]

(घ) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1201/04]

(ङ) (एक) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1202/04]

(च) (एक) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1203/04]

(छ) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1204/04]

(ज) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1205/04]

(झ) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1206/04]

(ञ) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1207/04]

(ट) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटाकमंड के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटाकमंड के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1208/04]

(2) (एक) आटोमैटिक रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आटोमैटिक रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1209/04]

(3) (एक) फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, फलक्कड के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, फलक्कड के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1210/04]

(4) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1211/04]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2004 जो 23 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 636(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2004 जो 14 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 672(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 2004 जो 5 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 732(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1212/04]

(2) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1213/04]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1214/04]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1215/04]

अपराह्न 12.02 बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

154वां, 155वां और 156वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) "दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के क्षेत्रों में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता (लघु उद्योग मंत्रालय)" के बारे में समिति के 129वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी 154वां प्रतिवेदन;

(2) "हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता (लघु उद्योग मंत्रालय)" के बारे में समिति के 130वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी 155वां प्रतिवेदन;

(3) "पूर्वोत्तर क्षेत्र औद्योगिक विकास में बाधाएं (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय)" के बारे में समिति के 131वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी 156वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। कार्य मंत्रणा समिति की मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2004 की बैठक में यह सिफारिश की गई है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना 2003-2007 पर चर्चा के लिए चार घंटे आबंटित किये जाएं।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

फिरोजपुर मंडल के जालंधर-पठानकोट खंड के बीच जालंधर-पठानकोट पैसेंजर (डी एम यू) तथा जम्मू तवी एक्सप्रैस के बीच हुई दुर्घटना

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि कल पूर्व प्रधानमंत्री, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे सदन में ढूंढ रहे थे। मुझे इस बात के लिए बहुत अफसोस है क्योंकि आप रेल हादसे के मामले में मेरे द्वारा बयान सुनना चाहते थे।

अध्यक्ष महोदय, आपको इस अवस्था में जो तकलीफ हुई होगी, उसके लिए मुझे खेद है। मुझे जिन माननीय सदस्यों ने बताया, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी): आपको रेल हादसे के बारे में क्या कहना है, वह बताइए? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री लालू जी, आप स्टेटमेंट पढ़िए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यहां पर उपस्थित नहीं रहने के लिए अफसोस जताया है। आप उन्हें अफसोस जताने नहीं दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइए। लालू जी, आप स्टेटमेंट पढ़िए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने अफसोस जाहिर किया है। आप यहां तक कि वह भी नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री महोदय, कृपया वक्तव्य पढ़िए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे टेलीफोन पर पटना से आग्रह किया था कि मैं पांच बजे आ रहा हूं, आप समय निर्धारित कर लीजिए। आनन-फानन में हम आए। हम इसी सदन के सदस्य हैं और इस सदन में कभी भी, किसी भी माननीय सदस्य का अनादर करना हमारा फैशन नहीं है। मैं जब आया तो मुझे मालूम हुआ कि हाउस को एडजर्न कर दिया गया है। *...(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): जो मर गए हैं, उनका आपको अफसोस नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसादः आप पीछे छिप कर बात मत करिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः लालू जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इस बात की जांच करूंगा। मैं इसे समझ नहीं सका। इसलिए मैं इसकी जांच करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः जब मैं आया तो मुझे मालूम हुआ कि हाउस एडजर्न हो गया है। मैं राज्य सभा में बयान देना चाहता था, लेकिन वहां मेरी बात को सुना नहीं गया। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, राज्य सभा की बात यहां नहीं होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी राय स्वीकार करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः दिनांक 14.12.2004 को लगभग 12 बजे जालंधर से पठानकोट जा रही एक जी.एम.पी. डीजल मल्टीपल यूनिट पैसेंजर गाड़ी, जम्मूतवी अहमदाबाद एक्सप्रैस (गाड़ी सं. 9112) से टकरा गई। जालंधर पठानकोट पैसेंजर के दो सवारी डिब्बे पलट गए और जम्मूतवी एक्सप्रैस गाड़ी के दो सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना भंगाला और मीरथल स्टेशनों के बीच हुई, जो उत्तर रेल के फिरोजपुर गांव के जालंधर पठानकोट खंड पर है। यह स्थल पंजाब के होशियारपुर जिले में है।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पठानकोट और लुधियाना से मेडीकल वैन का तुरन्त प्रबन्ध किया गया। पठानकोट की मेडीकल वैन अपरान्ह एक बजे तथा लुधियाना की मेडिकल वैन 2 बजकर 50 मिनट पर पहुंची।

संसद में बयान देने के बाद मैंने रेल राज्य मंत्री, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड तथा अन्य उच्च अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण किया और उन अस्पतालों में गए, जहां घायलों को भर्ती किया गया था। अस्पताल के अधिकारियों को उच्च प्राथमिकता पर आवश्यक चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई।

दुर्घटना का कारण प्रथम दृष्टया मानवीय विफलता प्रतीत होती है। यह पाया गया कि संबंधित दोनों स्टेशन भंगाला एवं मीरथल के ब्लाक उपक्रम एक दिन पहले से खराब थे। मैंने सदस्य, बिजली, रेलवे बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह ब्लाक उपकरण की खराबी के कारण एवं उसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों एवं अधिकारियों को चिन्हित करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ऐसी स्थिति में नियमानुसार दोनों स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को पेपर लाइन क्लियर की प्रणाली के तहत गाड़ियों को संचालन करना होता है। इस प्रणाली में एक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को जहां से गाड़ी छूटनी होती है, उसके लिए लाइन क्लियर अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान करके लिया जाता है। स्पष्टतया यह प्रतीत होता है कि निर्धारित नियमों का अनुपालन संबंधित स्टेशन मास्टरों ने सही तरीके से नहीं किया और एक ही सेक्शन में दोनों तरफ से गाड़ियों के सेक्शन में छोड़ दिया, जिसके कारण यह टकराव हुआ।

[श्री लालू प्रसाद]

रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर रेलवे दुर्घटना की वैधानिक जांच कर रहे हैं, जो कि दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच करेंगे एवं भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए उचित सुझाव देंगे।

इस घटना में मृतकों एवं घायलों की संख्या इस प्रकार है। मृतकों की संख्या 38, घायलों की संख्या 52, जिनकी अस्पताल से छुट्टी की जा चुकी है—13, जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं—39, मुकेरियां, दसूआ, जालंधर और लुधियाना के अस्तपालों में ये लोग हैं।

मैंने निम्नानुसार अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मृतकों के मामले में तत्काल एक लाख रुपये, गम्भीर रूप से घायल को तत्काल 15 हजार रुपये और मामूली रूप से घायलों को पांच हजार रुपये।

उक्त तत्काल राहत के अलावा रेलवे दावा प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित मृतकों के आश्रितों को 4 लाख रुपया एवं घायलों को भी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि का मुआवजा दिया जायेगा। मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों एवं इस दुर्घटना से अपंग हुए व्यक्तियों को रेलवे में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मुझे ज्ञात हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री, पंजाब ने भी मृतकों के आश्रितों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

मैंने निर्देश दिया है कि घायलों का मुफ्त इलाज रेलवे की तरफ से कराया जाएगा एवं इलाज के पश्चात् उन्हें अपने परिजनों के पास रेल के खर्चे पर पहुंचाया जायेगा।

भंगाला और मीरथल दोनों स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को निलम्बित कर दिया गया है। दोनों स्टेशन मास्टरों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है, लेकिन आज हमें मालूम हुआ है कि एक गिरफ्तार हो गये हैं और दूसरे एक्सपेंड कर रहे हैं। पुलिस द्वारा उनकी खोज जारी है। संबंधित सेक्शन इंजीनियर (निर्माण) एवं सेक्शन इंजीनियर (दूरसंचार) को भी निलम्बित कर दिया गया है।

लाइन को 15.12.2004 को सुबह 2 बजकर 30 मिनट पर बहाल कर दिया गया है और पहली गाड़ी 4 बजकर 10 मिनट पर गुजर चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, प्रथम दृष्टया भारतीय रेल के इतिहास में, हम सदन की तरफ से कहना चाहेंगे कि हमारे जो भाई-बहन उसमें मारे गये हैं, उनके प्रति एक मिनट का मौन रखा जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कल हमने मौन रखा था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, कृपया एक मिनट ठहरिये। कृपया मुझे कार्यवाही चलाने दीजिए। आपको पता है कि नियमों के अनुसार आपको यह हक नहीं है। परन्तु आपने एक विशेष अनुरोध किया है। मैं आपको एक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ एक विशेष मामले के रूप में लिया जाना चाहिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, इस सदन में अनेक बार वक्तव्य के बाद चर्चा हुई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार हूं। तब आप चर्चा के लिए इंतजार कीजिए। मैं अगले सप्ताह चर्चा की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आज से ही डिस्कशन शुरू कर देते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज अन्य कार्य हैं। मैं सोमवार को इसकी अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप प्रश्न पूछते हैं तो समस्या होगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं सिर्फ दो या तीन प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यदि आप चर्चा करवाना चाहते हैं तो आप अभी प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): अध्यक्ष महोदय, अगर सोमवार को डिक्शन होगा तो आज सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर आज यह सवाल पूछेंगे तो सोमवार को डिस्कशन नहीं होगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप चर्चा करवाने पर जोर दे रहे हैं तो आप एक नोटिस दें। मैं इस पर विचार करूंगा। परन्तु यदि आप यहां प्रश्न पूछना चाहते हैं तो समस्या होगी।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हम जानना चाहते थे कि जब सत्र चल रहा था और वहां इतनी भीषण दुर्घटना हुई, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बात छोड़िए।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कृपया मुझे दो या तीन विशिष्ट प्रश्न पूछने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे क्या करना है, इसके बारे में मैंने निर्णय ले लिया है। मैंने कह दिया है कि या तो प्रश्न पूछे जाएंगे या चर्चा होगी।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मंत्री महोदय वहां की दुर्घटना के बाद दिल्ली आने के बजाए बिहार क्यों गए, किस बात के लिए गए? इन्होंने इस सदन की अवमानना की, सदन की गरिमा नष्ट की, सदन के महत्व को नष्ट किया और इसके लिए माफी भी नहीं मांगी। ...*(व्यवधान)*

इन्होंने वहां जांच शुरू होने से पहले ही घोषणा कर दी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। आपकी बात हो गई है। मंत्री जी जवाब दे देंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मंत्री महोदय ने कहा है कि यह एक नृशंस हत्या है।

[हिन्दी]

मर्डर का मुकदमा किस पर चलेगा? मंत्री महोदय हों या उससे ऊपर हों, डेमोक्रेसी में मुकदमा चलता है। इन्होंने तीनों बातों पर न सदन में आकर बयान दिया, न उसकी घोषणा की। वहां जांच बिठा दी। इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि वहां 35 लोग मर गए हैं। जितने लोग मरे हैं, ये उतने मिनट भी वहां नहीं रहे, वहां से एकदम बिहार चले गए। ...*(व्यवधान)* ये सिवाए रेलवे के और कोई काम नहीं देख रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह पर्याप्त है। आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, हम इससे बिल्कुल डिससैटिसफाइड हैं और इस पर आपत्ति करते हैं। ...*(व्यवधान)* इन्होंने जिस प्रकार व्यवहार किया ...*(व्यवधान)* इन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया। हम इसके प्रोटैस्ट में वाक आउट करते हैं।

अपराह्न 12.13 बजे

तत्पश्चात् प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। जब मैं खड़ा होऊं तो आपको अवश्य बैठ जाना चाहिए। नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): ये जवाब सुनने के बाद डीरेल कर गए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ जी, जब हम खड़े रहेंगे तब आपको बैठना होगा। प्लीज बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को सभा से बहिर्गमन करने का अधिकार है। इसमें कुछ नया नहीं है। इसलिए जब वे बाहर जा रहे हों तो आपको आवेश में आने की जरूरत नहीं है। हम कार्यवाही जारी रखेंगे।

मद सं. 10, श्री एच.आर. भारद्वाज।

अपराह्न 12.14 बजे

आंध्र प्रदेश विधान परिषद विधेयक, 2004®

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विधान परिषद के सृजन तथा उसके अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पहले प्रस्ताव प्रस्तुत होने दें।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, इस पर डिसकशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने प्रश्न पूछ लिया है, इसलिए अब इस पर कोई डिसकशन नहीं होगा।

[अनुवाद]

इसका निर्णय पहले ही किया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, इसके बाद इस पर डिसकशन की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए एक मिनट का समय दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने समय पर नोटिस नहीं दिया है। नियमों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है। कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इस मुद्दे से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया है। आपने कोई कारण नहीं दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नियमों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दे सकता हूं। प्रत्येक दिन नियम तोड़े जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए एक मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आपने नियमों में स्वयं संशोधन किए हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। महोदय, अनुच्छेद 161 के अनुसार ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब सुनने के बाद वाकआउट किया है। आपका आदेश किसके ऊपर है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमारी बात कोई नहीं सुनता।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई भी अध्यक्षपीठ की बात नहीं सुनता। अध्यक्षपीठ मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गयी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। आपने कारण नहीं दिए हैं। नियम संशोधित किए जा चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके द्वारा इस विधेयक के विरोध का कारण क्या है?

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मैंने सूचना दी है कि मैं क्यों विधेयक का विरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपने इस विधेयक का विरोध करने के कारण नहीं बताए हैं। आपको भी पता है कि नियमों में संशोधन किया जा चुका है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। नहीं, मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

®भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 16.12.2004 में प्रकाशित।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, कृपया बोलने के लिए एक मिनट का समय दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विधान परिषद के सृजन तथा उसके अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हंसराज भारद्वाज: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। अभी अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार करने का समय है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: येरननायडु जी, आप इतने सम्मानित और वरिष्ठ सदस्य हैं। जब मैं खड़ा होता हूं। तो आपको बैठ जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप एक अत्यन्त वरिष्ठ एवं सम्मानित सदस्य हैं। हमने सोच-समझकर विषयों में परिवर्तन किया है और आप इसमें सहभागी थे। यह उल्लेख किया गया है कि विरोध संबंधी नोटिस देना ही पर्याप्त नहीं है। माननीय सदस्य को विरोध करने के कारणों को भी दर्शाना होता है। आपने ऐसा नहीं किया और अब आप चाहते हैं कि मैं नियमों का उल्लंघन करूं। हमने इसमें संशोधन किया है और इसमें सहभागी है। आप मुझसे यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि मैं इसका उल्लंघन करूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मैंने आपसे नियमों का उल्लंघन करने के लिए नहीं कहा है। अपवाद के रूप में, मैं आपसे मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए कह रहा हूं। मैं नियमों में हाल में हुए परिवर्तनों से अवगत नहीं हूं और यही कारण है कि मैं आपसे इस विधेयक का विरोध करने की अनुमति मांग रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि नियम बदल दिये गए हैं। इसे परिवर्तित कर दिया गया है और ऐसा किया जा चुका है।

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): महोदय, कृपया उन्हें और एक मिनट बोलने की अनुमति दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी नहीं सम्मिलित होगा। आप शोर करते रहें।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): अध्यक्ष महोदय, असम राज्य में देश के विभिन्न प्रदेशों जैसे झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल आदि से लोग मजदूरी करने के लिए गये लेकिन उनको वहां आदिवासी जाति का दर्जा नहीं दिया गया। वर्ष 1996 और 1998 में आदिवासी लोग गंगा की बाढ़ से पीड़ित हो गये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: उन्हें 16 राहत शिविर केन्द्रों में रखा गया जिसमें 7,465 परिवारों की आबादी 43,140 है। वहां पर जो भी शिविरों में रह रहे हैं, उनको मात्र 10 हजार रुपये देकर पुनर्वासित किया जा रहा है। मेरा कहना है कि वहां केन्द्र सरकार की तरफ से इंदिरा आवास योजना लागू है लेकिन उन्हें इंदिरा आवास के अन्तर्गत मकान मुहैया नहीं किये जा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि उन्हें इंदिरा आवास के अन्तर्गत घर दिया जाये ताकि वे अपने परिवार के साथ रह सकें।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें। यह चर्चा यहां नहीं करनी चाहिए। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: खास तौर से पश्चिम राजस्थान का जोधपुर शहर मारवाड़ का केन्द्र बिन्दु है। जोधपुर शहर में बहुत पुराने विश्वविद्यालय हैं, जहां के पढ़े छात्र देश और विदेश के कोने-कोने में मिलेंगे। वर्तमान समय में वहां जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है, वह पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है। मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिम राजस्थान मरूस्थल क्षेत्र है और जोधपुर शहर मारवाड़ का केन्द्र बिन्दु है। श्री जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बच्चे आज देश में नहीं बल्कि विदेश में भी मिलेंगे, उस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, परसों असम में उल्फा अग्रवादियों ने 5 जगह रिमोट कंट्रोल और ग्रेनेट फेंककर बम विस्फोट किया है जिसमें 5 एक्सप्लोजंस हुए और उसमें दो लोग मरे हैं और 30 लोग घायल हो गये हैं। पिछले साल 13 दिसम्बर को इंडियन आर्मी ने भूटान में जाकर आपरेशन फ्लश आउट किया था। उसी के बदले में रिवेंज डे मनाया गया था और इतना ही नहीं वहां पर जो भी दिग्बोई हाउस है और कांग्रेस के लेबर मिनिस्टर रमेश धानुआ हैं, उनके घर के बाहर भी बम विस्फोट हुआ। तिनसुकिया में कांग्रेस का एक आफिस है, उसके पास बम विस्फोट हुआ और दो दिन पहले पुलिस आउट पोस्ट पर विस्फोट हुआ जिसमें दो पुलिसकर्मी मारे गये हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उल्फा उग्रवादियों के साथ वार्ता का प्रयास जारी है और वहां की असमिया साहित्यकार श्री इंदिरा गोस्वामी की पहल पर और प्रधान मंत्री की ओर से वार्ता करने का प्रयास हुआ है। मैं यह कहना चाहूंगा कि उन लोगों ने हिस्सा का रास्ता छोड़ने से इन्कार कर दिया है। जब तक उल्फा उग्रवादी हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं, तब तक उनके साथ किसी प्रकार की वार्ता नहीं होनी चाहिए। इससे पहले हिज़बुल मुजाहिदीन, पीपुल्स वार और एन.एस.सी.एन. के साथ जो वार्ता हुई है, उसमें केन्द्रीय सरकार ने पहली शर्त रखी थी कि उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। परेश बरुआ जो उनके लेफ्टीनेंट और सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हम हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे।

मैं यह कहना चाहूंगा कि उल्फा उग्रवादियों के म्यांमार और बंग्लादेश में कैम्पस काम कर रहे हैं और आई.एस.आई. से भी उनके लिंक हैं। इसलिए उनके साथ वार्ता का कोई औचित्य नहीं है और ये चाहते हैं कि स्वतंत्र राज्य बने। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से एन.डी.ए. सरकार ने आपरेशन फ्लश आउट पिछले साल म्यांमार, बंग्लादेश और भूटान में लागू किया गया था, उसी प्रकार उल्फा उग्रवादियों के खिलाफ आर्मी को आपरेशन चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए तभी उल्फा उग्रवादियों का आतंक असम से समाप्त हो पाएगा।

[अनुवाद]

डा. अरूण कुमार शर्मा (लखीमपुर): अध्यक्ष महोदय, असम में लगातार कई बम विस्फोट हुए हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको उनका समर्थन करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इसका विस्तृत वर्णन किया है।

डा. अरूण कुमार शर्मा: महोदय, मैंने नोटिस दिया है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें क्योंकि मैं असम से हूं।

महोदय, जून माह से अब तक असम में 50 से ज्यादा बम विस्फोट हुए हैं जिनमें कई लोगों की जानें गई हैं और लोग भयग्रस्त हैं। असम में विधि-व्यवस्था में गंभीर गिरावट आई है। अभी हाल में ही, नागौन, मोरीगांव, गुवाहाटी, तिनसुकिया, छाबुआ, और दोमदोमा में बम-विस्फोट हुए थे। पिछली शाम ऐसी भी खबर आई थी कि सिलपथार और बरामा में ग्रेनेड फेंके गए थे और काकापथार और सादिरा क्षेत्र में बम फेंके गए जो फटे नहीं।

जब केन्द्रीय सरकार ने उग्रवादी गुटों के साथ वार्ता करने हेतु पहल की तो असम के लोगों की इससे कुछ अपेक्षा जागृत हुई थी। एक बार पुन:, भारत सरकार द्वारा उग्रवादी गुटों को वार्ता के लिए तैयार करने की पहल की जानी चाहिए।

असम के जन-संचार माध्यमों ने यह सूचना दी है कि असम के दो कैबिनेट मंत्री इन बम विस्फोटों में संलिप्त रहें हैं जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।...*(व्यवधान)*

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): किसी को भी इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: वे यहां उपस्थित नहीं हैं। श्री किरिप चालिहा जी, मुझे यह सभा संचालित करने दें। मैं नियमों से पूरी तरह अवगत नहीं हूं और मैंने अपनी टिप्पणी कर दी है। मैं आपको सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं, परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह ऐसा करने का तरीका नहीं है। डा. अरुण कुमार शर्मा जी, उन लोगों के नामों का उल्लेख न करें। जो यहां उपस्थित नहीं हैं। यदि आपने इसका उल्लेख किया है, तो इसका विलोप किया जाएगा।

डा. अरूण कुमार शर्मा: महोदय, मैं केवल मीडिया के रिपोर्टों को उद्धृत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षिप्त रूप से बोले क्योंकि श्री सुशील कुमार मोदी ने विस्तृत वर्णन किया है।

डा. अरूण कुमार शर्मा: इन बम-विस्फोटों की निंदा करते हुए, मैं यह अवश्य कहूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति के अर्न्तराष्ट्रीय कारण भी हैं। बंगलादेश, भूटान, म्यांमार और विश्व के अन्य भागों में स्थिति विभिन्न शिविरों जिनसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी संख्या में हथियार और मादक द्रव्य आ रहे हैं, से निपट कर ही इस स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: यह कोई वाद-विवाद नहीं है। यह वाद-विवाद करने का समय नहीं है।

डा. अरूण कुमार शर्मा: पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न देशों से परित्यक्त हथियारों को लाया जा रहा है और, असम में दिन-ब-दिन विधि-व्यवस्था में भी गिरावट आ रही है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको काफी समय दिया है। आप पहले कही गई बातों को ही दोहरा रहे हैं।

डा. अरूण कुमार शर्मा: असम सरकार इससे सहमत थी कि वह विधि-व्यवस्था बनाए रखने में अपने कार्यों का निर्वहन करने में विफल रही है।

अध्यक्ष महोदय: आप पुन: दोहरा रहे हैं।

डा. अरूण कुमार शर्मा: असम सरकार को इसका नैतिक दायित्व लेते हुए त्यागपत्र दे देना चाहिए। यही मेरी मांग है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग कीजिए। कई माननीय सदस्यगणों ने इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर नोटिस दिये हैं। यदि आप प्रत्येक मुद्दे पर वाद-विवाद करना चाहते हैं, तो हम कैसे कार्यवाही संचालित कर सकते हैं? हमें इस प्रक्रिया को समाप्त करना है इसलिए कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश तथा देश के विभिन्न भागों में प्रति वर्ष मस्तिष्क ज्वर से हो रही मौतों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मस्तिष्क ज्वर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पिछले 25 वर्षों से भारी संख्या में अपना कहर बरपाता जा रहा है। प्रति वर्ष हजारों की संख्या में इसकी वजह से मौतें हो रही हैं। लेकिन इस बीमारी की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है।

महोदय, अकेले बी.आर.डी. मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 1978 से लेकर 2003 तक चार हजार से अधिक मौंते मस्तिष्क ज्वर से हो चुकी हैं। इस वर्ष बी.आर.डी. मेडिकल कालेज में 212 मौतें होने की बात दर्ज हुई है। पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मात्र 56 दिनों में ही 1200 मौतें हुई हैं।

मस्तिष्क ज्वर की बीमारी अक्सर बरसात के बाद होती है। छ: महीने से लेकर 18 साल तक के बच्चे अक्सर इसकी चपेट में आते हैं। जो भी बच्चा इसकी चपेट में आत है, वह या तो विकलांग हो जाता है या समय से उपचार न मिलने की वजह से मर जाता है। मैंने पिछली बार भी भारत सरकार से अनुरोध किया था कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए जिस तरह पल्स पोलियों की वैक्सीन देने का व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, उसी तर्ज पर इसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम एक विशेष क्षेत्र को लेंगे तो इसका उपचार नहीं हो पाएगा। पूरे देश में इस बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना चाहिए और केन्द्र सरकार इसे एक मिशन के रूप में लेकर इसके लिए वैक्सीन की व्यवस्था करे।

मैं पुन: केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसे राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ कर, भारत सरकार इसे गंभीरता से ले। इस बीमारी की वजह से प्रतिवर्ष जो सैकड़ों की संख्या में मौंते होती हैं, उसकी रोकथाम करने के लिए उपाय किए जाएं। स्थानीय स्तर पर जो क्षेत्र इस बीमारी की चपेट में आते हैं, वहां इसकी रोकथाम करने के लिए टैस्ट लैब की व्यवस्था की जाए, जहां इस संबंध में जांच की जा सके। इस बीमारी की चपेट में जो छ: महीने से लेकर 18 साल तक के बच्चे आते हैं, उनका उपचार करने के लिए उन सभी स्थानों पर व्यापक स्तर पर वैक्सीन की व्यवस्था भारत सरकार करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।

[हिन्दी]

श्री राज बब्बर (आगरा): अध्यक्ष महोदय, आज विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, जिसे दुनिया के सात वंडर्स में स्थान दिलाने के लिए एसएमएस के जरिये वोट डाले जा रहे हैं, आज खतरे में है। ताजमहल यमुना किनारे स्थित है, लेकिन यमुना में पानी नहीं है। तमाम इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने इस बात को लिखा है, दुनिया

[श्री राज बब्बर]

के अखबारों में यह छप रहा है कि अगर ताजमहल के किनारे यमुना में पानी नहीं होगा, तो वह झुकना शुरू हो जाएगा और उसकी नींव कमजोर हो जाएगी। हम इस वर्ष ताजमहल की 350वीं जयंती मना रहे हैं। पिछले दो साल से मैं लगातार इस सदन में बार-बार गुहार लगाता रहा हूं और पानी की मांग करता रहा हूं। इसे लेकर आगरा में आंदोलन भी हुआ है, लोगों पर मुकदमें भी चले हैं। मैं कल इस सिलसिले में प्रधान मंत्री जी से मिला था। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस समस्या को हल करने की बात कही है।

आज आगरा के सभी अखबारों में एक खबर छपी है कि आगरा के लोग जो पानी पी रहे हैं उससे पीलिया और कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। यमुना नदी का पानी बहुत प्रदूषित हो गया है, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली की इंडस्ट्रियल गंदगी यमुना में बहायी जाती है। वैसे भी यमुना का स्तर पहले जैसा नहीं रहा है।

ऊपर से जो भी पानी आता है, वह प्रदूषित होता है। केन्द्र और प्रदेशों की सरकारों के अंदर आगरा की जनता पानी के लिए दुहाई कर रही है। वहां पर फ्लोराइड-युक्त पानी जनता को मिलता है। मैंने पिलर टू पोस्ट घूमकर देख लिया, कोई कहता है कि प्रदेश में जाओ, कोई कहता है कि केन्द्र के पास जाओ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी गया था। उन्होंने आश्वस्त किया है और आज मैं इस गंभीर मसले को सदन के सामने रखना चाहता हूं। आने वाले वर्षों में पानी की समस्या भारत के सामने भयंकर रूप से आने वाली है। आगरा और आगरा की जनता, बार-बार पानी के लिए गुहार कर रही है। मेरी विनती है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और आगरा को केन्द्र और प्रदेश में विभाजित न करके, पानी की समस्या को सुलझाने का कष्ट करे, जिससे ताजमहल भी बचे और आगरा की जनता भी बचे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आगे से मैं किसी भी सदस्य को अन्यत्र किसी सीट से बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया आश्वस्त रहें।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम (आईसीडीएस) के अन्तर्गत हजारों आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता और सहायक अपनी उचित मांगों की ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं और सहायकों के पदों का सृजन भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग में आई सी डी एस हेतु किया गया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर आज पहले से ज्यादा कार्यों का बोझ है। वे आई सी डी एस के अन्तर्गत प्री-स्कूल प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आई सी डी एस में वंचित समूहों के तीन से पांच वर्ष के आयु समूह के 12 मिलियन से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं। जहां तक आई सी डी एस का संबंध है, अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और चालकों को सरकारी कर्मचारी समझा जाता है जबकि आई सी डी एस कार्यकर्ताओं और सहायकों को नहीं समझा जाता है। इसलिए, मैं यहां उपस्थित माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि यदि वह चाहें तो इस मुद्दे पर गौर करने हेतु समिति गठित कर सकते हैं और उनकी उचित मांगों पर विचार कर सकते हैं जिससे कि उन्हें नियमित किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सांसदों को सांसद मद से दो करोड़ रुपया मिलता है। महंगाई के साथ-साथ प्राक्कलन राशि भी बढ़ी रही है और इतनी राशि से हम जनता को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। बिहार में 12 प्रतिशत टैक्स के रूप में सैल्स टैक्स और रायल्टी टैक्स देना पड़ता है। डिपार्टमेंटल वर्क होता है और ठेकेदार लोगों को कंट्रैक्ट पर रखता है और वह भी परसेंटेज खाता है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए कोई दूसरा तरीका निकाला जाए ताकि सांसद कोष के रूप में जो राशि दी जाती है, उसे समाप्त कर दिया जाए ताकि सांसदों की इमेज बच सके।

श्री फुरकान अंसारी (गोड्डा): महोदय, झारखंड राज्य की स्थिति बहुत भयावह एवं दयनीय है। उग्रवादियों का तांडव जारी है। अब तक लगभग 300 आरक्षी-कर्मी एवं लगभग 50 आरक्षी-अधीक्षक मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। साथ ही उनके हथियार भी लूटे जा चुके हैं। लगभग 16 जिलों में शाम 6 के बजे के बाद आवागमन बंद हो जाता है। पूरे राज्य में रात में उग्रवादियों का शासन चलता है। पूरे झारखंड राज्य की स्थिति अत्यन्त भयावह एवं विस्फोटक है। झारखंड में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। उग्रवाद का विस्तार 5 जिलों से बढ़कर 16 जिलों तक हो गया है। स्थिति यह है कि भय से पूरे राज्य से आदिवासी एवं मजदूरों का पलायन हो रहा है। यहां माफियाओं एवं उग्रवादियों का बोल-बाला है। राज्य की इतनी भयावह स्थिति के बावजूद भी झारखंड सरकार मूक-दर्शक बनी हुई है। ऐसी सरकार का बना रहना झारखंड राज्य के हित में नहीं है। अंत: मैं केन्द्र सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए झारखंड सरकार को अविलंब बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बिना किसी बात के तुरन्त यह मांग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री से कहना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र नेत्राहाट फील्ड फायरिंग रेंज में वहां के लोगों की एक समस्या है। मेरा संसदीय क्षेत्र पिछड़ा इलाका है। वहां आदिवासियों और दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहां गरीब लोग रहते हैं। फील्ड फायरिंग के कारण वहां के लोगों में पलायन की स्थिति पैदा होती जा रही है। पूर्व में वहां जब भी अभ्यास हुए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, बोलने वाले सदस्य और अध्यभपीठ के बीच से गुजरने की अनुमति नहीं है। कृपया भविष्य में ऐसा न करें।

[हिन्दी]

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल: पूर्व में वहां भी जब अभ्यास हुए, उसके बाद जो गोला-बारूद रह जाते हैं, उनसे कई लोग अपंग हो जाते हैं। वहां की दलित और आदिवासी लोगों की यह मांग है कि फील्ड फायरिंग रेंज को हमेशा-हमेशा के लिए वहां से खत्म करके कहीं और ले जाया जाए। वह पहाड़ी इलाका है और इस तरह के अभ्यास से वहां प्रदूषण फैलता है। यहां रक्षा मंत्री जी मौजूद हैं। वहां 5 जनवरी से पुन: अभ्यास शुरू होने वाला है जिसके कारण लोगों में भय और दहशत फैला हुआ है। उस अभ्यास को रोका जाए और फिल्ड फायरिंग रेंज को हमेशा-हमेशा के लिए वहां से हटा दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री हंसराज अहीर- अनुपस्थित

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): अध्यक्ष महोदय, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्री यहां मौजूद हैं। एक-डेढ़ महीने पहले समाज पर कलंक लगाने वाली जो घटना दिल्ली में हुई, मैंने उसे इंटरनेट से डाउनलोड किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल में ग्यारहवीं क्लास के दो बच्चों ने सैक्स स्कैंडल किया। उसकी सैक्स क्लीपिंग सिर्फ भारत में ही नहीं सिंगापुर, अमेरिका और यूरोप में बांटी गई हैं। मंत्री जी यहां मौजूद हैं। लड़की एक्स आर्मी मैन की बेटी थी और लड़का बहुत ही वैल्दी फैमिली से था। मैं यहां एक बात कोट करना चाहता हूं। दिल्ली एजुकेशन एक्ट, 1973 के तहत गवर्नमैंट आफ इंडिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसी पालिसी नहीं है जिस में हाई टैक्नालोजी इक्विपैंट्स जैसे मोबाइल या वीडियो कैमरा जिस का एजुकेशन से कोई संबंध नहीं है, ले जाने पर बैन हो। इन्हें बैन करने का प्रावधान इसमें नहीं है। एक बार किसी स्कूल की प्रिंसिपल के रिटायर होने के बाद किसी प्रकार का एक्सटैंशन देना भी नियमों के खिलाफ है लेकिन हाई स्ट्रैचर दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो इंटरनेशनल सैक्स स्कैंडल हुआ, उस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल पिछले तीन सालों से इल्लिगल एक्सटैंशन पर है। एक्सटैंशन देने के लिए क्लाज हैं कि जिस को नेशनल एवार्ड या स्टेट एवार्ड मिला है, केवल उसी को एक्सटैंशन दिया जा सकता है। जिनको किसी प्रकार का...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते: अध्यक्ष महोदय, मैं कोई एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं। मानव संसाधन विकास मंत्री जी को एक कमेटी बनाकर इस मामले की जांच करानी चाहिए जिससे पूरा समाज इस कलंकित दायरे में आगे खड़ा न हो। ऐसे मामले दोबारा नहीं होने चाहिए।

[अनुवाद]

तदनुसार, शिक्षा प्रणाली से इस अवैध प्रथा को रोकने तथा समाप्त करने के लिए नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, विभिन्न स्तर की अध्यापकीय शिक्षक संस्थाओं अर्थात बी.एड. कालेजों को मान्यता हेतु भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन) का गठन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के तहत किया है जो वर्ष 1995 से देश भर में लागू है।

इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्य व अनुमति प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रदत्त बी.एड. डिग्री ही विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु वैध मानी जाती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। जम्मू-कश्मीर से प्रदत्त बी.एड. डिग्रीधारक देश के अन्य राज्यों में नियुक्तियां पाते रहते हैं। लेकिन हाल ही में राजस्थान में शिक्षक भर्ती के समय जम्मू-कश्मीर से प्राप्त डिग्रीधारकों

[डा. करण सिंह यादव]

को परीक्षा में तो बैठने दिया गया, मगर बाद में जम्मू-कश्मीर से प्राप्त बी.एड. डिग्री की वैधता और मान्यता को लेकर राज्य में संशय की स्थिति बनी हुई है तथा राज्य सरकार ने फिलहाल जम्मू-कश्मीर से प्राप्त डिग्रीधारकों के परिणाम पर रोक लगा दी है। जब जम्मू-कश्मीर मे एन.सी.टी.ई. अधिनियम लागू ही नहीं है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जम्मू एवं कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही है डिग्रियां मान्यता प्राप्त है या नहीं, क्या राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद उन्हें मान्यता देती है अथवा नहीं। सही स्थिति क्या है? अत: मेरा अनुरोध है कि माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्थिति स्पष्ट करें।

राजस्थान के हजारों छात्रों ने जम्मू एवं कश्मीर से बी.एड. किया है। यदि इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए तो वे उन नौकरियों से वंचित रह जाएंगे जिसकी उन्हें गारंटी दी गई थी। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: यह एक अच्छा मुद्दा है। अब प्रो. शिवनकर। आपने दो मुद्दे उठाने के लिए नोटिस दिया था। परन्तु आपको केवल एक मुद्दा ही उठाना है। आप या तो प्रतिमा का मुद्दा उठा सकते हैं या फिर सिंचाई परियोजना का।

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): महोदय, मैं प्रतिमा का मुद्दा उठाऊंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश के लिए एक भूषण हैं, वह एक राष्ट्र पुरुष हैं। उनकी प्रतिमा उनकी राजधानी रायगढ़ में स्थित किले पर लगाने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार को परमीशन देने बारे में आग्रह किया है। जून और जुलाई में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने स्वयं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। इसमें केन्द्र सरकार की परमीशन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि रायगढ़ का यह किला एक संरक्षित स्मारक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि रायगढ़ ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को अनुमति प्रदान करे। इस मामले में केन्द्र सरकार को कोई बोझ नहीं उठाना है, कोई अनुदान नहीं देना है, उसे केवल परमीशन देनी है। इसलिए हमारा निवेदन है कि केन्द्र सरकार इस प्रतिमा की स्थापना के लिए शीघ्र परमीशन दे। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार इसमें जल्दी ही अपनी तरफ से पहल करेगी। धन्यवाद।

अपराह्न 12.42 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

"एन्टी रेबीज वैक्सीन" की कमी के कारण लोगों को हो रही कठिनाई के बारे में

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): महोदय, मैं यहां अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे को उठाना चाहता हूं। पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग रैबीज रोधक टीकों की कमी से प्रभावित हो रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से उन टीकों को कम आपूर्ति हो रही है। हमें तथ्यों की जानकारी नहीं है। परन्तु देश में बड़ी संख्या में रैबीज पीड़ित अथवा कुत्ते के काटे हुए लोग हैं। इन टीकों की अनुपलब्धता के कारण, उन्हें व्यवसायिक संस्थानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बाजारों से यह टीके अधिक मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं। इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है।

इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा सविनय निवेदन है कि वह लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए एक निश्चित प्रस्ताव के साथ आगे आए तथा पूरे देश में कम मूल्य पर अथवा राजसहायता मूल्य पर पर्याप्त रैबीज रोधक टीकों की आपूर्ति करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: श्री सांताश्री चटर्जी, आप डा. डोम के साथ स्वयं को संबद्ध कर लें।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): महोदय, मैं माननीय सदस्य के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं। परन्तु मुझे भी एक निवेदन करना है। इस संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एक वैकल्पिक दवाई का प्रयोग कर रही है, परन्तु उसमें समय लगेगा, कम से कम मार्च, 2005 तक। इस बीच यदि 31 दिसंबर की समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो कुत्ते अथवा अन्य जानवरों के काटे हुए हजारों लोगों का क्या होगा?

इसलिए, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर ध्यान दें और लोगों को तत्काल राहत देने के लिए राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करें।

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री जी, मुझे लगता है कि यह एक गंभीर मामला है तथा इसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के ध्यान में लाया जाना चाहिए। यह रैबीज-रोधक टीकों की आपूर्ति के बारे में है।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री शांताश्री चटर्जी, मैं आपकी ओर से निवेदन कर रहा हूं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, पूरे भारत से आए हजारों व्यापारी तथा उनकी एसोसिएशन ने दिल्ली में आज वैट के संबंध में एक रैली आयोजित कर रही है, हालांकि वित्त मंत्री और सरकार यह घोषणा कर चुके हैं कि यह कुल मिलाकर व्यापारियों के लिए उपयोगी होगा क्योंकि इसमें अन्य करों को काटकर एक कर के रूप में बदल दिया गया है ताकि एक ही स्थान पर कर का भुगतान किया जा सके। परन्तु समस्या यह है कि उन्हें केन्द्रीय बिक्री कर तथा राज्य करों सहित सभी करों का भुगतान करना होगा। मैं बताना चाहूंगा कि वैट के लागू होने से पहले विशेष कर कुछ राज्य सरकारें इसे लागू करने से इन्कार कर रही थीं परन्तु कुछ राज्यों ने इसे लागू करने का निर्णय लिया था व्यापारियों की मांग यह है कि इस बारे में उनसे विचार-विमर्श किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी गंभीर शिकायतें हैं। यदि इसे लागू भी किया जाना है तो कुछ परिवर्तनों सहित लागू किया जा सकता है।

अत: मैं वित्त मंत्री तथा आपके माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि उनके प्रतिनिधियों को बातचीत करने के लिए बुलाने के वास्ते तत्काल कुछ कदम उठाएं जाएं तथा इस मामले का समाधान किया जाए।

[हिन्दी]

श्री मुंशी राम (बिजनौर): आदरणीय अध्यक्ष जी, मुरादाबाद मंडल में जम्मू-तवी-हावड़ा मेन लाइन और मुरादाबाद-दिल्ली मेन लाइन के बीच में दो जंक्शन हैं—मुअज्जपुर नारायण और गजरौला। दोनों जंक्शन को मिलाने वाली जो लाइन है, वह अंग्रेजी शासन के समय का ट्रैक बना हुआ है। इस ट्रैक को बदलने के लिए और उसका दोहरीकरण कराने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से लिखित में भी अनुरोध कर चुका हूं और आपके माध्यम से भी पुन: अनुरोध करना चाहता हूं। दूसरा यह ट्रैक बिजनौर मुख्यालय से गुजरता है। वहां से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए एक अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाए क्योंकि केवल मात्र वहां बिजनौर के पैसेंजर ही नहीं बल्कि जिला मेरठ और मुजफ्फरनगर के यात्री भी बिजनौर से लखनऊ जाना चाहते हैं। वहां एक अतिरिक्त ट्रेन की मांग आपके माध्यम से करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ बिजनौर और चांदपुर रेलवे स्टेशनों के दोनों तरफ जो मैनुअल फाटक हैं, उनकी वजह से वहां पर जाम लगा रहता है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्हें हाइड्रालिक फाटक में बदला जाए।

[अनुवाद]

श्री अलकेश दास (नवद्वीप): मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद। मेरा प्रश्न पश्चिम बंगाल में मेरे संसदीय क्षेत्र नवद्वीय में छोटी रेल लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तन करने के संबंध में है। मैं रेलमंत्री से शांतिपुर नवद्वीप धाम लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन करने का अनुरोध पहले ही कर चुका हूं। इसके लिए स्थान का सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है। 12 किलोमीटर लम्बी लाइन के परिवर्तन के लिए 22 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मैं रेल मंत्री से यह परियोजना शीघ्र आरंभ करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री रवि प्रकाश वर्मा, क्या आप बोलने के इच्छुक नहीं हैं?

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदय, मैं पूरी तरह इच्छुक हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप सभी तो एक-दूसरे से बात करने में लगे हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के उपक्रम केन्द्रीय भण्डारागार निगम के उत्तर प्रदेश के भंडारागारों में अनाज की लदाई और उतराई का ठेका शैड्यूल रेट से 99.5 प्रतिशत नीचे स्वीकृत कर दिया गया है जो नितान्त अव्यावहारिक है। इस कारण से बाहुबली लोगों द्वारा तमाम ठेकों को हस्तगत कर दिया गया है और स्थानीय ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अनाज लाने वाले प्रत्येक ट्रक पर लगभग 3000 रुपये जबर्दस्ती वसूला जा रहा है जो कि आखिर में किसानों को भुगतना पड़ता है। विशेषकर जो सरकारी समर्थन मूल्य के विक्रय केन्द्र बने हुए हैं, उसमें गेहूं और धान की फसल बेचने के लिए किसानों को लगभग 1500 रुपये प्रति एकड़ अपनी फसल बेचने का खर्च देना पड़ रहा है जो कि निन्दनीय है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि तत्काल इस मामले में कार्रवाई करे और प्रभावी कदम उठाए।

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला): महोदय, देश के इतिहास और विकास कार्यकलापों के बारे में भारतीय फिल्म प्रभाग द्वारा 20,000 से अधिक वृत्त चित्र बनाए जा चुके हैं।

अब, इन फिल्मों को खतरा है क्योंकि लगातार उनकी अनदेखी की जा रही है तथा इनमें काफी आर्दता आ गई है। यह वृत्तचित्र न केवल ऐतिहासिक महत्व के हैं बल्कि उनका महत्व अभिलेखागार में भी है। यह हमारे देश के इतिहास का भाग है। उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने की निश्चित आवश्यकता है। ये सभी वृत्तचित्र इस समय मुंबई में पेडर रोड पर फिल्म प्रभाग के पुराने भवन में रखे हुए हैं। भवन की स्थिति सोचनीय और जीर्ण-शीर्ण हैं जिसकी दीवारें लगभग फट चुकी हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन फिल्मों को बेहतर स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए कड़े और ठोस कदम उठाए तथा भावी पीढ़ियों के लिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं भी प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छा मामला उठाया हैं।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री वाई.जी. महाजन (जलगांव): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया मिनरल वाटर बोतलों तथा पाउच द्वारा बेचा जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने दोनों तरीकों से पैक किए गए पानी निर्माताओं को आई.एस.आई. मार्क दिया है, किन्तु अचानक हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने पाउच द्वारा बेचे जाने वाले मिनरल वाटर पर पाबन्दी लगा दी है जिससे देश भर के मिनरल वाटर निर्माता हैरानी में हैं।

[हिन्दी]

महोदय, बोतलबंद पानी बेचने की अनुमति और पाउच के निर्माताओं पर पाबंदी, यह कैसा न्याय हो रहा है? इससे देश के हजारों पाउच बनाने वाले, मिनरल वाटर बेचने वाले तथा पाउच पैक करने वाले बेरोजगार हो गए हैं। इस व्यवसाय से जुड़े हुए लाखों की संख्या में कारीगर बेरोजगार हो गये हैं। कई उत्पादकों ने बैंकों से ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया था। पाउच द्वारा मिनरल वाटर बेचने पर पाबंदी लगने के बाद उन्हें बैंकों का ऋण चुकाने में भी काफी कठिनाई हो रही है।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वे पाउच में मिनरल वाटर बेचने पर लगाई गई पाबन्दी को तुरन्त हटाने के निर्देश जारी करें।

श्री श्रीपाद येसो नाईक (पणजी): माननीय अध्यक्ष जी, गोवा राज्य में मेरा संसदीय क्षेत्र एक पणजी और दूसरा मार्मागोआ आता है। दोनों को जोड़ने के लिए जुआरी ब्रिज है जो नैशनल हाइवे नंबर 17 पर स्थित है। पिछले दो सालों से करोड़ों रुपए खर्च करके उसकी मरम्मत की जा रही थी। जब उसकी मरम्मत की जा रही थी तब जनता को आश्वस्त किया गया था कि मरम्मत के बाद उसे भारी वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन उस पुल की मरम्मत हुए एक वर्ष पूरा हो गया है, परन्तु अभी तक जनता के लिए नहीं खोला गया है जिसके कारण लोगों को 50 किलोमीटर तक चक्कर लगाना पड़ रहा है। मेरी आपके माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि उस पुल को भारी वाहनों के गुजरने के लिए शीघ्र खोलें।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मैं अपने देश की सुरक्षा से संबंधित मामला उठाना चाहता हूं।

दिनांक 14.12.2004 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' के संपादकीय में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा एजेन्सी अर्थात "रिसर्च एण्ड एनेलिसिस विंग" (रा) की अक्षमता के बारे में एक बहुत गंभीर समाचार प्रकाशित हुआ था। जिसमें बताया गया है कि रा में संयुक्त सचिव के पद पर कार्य करने वाले श्री रणवीर सिंह इस देश से गुपचुप तरीके से भाग गए। श्री रणवीर सिंह सी आई ए को संवेदनशील सूचनाएं देने के कारण अधिकारिक निगरानी में थे। लेकिन इससे अधिक हैरानी की बात यह है कि श्री रणवीर सिंह के गायब होने से उत्पन्न होने वाले गंभीर परिणामों के बावजूद सरकार ने कोई बुद्धिमतापूर्ण कार्यवाही नहीं की और न ही उनका पता लगाया और उन्हें भगौड़ा भी घोषित नहीं किया तथा उन्हें सजा देने के लिए भी कुछ नहीं किया। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह अनुमान भी नहीं लगाया कि इस व्यक्ति ने देश और 'रा' को कितना नुकसान पहुंचाया है। इस मामले में 'रा' पर प्रश्नचिन्ह लगते हैं क्योंकि 'रा' ने अपनी बदनामी के डर से इस मामले को दबाने का प्रयत्न किया। यह भी बताया गया है कि श्री रणवीर सिंह ने 27 वर्षों के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कम से कम 15 संपत्तियां खरीदी हैं। इसकी व्यापक जांच की जानी चाहिए।

इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में वक्तव्य दे।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, मैं इस अवसर पर 'इच्छा मृत्यु' अर्थात "रोगी के जीवित रहते हुए अंगदान की अनुमति" देने संबंधी मुद्दा उठाना चाहता हूं।

कल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक 25 वर्षीय दुर्भाग्यशाली युवक वेंकटेश की अपील को रद्द कर दिया। यह 'दया मृत्यु' जैसी है लेकिन उससे थोड़ी अलग है। इस प्रक्रिया में जब रोगी अपने अंगदान करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। श्री वेंकटेश पिछले 19 वर्षों से अर्थात 6 वर्ष की आयु से "डचनी मसकुंलर डैसट्राफी" जो कि एक तंत्रिका विकार है और एक अनुवंशिक रोग है से पीड़ित था वह पिछले 14 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था और अब उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो गयी थी क्योंकि उसके दिमाग को छोड़कर बाकी अंगों ने कार्य करना बंद कर दिया था।

यदि वे वेंटीलेटर से हटाया जाता तो रोगी की मृत्यु हो जाती। जिससे उसके अंग संदूषित हो सकते थे और बाद में वह बेकार हो जाते।

अध्यक्ष महोदय: यह मामला न्यायालय के समक्ष था।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, मानव अंगों के प्रत्यारोपण संबंधी वर्तमान कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु या दुर्घटना मृत्यु या मस्तिष्क मृत्यु होने पर ही उनके अंग लिए जा सकते हैं। इसके मामले में केवल मस्तिष्क ही जीवित था। यह बहुत ही दयनीय मामला है। रोगी की मां ने सरकारी प्राधिकारियों और न्यायालय से यह अपील की कि उसके पुत्र को अंगदान करने की अनुमति दी जाए क्योंकि उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है।

महोदय, वर्तमान में जिन मामलों में रोगी के स्वस्थ्य होने की संभावना नहीं होती उन मामलों में 'दया मृत्यु' के लिए कोई कानून नहीं है यदि हम कानून में इस सीमा तक संशोधन नहीं करते तो अधिसंख्य समाज इन रोगियों के प्रति क्रूर हो जाएगा। सरकार को इस संबंध में किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए जल्दी से जल्दी आवश्यक उपाय करने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, अधिनियम में 'दया मृत्यु' का उपबंध होना चाहिए और ऐसी चीजों की सुविधा के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक महत्व के एक मुद्दे को उठाना चाहता हूं।

महोदय, यह मुद्दा हमारे देश के पूरे पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में टेलीविजन नेटवर्क के उन्नयन से संबंधित है। इस क्षेत्र में अच्छे टेलीविजन नेटवर्क होने के दो मुख्य कारण हैं। पहला यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है कई बार जम्मू, पूंछ या घाटी में या कई बार हिमाचल प्रदेश में पाकिस्तान से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। हमें इसका उत्तर देना चाहिए।

दूसरा, हमारे कृषक समुदाय को शिक्षित करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। इस क्षेत्र में अधिकतर किसान ही रहते हैं। इनके पास जो एंटेना है जो संचार एंटेना है उन्हें शक्तिशाली ट्रांसमीटरों से जोड़ा जाना चाहिए। ताकि उन्हें साफ सिंगनल प्राप्त हो सकें और प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार आए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए, इस वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार तरह-तरह की योजनाएं बनाती है, लेकिन महाराष्ट्र के चन्द्रपुर में आर्डीनेंस फैक्ट्री है इसमें कार्यरत जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारी हैं उन्होंने अपने रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, संगठन द्वारा वहां के मैनेजमेंट से 17 फरवरी, 2004 को मीटिंग करने के लिए अनुमति मांगी थी। इसके लिए 5 फरवरी, 2004 को लिखित रूप से आवेदन भी किया, लेकिन मैनेजमेंट ने उन्हें इस परिसर के भीतर मीटिंग से मना कर दिया और उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया, लेकिन मैनेजमेंट ने उन कर्मचारियों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया तथा उनका इन्क्रीमेंट भी रोक दिया।

अत: मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस सारी घटना की जांच करके अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करके, उन्हें न्याय दिलाने में सहयोग करें और उनका जो भी इन्क्रीमेंट रोक दिया गया है, वह उन्हें दिलाया जाए तथा इसके लिए जो भी दोषी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ (जूनागढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि गुजरात के कच्छ इलाके और सौराष्ट्र के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, शासन, माल्या में, गुजरात में जब तीन साल पहले भूकम्प आया, उसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। इसके पहले भावनगर शहर में करीब-करीब तीन महीने तक हल्के झटके महसूस हुए थे और उसके बाद कच्छ को सबसे खतरनाक भूकम्प का सामना करना पड़ा।

[श्री जसुभाई दानाभाई बारड़]

महोदय, मेरे इलाके में करीब तीन महीने से माल्या, तलालागीर और भुज क्षेत्र, कच्छ डिस्ट्रिक्ट से अनजार, गांधीधाम में, और कल बांकानेर एवं मोरबी में भी भूकम्प के हल्के झटके महसूस हुए हैं। तीन साल पहले तीन महीने तक हल्के भूकम्प के झटके भावनगर में आए और भूकम्प कच्छ में आया। इससे हजारों लोगों की तबाही हुई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी वहां के लोगों को जानकारी दी जाए कि ये झटके किस के हैं।

अपराह्न1.00 बजे

अगर जरूरत पड़े तो यहां से किसी टेक्नीकल टीम को जल्दी भेजकर सभी लोगों को अवगत कराया जाये कि उससे बचाव कैसे हो और क्या होने वाला है, ताकि तीन साल पहले की घटना का सामना करने की नौबत न आये, इसलिए यह मेरा अनुरोध है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री हंसराज जी अहीर, जब आपको बुलाया गया था तब आप यहां उपस्थित नहीं थे। मैं सभी माननीय सदस्यों को यह चेतावनी देता हूं कि यदि वह नोटिस देकर अनुपस्थित रहते हैं तो वे अपनी बारी खो देंगे। अब आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र चन्द्रपुर में कोल इंडिया की कुछ खदानें हैं, जो वन विभाग की लीज पर चलती हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र के वन विभाग के अधिकारियों ने इन खदानों को बंद करने का नोटिस जारी करके उनकी लीज कैंसिल करने का प्रयास किया। अगर ये खदानें बंद हो जाती हैं तो चन्द्रपुर क्षेत्र के करीब 9500 मजदूर, जो खदानों में काम करते हैं, उनको अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। इन खदानों से जो कोयला निकलता है, उससे हमारे यहां चन्द्रपुर में जो थर्मल स्टेशन है, उसे कोयले की पूर्ति होती है। कोयले की आपूर्ति बंद होने से यह थर्मल पावर स्टेशन भी बंद हो सकता है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती करता हूं कि केन्द्र सरकार इन खदानों को चलाने के लिए हस्तक्षेप करके इनकी लीज रिन्यू करने के आदेश दे और इन खदानों को चालू रखने के लिए आप मदद करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आपके सहयोग से हमने 'शून्य काल' में 28 सदस्यों को हिस्सा लेने की अनुमति दी थी।

अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा में मद संख्या 11, नियम 377 के अधीन मामलों को लिया जाएगा।

(एक) दक्षिण-मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल के कृष्णा कैनाल-टाडा रेलवे खंड को गुंटूर मंडल में स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर): महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान आंध्र प्रदेश के गुंटूर मंडल में स्थापित किए गए नए रेल मंडल की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। इसका उद्घाटन 1997 में हुआ था लेकिन इसमें केवल निम्नलिखित ही शामिल हैं:

1. गुंटूर-बीबी नगर
2. गुंटूर कृष्णा नहर
3. गुंटूर-दक्षिण मध्य रेलवे का नांदयाल मंडल है लेकिन गुंटूर जिला भौगोलिक, औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से प्रकाशम और नेल्लौर जिलों से जुड़ा हुआ है। इन हिस्सो को प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए विजयवाड़ा रेलवे मंडल के क्षेत्राधिकार में आने वाले कृष्णा नहर जंक्शन के रेल पथ और विजयवाड़ा और चेन्नई मंडल के बीच आने वाले टाडा को गुंटूर मंडल में स्थानान्तरित किया जाए।

गुंटूर, तेनाली और विजयवाड़ा (कृष्णा नहर) बड़े नगर हैं जिनका जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है ये नगर शिक्षा और व्यापार के लिए लोकप्रिय हैं और इन सभी का शहरी विकास प्राधिकरण भी यहीं पर है।

इन तीनों नगरों में आने-जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ से निबटने के लिए गुंटूर-तेनाली-विजयवाड़ा के बीच सर्कुलर ट्रेन चलाए जाने का अनुरोध है। सर्कुलर ट्रेन शुरू करने के लिए:

1. कृष्णा नहर-गुंटूर की रेल लाइनों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य पूरा किया जाना है।

2. गुंटूर-तेनाली की रेल लाइनों का दोहरीकरण पूरा किया जाना है। गुंटूर और कृष्णानहर के बीच की रेल लाइनों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण पर 70 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। जबकि गुंटूर और तेनाली के बीच की रेल लाइन के दोहरीकरण पर लगभग 30 करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। इस संबंध में सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है।

इसलिए मैं, माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। इससे लोगों को इधर-उधर आने-जाने में आसानी होगी, कम समय लगेगा। इससे व्यापार में भी सुधार होगा।

[हिन्दी]

(दो) अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के पोस्ट मैट्रिक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए राजस्थान सरकार को धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग के, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में रहने वाले विद्यार्थियों तथा अन्य नियमित रूप से घर पर रहकर पढ़ाई करने वालों को देय है। राजस्थान राज्य में अब जबकि शिक्षण सत्र लगभग समाप्ति की ओर है, अभी तक यह छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2004-2005 के लिए 5.26 करोड़ रुपये की मांग आवासीय छात्रों के लिए एवं 12.35 करोड़ रुपये की मांग डे-स्कोलर हेतु की हुई है।

मेरा माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी से निवेदन है कि राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस सम्पूर्ण राशि को शीघ्र राजस्थान सरकार को आवंटित किया जाये। मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दी जा रही इस पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जो सम्पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है, का व्यापार प्रचार-प्रसार संचार माध्यमों के जरिये करवाया जाये ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकतम निर्धन छात्र इस योजना का लाभ ले सकें।

[अनुवाद]

(तीन) उड़ीसा में फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंचायतों को यूनिट के रूप में माने जाने की आवश्यकता

श्री चंद्रशेखर साहु (बरहामपुर-उड़ीसा): मेरे निर्वाचन क्षेत्र बरहामपुर-उड़ीसा में कुछ क्षेत्र भयंकर सूखे से प्रभावित हैं। पिछले महीने 29 तारीख को लोगों ने शीघ्र राहत उपाय करने के लिए दिग्पहंडी प्रखंड के समक्ष प्रदर्शन किया जो मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में है। पूर्व में, फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंचायतों को एक इकाई समझा जा रहा था। इसके कारण प्रभावित पंचायतों को बीमा कंपनियों और केन्द्र या राज्य सरकारों से पूरी राहत मिल रही थी। लेकिन फसल बीमा के लिए अब प्रखंडों को इकाई के रूप में बनाया गया है, जिसके कारण सूखे से प्रभावित पंचायतों को बीमा का लाभ नहीं मिला।

इसलिए, महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री एवं माननीय कृषि मंत्री से पंचायतों को इकाई बनाने पर पुनर्विचार करने और बीमा कंपनी को निर्देश देने का निवेदन करूंगा।

[हिन्दी]

(चार) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में नई रेल लाइनें बिछाने और आमान परिवर्तन कार्य के लिए सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ (जूनागढ़): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात राज्य का सौराष्ट्र क्षेत्र और उनका समुद्री तट पाकिस्तान सीमा से अत्यन्त नजदीक है। नजदीक होने से समुद्री तट के संरक्षण का अत्यधिक महत्व है।

इसके अलावा पूरे समुद्र तट पर हजारों करोड़ रुपये की सीमेंट और सोडा ऐश के काफी बड़े उद्योग लगे हुए हैं जिससे कच्चा और पक्का माल परिवहन का भी अत्यंत महत्व है।

यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल पोरबंदर, श्री कृष्ण भगवान का द्वारका स्थित मंदिर और सोमनाथ महादेव का मंदिर है। इस धार्मिक स्थल का महत्व काफी अधिक होने से यहां देशी-विदेशी पर्यटक काफी संख्या में आते हैं। एशिया खण्ड में केसरी सिंह से जुड़ा "सासण गिर विस्तार" भी इसी क्षेत्र में आता है।

[श्री जसुभाई दानाभाई बारड़]

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए निम्न सुझावों पर शीघ्र कार्यवाही की जाये-

1. द्वारका क्षेत्र से पोरबंदर पोर्ट और वरावल पोर्ट तक नई बड़ी रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण करवाया जाये।

2. पिपवाऊ पोर्ट से ऊना दिलवाड़ा तक नई बड़ी रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण करवाया जाये।

3. वेरावल पोर्ट से तलाला-जामवाला-ऊना तक छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित कर दिया जाये तथा उक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए बजट में आवश्यक निधि का प्रावधान किया जाये।

(पांच) मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट): उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश राज्य के अनेक जिले राज्य शासन द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं। इससे वहां रोजगार, पेयजल, जानवरों के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा रोजगार उन्मूलन कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं जो अपर्याप्त हैं। भारत सरकार द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्र का सर्वे नहीं कराया गया न ही पर्याप्त मात्रा में अनाज एवं नगद राशि का आवंटन किया है। यदि युद्धस्तर पर राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये तो स्थिति भयावह हो जायेगी।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शिवराज सिंह चौहान—अनुपस्थित।

[हिन्दी]

(छह) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पचनदा में बांध निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के किसानों को सिंचाई हेतु पानी की अत्यधिक आवश्यकता है जिससे किसानों की फसल समय पर नहीं हो पाती। अगर कृषक फसल की बुआई करते हैं तो पानी के अभाव में फसल नष्ट हो जाती है। चूंकि मेरे जनपद में पांच नदियों का संगम (पचनदा) है जिसमें पानी की पर्याप्त उपलब्धता है।

अत: महोदय से मांग है कि उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में पचनदा पर बांध बनवाया जाए जिससे उत्तर प्रदेश के इटावा, औरेया, कानपुर देहात, जनपद जालौन और कई जिलों के किसानों को फसल उपज करने का भरपूर लाभ मिल सके तथा बांध बनने से दस्यू प्रभावित क्षेत्र भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार को आर्थिक सहायता दी जाए।

(सात) हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक विमानपत्तन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चंदेल (हमीरपुर, हि.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एवं सीमावर्ती प्रदेश है जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन आजादी के बाद से अब तक हिमाचल प्रदेश में न रेलों का विकास हुआ और न ही वायु सेवाओं का विस्तार किया गया है। प्रदेश सरकार अपने सीमित साधनों से पर्यटन को बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रही है लेकिन अपार संभावनाएं एवं सीमित साधनों में तालमेल नहीं बैठ रहा है। इस कारण हिमाचल प्रदेश में पर्यटक अपेक्षित संख्या में नहीं आ पा रहे हैं। मैं विगत तीन लोक सभाओं से समय-समय पर रेल मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान रेलों एवं वायुसेवा में विस्तार की ओर आकर्षित करता रहा हूं लेकिन परिणाम अभी तक शून्य हैं।

मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा बड़ा हवाई अड्डा बनाया जाए जहां एयर बस-320 आसानी से उतर सके। ऐसा करने से कम खर्च में पर्यटक दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता आदि से सीधे हिमाचल प्रदेश में उतर सकेंगे।

(आठ) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाला झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग बरसात के दिनों में कुलपहाड़ से सुगिरा ग्राम के बीच पड़ने वाले दो छोटे पुलों एवं हरपालपुर (म.प्र.) से देवरी बांध के बीच पड़ने वाले दो छोटे पुल तथा पनवाड़ी एवं हरपालपुर के बीच क्योलरी नदी पर पुल न होने के कारण पूर्णत: अवरुद्ध हो जाता है जबकि यह अत्यन्त व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है।

अत: उक्त स्थानों पर अविलम्ब सर्वेक्षण कराकर आगामी बरसात के पूर्व पुलों का निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

[हिन्दी]

(नौ) भारत-नेपाल सीमा पर घोड़ासाहन-सीतामढ़ी के बीच सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): महोदय, भारत-नेपाल सीमा पर स्थित घोड़ासाहन बैरगनियां ढेंग रेलवे पुल बागमती नदी पर होते हुए, ढोंग रेलवे स्टेशन से मेजरगंज प्रखंड रीगा होते हुए जला मुख्यालय सीतामढ़ी तक का रोड एवं पुल बनाए जाने की आवश्यकता है। यह पथ दो देशों का सम्पर्क पथ है। यह इलाका अति पिछड़ा और संवेदनशील होने के कारण इस पथ का निर्माण किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है।

अतएव केन्द्र सरकार से मांग है कि यथाशीघ्र इस सीमा पथ का निर्माण किया जाए।

(दस) "हड़ताल के अधिकार" को संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास, उत्तर): महोदय, 'हड़ताल का अधिकार' कामगारों के हितों की रक्षा के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित पवित्र अधिकार है। जब तमिलनाडु सरकार के शिक्षक और राज्य सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर गए तो मामला उच्चतम न्यायालय में चला गया था। न्यायालय ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल पर जाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। इस निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए भारत के संविधान में सुनिश्चित मौलिक अधिकार के रूप में उनकी वास्तविक मांगों के लिए कामगारों/कर्मचारियों द्वारा "हड़ताल के अधिकार" को शामिल करने के लिए प्रदर्शन करते रहे हैं। भारत के हड़ताल के अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय का एक पक्ष और हस्ताक्षरी होने के नाते सरकार को कदम उठाने के लिए आगे आना चाहिए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी इसका उल्लेख है और हमारे नेता डा. कलैगनार ने भी कामगारों के 'हड़ताल के अधिकार' को सुनिश्चित करने हेतु विधान पारित करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।

इसलिए, मैं प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री से मौलिक अधिकार के रूप में 'हड़ताल के अधिकार' को शामिल करने हेतु संविधान (संशोधन) विधेयक लाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(ग्यारह) झारखंड में उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): झारखण्ड में कल-कारखाने लगातार बंद हो रहे हैं, पांच वर्ष के अन्दर अभी तक लघु एवम् बड़े उद्योग सहित लगभग दो हजार उद्योग बंद हो गए हैं, जिससे डेढ़ लाख मजदूर बेकार हो गए हैं और उनकी रोजी-रोटी मारी गई और वे भूखों मरने पर मजबूर हैं। अभी हाल में हजारीबाग जिला के भुरकुन्डा में ग्लास फैक्ट्री के बंद होने से पांच हजार मजदूर बेकार हो गए और पच्चीस हजार से अधिक लोग जो इस कारखाने पर आश्रित थे, उनकी भी रोजी-रोटी मारी गयी है। इसके पहले झारखण्ड में खाद का एकमात्र कारखाना सिन्दरी, हिन्दुस्तान कापर माइन्स की छ: खान बासल, खालरी की सीमेंट फैक्ट्री पहले ही बंद हो गयी है। कोल इंडिया के ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल., हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची आदि की भी हालत खराब है। झारखण्ड की पहचान जो कल-कारखाने और खदान तथा वन सम्पदा के चलते है, धीरे-धीरे खत्म हो रही है।

अत: माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह है कि झारखण्ड जो कि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्य है, उसे विशेष पैकेज देकर बंद कारखानों को खुलवाने एवं बीमार उद्योगों को बंद होने से बचाएं।

[अनुवाद]

(बारह) सुविख्यात समाज सुधारक श्री नारायण गुरू की एक प्रतिमा दिल्ली के किसी प्रमुख स्थान पर लगाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, श्री नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे जिन्होंने अथक रूप से जातिवाद के विरुद्ध और भारत के लाखों लोगों के सामाजिक पिछड़ेपन के लिए लड़ाई लड़ी। उनके प्रसिद्ध संदेश थे—"मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर" 'यह पर्याप्त है कि कोई शुद्ध हो जाए चाहे वह किसी भी धर्म का हो;' 'अपने आपको शिक्षित करो;' और उनके अत्यधिक मानवीय एवं व्यावहारिक उपदेश से लाखों लोग प्रभावित हुए। उनके उपदेश आज के संदर्भ में ज्यादा प्रासंगिक हैं, और यह आवश्यक है कि उनका मम्मान किया जाए और उनके उपदेशों को भावी पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। उनकी मूर्ति को दिल्ली में, किसी उचित स्थान पर विशेषकर संसद, राष्ट्रपति भवन या केन्द्रीय सचिवालय के निकट लगाया जाना ठीक होगा। मैं इस संबंध में केन्द्र सरकार से शीघ्र कदम उठाने का निवेदन करता हूं।

मैंने संसद में इसे लगाए जाने पर विचार करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को भी पत्र लिखा है।

(तेरह) 2 अक्तूबर, 2004 को दीमापुर में हुए विस्फोटों में लिप्त दोषियों का पता लगाने के लिए नागालैंड सरकार को आवश्यक सहायता और आदान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री डब्ल्यू वांग्यू कोन्यक (नागालैंड): महोदय, दीमापुर नागालैंड की एकमात्र वाणिज्यिक राजधानी है, जो 2 अक्तूबर, 2004 की सुबह दो विस्फोटों से दहल गया। एक विस्फोट दीमापुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ और दूसरा हांगकांग बाजार के पास हुआ। दोनों विस्फोट शक्तिशाली थे और उसमें कई निर्दोष लोगों ने जानें गंवाई और कई अन्य घायल हुए। 26 व्यक्तियों की जान गई और 75 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

राज्य सरकार ने बम विस्फोट की उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच गठित की है और एक विशेष जांच दल का भी गठन किया है। हालांकि, दोषी लोगों की अभी तक पहचान नहीं की गई है। जैसा कि विदित है, भूमिगत नागा समूह ऐसी अंधाधुंध हत्या को अंजाम नहीं देता, यह राज्य के बाहर से चलाए जा रहे समूहों का काम मालूम पड़ता है। देश के बाहर के आतंकवादी संगठनों के शामिल होने से भी इन्कार नहीं दिया जा सकता।

नागालैंड ने इसके पूर्व ऐसी आतंकवादी हिंसा का सामना नहीं किया है। मैं अनुरोध करता हूं कि दोषियों को पकड़ने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियां राज्य मशीनरी को आवश्यक सहायता प्रदान करें। मैं केन्द्रीय गृह मंत्री से भी इस संकट को प्रभावी तरीके से निपटाने के लिए राज्य सुरक्षा एजेंसियों को समर्थ बनाने हेतु सभी संभव सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में विशेष ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम चरण-1 को समय पर पूरा कराने के लिए धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री और उड़ीसा के मुख्यमंत्री के बीच 10.04.03 को हुई चर्चा के अनुसार के.बी.के. जिलों में वर्ष 2003-2004 में एक विशेष संपर्क कार्यक्रम शुरू किया गया है। तदनुसार राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ परामर्श के पश्चात् भारत के योजना आयोग को विशेष ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम के फेज-1 को 828.10 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ प्रस्तुत किया है। इस कार्यक्रम जिसे चार वर्षों में लागू किया जाना है, को योजना आयोग ने पहले ही दिनांक 15.09.2003 के अर्धशासकीय पत्र सं. 13053/केबीके/2/2003-एमएलपी के द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी है। इस घटक को निर्धारित समय-सीमा 2003-04 से 2005-06 तक के भीतर क्रियान्वित करने के लिए 387.17 करोड़ रु. के अतिरिक्त संसाधनों के प्रावधान के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता जताने के लिए योजना आयोग से दिनांक 10.05.04 के पी एण्ड सी विभाग पत्र सं. 7133/पी के माध्यम से अनुरोध किया गया है। योजना आयोग के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि योजना आयोग को स्वीकृति देने के लिए निर्देश दें क्योंकि के.बी.के. आर.एल.टी.ए.पी. पूर्णत: ग्रामीण संपर्क पर निर्भर है।

(पन्द्रह) तमिलनाडु में इट्टैयापुरम और राजापालायम के बीच की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी): तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्लसिटी तूतीकोरिन में व्यस्ततम वाणिज्यिक बंदरगाह है। कोविलपट्टी-तिरुवेंगडम मार्ग पर तूतीकोरिन और राजपलायम वाया इटायापुरम (महान स्वंतत्रता सेनानी सुब्रमणियम भारती का जन्म स्थल) राज्य सड़क पर तूतीकोरिन से राजपलायम तक जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रसिद्ध कपास व्यापार शहर है से माल ढोने वाले वाहनों के आवागमन के कारण भारी यातायात रहता है। इस राज्य सड़क पर प्रतिदिन 100 से अधिक कंटेनर गाड़ियां, टेम्पो और लगभग 100 राज्य परिवहन की बसें चलती हैं। चूंकि यह सड़क सकरी और भीड़ वाली है अत: मार्ग पर दुर्घटनाएं रोजमर्रा की बात हो गयी हैं।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मार्ग अर्थात इटायापुरम से राजपलायम को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे और इस सड़क को सुदृढ़ तथा चौड़ा करने के लिए केन्द्रीय निधि आबंटित करे। यह तमिलनाडु में तूतीकोरिन और केरल में क्विलोन जैसे वाणिज्यिक शहरों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का काम करेगा।

अपराह्न 2.22 बजे

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, विधेयक 2004—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 12 और 13 पर विचार करेंगे। इस विधेयक के लिए 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। हमने पहले ही 2 घंटे 17 मिनट का समय बिता

दिया है। हमारे पास 1 घंटा 43 मिनट का समय बचा है। जो माननीय सदस्य बोलने जा रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना भाषण संक्षिप्त रखें। योगी आदित्य नाथ अब बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक, 2004 यहां प्रस्तुत किया है। यह विधेयक भारत जैसे पंथ निरपेक्ष देश की व्यवस्था के विपरीत है और भारत के अंदर द्विराष्ट्र की उस भावना को पुन: पैदा करने वाला है जिसके कारण 1947 में, इस देश का विभाजन हुआ था। इसलिए मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं।

महोदय, देश के अंदर बहुत सारी समस्यायें हैं। माननीय मंत्री जी को भारत के अंदर साक्षरता के प्रतिशत की जानकारी होगी। आजादी के 57 साल के बाद भी, भारत के अंदर 35 प्रतिशत से अधिक लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से निरक्षर हैं। उस निरक्षरता को दूर करने के लिए, जो किसी एक वर्ग या जाति विशेष में नहीं, अपितु देश के विभिन्न भागों में निवास करती है, बिना किसी जाति, मजहब, वर्ग या समुदाय के, इस विधेयक को भारत के शिक्षा मंत्री लाते, तो मैं समझता हूं कि एक मत से, सबका समर्थन, इस विधेयक को मिलता। लेकिन अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक के आधार पर इस देश को बांटने का कार्य इस देश के अंदर कांग्रेस ने किया है और इस विष की बेल को स्थापित किया।

यूपीए की सरकार के आने के बाद इसे और तेजी के साथ पूरे देश में फैलाने का प्रयास हो रहा है। इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनमें मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण पक्ष की तरफ सब को ध्यान देना होगा कि सबसे पहले अल्पसंख्यक कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार ध्यान दें तो किसी भी देश की कुल आबादी का 10 परसैंट से कम समुदाय ही अल्पसंख्यक कहलाया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से भारत के अंदर अन्य समुदायों को भले अल्पसंख्यक मानें लेकिन मुस्लिम समुदाय भारत में अल्पसंख्यक नहीं है। उसे अल्पसंख्यक के रूप में राजनीतिक कारणों से जिस प्रकार इसका दुरूपयोग आज यूपीए की सरकार करने जा रही है उससे बचने का प्रयास होना चाहिए। आज इसकी गलत व्याख्या हो रही है। उससे भी बचने की आवश्यकता है। इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पहले ही आर्टिकल 30 इस बात के लिए हम सबको मजबूर करता है कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय चाहे वह धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक या भाषायी रूप से अल्पसंख्यक हो, उनके लिए आर्टिकल 30 इस बात का गवाह है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसकी व्यवस्था को संचालित करने का अधिकार पहले से आर्टिकल देता है। इन सबके बावजूद भी पहले से आर्टिकल 30 ने इस व्यवस्था को दिया है तो फिर संबद्धता से संबंधित विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं थी। इस मतलब यह है कि कोई भी संस्था किसी विश्वविद्यालय में संबद्धता लेने के लिए जाती है और उस विश्वविद्यालय के मानक को वह संस्था पूरा नहीं करती है तो उस संस्था को अगर मान्यता लेनी है तो उसे लेने के लिए वह अल्पसंख्यक बनने के लिए प्रयास करे, जैसे पूर्व में हो भी चुका है। भारत में सामाजिक व्यवस्था पर सबसे अधिक प्रहार और सामाजिक दुर्व्यवस्था पर, रुढ़िवाद पर सबसे अधिक प्रहार जिसने किया था और उस आर्य समाज को देश में अपने आप को नान हिन्दू घोषित करने के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ा था। राम कृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं को अपनी शिक्षण संस्थाओं को बचाने के लिए सरकारी दखलअंदाजी से दूर रखने के लिए और सरकारी हस्तक्षेप से बचाने के लिए अपने आपको अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए न्यायालय की शरण जाना पड़ा था। देश में पुन: भारत की परम्परागत संस्कृति को नष्ट करने के लिए कांग्रेस द्वारा प्रयास हो रहा है। इस निन्दनीय प्रयास का पुरजोर विरोध करने के लिए हम लोग यहां खड़े हुए हैं। भारत की परम्परागत व्यवस्था को ध्वस्त और नष्ट करने के लिए विदेशी साजिश के तहत इस विधेयक के माध्यम से कांग्रेस द्वारा, यूपीए सरकार द्वारा इस सदन में लाया गया इसलिए यह विधेयक सदन में विरोध करने लायक है। इसका हमारी पार्टी के माननीय सदस्य द्वारा जो निरनुमोदन का संकल्प प्रस्तुत किया गया है, हम उसका समर्थन करते हैं। निश्चय ही यूपीए सरकार का इस विधेयक को लाने का उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह अल्पसंख्यक समुदाय को खुश किया जाए। इसमें जो 6 विश्वविद्यालय नामित किए हैं, उनमें से 4 विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर के राज्यों में हैं।

महोदय, आप जानते हैं कि आजादी के बाद देश के पूर्वोत्तर राज्यों में वहां के जनजातीय समुदाय की परम्परागत संस्कृति को मिशनरीज द्वारा नष्ट करने का प्रयास हुआ। आज से 6 वर्ष पहले रियांग जनजाति के साथ जो बीता है, उसके बारे में सब जानते हैं। उन्हें ईसाई बनने के लिए मजबूर किया गया। जब वह ईसाई नहीं बने तो उन्हें राज्यों से निकाल दिया गया। आज भी वे शरणार्थी न कैम्पों में रह रहे हैं। वहां की परम्परागत संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। इस तहत इन मिशनरियों की संस्थाओं को चाहे वे मानक पूरे करते हों या न करते हों, उन सबको पूर्वोत्तर के चार विश्वविद्यालयों को उससे संबद्ध करने का षड्यंत्र है चाहे पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय हो चाहे असम विश्वविद्यालय हो, चाहे नागालैंड या मिजोरम के विश्वविद्यालय हों। ऐसे चार पूर्वोत्तर के विश्वविद्यालय हैं।

[योगी आदित्यनाथ]

एक दिल्ली विश्वविद्यालय है और एक पांडिचेरी विश्वविद्यालय है। इन्होंने छः विश्वविद्यालयों की संबद्धता प्राप्त करने के लिए लिखा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में, आजादी के बाद जो धर्मान्तरण हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः उन्हें बाधा न पहुंचाएं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथः उस धर्मान्तरण के नाम पर राष्ट्रांतरण और उसके बाद जो उग्रवाद की स्थिति पैदा हुई है, कांग्रेस उसे बढ़ावा देने के लिए यह कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा जो वर्तमान साजिश रची जा रही है, यह आपसी प्रतिद्वंद्विता का ही परिणाम है। आज हर व्यक्ति जानता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और कांग्रेस की केन्द्र सरकार के बीच नूरा कुश्ती चल रही है, लुका-छिपी का खेल चल रहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथः उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कभी उर्दू विश्वविद्यालय का प्रस्ताव लेकर आते हैं, कभी उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों में अल्पसंख्यक कालोनी बनाने की बात करते हैं, कभी जुम्मे की नवाज के दिन छुट्टी की घोषणा करते हैं। इस तरह की निरर्थक घोषणाएं आज उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं। इन्हीं की तर्ज पर अगर उत्तर प्रदेश में उर्दू विश्वविद्यालय बनता है तो हम भी यहां कोई ऐसा आयोग बना देंगे जिससे कम से कम वोट बैंक के रूप में उसका उपयोग किया जा सके। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज हमारे सामने ढेर सारे प्रश्न हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथः कितना अच्छा होता यदि माननीय मंत्री जी इस देश में मुस्लिम पर्सनल ला में बदलाव करने का कोई विधेयक लाते। भारत का उच्चतम न्यायालय इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक बार नहीं तीन-तीन बार केन्द्र सरकार को निर्देशित कर चुका है। तीन-तीन बार उसने केन्द्र सरकार से इसके लिए आग्रह किया है कि भारत में एक समान नागरिक कानून बनाया जाना चाहिए। मुस्लिम समाज में महिलाओं में जो निरक्षरता है, मुस्लिम समाज में जो तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, मुस्लिम समाज में जो महिलाओं के साथ कई प्रकार का अन्याय हो रहा है, उनमें जो अशिक्षा है, इस समाज में जो तमाम प्रकार की दुर्व्यवस्थाएं हैं, आज उन सबके खिलाफ कदम उठाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बीच में टोका-टाकी न करें।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथः इसलिए मैं आज इस अवसर पर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इनकी अशिक्षा के खिलाफ, मुस्लिम समाज में जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ, उन्हें आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुविवाद की जो परम्परा मुस्लिम समाज के अंदर है, इसे दूर करने के लिए कोई विधेयक वह इस सदन में लेकर आते या फिर जो उनकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए कोई विधेयक यूपीए सरकार द्वारा लाया जाता तो संभवतः उसका समर्थन किया जा सकता था। लेकिन इस विधेयक का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह विधेयक द्विराष्ट्रवाद के आधार पर एक बार फिर भारत के विभाजन की तैयारी करने का षड्यंत्र सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया है। इसलिए वर्तमान में कांग्रेस द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसका विरोध केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि दारुल उलूम ने भी इसका विरोध किया था। माननीय मंत्री जी ने जुलाई में जो सम्मेलन किया था, उसका दारुल उलूम नदवातुल ने भी विरोध किया था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथः उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त आज देश में जो मुस्लिम समाज की स्थित है, उनमें जो अशिक्षा है, यदि

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उत्तरी भारत के करीब बीस विश्वविद्यालयों के आंकड़े देखे जाएं तो वहां पर मुस्लिम विद्यार्थियों का मात्र 1.5 प्रतिशत है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दस मेडिकल कालेजों के अंदर कुल कितने मुस्लिम लड़कों ने प्रवेश लिया है, वह मात्र दो प्रतिशत है। इसका क्या कारण है? मुख्य रूप से इसका यही कारण है कि आज मुस्लिम समाज में जो मदरसों के जरिये शिक्षा दी जा रही है, वह शिक्षा मुख्य रूप से मजहबी शिक्षा है और मजहबी शिक्षा से इस देश के अंदर आज तक कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं किया जा सका है, कोई चिकित्सक पैदा नहीं किया जा सका है। इससे देश के अंदर मजहबी कट्टरवाद को पैदा कर सकते हैं। इस देश के अंदर मदरसों द्वारा जो मजहबी कट्टरता फैलाई जा रही है, अगर माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा उसकी रोकथाम के लिए कोई विधेयक लाया जाता तो उसका समर्थन किया जा सकता था। लेकिन भारत के विभाजन की नींव रखने वाली किसी भी ऐसे विधेयक का, जो अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद के आधार पर भारत को बांटता हो उस विधेयक का हम पुरजोर विरोध करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपका नाम श्री अर्जुन सिंह है। द्वापर में अर्जुन ने अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई की थी। आप कम से कम भारत की परंपरागत संस्कृति और धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र न करें, इस विश्वास के साथ एक बार पुन: माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का मैं पुरजोर विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए मात्र इस वजह से नहीं खड़ा हुआ हूं कि क्योंकि मैं एक कांग्रेसी हूं और कांग्रेस पार्टी सरकार का नेतृत्व कर रही है बल्कि इसलिए क्योंकि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं।

मैंने विश्लेषणात्मक ढंग से विधेयक को पढ़ा है। मुझे लगता है कि इस विधेयक को पुन: स्थापित करने का यही सही समय है विशेषत: अल्पसंख्यकों में विश्वास की भावना जागृत करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जो अभी बहुत गिरा हुआ है, उनमें यह भाव भरने के लिए कि वह देश की प्रगति और विकास में बराबर के भागीदारी हैं, और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यकों को संविधान में दिए गए आश्वासनों को पूरा किया जाए।

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन में कई अल्पसंख्यक नेताओं द्वारा व्यक्त राय में भी यही देखा गया कि सभी प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों ने यह इच्छा जताई कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए आयोग अवश्य होना चाहिए। वे हमसे अधिक प्रबुद्ध हैं और अल्पसंख्यक वर्ग से आते

हैं। वे जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। उन्होंने कहा है कि इस आयोग की आवश्यकता है।

मैंने उस दिन दूसरी तरफ बैठे अपने साथियों को बोलते हुए सुना है। मैंने उस दिन प्रो. रासा सिंह रावत, श्री सुशील कुमार मोदी और श्री अनंत गीते के भाषण को सुना है और अभी मैंने योगी आदित्यनाथ के भाषण को सुना है। वे जिस प्रकार अपने तर्क रखते हैं उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ...*(व्यवधान)*

अब योगी आदित्यनाथ ने एक नया मुद्दा ला दिया है। वह कहते हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं। उन्होंने एक नया नूतन विचार रखा है। वह कहते हैं कि वे अल्पसंख्यक हैं ही नहीं। अत: इस कारण से वह इस विधेयक का विरोध करते हैं।

मैंने श्री रावत और श्री मोदी द्वारा की गयी टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि गत 45 वर्षों तक कांग्रेस सरकार सत्ताधीन थी किन्तु इसने अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ नहीं किया। मैं इनसे सीधे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राव, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए, लोगों को संबोधित मत कीजिए।

श्री के.एस. राव: यह मानते हुए कि ये लोग ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है, कम से कम सब इससे सहमत होंगे कि कांग्रेस कतिपय धार्मिक समुदायों और लोगों एक वर्ग को रथ यात्राओं और गोधरा जैसी घटनाओं से भड़काने के लिए जिम्मेदार नहीं है...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वड़ोदरा): महोदय, हम गोधरा घटना के उल्लेख का विरोध करते हैं

श्री के.एस. राव: ऐसी घटनाओं के लिए कांग्रेस कभी जिम्मेदार नहीं रही है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है?

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, क्या आप इस प्रकार की टोका-टाकी चलने देंगे?

श्री के.एस. राव: महोदय, जब वह लोग बोल रहे थे तो हम सब चुप रहे।...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: महोदय, इस प्रकार की टोका-टाकी को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब भी मेरी अनुमति के बिना कोई माननीय सदस्य बोलेगा उसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री विजय हान्डिक: यह कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित होने या नहीं होने का सवाल नहीं है बल्कि यह माननीय सदस्य को बाधा पहुंचाने और सभा के समय की बर्बादी का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

श्री के.एस.राव: इसमें गलत क्या है? मैने वही कहा जो कुछ हुआ है। कांग्रेस पार्टी एक धर्म और दूसरे धर्म या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच फूट डालने के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने यह पूछा है कि कांग्रेस पार्टी ने उन वर्षों में क्या किया जब वह सत्ता में थी। ये वे लोग हैं जो सदैव यह कहते हैं कि कांग्रेस की नीति अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण की है।

जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी अल्पसंख्यकों की स्थिति को सुधारने के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम लाई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की नीति अपना रही है। जो लोग इन सभी वर्षों में कांग्रेस पार्टी की यह कहकर आलोचना कर रहे थे कि वह अल्पसंख्यकों का पक्ष ले रही है, अब यह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इन वर्षों में क्या किया। हमने उनका विश्वास नहीं तोड़ा है और हमने समाज में तथा बहुअल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच कोई दुर्भावना पैदा नहीं की है।

मैं अपने माननीय मित्र श्री सुशील कुमार मोदी ने जो कहा है उसे उद्धृत करता हूं और वह कारण बताता हूं कि वे ऐसे विरोध क्यों करते हैं।

> "मैं माननीय शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यदि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जितना होना चाहिए और उन्हें उनके समर्थन के आधार पर भी न्याय नहीं मिल रहा है तो इसके लिए कौन कसूरवार है जबकि कांग्रेस ने गत 45 वर्षों तक इस देश में शासन किया है।"

यह सही है...*(व्यवधान)* किन्तु उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इन सब वर्षों में कुछ भी नहीं किया, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के हितों के लिए तो कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने केवल यह कारण बताया है कि यह विधेयक राष्ट्र अथवा अल्पसंख्यक समुदाय के हित में नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के गत 45 वर्षों में कुछ भी नहीं किया। क्या यह सही कारण है? वे इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या यह अल्पसंख्यकों के विरुद्ध है?

एक अन्य मित्र ने यह कहा है कि यह अध्यादेश नहीं लाने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। क्या अब यह अध्यादेश लाने से आसमान टूट पड़ेगा? मुझे शत-प्रतिशत विश्वास है कि इस विधेयक से निश्चित रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में आत्म विश्वास बढ़ेगा।

क्या कांग्रेस पार्टी उड़ीसा में ग्राह्म स्टेंस की हत्या के लिए जिम्मेदार है, जिससे ईसाइयों, जो देश का एक अल्पसंख्यक वर्ग है, का विश्वास टूटा था? हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। अब उन्हें यह पता लगाने दीजिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। किंतु हर बार जब अल्पसंख्यकों के बारे में कोई बात होती है और सभा में जो कुछ चर्चा होती है जिससे उन्हें कुछ लाभ होता है तो ये कहते हैं कि 'हम इसका विरोध करते हैं, विरोध करते हैं'। यह सही है कि इस विषय को प्रवर समिति के पास भेजा जाए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बिक्रम केशरी देव, कृपया आप बैठिए। आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। आप समय मत खराब कीजिए, कृपया बैठिए।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव: उन्होंने यह कारण बताया है कि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाए और इसे सभा में पुर:स्थापित करने से पूर्व राज्य सरकारों की राय ली जाए। क्या विपक्ष में बैठे मेरे माननीय सहयोगी इस सभा में पुर:स्थापित किए गए किसी ऐसे विधेयक के बारे में बता सकते हैं जो पूरी तरह चूकरहित हो और जिसमें बाद में कोई भी संशोधन या सुधार न किया गया हो? कोई भी विधेयक चाहे वह इस सरकार अथवा उनकी सरकार द्वारा पुर: स्थापित किए जाए। जब उसे पुर:स्थापित किया जाता है तो उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं। अत: जब तक हम यह पता नहीं लगाएंगे कि उसमें क्रियान्वयन के दौरान क्या खामियां हैं, हम संशोधन नहीं ला सकते हैं। मान लीजिए, हम यह मानते हैं कि

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुछ त्रुटियां हैं और उसमें कुछ सुधार किया जाना है तो हम कभी भी कोई विधेयक पुर:स्थापित नहीं कर सकते। उनकी यह मंशा हो सकती है कि इस विधेयक को सभा में न लाया जाए।

एक दिन मैंने सुना था कि श्री अनंत गंगाराम गीते यह कह रहे थे कि वे अल्पसंख्यकों के लिए हैं, वे उनके लिए मरेंगे, वे उनके भाई हैं। यदि ऐसा है तो पाकिस्तान की टीम दिल्ली खेलने के लिए आई थी तो शिवसेना ने मैदान को खोद क्यों डाला था? क्या इसलिए कि वे आतंकवादियों के रूप में यहां आये थे? इसका क्या कारण है? जब वे मानते हैं कि वे हमारे भाई हैं तो शिवसेना को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए था।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): माननीय उपाध्य महोदय, ये जो कह रहे हैं मुझे उस पर आपत्ति है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री के.एस. राव: महोदय, यह सही है कि वे यह बता रहे हैं किन्तु उन्होंने विभिन्न अवसरों पर क्या कहा है वही मुख्य बात है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री ओवेसी जी, आपको बोलने का अवसर मिलेगा। कृपया बैठ जाइए।

श्री के.एस. राव: महोदय, मैं इसका उल्लेख करता हूं। ये शिकायत करते हैं कि कांग्रेस पार्टी सदैव अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती है उनका पक्ष लेती है अथवा बहुसंख्यकों की उपेक्षा करती है किंतु यह सब गलत है। वे देश के कतिपय वर्गों को उकसाकर वोट पाने के इच्छुक होंगे। हम ऐसे नहीं हैं। हम यह बात भलीभांति जानते हैं कि अल्पसंख्यकों की संख्या केवल 15 प्रतिशत है। जब हम उनका समर्थन करते हैं तो हम धर्म निरपेक्षता के आधार पर उनका समर्थन करते हैं क्योंकि यह संविधान का एक भाग है और हम वोट पाने के लिए ऐसा नहीं करते हैं। क्या कोई यह सोच सकता है कि इस देश के 85 प्रतिशत बहुसंख्यक समुदाय की उपेक्षा करके हम सत्ता में आ सकते हैं? बात यह है कि चाहे हम सत्ता में आएं या नहीं, चाहे हमें वोट मिले या नहीं, हम धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। वे सदैव इसकी आलोचना करते हैं।

अब वे यह कहते हैं कि वे अल्पसंख्यकों के पक्ष में हैं और वे उनके भाई हैं। वे कुछ भी कहें किंतु देश यह जानता हैं कि वे अल्पसंख्यकों के पक्ष में हैं अथवा नहीं? मरे मित्र योगी आदित्यनाथ यह कह रहे थे कि यू पी ए सरकार जहर फैला रही है। यू.पी.ए. सरकार कितने सालों से सत्ता में है? क्या वह पांच

या दस वर्षों से है? वह केवल 6 महीनों से सत्ता में है। इन 4-5 महीनों में यू.पी.ए. सरकार ने जहर फैलाने के लिए क्या कार्यवाही की है? वे जनजातीय संस्कृति की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को पूर्वोत्तर के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध करने का विकल्प देकर, सरकार वहां पर जनजाति के लोगों को उकसाना चाहती है। हमारा यह इरादा नहीं है। किसी को उकसाकर वोट नहीं पाए जा सकते हैं। काफी समय से लोग यह जानते हैं कि एक पार्टी विशेष की नीति क्या है, एक पार्टी विशेष की नीतियां क्या हैं, वे क्या बोलते हैं, वे वास्तव में किसे क्रियान्वित करते हैं और अपने निजी जीवन में किस बात पर विश्वास करते हैं। यही मुख्य बातें हैं।

इन सब बातों के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि आज मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं, आने वाले समय में हमें विधेयक पर कुछ संशोधन भी लाने होंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य यह देखना है कि अल्पसंख्यक संस्था में नहीं बल्कि अल्पसंख्यक की प्रगति और विश्वास हो। अत: शायद उसे इन अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु, यह संशोधन करने पड़े कि इसमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक अल्पसंख्यक छात्र हों। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक यह संभावना रहेगी कि बड़ी संख्या में गैर-अल्पसंख्यक छात्र अल्पसंख्यक संस्थाओं जिन्हें इस विधेयक के द्वारा विशेषाधिकार मिल रहा है, में प्रवेश पा जाएंगे।

इसी तरह, आयोग के सदस्य के संबंध में एक परिभाषा दी गई है। हालांकि, यह कहना सही है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए, वे यह भी कहते हैं कि वह विद्वान, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। मैं उससे सहमत हूं। किन्तु यह जरूरी नहीं है कि विद्वान, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्ति शिक्षाविद् भी हो। अत: यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि वह शिक्षाविद् होना चाहिए। संभवतया ऐसा करके यह उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार मैं खुश हूं कि उन्हें सत्ता दी गई है और शिक्षा आयोग में अधिकार दिया गया है।

अंतत: खंड 25 में यह लिखा है कि केन्द्र सरकार को इस अधिनियम के शुरू होने से लेकर 2 वर्षों तक के भीतर ही एक आदेश लाने का प्राधिकार है, किंतु मुझे लगता है कि केवल अल्पसंख्यकों के हित में इसमें बाद में परिवर्तन करना जरूरी होगा। इसका एकमात्र उद्देश्य अल्पसंख्यकों को काम देना है अत: यदि हम अब इस खंड में परिवर्तन नहीं करेंगे तो बाद में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस खंड के बारे में भी सोचें कि यदि अभी नहीं तो कम से कम दो वर्षों से कम की अवधि के भीतर इस अधिनियम का क्रियान्वयन देखने के बाद इसमें संशोधन करना है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, अभी 25 सदस्यों को और बोलना है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि अपनी बात संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

आज हमारे पास बहुत काम है, सप्लीमेंट्री डिमांड्स भी लेनी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप केवल सजेशन दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग विधेयक, 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा करूंगा। इस विधेयक को लाने का मुद्दा यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों का आरोप है कि उन्हें अपने शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने तथा चलाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह आरोप ही इस विधेयक को लाने का उद्देश्य है। इसमें प्रमुख समस्या उनकी पसन्द के विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करना था। इस विधेयक को लाने का यही कारण है और यह विधेयक के विवरण में मौजूद है।

राज्य विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्र की सीमा तथा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अल्पसंख्यक जनसंख्या की सघनता का अर्थ है कि संस्थानों को अपनी पसन्द के विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्धता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। तत्पश्चात विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों ने सरकार के समक्ष पुष्टि की है कि ऐसे संस्थानों को सम्बद्धता दिए जाने से संबंधित विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न कानूनों द्वारा लगाई गई प्रतिबंधात्मक शर्तों के मद्देनजर इस प्रकार की सम्बद्धता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने महसूस किया कि इन शर्तों से संविधान द्वारा उन्हें दिया गया अधिकार प्रभावित होता है। यह अधिकार कौन सा है? उच्चतम न्यायालय ने इनकी चर्चा की है। सरकार ने इस विधेयक को यह कह कर सही ठहराया कि अपील करने तथा शीघ्र समाधान के लिए कोई प्रभावी मंच नहीं था। इससे अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं को और भी वंचित समझने लगे। न्यायालय मौजूद हैं और आपको न्यायपालिका को अलग नहीं रखना चाहिए।

हम सभी जानते हैं कि देश तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक इसकी अधिकांश जनसंख्या कमजोर रहेगी। अल्पसंख्यक विशेषतौर पर मुस्लिम मानव कार्यकलापों के क्षेत्र में अन्य वर्गों से काफी पीछे हैं। उनका नैतिक तथा आर्थिक पिछड़ापन सर्वविदित है। यदि सरकार जीवन में उन्हें आगे लाने के लिए सहायता देने के बारे में गंभीर रूप से सोच रही है तो इसे सभी वर्गों से तथा सभी समझदार व्यक्ति तथा समूहों को सहायता मिलेगी।

मैं यह बताना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों में महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मुस्लिम अन्य समुदायों से पीछे इसलिए हैं क्योंकि उनकी महिलाओं में शिक्षा की कमी है। हम सभी जानते हैं कि उद्धार जो कि समाज से ही उभरता है, की वास्तविक इच्छा का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इस विधेयक के उद्देश्य काफी अच्छे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है परन्तु ध्यान से देखने पर सरकार के वास्तविक उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लग जाते हैं। क्या यह संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजनीति कर रही है? इस संदेह को और बल मिलता है क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछली जुलाई में हुए सम्मेलन में कई राजनीतिक दलों को आंमत्रित नहीं किया।

कांग्रेस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और यह अल्पसंख्यक वोट बैंक को लुभाने का प्रयास करेगी। क्या यह समस्या को कम करने के लिए आयोग गठित करने जैसे बड़े-बड़े वादों का सहारा लेगी? इसके बजाय सरकार को मेरिट के आधार पर प्रवेश, समान प्रवेश परीक्षाओं तथा इन संस्थानों में संकाय नियुक्तियों में यू जी सी की भूमिका जैसे प्रमुख मुद्दों पर विचार करना चाहिए।

मंत्री जी को तथाकथित 'सेक्यूलर रेसिपी' अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विषेश रूप से आयोग की स्थापना करना है।

इसका अर्थ यह होगा कि ऐसे संस्थान शीर्षस्थ विधिक निकाय यू जी सी द्वारा उच्च शिक्षा का नियंत्रण करने के लिए निर्धारित मानदण्डों को दर किनार करेंगे। इससे अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संस्थानों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा भारतीय चिकित्सा परिषद की भूमिका भी नगण्य हो जाएगी।

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम की मद संख्या 16 में, विशेष तौर पर 'सोशल हार्मनी' कालम में यह कहा गया है कि 'अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन न केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में बल्कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों में आधुनिक तथा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा।'

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मुझे अभी बोलते हुए पांच मिनट ही हुए हैं। मैं और तीन मिनट लूंगा। मैं अपनी पार्टी का अकेला सदस्य हूं जो इस विधेयक पर बोलेगा।

संविधान के प्रावधानों के अनुसार जैसा कि अनुच्छेद 30 में दिया गया है 'धार्मिक' तथा 'भाषा संबंधी' दोनों 'अल्पसंख्यक' होते हैं। इसके अनुसार—

"शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा"

संविधान के प्रावधानों के अनुसार यदि आप धार्मिक अल्पसंख्यकों को अनुमति दे रहे हैं तो भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों को अनुमति क्यों न दी जाए? वे अपने संस्थान बना सकते हैं और अपनी पसन्द के संस्थानों के साथ सम्बद्धता प्राप्त कर सकते हैं। यह बात इस विधेयक में नहीं है। मेरी आशंका यह है कि किसी धार्मिक समूह को अनुमति देकर चाहे वो ईसाई समूह हो, यह आवश्यक नहीं है कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यक ही हो, आप मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल देंगे तथा इससे हमारे देश की संघीय संरचना अथवा विशेषता में परिवर्तन हो जाएगा। इस कदम से खतरनाक परिणाम हो सकते हैं और जिसे भविष्य में नियंत्रित करना मुश्किल होगा।

मेरा विचार है कि ऐसा करके सरकार सभी जाति धर्मों के लोगों को यह दावा करने के लिए बढ़ावा दे रही है कि उनका संस्थान अल्पसंख्यक वर्ग का है और वे अपने सम्प्रदायों अथवा धर्म के लिए एक अलग आयोग की स्थापना की मांग कर सकते हैं। हमें अल्पसंख्यक संस्थानों के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले को भूलना नहीं चाहिए जिसके बारे में मैंने पहले उल्लेख किया था। कई निजी शैक्षणिक संस्थान तथा तकनीकी संस्थान कैपिटेशन फीस के माध्यम से काफी धन कमा रहे हैं।

अब मैं इस विधेयक के मुख्य मुद्दों पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। आपने काफी समय ले लिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, इनको दस मिनट और बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: मुझे दस मिनट नहीं चाहिए। मैं पांच मिनट ही लूंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: मैं समाप्त कर रहा हूं। अपनी पसन्द के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने तथा इनका प्रबंधन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार का मुद्दा देश में पिछले 18 से 20 महीनों से चर्चा में हैं पहले उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ (फुल बेन्च) निर्णय के कारण और फिर इस पीठ के पांच न्यायाधीशों के निर्णय के स्पष्टीकरण और तत्पश्चात यू जी सी तथा मानव संसाधन मंत्रालय के कई विनियमों के कारण जिन्हें अब वापस ले लिया गया।

अपराह्न 3.00 बजे

यह फिर चर्चा में आया जिसका कारण यह अध्यादेश था जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग की स्थापना करने के लिए पिछले महीने जारी किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

नहीं तो सारी रात बैठना पड़ेगा। काम बहुत है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय यह विधेयक आयोग को शक्ति प्रदान नहीं करता। यह आयोग को, यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा अल्पसंख्यक संस्थान है और कौन सा संस्थान अल्पसंख्यक वर्ग का नहीं है, पर्याप्त शक्ति प्रदान नहीं करता। मैं इस मुद्दे पर विचार करना चाहूंगा। इस विधेयक में अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश आरक्षण तथा उनके वित्तपोषण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यह मानकों को नियंत्रित नहीं कर सकता।

यदि मुझे समय की कमी के कारण बोलने नहीं दिया जाता तो अन्त में मैं केवल यह कहूंगा कि इस विधेयक पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हम अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए हैं। यदि इसे और अधिकार और शक्ति प्रदान की जाती है तो हमारी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करेगी। ऐसा नहीं है कि केवल सेंट स्टीफन्स कालेज को दिल्ली विश्वविद्यालय से नहीं तो किसी अन्य विश्वविद्यालय से, सम्बद्धता

[श्री भर्तृहरि महताब]

प्राप्त होगी। अथवा हैदराहाद के किसी संस्थान को पूर्वोत्तर से सम्बद्धता प्राप्त होगी अथवा अमृतसर का कोई अल्पसंख्यक संस्थान पांडिचेरी में सम्बद्धता प्राप्त करेगा। इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप अपना भाषण अभी खत्म नहीं करेंगे तो रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: इसीलिए मैं सरकार से इस विधेयक पर पुवर्विचार करने का अनुरोध करता हूं। इसलिए हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। बेमन से बनाया गया इस विधेयक पर जल्दबाजी न करें।

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (भटिंडा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग विधेयक, 2004 को कानून बनाने की जल्दी में क्यों है।

यह विधेयक अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अल्पसंख्यक समुदायों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, यह उचित है कि इस विधेयक का भली-भांति अध्ययन किया जाए। यदि इस विधेयक में कोई फेरबदल करना है तो उसे बताया जाए ताकि इस विधेयक में सभी अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व को पूरी तरह से शामिल किया जा सके।

अल्पसंख्यक संस्थाएं प्राथमिक विद्यालयों से डिग्री कालेजों, व्यावसायिक कालेजों, तकनीकी कालेजों सहित व्यावसायिक प्रमुख संस्थाओं तक फैली हुई हैं।

पहले प्रख्यापित किए गए अध्यादेश के स्थान पर सभा में जो विधेयक लाया गया है, उसमें बहुत से ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम हैं जिनसे देशभर की अल्पसंख्यक संस्थाओं को सम्बद्ध किया जायेगा। कोई यह नहीं कह सकता कि अल्पसंख्यक संस्थाएं छह विश्वविद्यालयों के अध्याधीन क्यों होंगी जिनमें से चार पूर्वोत्तर में हैं और एक पांडिचेरी में है और नि:सन्देह एक दिल्ली में है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार क्यों कुछ गलत निर्णय ले लेती है और वे भी जल्दबाजी में। इससे इस बारे में काफी प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि अन्य विश्वविद्यालयों के साथ पहले से सूचीबद्ध अल्पसंख्यक संस्थाओं का क्या होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि इस विधेयक का प्रयास अल्पसंख्यक शिक्षा का विस्तार करना है या फिर इसमें कमी करना है।

इस विधेयक का प्रयास अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने से रोकना है। अल्पसंख्यक समुदायों को सरकार, विश्वविद्यालयों और अन्य निकायों से अनुदान प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

जब हमारे पास अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था है, तो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग को स्थापित करने का क्या तर्क है—वो भी तब जब इसका प्रयास इन संस्थाओं के लिए पहले से प्रदान किये गये कानूनी ढांचे में कमी करने का है?

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह विधेयक जातीय अल्पसंख्यक एकता में वृद्धि करता है अथवा क्या यह सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को समानता प्रदान करने का प्रयास करता है, अथवा यह किसी एक समुदाय या किसी अन्य समुदाय के तुष्टिकरण के लिए है।

यह एक बहुत गंभीर विषय है। अभी तक सभी बड़े या छोटे दंगे अल्पसंख्यकों पर ही हुए हैं। इसीलिए हमें यह पता लगाना होगा कि क्या अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा उचित जांच कराने की जरूरत है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह विधेयक अल्पसंख्यकों के लिए समर्पित शैक्षिक संस्थाओं के विकास का आधार तैयार करता है अथवा केवल मौजूदा संस्थाओं को विनियमित करता है।

महोदय, अल्पसंख्यक संस्थाओं के समक्ष आ रही वास्तविक समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है और ऐसे आयोग की स्थापना की आवश्यकता नहीं है जो उनके संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करता हो। महोदय, मेरी दृष्टि में, जनता की राय लेनी चाहिए और एम.जी.पी.सी. जैसी प्रमुख संस्थाओं को शामिल करना चाहिए और उनसे सुझाव लिये जाने चाहिए।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर (तिरूअनन्तपुरम): उपाध्यक्ष महोदय, समयाभाव के कारण, मैं मेरी दायीं ओर बैठे माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये कुछ भाषणों से जानबूझकर उत्तेजित नहीं हो रहा हूं।

महोदय, राष्ट्रवाद, अन्तर्राष्ट्रीयवाद, और मानवता के संबंध में जोर-शोर से बोलना बहुत आसान है और आपकी नाक के सामने समस्याओं के सामने आंख मूद लेना बहुत आसान है। आखिरकार, हमारे इतने बड़े देश में प्रत्येक क्षेत्र में कई प्रकार के असंतुलन हैं। सभी समान नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, लोगों के विभिन्न तबकों में मतभेद हैं—संभवत: समुदायों अथवा ऐतिहासिक कारणों से मतभेद हैं। फिर भी, यह सच्चाई है कि कई मतभेद हैं—कुछ पिछड़े हैं और कुछ अधिक पिछड़े हैं, कुछ अगड़े हैं और कुछ

अधिक अगड़े हैं। इसलिए इन असंतुलनों को दूर करना प्रत्येक सरकार का काम है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी को इन मुद्दों को उठाने के लिए बधाई देता हूं। यद्यपि यह विलंब से हुआ है— प्रत्येक सदस्य 45 वर्ष अथवा 50 वर्ष का उल्लेख कर रहे थे— यदि कुछ कार्य काफी लंबे समय के बाद किया जाता है तो वे उसमें भी गलती क्यों ढूंढ़ते हैं? आपको यह कहना चाहिए कि कम-से-कम अब आप यह कार्य कर रहे हैं। यह एक अच्छी बात है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और सामान्य रूप से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं 'सामान्यत:' को रेखांकित करता हूं क्योंकि मेरा मानना यह है कि इस प्रकार के कानून को कुछ और अधिक सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए था। शायद यह जल्दबाजी में किया गया था। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है। इसलिए, मैं केवल दो मुद्दों पर बोलना चाहता हूं।

अल्पसंख्यक संस्थाओं, अल्पसंख्यकों की शैक्षिक समस्याओं और पिछड़ेपन के प्रश्न का समाधान अकेले केन्द्र सरकार इस प्रकार के आयोग की नियुक्ति करके नहीं कर सकती। इसका समाधान आम प्रयास से किया जाना चाहिए। इससे केन्द्र सरकार और राज्यों की आम कोशिश से निपटा जाना चाहिए। मैं जानता हूं, राज्यों में विभिन्न प्रकार की सरकार होती हैं। यह मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। इसलिए, आओ हम इस समस्या पर इस प्रकार से देखें कि हम अपने सभी संसाधन, अपनी सारी शक्तियां इसमें लगा दें। दुर्भाग्यवश, इस विधेयक का जिस तरह से यह तैयार किया गया है उससे राज्य सरकारों की भूमिका दूर-दूर तक नजर नहीं आती। मंत्री महोदय और मैं यह देखकर खुश हैं कि उन्होंने प्रशंसा की है। उन्होंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। मंत्री जी ने स्वयं यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मैंने भी संशोधन प्रस्तुत किया है। लेकिन इस संशोधन के मद्देनजर, मैं समझता हूं, मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करूं और इनके लिए दबाव डालूं। इसलिए, मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। मैं केवल एक बात यह कहना चाहता हूं कि राज्यों को इस मामले में काफी उत्तरदायित्वों को वहन करना होगा। विभिन्न राज्यों के अनुभवों को ध्यान में रखना होगा।

दूसरी बात यह है। जब मैं यह कहता हूं कि इस विधेयक का प्रारूप जल्दबाजी में तैयार किया गया था, मैं यह चाहूंगा कि मंत्री भी एक मुख्य मुद्दे पर बाद में अवश्य विचार करें। मेरे माननीय मंत्री श्री राव ने भी यही बात कही थी। हमें अपने अनुभव के आधार पर कुछ समय पश्चात् कई संशोधन करने पड़ सकते हैं। एक मुद्दा अल्पसंख्यक संस्थाओं की परिभाषा के बारे में है। जब आप यह कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय का एक व्यक्ति अथवा कई व्यक्ति एक कालेज आरंभ कर सकते हैं और अपने आप यह अल्पसंख्यक संस्था बन जाती है, मैं समझता हूं यह एक बहुत जोखिम भरी परिभाषा है। इसका कई तरह से

दुरूपयोग किया जा सकता है। मेरा राज्य ऐसा है जहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं हैं। वहां पर कुछ संगठनों द्वारा चलायी जा रही संस्थाएं हैं न कि किसी व्यक्ति द्वारा। चर्च यह काम कर रही है। अब मुस्लिम कालेज उभर कर आ रहे हैं। गत 20 से 25 वर्षों के दौरान, उन्होंने कई कालेज तकनीकी और व्यावसायिक कालेज खोले हैं। इन कालेजों को मुस्लिम शिक्षा समिति (एम.ई.एस.) चलाती हैं। यह एक संस्था है। यह कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। इसका इरादा मुनाफा कमाना नहीं है। पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं है।

लेकिन यदि मैं अपना एक कालेज खोलता हूं और आप अल्पसंख्यक संस्था के सभी लाभ प्रदान करते हैं, तो इसके दुरूपयोग की पूरी-पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? इसका कारण यह है कि अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्या वाणिज्यिीकरण की है। इस पर पूरे देश में वाद-विवाद रहा है। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी ने इस क्षेत्र में केन्द्रीय कानून के प्रश्न पर पहले विचार किया था। आपको इस बारे में बहुत सावधान होना चाहिए। कोई भी कुछ पैसे से कालेज खोल सकता है, इसे अल्पसंख्यक संस्था कहकर कारोबार बना सकता है। इसलिए, जहां तक संभव हो, केवल उन्हीं संस्थाओं को अनुमति दें जिन्हें कुछ भरोसेमंद संगठन चलाते हैं न कि किसी संगठन को। केरल में, चर्च आधिकारिक रूप से कई कालेज चला रही है। मैं यह कहूंगा कि मेरे उनके साथ मतभेद हैं। उन्होंने पुराने दिनों में स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा उनकी कई संस्थाएं अन्य संस्थाओं से बेहतर ढंग से चल रही हैं। इसलिए, अल्पसंख्यक संस्था की इस परिभाषा पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। बाद में, कम-से-कम, इस परिभाषा में कुछ परिवर्तन होना चाहिए।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं उस ओर बैठे अपने मित्रों से यह नहीं चाहता कि वे सभी चीजों को एक ही दृष्टिकोण से देखें। उनकी यही समस्या है। वे सभी चीजों को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से देखते हैं। यही सच्चाई है। कई स्थानों पर पिछड़े समुदाय हैं। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अपनी अलग समस्याओं से ग्रस्त हैं। इन समस्याओं का समाधान करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पी.के. वासुदेवन नायर: मैंने काफी इंतजार किया है और मैं आपको मुझे यह समय देने और मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। सामान्य रूप से, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि मंत्री भी इस मामले की विस्तृत जांच करें, भले ही वह यह कार्य बाद में करें।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, मेरी पार्टी पट्टाली मक्काल काची की ओर से खुले दिल से तथा पूरी तरह से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक, 2004 का समर्थन करता हूं।

हमारे विचार से इस विधेयक का उद्देश्य सामाजिक न्याय दिलाना है। तमिलनाडु—न्याय की भूमि, जिस भूमि पर पेरियार, पेरिगनार अन्ना, डा. कलाइन्गनार, डा. आइया तथा पोटा के लिए प्रसिद्ध वाइको जैसे लोग हुए हैं, से होने के नाते मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे लोगों की सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित होगी।

इस विधेयक का विरोध करने वाले आगे नहीं बढ़ सकते तथा उनके द्वारा दिये गए तर्क अस्वाभाविक हैं तथा उनका विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरे विचार से यह विधेयक संवैधानिक रूप से सही है एवं राजनैतिक रूप से उचित है। यह विधेयक आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से भी न्यायोचित है। अब, यह विधेयक क्यों लाया गया? इस विधेयक के कारण राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक संस्थाओं को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्धता दिलाने का एक तंत्र स्थापित हो जाएगा। इस विधेयक के कारण राष्ट्रीय आयोग अल्पसंख्यक संस्थाओं को कतिपय केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्धता दिलाने में सहायक होगा।

अब, मैं अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा देश में किये गए उत्कृष्ट कार्यों के बारे में बताना चाहूंगा। जब हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो हमें धार्मिक समूह विशेष की बात नहीं करनी चाहिए। अल्पसंख्यक संस्थाओं ने समग्र रूप से इस देश में शैक्षिक क्षेत्र में महान कार्य किया है। मैं दक्षिण भारत के एक संस्था—सन्त जासेफ महाविद्यालय, त्रिची का उल्लेख करना चाहता हूं जहां से भारत के महामहिम राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम ने शिक्षा प्राप्त की। उनके स्तर के और बहुत से व्यक्ति है जिन्होंने तमिलनाडु तथा अन्य जगहों के अल्पसंख्यक संस्थाओं से भी शिक्षा प्राप्त की है।

लेकिन आज, इन संस्थाओं को विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान, एक संस्था जो 'डीम्ड विश्वविद्यालय स्तर की मांग कर रहा था उसे उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप तथा यह कहने के लिए कि 'आप डीम्ड विश्वविद्यालय स्तर दें' के बाद भी अनुमति नहीं दी गई। पूर्ववर्ती सरकार ने अनुमति नहीं दी। इसलिए, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दी गई संवैधानिक गारन्टी सरकार द्वारा इस प्रकार की अस्वीकृति से उल्लंघन हुआ है। इस उपबन्ध में यह प्रावधान है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी इच्छा से संस्था बना सकेंगे। अब यह अधिकार वास्तविक है तथा अर्थपूर्ण अधिकार है। यह न तो अव्यवहारिक अधिकार है और न ही इसका अनावश्यक प्रयोग हुआ है। यह एक वास्तविक अधिकार है। यदि इस अधिकार का प्रयोग करना है तो अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यताएं मिलनी चाहिए। यदि इन्हें उच्चतर संस्थाओं द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है तो इन संस्थाओं को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, इन संस्थाओं को उच्चतर संस्थाओं से सम्बद्ध किया जाना चाहिए तथा इस विधेयक से सुविधा तंत्र बनेगा। जब तक इन संस्थानों को मान्यता और सम्बद्धता प्रदान नहीं की जाएगी तब तक इन संस्थाओं से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी नहीं होगी। जो डिग्री उन्हें मिलेगी वह उनके भविष्य तथा जीवन का पासपोर्ट होगा। इसलिए इस विधेयक का संविधानिक आधार है तथा यह अनुच्छेद 30(1) का एक उपबन्ध है। यह विधेयक या ऐसे किसी चीज को लाने में कोई जल्दबाजी नहीं है।

दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों ने कहा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आएगी। जिन लोगों ने इस विधेयक की आलोचना की है, उन्होंने इसके उद्देश्य और प्रावधानों को नहीं समझा है। विधेयक में कहा गया है कि एक विशेष अल्पसंख्यक संस्था किसी विश्वविद्यालय को आवेदन करेगा तथा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या तथा पाठ्य-विवरण तथा वहां उपलब्ध अध्यापकों का निर्धारण करने के अपने निर्धारित मानदंड है तथा इन मानदंडों को पूरा करने के आधार पर ही इन अल्पसंख्यक संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान की जाएगी। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आयोग पांडिचेरी विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय या पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय से किसी अल्पसंख्यक संस्था को पूर्ण सम्बद्धता प्रदान करने के लिए कहेगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं के उत्कृष्टता मानदंड के आधार पर विश्वविद्यालय उन्हें सम्बद्धता प्रदान करेगा। इसलिए, महोदय यह विधेयक उच्चतर शिक्षा के लिए भी मानदंडों पर खरा उतरता है।

कुछ लोगों ने कहा है कि यह किसी को दिया गया विशेषाधिकार है। यह तर्क सत्य होने के बाद भी पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय को दिया गया विशेषाधिकार यथोचित होगा।

महोदय, डा. अम्बेडकर के शिष्य होने के नाते उनके शब्द आपको याद होंगे। उन्होंने कहा था "भारत में समाज आज श्रेणियों में बंटा हुआ है यहां असमानता है।" गोपाल सिंह समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आज भारत में अल्पसंख्यक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से भी पिछड़े हैं। जब तक असमानता बनी रहेगी तब तक समान व्यवहार कैसे हो सकता है। पिछड़े रह गए व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करने से ही उनको न्याय दिलाया जा सकता है। यहां, यदि इस विधेयक से किसी धार्मिक समूह का एक अल्पसंख्यक वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त होता है, तो यह एक योग्य असमान व्यवहार है तथा यह विशेषाधिकार दिया गया है।

सरकार जल्दी में है तथा यह विधेयक हड़बड़ाहट में ला रही है का राजनीतिक तर्क निराधार है। यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार देश के लोगों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक को लाकर उनको दिए गए बचत की पूर्ति कर रही है। जब तमिलनाडु के नेता जनता के बीच थे तो उन्होंने कहा था कि जब वे सत्ता में आएंगे तो यह विधेयक लाएंगे। वे यह विधेयक ले आए हैं। उन्होंने पोटा हटाने का वादा किया था इसे हटा लिया गया है। इसी प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग विधेयक लाने का वादा किया था तथा यह वायदा भी उन्होंने पूरा कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। हमारे पास उत्कृष्ट त्याग की प्रतीक श्रीमती सोनिया गांधी हैं। देश की कमान इन पुरुषों एवं महिलाओं के हाथों में हैं। उनके उर्जावाद के कारण ही सरकार इस विधेयक को इतना जल्द ला पाई है। तत्काल कार्रवाई का अर्थ शीघ्रता एवं हड़बड़ाहट नहीं है।

अन्तत: यह विधेयक भारत के पिछड़े लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा, जो कि न केवल सामाजिक विकास का एक माध्यम है बल्कि आय का स्रोत भी हैं तथा इससे लोगों का आर्थिक विकास होगा। यदि कोई इस विधेयक का विरोध करता है तो उसे इस दृष्टिकोण के कारण बताने होंगे। हमारी पार्टी इस विधेयक का संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक आधारों पर समर्थन करती है। यह वोट बैंक के लिए नहीं है वोट प्राप्त करने के लिए नहीं है बल्कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए है जो पिछले छह वर्षों के दौरान नहीं किया गया। हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं कि हम लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे—हम इस देश की जनता से किया गया वायदा पूरा कर रहे हैं। यह हम इस विधेयक के जरिए कर रहे हैं। इसलिए हम माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को इस विधेयक के जरिए न्याय दिलाने के लिए बधाई देते हैं। जैसा कि किसी एक मित्र ने कहा कि "अर्जुन" यानि न्याय। इसलिए वे न्याय कर रहे हैं तथा न कि अन्याय जैसा कि एक मित्र ने कहा। अत: इस विधेयक का मैं खुले दिल से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले नेशनल कमीशन फार माइनारिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स बिल पर सदन में चर्चा शुरू हुई थी। जब दो दिन पहले यह चर्चा शुरू हुई तो गुजरात के सत्ता पक्ष के वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री मधुसूदन मिस्त्री इसके प्रमुख वक्ता थे। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बिल के सभी पहलुओं का जिक्र करके उत्तर देंगे। हमें सत्ता पक्ष के मुख्य वक्ता के भाषण से इस बिल की मंशा के बारे में पता चला है। दो दिन पहले कुछ मुद्दे उठाए गए और उन्हें दोहराया भी गया। इस बिल के पीछे क्या उद्देश्य है?

उपाध्यक्ष महोदय: आज हमारे पास काफी बिजनेस है और हमें यह डिसकशन साढ़े चार बजे खत्म करना है। और उसके बाद दूसरा बिजनेस लेना है। मंत्री जी साढ़े चार बजे रिप्लाई करेंगे। इसलिए एक-दो मिनट जिसे बोलना है, बोल लें। मेरे पास कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं, जो परसों भी बोले थे। उन्हें बोलने का समय देना मुश्किल हो जाएगा। सभी माननीय सदस्य एक-दो मिनट ही बोलें, वरना पूरी रात बैठना पड़ेगा।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: इस चर्चा को शुरू करते हुए कहा गया कि एनडीए पक्ष के लोग सैकटेरियन और सैग्रिगेटिक मानसिकता के हैं। यहां गुजरात की बात को बार-बार दोहराया गया। हम सभी चीजों को साम्प्रदायिक दृष्टि से नहीं देखते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को दिशा देने वाली पार्टी को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। 1985 में शाहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट आने के बाद संविधान में संशोधन क्यों किया गया और किस हाल में किया गया?

इसमें माइनोरिटिज्म नहीं है तो और क्या है? अगर मैं वर्ष 1985 से गिनाना शुरू करूं तो एक पूरी पुस्तक बन सकती है। मैं अभी एक विषय की याद दिलाना चाहता हूं। केरल में वामवादी एक विषय पर आन्दोलन करते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व ने अब तक वहां स्पष्टता दिखाई, लेकिन फिर अचानक उस विषय पर वह मुंह मोड़ लेती हैं। एक नेता वहां एक राजनीतिक विषय पर फंसे हुए हैं। वहां की आम जनता उस विषय पर आंदोलन करती है। *...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: वह जो बोल रहे हैं, उनका कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: मैं किसी कम्यूनिटी पर प्रहार नहीं कर रहा हूं। लेकिन केरल में जो आंदोलन हो रहा है, उसी कम्यूनिटी के विषय में कांग्रेस का नेतृत्व पहले कहता है उसे निकाल देना चाहिए। लेकिन आज मुंह क्यों मोड़ लिया। वर्ष 1985 से लेकर 2004 तक शाहबानो से लेकर आगे तक के तमाम मसलों की अगर समीक्षा की जाए तो कांग्रेस का माइनोरिटीवाद स्पष्ट हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां बार-बार कहा गया कि पिछले दिनों चार वर्ग पिछड़े रहे, जिनमें एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और कहीं माइनोरिटी पीछे रहे, उनका विकास नहीं हो पाया। हम यहां पर दोबारा इस प्रश्न को उठाना चाहते हैं, हमारे कई मित्रों ने इसे उठाया है...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: पचास सालों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ...*(व्यवधान)* यह गणतंत्र है। आप बीच में क्यों खड़े हैं। आपको इतनी देर तक हमने सुना है। इसका मंत्री जी उत्तर देंगे। हम आपको क्यों सुनेंगे।...*(व्यवधान)* सोनिया जी देख रही हैं, आप जरूर मंत्री बनेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: सर, आप हमें प्रोटैक्शन दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आप चेयर को एड्रैस करें।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: यदि वह हमें नहीं टोकेंगे तो हम अपनी बात रखेंगे। हम नये सदस्य हैं। हम भी डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी परमीशन के बगैर वह जो भी बोल रहे हैं, वह रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: आज कांग्रेस को उत्तर देना चाहिए कि पचास वर्ष तक देश पर राज करने वाली पार्टी है, आज इन्हें स्टेट आब्लिगेशन क्यों याद आता है। यह राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। अगर उन्हें स्टेट आब्लिगेशन के बारे में इतनी चिंता है तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ विश्वविद्यालय वाला निंदनीय काम कर रही है। लेकिन उनके राज्यपाल उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। वह उनसे सहमत नहीं हैं। इनके बीच में कंम्पिटीशन चल रहा है। कौन अल्पसंख्यक किसके ज्यादा नजदीक हो सकता है, कौन उसके वोट बटोर सकता है, यह कम्पिटीशन चल रहा है। यह कहते हैं कि कृपा करके आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखिये। इन्होंने कहा कि हमने गुजरात में घृणा का वातावरण तैयार किया और हम सारी चीजों को साम्प्रदायिक एंगल से देखते हैं। कांग्रेस के मित्रों को यह नहीं भूलना चाहिए कि 1984 में कौन से सम्प्रदाय को चुन-चुन कर मारा गया। उन दिनों वे माइनोरिटी में थे या नहीं। देश नहीं भूल रहा है। कश्मीर से आज हिंदू पंडित बाहर चले गये हैं। उन्हें वहां से गये दस साल से ऊपर गो गये हैं। उनकी इन्हें याद नहीं आती। इन्हें इनके स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं है। इन्हें उनकी याद नहीं आती हैं।...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: जब राजनीति करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन सच उन्हें कड़वा लगता है। मिस्त्री जी ने कहा कि हमारे नेता बची सिंह रावत जी संविधान सभा की स्पिरिट खत्म कर रहे हैं। हम कई मामलों में पंडित जवाहर लाल नेहरू से सहमत नहीं हैं। लेकिन संविधान सभा में सर्वश्री गोविन्द वल्लभ पंत, सरदार वल्लभभाई पटेल, के.एम. मुंशी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोपीनाथ पंडित जवाहर लाल नेहरू की सभा के विशेष आमंत्रित सदस्य थे। मैं कोट करना चाहूंगा-

[अनुवाद]

"समिति सन्तुष्ट है कि अल्पसंख्यक अपने आप महसूस करते हैं कि उनके हित में तथा समग्र रूप से देश हित में, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सांविधिक पदों का आरक्षण समाप्त किया जाए।"

[हिन्दी]

रिजर्वेशन और आज का विषय एक ही मानसिकता का विषय है। जो उनको सही लगे, उनको सुहाये, ये पंडित जी का नाम लेंगे।

उनको नहीं सुहाएगा तो कहेंगे कि पंडित जी का वक्तव्य आज प्रासंगिक नहीं रहा। यह सब इनकी दोगली नीति है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं एक ही प्रदेश की बात बताऊंगा। आज इनका शासन आंध्र प्रदेश में चल रहा है। आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के सामने आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन पर उत्तर दिया। राव जी ने उल्लेख किया, वासुदेवन नायर जी ने उल्लेख किया कि उसका मिसयुटिलाइजेशन कैसे होता है। मैं उसका एक उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश के तीन माइनारिटी इंस्टीट्यूशन्स के लिए हाईकोर्ट में आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से एफिडैविट दिया गया कि माइनारिटी इंस्टीट्यूशन में जो 234 विद्यार्थी दाखिला लेते हैं, उनमें से 188 कनवर्ट होकर एडमिशन लेते हैं। 'टाइम्स आफ इंडिया' में एक लेख छपता है आंध्र प्रदेश में यह कहा गया कि अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो उनको आगे चलकर देख लिया जाएगा। जो पिछला अनुभव रहा है प्रदेश सरकारों का, मैं उसका भी उल्लेख करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

"आंध्र प्रदेश उच्चतर शिक्षा परिषद के स्रोतों के अनुसार ऐसे कई महाविद्यालय शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों से 'दान' स्वरूप भारी राशि एकत्र करती हैं तथा उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अल्पसंख्यक कोटे से प्रवेश पा सकें।"

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): उपाध्यक्ष महोदय, यदि वह उच्च न्यायालय के किसी निर्णय को उद्धृत कर रहे हैं तो उन्हें इस दस्तावेज को अधिप्रमाणित करना होगा और सभा पटल पर रखना होगा।...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: महोदय, मैं निश्चित रूप से इसे सभा पटल पर रखूंगा, इसे आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा विभाग ने दिया है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या आपने दस्तावेज को अधिप्रमाणित किया है? आपको दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे और इसे अधिप्रमाणित करना होगा...*(व्यवधान)* नियम यह है कि माननीय सदस्य को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे, अध्यक्षपीठ को अग्रिम सूचना देनी होती है और तत्पश्चात इसे सभा पटल पर रखा जाता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हमें नियम मत सिखाइए। हमने इनको बताया है कि किसी जजमैंट को पढ़ने के लिए सूचना देकर आथैन्टिकेट करके पढ़ना पड़ता है।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: मैं एक ही विषय पर निवेदन करना चाहता हूं। यह जो कहा गया कि आगे चलकर सोचा जा सकता है,...*(व्यवधान)*

श्री जी. वेंकटस्वामी (पेद्दापल्ली): ये गलत बोल रहे हैं। मैं आंध्र प्रदेश से ही आता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: महोदय, मैं श्री शरद पवार और श्री प्रियरंजन दास मुंशी से जरूर सीखना चाहता हूं, इस बारे में कोई सन्देह नहीं है...*(व्यवधान)* यदि मैं गलत हूं तो मैं इसे वापस ले लूंगा...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया आप मेरा समर्थन करें...*(व्यवधान)* श्री दासमुंशी, कृपया मुझे परेशान न करें, यदि मैं गलत हूं तो आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं तो उनसे अध्यक्षपीठ की अनुमति लेने के लिए कह रहा हूं और इसे सभा पटल पर रखने के लिए कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: महोदय, मैं उद्धृत करता हूं, "यद्यपि सरकार ने अल्पसंख्यक कालेजों को अपने आप विद्यार्थियों को प्रवेश देने से रोकने के लिए नया निमय बनाया था, कालेज प्रबंधन ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया और आदेश को निरस्त करवाया,"

[हिन्दी]

जब आंध्र प्रदेश सरकार ऐसे फोर्जरी के मामले में रोक लगाने का कानून लाई तो माइनारिटी इंस्टीट्यूशन वाले लोग हाई कोर्ट में पहुंचे और वहां से स्टे आर्डर लेकर आए। ये एजुकेशन माफिया राज को ढहाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री कृष्णा तीरथ (करोल बाग): सारे जजमैंट का यह निचोड़ नहीं होता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं अपने युवा मित्र को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, उन्हें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए और हमें उसे सुनना चाहिए।

महोदय, यदि मैंने उन्हें सही सुना तो उन्होंने कहा कि कुछ धर्म परिवर्तन करने वालों को अल्पसंख्यक कोटे के तहत प्रवेश दिया गया था। अब यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है तो उन्हें उद्धृत किए जाने वाले दस्तावेज को अधिप्रमाणित करना होगा और इसे सभा की सम्पत्ति के रूप में सभा पटल पर रखना चाहिए, यदि जो कुछ वह कह रहे हैं उसके विपरीत बात साबित होती है तो उन्हें विशेषाधिकार के प्रस्ताव का सामना करना होगा ...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: महोदय, मैं आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज को प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं। मैं इसे सभा पटल पर अपने हस्ताक्षर करके रखूंगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और बीच में बाते न करें। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलि नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण को कनक्लूड करना चाहता हूं। अगर माननीय मंत्री जी को माइनारिटी कम्युनिटी के बारे में सोचना था, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्लीज़ रनिंग कमेंट्री न करें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: उपाध्यक्ष महोदय, ये उससे आगे नहीं जा सकते। ये कंपटीशन के लिए विधेयक लाए हैं। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि यह राजनीति से प्रेरित है और मुसलमान वोट बैंक की लालसा से लाया गया है। यह कांग्रेस की अन्दरूनी कलह के कारण अपने को ऊंचा उठाने के विचार से लाया गया विधेयक है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इस हेतु आपको धन्यवाद।

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से यू.पी.ए. सरकार, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री मनमोहन सिंह और श्री अर्जुन सिंह को मुबारकवाद देता हूं कि इन्होंने 50 साल में माइनारिटीज के लिए, माइनारिटीज एजूकेशन राइट्स को प्रोटैक्शन देने के लिए, माइनारिटीज को दूसरे सैक्शन्स के मुकाबले काबिल बनाने के लिए, कंपीट करने के लिए, जो ऐतिहासिक बिल इस सदन में पेश किया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बिल का वैलकम करता हूं।

सर, दो रोज से इस बिल पर चर्चा चल रही है। यह विषय माइनारिटीज को एजूकेशन की मैकेनिज्म से जोड़ने, एफीलिएशन और रिकागनीशन के लिए है। दो दिन की चर्चा में बहुत सारे आनरेबल मैम्बर्स इस मैटर को डायवर्ट कर रहे हैं और टैक्नीकलिटीज की बात करके जा रहा है कि एम.सी.ई. को ओवरटेक किया जा रहा है, डी.सी.आई. को, ए.आई.टी.ई.सी. को, सारे नार्म्स को खत्म किया जा रहा है, यह बात बिलकुल नहीं है। इस बिल में यह बात स्पष्ट रूप से रखी गई है कि छः यूनिवर्सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है। इन यूनिवर्सिटीज से एफीलिएशन के लिए जा सकते हैं। जब यूनीवर्सिटीज से एफीलिएशन होती है, तो उसके कुछ नार्म्स होते हैं, कुछ गाइडलाइन्स होती हैं, कुछ स्टेंडर्ड्स होते हैं, जिन्हें मैनटेन करने के लिए मैकेनिज्म होता है। उसका एक सिस्टम है। उस सिस्टम को फौलो करने के लिए छः यूनिवर्सिटीज आइडेंटीफाई की गई हैं, लेकिन ऐसी बात कहना कि यह ओवरटेक की जा रही हैं, यह बिलकुल अलग बात है।

एक माननीय सदस्य ने यह बात कही कि प्राइमरी एजूकेशन के लिए, माइनारिटीज के लिए, सरकार कुछ नहीं कर रही है बल्कि जितना भी किया जा रहा है वह प्रौफेशनल एजूकेशन के लिए किया जा रहा है। मैं उस तरफ से ऐसा कहने वाले मैम्बर्स का भी स्वागत करता हूं कि कम से कम उस साइड से इतनी हमदर्दी तो दिखाई। यह इशारा है कि माइनारिटीज के लिए प्राइमरी एजूकेशन को फ्री किया जाए। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर माइनारिटीज के लिए प्रावधान किया जाता है, तो उसमें इस बिल को पास करने में कहां बाधा आती है। इसलिए मेरा कहना है कि इस बिल को न रोका जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री इकबाल अहमद सरडगी: सर, हमने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में श्री अर्जुन सिंह जी के सामने एक प्रस्ताव दिया था कि हिन्दुस्तान के सारे प्रौफेशनल कालेजेज में एक अनसरटेंटी है, यूनेनिमिटी नहीं है, एक कामन लैजिस्लेशन नहीं है, इसलिए ऐसा कोई सेंट्रल कानून लाया जाना चाहिए जिसके तहत सारी इंस्टीट्यूशन्स में यूनैनिमिटी आए। इसलिए सेंट्रल लैजिस्लेशन लाने के विचार से श्री अर्जुन सिंह ने उस समय हमारी इस बात को मानने का वायदा किया था। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं कि यू.पी.ए. सरकार की तरफ से यह बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है। ऐसा बिल हमें पिछले 50 साल में कांग्रेस के शासन में देखने को नहीं मिला।

हमें यह देखना है कि माइनारिटीज के लिए कांस्टीट्यूशन में क्या व्यवस्था है। कांस्टीट्यूशन के आर्टीकल 32 में कहा गया है—

[अनुवाद]

विभिन्न राज्यों में काफी अस्पष्टता रही है। प्रत्येक निर्णय में अलग व्याख्याएं दी गई हैं। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के प्रवेश के लिए शत-प्रतिशत गारंटी नहीं दी गई है। फिर भी उसमें अस्पष्टता और विवाद है। इस मुद्दे पर स्पष्टता होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए विधेयक लाया जा रहा है। आर्टीकल 32 में जो राइट्स दिए गए हैं, जो प्रिवलेज दिए गए हैं, उनमें शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और चलाना भी शामिल है।

[हिन्दी]

उसमें ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म लाने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं इसका सपोर्ट करता हूं।

यह बात जाहिर है कि कुछ मैम्बर्स कहते हैं कि वहां मिसयूज किया जाता है, वायलेशन होते हैं, मीटिंगों में नहीं आते हैं। इसके लिए रूल्स होते हैं। कल ही हैल्थ मिनिस्टर साहब ने एक स्टार्ड क्वश्चन के जवाब में कहा है कि उसके लिए अलग सिस्टम है।

उसके लिए एक सिस्टम है, लेकिन अगर कहीं ऐसा मिसयूस होता है तो वहां इस बिल को रोकने का कोई अधिकार नहीं बनता है। हिन्दुस्तान में 50-60 साल में एक ऐसा बिल आया है, जो माइनोरिटीज को कांफीडेंस, एतमाद और एम्पावरमेंट देता है तथा

कांफीडेंस माइनोरिटी मे कांफीडेंस आता है। इसलिए मैं इस बिल का उन लाखों-करोड़ों माइनोरिटीज की तरफ से स्वागत करता हूं। इस बिल को लाने के लिए यूपीए गवर्नमेंट के श्री अर्जुन सिंह जी को मैं बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बेल्लारमिन जी, साढ़े चार बजे मंत्री जी ने रिप्लाई देना है, आप सिर्फ दो मिनट बोल लीजिए।

[अनुवाद]

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नगरकोइल): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने माननीय मंत्री जी को विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए बधाई देता हूं।

हमारी क्षेत्रीय एकता सभी लोगों की भावात्मक एकता के ऊपर निर्भर करती है। अनेक जातीय, भाषा और धार्मिक समूहों वाले हमारे जैसे देश में प्रत्येक वर्ग को विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। समानता की धारणा खासकर कमजोर वर्गों के बीच एकता के लक्ष्य की प्राप्ति की वकालत कम्यूनिस्ट जैसे लोगों ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की ताकतों द्वारा की है। मैं अपनी सार्वभौमिक नजरिये से किसी विशेष धर्म तक सीमित नहीं रख सकता हूं। लेकिन मैं कतिपय चीजों की उपेक्षा नहीं कर सकता हूं। हम सभी जानते है कि ईसाई लोकाचार की उत्पत्ति लोकतंत्र और समतावाद पर आधारित समाजवाद जैसे आदर्शों की धारणा के रूप में हुई है।

इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई ही अग्रणीय रहे हैं। चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी वे जाने जाते हैं। विकलांगों और कमजोर वर्गों की संस्थागत देख-रेख मदर टरेसा जैसे नाम से सभी परिचित हैं।

हम इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि मुसलमानों ने पुरुषों के बीच समानता पर बल देकर भारत की सामाजिक उत्पत्ति पर व्यापक प्रभाव डाला है। भारतीय कला, संगीत, वास्तुशिल्प, साहित्य, सामाजिक व्यवहार के मानदंडों आदि की सृजनात्मक उत्पत्ति पर भी इसलामी प्रभाव पड़ा है।

अब, हमें राष्ट्रीय जीवन के उस चरण में आना होगा जहां विभिन्न समुदायों के बीच नई रूपरेखाएं आपसी निर्भरता पर उभर रही हैं। हम सृजनात्मक सौहार्द और सहनशीलता के युग की बहाली चाहते हैं। इसलिए, हम भारत के विकास के कार्य में अपने अल्पसंख्यक भाइयों को सहयोगियों के रूप में देखते हैं। इसका कारण यह है कि हम सभी आम भारतीय विरासत और भाषा, लोकगीत, खेल और संगीत का आपस में आनन्द उठाते हैं।

भारतीय लोकतंत्र और उदार भारतीय समाज को अपनी शिकायतों को बताने और उनका निवारण करवाने के लिए पर्याप्त और कारगर साधनों की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया जाना इस दिशा में सही कदम है। माननीय सदस्य श्री सिबैस्टियन पाल द्वारा परसों उल्लिखित कमियों पर भी विचार किया जाए ताकि इन्हें दूर किया जा सके।

इस विधेयक का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को उन संस्थाओं को चलाने के लिए प्रदत्त संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करना है जिन्हें वे स्थापित करते हैं। यह विधेयक अल्पसंख्यक संस्थाओं के कुशल कार्यकरण को सुचारू बनाने और उस तंत्र की बात करता है जो कि सभी अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करता है।

वर्षों से अल्पंसख्यकों को अपने लोकाचारों के अनुसार संस्थाएं खोलने और उन्हें चलाने के अधिकारों को धीरे-धीरे करके कम किया जाता रहा है। यह विधेयक जांच और सन्तुलन स्थापित करने की बात करता है। अब से इस विधेयक के संसदीय रिकार्ड में एक आयोग टकरावों की जांच करेगा और उन्हें दूर करेगा। शैक्षिक संस्थाओं विशेषकर व्यावसायिक संस्थानों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया जाएगा। वे छह हैं। चूंकि यह छह विश्वविद्यालय सभी राज्यों में नहीं आ पाते इसलिए कुछ और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को खोला जाए।

यहां, मैं अपील करना चाहूंगा। तमिलनाडु में कन्याकुमारी क्षेत्र और नेलाई क्षेत्र में पलायमकोटाई पठन-पाठन की परम्पारगत सीटें हैं और देश के इस भाग में अल्पसंख्यकों द्वारा कई शिक्षा संस्थाएं चलाई जा रही हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से कन्याकुमारी में एक ऐसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध करता हूं जो कि इस क्षेत्र में सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए शीर्ष विश्वविद्यालय होगा। यह तमिलनाडु और केरल या इन दो राज्यों के दक्षिणी भागों में स्थित ऐसे सभी शैक्षणिक निकायों को शामिल करेगा।

मैं आशा करता हूं कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय आयोग के अधिकार के कुशल निष्पादन की मेरी मांग के अनुसार यह होगा ही।

मैं विधेयक की इस विचारधारा का स्वागत करता हूं कि अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर महिलाओं तथा उनके बीच कमजोर वर्गों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के दायित्व का निर्वहन ऐसे समुदायों को स्वयं सशक्त करने से संभव है।

आदेश के अनुसार प्रस्तावित आयोग एक ओर राज्य प्रशासन तथा राज्य के विश्वविद्यालयों के बीच और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक

[श्री ए.वी. बेल्लारमिन]

संस्थान प्रबंधनों के बीच विरोधों तथा विवादों का निपटारा करेगा। यहां, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रबंधनों को अल्पसंख्यक संस्थानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवा शर्तें सुनिश्चित करनी चाहिए।

शिक्षा प्रसार का लाभ पाने के लिए अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने का सुविचार सराहनीय है। ऐसा देखा गया है कि विकसित देशों की 80 प्रतिशत जनसंख्या को शैक्षणिक सुविधाएं मिली हुई हैं।

अंतत: मैं यह आशंका व्यक्त करना चाहता हूं कि संवैधानिक दर्जा न होने के कारण यह आयोग प्रभावी साबित नहीं होगा अथवा यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के समान ही होगा। इस आयोग को कुछ सिविल मामलों का केवल मध्यस्थ बनकर नहीं रहना चाहिए। बल्कि इसे सभी उपेक्षित समुदायों को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल कर एक सभ्य समाज का निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए।

इन टिप्पणियों के साथ अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): उपाध्यक्ष जी, जो बिल सरकार लाई है, ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ वायदे किये थे और उन वायदों को निभाने के लिए नेशनल कमीशन का कामन मिनिमम प्रोग्राम के मुताबिक यह बिल लाया गया है।

असल में यह बिल अगर ठीक तरह से लाया गया होता तो और भी अच्छा होता। इसके उद्देश्य में यह स्पष्ट किया गया है कि

[अनुवाद]

> "अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों में उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तथा उन्हें चलाने में आ रही परेशानी भी एक मुद्दा है।"

[हिन्दी]

यह छोटी सी बात थी। अगर इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो 50 साल इन्होंने राज किया, कांग्रेस का ही राज था तो इसके लिए बिल लाने की जरूरत नहीं होती। अगर कांस्टीट्यूशन में यह प्रावधान है कि कोई भी माइनोरिटी का आदमी, कोई भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन से एफीलिएशन हो सकता है। इसमें एक दूसरी बात दिखाई दे रही है कि यह नेशनल कमीशन का जो बिल है, यह तो ऐसा लगता है कि आप माइनोरिटी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। अगर आपको माइनोरिटी यूनिवर्सिटी बनानी है तो उसका नाम आप अलग रख दीजिए, इसे क्लियरली माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन बना दीजिए। इसमें अगर ऐसा किया गया तो जो भेदभाव है, वह और बढ़ जायेगा। जो बच्चे आज स्कूल और कालेज में जा रहे हैं, उनके मन में क्या आयेगा, जो यहां से रिजल्ट्स निकलते हैं, उसमें यह आयोग कि यह माइनोरिटी स्कूल का बच्चा है, वहां से पढ़कर आया है तो उसका भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए उसे अलग नहीं करना चाहिए।

मेरे मन में बार-बार एक क्वैश्चन आता है, जब भी मैं कांस्टीट्यूशन पढ़ता हूं तो मुझे कहीं भी माइनोरिटी डैफीनिशन नहीं मिलती है। मैंने काफी किताबें देखी हैं, मैंने डेफीनिशन देखने की कोशिश की, लेकिन कोई भी माइनोरिटी की डैफीनिशन ठीक से नहीं बताती। अगर सरकार इसे क्लैरीफाई करे कि "अल्पसंख्यक" का क्या अर्थ है? इसमें भी इन्होंने जो डैफीनिशन में बताया है, वह भी ठीक नहीं है, उससे भी क्लैरीफाई नहीं होता।

[अनुवाद]

> "अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान" का अर्थ है, अल्पसंख्यकों में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थापित अथवा चलाया जा रहा कालेज अथवा संस्थान (विश्वविद्यालय के अलावा)।"

इसका क्या अर्थ है?

[हिन्दी]

पहले माइनारिटी की डैफीनेशन तय कीजिए। अगर आप माइनारिटी की डैफीनेशन ही तय नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यह बिल ठीक पेस हो रहा है। यदि आपने कोई वायदे किए होंगे, हम भी चाहते हैं कि मुस्लिम का भला हो, माइनारिटी का भला हो। अगर आप अल्पसंख्यकों का भला चाहते हैं तो ऐसा विधेयक मत लाइए। आप अल्पसंख्यकों को मेनस्ट्रीम से अलग कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि जातिवाद और धर्मवाद मत बढ़ाइए।

मैं यहां पहली बार चुनकर आया हूं। मैं सब माननीय सदस्यों की बात सुन रहा हूं। हर सदस्य इसमें पोलीटिक्स ले आते हैं, अपना विषय छोड़कर दूसरे विषय में चले जाते हैं। सदन में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पहली बार चुनकर आया हूं लेकिन मेरी सोच है कि जिस विषय पर बहस हो रही हो, उस विषय पर ही बोला जाए, उसमें राजनीति कम होनी चाहिए।

मेरा डिस्ट्रिक्ट अकोला है। अभी माननीय मंत्री, श्री गुलाम नबी आजाद यहां उपस्थित नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने एक इंस्टीट्यूट खोला है जिसका नाम गुलाम नबी आजाद कालेज रखा है। उसमें सभी माइनारिटीज के बच्चे-हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और ईसाई-एक जगह पढ़ रहे हैं। अगर आप मुस्लिम समाज को मेनस्ट्रीम से अलग करना चाहेंगे, आप कर देंगे, तो इसका ठीक मैसेज नहीं जाएगा। मैं सोच रहा था कि सही मायने में इस बिल की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले से ही माइनारिटी कमीशन है। इसमें आप जो अधिकार दे रहे हैं, वे सब उनको दे दें। इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन करने की बात छोटी सी है। आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। इस समय हमारे पास जो कमीशन है, उसी कमीशन को सारे अधिकार दे दें। इस बिल से आप एक और चेयरमैन बढ़ाएंगे, आफिस बढ़ाएंगे, खर्च बढ़ाएंगे और एक पोलीटिकल पोस्ट क्रिएट कर देंगे और वह कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरी विनती है कि अभी जो माइनारिटी कमीशन है, उसे सारे अधिकर दे दें। इस बिल को लाने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अलीमाऊ चर्चील (मारमुगाओ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। भारत के कुछ राज्यों में राज्य सरकारें, अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों के कार्यकरण में हस्तक्षेप कर रही हैं। मेरे राज्य गोवा में राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों, विशेषकर चर्च द्वारा संचालित डायसिसन शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत संस्थानों में सक्रिय हस्तक्षेप कर रही है। 1961 में राज्य को पुर्तगाली शासन से मुक्ति के समय से इन संस्थानों के प्रबंधन ने पूरे राज्य में स्कूलों और कालेजों की स्थापना में योगदान किया है। आज सरकार युरूह प्रशासनिक प्रणालियों के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया का निरीक्षण करती है और इन कान्वैंट स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर भी बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए आमतौर पर राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के प्रमुख नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं।

महोदय, भाजपा ने भगवाकरण के अतिरिक्त यह अनूठा तरीका अपनाया है जिसके कारण अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों तथा माता-पिता को अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए भाजपा नेताओं की शरण में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

इसके विपरीत पोरवोरिम में विद्या प्रबोधिनी स्कूल, जिसे कि आर एस एस से संबद्ध एक संगठन द्वारा चलाया जाता है, को गोवा बोर्ड आफ सेकेंडरी एण्ड हाई सेकेंडरी एजुकेशन में प्रश्न-पत्र लीक होने से लाभ हुआ। दोषियों को पकड़ा नहीं गया तथा जांच भी रूक गई है।

महोदय, मैं सभा से शैक्षणिक संस्थानों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय प्रबंधन द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में हस्तक्षेप रोकने के तरीके ढूंढने तथा इस देश में सभी के लिए समान कानून अपनाने का अनुरोध करता हूं।

मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का आह्वान करता हूं कि जो मामला मैंने उठाया है, उस पर ध्यान दे।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग, विधेयक, 2004 का समर्थन करता हूं। महोदय, यह विधेयक, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में लोगों से किए गए वादे को पूरा करता है। अल्पसंख्यक संस्थानों के संरक्षण के लिए इसे एक अध्यादेश तथा बाद में यह विधेयक लाकर मूर्त्त रूप प्रदान किया गया है।

महोदय, संविधान के अनुच्छेद 30 और 31 में अल्पसंख्यकों को कई रक्षाकवच प्रदान किए गए हैं। परन्तु यह विधेयक इन समुदायों की कुछ व्यवहार्य रूकावटों को भी दूर करेगा। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को अवसर विशेषकर शिक्षा और रोजगार में पूर्ण समानता प्रदान करने का वादा किया गया था। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए इस वादे को इस विधेयक के रूप में पूरा किया गया है।

यह विधेयक, उल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखने में राज्य को एक तंत्र प्रदान करेगा। इस विधेयक से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा व्यावसायिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के समूहों को कुछ कार्य करने तथा इन अल्पसंस्खयकों की मदद करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर शिक्षाविद, समुदाय के नेता तथा अल्पसंख्यक संस्थानों की एसोसिएशनें लंबे समय से यह मांग कर रही थीं।

मैं यह विधेयक लाने के लिए माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। अपनी पार्टी की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह विधेयक लाने के लिए माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं जैसे कि एक माननीय सदस्य ने केरल की बात की।

इस संदर्भ में केरल को याद कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वक्कम अब्दुल कादर को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। फांसी पर चढ़ने से एक दिन पहले उन्होंने अपनी मां को

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

लिखा। इस देश को एक दिन स्वाधीनता मिलेगी। मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा मैं मर जाऊंगा परन्तु मेरे हिन्दू भाई आपकी और परिवार की देखभाल करेंगे। केरल में इस प्रकार का इतिहास भी है। जब हम केरल की बात करते हैं तो हम वक्कम अब्दुल कादर की बात करते हैं, जोकि हमारा भगत सिंह है।

विधेयक का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के उपेक्षित सदस्यों को कुछ सम्मान तथा कुछ अवसर देना है। मेरा विचार है कि लोकतंत्र में सभी को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए तथा सामाजिक न्याय के लिए इस शृंखला की अंतिम कड़ी को मजबूत किया जाना चाहिए। अत: अल्पसंख्यक हमारे समाज की चिंता का विषय है। हमारा समाज मिश्रित है।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बोलना चाहता। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। परन्तु मैं संक्षेप में एक-दो बातें कहना चाहता हूं। भाड़े के लोग अथवा ऐसे लोग जो इस विधेयक का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें इस विधेयक का दुरूपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कालेज या प्रशिक्षण संस्थान, जो भी चाहे, खोल सकता है। वे इसे संबद्ध करा सकता है या फिर उसे बेनामी रूप से चलाएगा। जैसा कि मेरे मित्र डा. सिबैस्टियन पाल ने कल कहा था। यदि ऐसी बातों को अनुमति दी जाती है तो इस विधेयक का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

केरल में भी चर्चो द्वारा बढ़िया संस्थान चलाए जा रहे हैं। श्री पी.के. वासुदेवन नायर ने उनके बारे में बात की। एम ई एस जैसे मुस्लिम संस्थान बढ़िया कुछ मतभेद हैं। वह एक अलग बात है। परन्तु अल्पसंख्यक के नाम पर कोई भी आकर कहे कि वह अल्पसंख्यक है और वह संस्थान चलाना चाहता है तथा वह उसका व्यावसायिक उद्देश्य के लिए दुरूपयोग करे तो मैं समझता हूं कि इससे अल्पसंख्कों को लाभ नहीं होगा।

अपराह्न 4.02 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

मुझे एक या दो बातों का पता चला है। पहली बात अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने की है। दूसरी बात यह है कि बिल में कहा गया है कि विवादों का निपटारा करने में सरकार का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। दूसरी तरफ बिल में कहा गया है कि इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मैं सोचता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक है। निर्णय के विरुद्ध अपील होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इस बिल में कहा गया है कि यदि किसी अल्पसंख्यक संस्था और विश्वविद्यालय के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आयोग का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। सामान्यत: विश्वविद्यालय सम्बद्धता के संबंध में निर्णय लेता है इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी भूमिका होती है। इस मामले में यदि कोई विश्वविद्यालय किसी विशेष संस्थान को सम्बद्धता देने से मना करता है तो आयोग में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। मुझे लगता है कि कहीं इससे विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शक्तियां समाप्त न हो जाए। अपने स्वयं के पाठ्यक्रम और परीक्षाओं की व्यवस्था अपनाने वाले कुछ संस्थाओं ने सम्बद्धता के लिए अनुरोध किया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन संस्थाओं में योग्यता आधारित नियुक्तियों, सामान्य प्रवेश परीक्षाओं और संकाय (फैकल्टी) नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए कोई शर्त है। मैं सोचता हूं कि हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए।

वास्तव में, जैसाकि एक माननीय सदस्य ने कहा है और इस अवधि के दौरान मैं सोचता हूं कि इस विधेयक को उपयुक्त बनाया जा सकता है। हमें यह आशंका है कि इससे राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण न हो क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री ने स्वयं ही संशोधन का प्रस्ताव किया है। मैं इस मुद्दे पर और अधिक बात नहीं करना चाहता। सामान्यत: मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम जब कभी अल्पसंख्यकों की बात करते है तो कोई कह रहा था कि इस देश के लिए अल्पंसख्यक बहुत ही खतरनाक है। ऐसा नहीं है। यह बहुसंख्यक में कुछ लोगों का दंभ है जो अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति जी, आज अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जो बिल लाया गया है, हम उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। यह बिल एक महत्वपूर्ण बिल है और बहुत ही सतही तौर पर मापे जाने की कोशिश विपक्ष के सदस्यों ने की है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश में जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संविधान में सुरक्षा का प्रावधान है। सुरक्षा के विभिन्न तरीके हैं। उनमें से एक तरीका यह भी है कि जहां पर उनके हितों की बात को नजरअंदाज किया जाता हो या फिर पूरे तरह से अपने आप को एक्सप्रैस नहीं कर पाते हों, उसी के तहत यह जो आर्डिनेंस है या आयोग का गठन किया जाना है या किया जा रहा है, हम उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

विश्लेषण भिन्न-भिन्न तरीकों से किए गए हैं। माननीय सदस्य स्वामी जी ने कहा कि देश का सेक्यूलर स्ट्रक्चर है, संविधान

सेक्लयर फाउंडेशन पर टिका हुआ है इसलिए यह भेदभाव की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को सप्रैस्स किया जाता रहा हो, जिनकी संख्या कम होने की वजह से उनके हितों को नजरअंदाज किया जाता रहा हो, ऐसे सिस्टम में सिक्योरिटी के लिए इस तरह के आयोग के गठन की आवश्यकता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा भेदभाव वे लोग कर रहे हैं, जो गुजरात जैसी स्थिति पूरे देश में पैदा करने की अनवरत कोशिश करते रहते हैं। हर मौके पर, जब भी इस तरह के सुरक्षात्मक नियम-कानूनों की बात होती है, वे उनका विरोध करते हैं। हम जो अच्छे-अच्छे संस्थान चला रहे हैं, जिन्हें नार्मल चैनल में मालाफाइड इंटेंशन के साथ अवरोधित किया जाता रहा है, वैसे आर्गनाइजेशंस को ऐसे आयोग के माध्यम से इन्साफ मिल सकता है। यूपीए की सरकार की इस सराहनीय कोशिश के लिए हम शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए हमारे संविधान में प्रावधान है। उसके तहत जिस तरह का रिजर्वेशन देना है और उसके लिए जैसा प्रावधान करना है, वैसी डिप्राइव क्लास जो है, डाउनट्राडन है, उनके लिए उसी तरह की व्यवस्था इस आयोग के माध्यम से की जा रही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। यह हमारी यूपीए सरकार में सामाजिक और राजनीति के उच्च मूल्यों का द्योतक दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं अपनी ओर से और अपने राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस बिल का भरपूर समर्थन करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक, 2004 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों की राय इस बिल के पक्ष और विरोध में आई है। आज देश में मुस्लिम अकलियत भाइयों की संख्या 13-14 करोड़ है। इनके अलावा सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट भी आते हैं। लेकिन अगर हम इन सब जातियों का मूल्यांकन करें, तो सबसे ज्यादा आर्थिक और सामाजिक दयनीय स्थिति मुस्लिम अकलियत की है। यूपीए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का मुस्लिम भाइयों के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है, जो कि कम है। मैं चाहूंगा कि इसे और बढ़ाया जाए।

उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ भी हमारे विरोधियों ने इशारा किया। आदित्यनाथ जी यहां बैठे हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी अली जौहर जी के नाम से वहां जो विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, उस संबंध में दो बार वहां की विधान सभा में प्रस्ताव पारित हो चुका है। उस विश्वविद्यालय में केवल मुस्लिम छात्र ही नहीं पढ़ेंगे ...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: हमें उस पर विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि आजम खां जैसे व्यक्ति उसके कुलपति होंगे।

सभापति महोदय: आप टोका-टाकी करके उन्हें डिस्टर्ब न करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार: आप उसमें संशोधन करें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: शैलेन्द्र जी, आप चेयर को एड्रैस करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार ने जो कहा है उसके अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आदित्यनाथ जी, आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: आप अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस विश्वविद्यालय में केवल मुस्लिम बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि तमाम जाति और धर्मों के बच्चे भी पढ़ने आएंगे।

उसमें मैडिकल, इंजीनियरिंग आदि सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। लेकिन अफसोस की बात है कि विपक्ष का कोई भी सदस्य जब खड़ा होता है तो उसका चश्मा धुंधला हो जाता है। इनका काम केवल मुस्लिम के नाम पर विरोध करना ही रह जाता है। चाहे कोई भी क्षेत्र रहा हो, मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान इस देश में रहा है। लड़ाई की बात आती है तो इस देश में वीर अब्दुल हमीद पैदा हुआ है, ब्रुश अगर हाथ में आया तो फिदा हुसैन पैदा हुआ है और संगीत में मौ. रफी तलत महमूद, बिस्मिल्ला खां, जाकिर हुसैन जैसे लोग पैदा हुए हैं। खेल के क्षेत्र में मो. अजरूद्दीन, मो. कैफ और इरफान पठान जैसे खिलाड़ी हैं तो वैज्ञानिक के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग इस देश में पैदा हुए हैं। इसलिए अपने विपक्ष के साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि वे दुराग्रह के चश्में से न देखें, बल्कि देश की जो वास्तविक स्थिति है, उस पर विचार करें। पिछले दशक की ओर जाकर देखें तो नौकरियों में अक्लियतों की संख्या 50-50 प्रतिशत

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

थी लेकिन आज वह एक-दो प्रतिशत रह गयी। उनमें बेरोजगारी भी सबसे अधिक बढ़ी हुई है। इसलिए सभापति जी, मैं ज्यादा न कहते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री समिक लाहिरी (डायमंड हार्बर): सभापति जी, सबसे पहले सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक, 2004 लाई है। इस बिल को लाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर पिछले एक दशक से माइनोरिटीज इंस्टीट्यूशन्स पर हमला न हुआ होता। पिछले एक दशक में, हमारी अल्पसंख्यक संस्थाओं पर, कुछ प्रदेशों में फिजिकली हमला किया गया है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसी कुछ राजनीतिक ताकतें जोकि सरकार में बैठी हुई हैं, उन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। अगर यह न हुआ होता तो आज यह जो प्रोटैक्शन की बात हो रही है, वह न होती। सरकार ने जो बिल ड्राफ्ट किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस बिल के दो-तीन पहलू और हैं, जिन पर सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। पहली बात तो यह है कि हमारे देश में माइनोरिटीज इंस्टीट्यूशन्स बहुत दिनों से इस देश में चल रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इन इंस्टीट्यूशन्स में कमिर्शयलाइजेसन बैकडोर से न हो, इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। इसके कारण हमारी शिक्षण संस्थाओं में बहुत भयानक स्थिति पैदा हो गयी है। इसको रोकने का प्रावधान भी किया जाए, यह मैं सरकार से गुजारिश करूंगा। हमारे देश में शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में है। प्रादेशिक सरकारों को भी कांफिडेंस में लिया जाए, सरकार को यह भी देखना होगा।

तीसरा बात यह है कि इस बिल में 6 विश्वविद्यालयों के नाम इन्होंने लिये हैं लेकिन ये बढ़ भी सकते हैं क्योंकि अगर एक प्रांत के जो माइनोरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को दूसरे प्रांत में एफीलिएशन लेना पड़ेगा तो मुश्किल होगा। यह भी देखना पड़ेगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्नस जो कानून बन रहा है, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए जो एग्जिस्टिंग एफीलिएशन है, उसको छोड़कर दूसरी ओर कई इंस्टीट्यूशन भाग रहे हैं। कम से कम यह न हो। जो रूल फ्रेम किया जाएगा, वह एक्ट के अंदर ही उस रूल में उसका प्रावधान होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): जो बिल पेश किया गया है, मैं उसकी ताईद में खड़ा हुआ हूं। जो करारदात ऐवान में रखी गई है, मैं उसकी मुखालफत में खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले सरदार पटेल जी की बात को कोट करना चाहूंगा जो एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे।

[अनुवाद]

उन्होंने 28 फरवरी, 1947 के अपने भाषण में कहा था:

"भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति हमसे अधिक कोई और चिंतित नहीं हो सकता। हमारी चिंता प्रत्येक के हित को पूरा करना और अल्पसंख्यकों के सभी हितों की सुरक्षा के उपाय करना है।"

यह बी. शिवा राव द्वारा लिखी गई 'फ्रेमिंग आफ इंडियाज कांस्टिट्यूशन' (सेलेक्टेड डाक्यूमेंट्स, खण्ड 2, पृष्ठ 68) में उल्लिखित है।

अब जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 30 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए पिछले 50 वर्षों में पहली बार गंभीर प्रयास किया गया है। हमारे संविधान में अनेक नीति निर्देशक सिद्धान्त हैं। इनमें से एक गायों के वध का निषेध करता है। 1980 में विभिन्न राज्य सरकारों ने इस संबंध में कानून बनाया था क्योंकि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्त ऐसा कहते थे। यह सरकार संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए गंभीर प्रयास कर रही है जिसके तहत अल्पसंख्यकों को महाविद्यालय खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार दिया गया है। वस्तुतः यह अल्पसंख्यकों को दिया गया अधिकारों का चार्टर है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों पर गौर करें। खंड 2(क) के संबंध में, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि "अनुसूचित विश्वविद्यालय" की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे "पसंदीदा विश्वविद्यालय" लिखा जाए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि बोर्ड को शामिल किया जाए। इसका अभिप्राय उन निकायों से है जो किसी भी राज्य में कक्षा आठ, दस और बारह की परीक्षाएं आयोजित करते हैं और उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त इसका अभिप्राय किसी विद्यालय, महाविद्यालय या संस्थान से है जिसमें अल्पसंख्यकों के किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा स्थापित और संचालित विश्वविद्यालय भी शामिल है।

जहां तक योग्यता का संबंध है, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसका अभिप्राय बोर्ड, परिषद् या विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कोई डिप्लोमा या एक डिग्री या कोई अन्य योग्यता होनी चाहिए।

अध्याय 3 के संबंध में मेरा सुझाव है कि वर्तमान में लागू अन्य किसी कानून के होते हुए भी एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक

संस्था किसी भी बोर्ड परिषद या विश्वविद्यालय से अनुमति, अनुमोदन, मान्यता या सम्बद्धता प्राप्त कर सकती है। जहां तक अध्याय 4 का संबंध में मेरी अनुरोध है कि किसी भी बोर्ड, परिषद या विश्वविद्यालय द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन के लिए अनुमोदन, मान्यता अनुमति या सम्बद्धता देने संबंधी अधिकारों का उल्लंघन के संबंध में कोई विशेष शिकायतों पर गौर किया जाना चाहिए और इसके निष्कर्षों को केन्द्र सरकार को भेजनी चाहिए। अध्याय 6 के खंड 18(1) को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि एक ''अनुसूचित विश्वविद्यालय'' की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे ''अपनी पसंद का विश्वविद्यालय'' बनाया जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 किए जाने संबंधी मेरे सुझाव पर गौर किया जाए। यह बिल केवल तकनीकी शिक्षा की बात करता है लेकिन यह बिल चिकित्सा शिक्षा, दंत चिकित्सा इत्यादि के बारे में कुछ नहीं करता। इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यदि आप धारा '2' में 'परिषद' जोड़ेंगे तो इसका अभिप्राय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक 'सांविधिक निकाय' होगा जो चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा देने वाले संस्थानों को मान्यता देने संबंधी मानदंड और मानकों का सृजन करेगा। आज यह बिल केवल तकनीकी शिक्षा की बात करता है।

इस बिल को लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार संबद्धता प्रदान करने में जरा सा भी उत्सुक नहीं है। अब, यदि राज्य सरकारों को पुनः यह शक्तियां दी गई तो इसका दुरूपयोग किया जा सकता है।

[हिन्दी]

परसों श्री रावत बहुत अच्छा शेर बोले। उन्होंने कहा कि ''इब्तदाए इश्क है, आगे देखिए होता है क्या'' फिर उन्होंने कहा कि ''शुरूआत अच्छी अंजाम बुरा है'' पांच साल जब उनकी हुकूमत थी तो हिन्दोस्तां एक गुलिस्तां था। आपने इस गुलिस्तां को उजाड़ने की पूरी कोशिश की। इस पर एक शायर ने जो शेर कहा, उसकी सही अकासी आप लोगों के दौरे हुकूमत पर पड़ती है कि ''बरबादी ये गुल्सितां के लिए एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा'' आपने कहा- इब्तादये इश्क है। इकबाल ने भी आपके लिए बड़ी अच्छी बात कही है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सर, यह शेर गलत पढ़ रहे हैं। शेर इस तरह से है- इब्तदाये इश्क है रोता है क्या, आगे-आगे देखिये होता है क्या।

मुझे बेहद तकलीफ होती है कि जिन लोगों का उर्दू अदब से रिश्ता है, जो उर्दू भाषा को जानते हैं, वे लोग शेर गलत पढ़ते हैं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: मैंने पूरा शेर नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ मिसरा पढ़ा था। इकबाल ने कहा है-

''कनात न कर आलमे रंगो बू पर,
मुकामात आहोफुगां और भी हैं।''

चेयरमैन साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि जिन बातों को मैंने यहां रखा है, मंत्री जी उन पर गौर करेंगे, जायजा लेंगे और यह कोशिश सही सिम्त में है। आप सही काम कर रहे हैं। पिछले पांच सालों में ह्यूमैन रिसोर्स डेवलपमैन्ट मिनिस्ट्री को संघ परिवार का एक सिस्टर आर्गेनाइजेशन बना दिया गया था। लेकिन अब सही तरीके से काम हो रहा है। जो सजेशंस आपके सामने रखे गये हैं, अगर आप इन्हें इनकारपोरेट करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): मोहतरम साहिबे सादर, जनाब मैं लम्बी बात शायद नहीं कर पाऊं। लेकिन जो अकलियतों के बारे में यहां इब्तदाई कानून पेश किया गया है, मैं इसकी ताईद में खड़ा हुआ हूं। मैं वजीरे तालीम जनाब अर्जुन सिंह जी को मुबारकबाद पेश करता हूं। यह दुरूस्त बात है कि देर आयद, दुरूस्त आयद। जिन्होंने इस कानून को यहां पेश किया और चंद लम्हों के बाद यह पास भी होगा। बहुत सारे आनरेबल मैम्बर्स ने अपनी तकरीर में इसकी ताईद की और एक अकलियत फिरके के लिए जंगे आजादी के 56 वर्ष गुजर जाने के बाद में जिनके तहाफुज के लिए जो बहुत कुछ करना चाहिए था, वक्त-वक्त की सरकारों ने नहीं किया। आज हमारी यू.पी.ए. की सरकार ने इस कानून को पेश किया है। मैं महसूस करता हूं कि यह हमें फख्र के साथ कहना चाहिए कि उस तरफ के एन.डी.ए. के भाइयों ने बार-बार कांग्रेस का नाम लिया है और वे यह भूल रहे थे। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि उम्र का लिहाज है, तजुर्बे की भी कमी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने बार-बार कहा, उनके अल्फाज जहन में आ रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि जंगे आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी, उस फेहरिश्त में इनका किसी का नाम नहीं है। यह कांग्रेस ही थी, जो इस मुल्क को योजनाबद्ध तरीके से पांच मंसूबों के तहत 45 वर्षों में यहां तक लाई है और जो लकीर इस देश के महान नेता गांधी जी ने खींची थी, बदकिस्मती से चंद वर्षों पहले उस लकीर को टेढ़ा कर दिया गया, जिसे सीधा करने में हमारी यू.पी.ए. सरकार को वक्त दरकार है।

[श्री मदन लाल शर्मा]

मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह वोटों की राजनीति की बात कर रहे थे। लेकिन साहिबे सदर अपनी विसासत से इनको कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कभी वोटों की राजनीति नहीं की। पिछले 56 सालों का इतिहास है, तारीख है। आप कांग्रेस का चुनाव मंशूर निकालकर पढ़ लीजिए, कांग्रेस ने कभी भी इलाके, भाषा और जबान के नाम पर वोट नहीं मांगे, चाहे इक्तेदार में आये या न आये। लेकिन यहां तो ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने मंदिर के नाम पर वोट लेकर इस देश का सत्यानाश किया, इस देश का इस्तेहसाल किया और चाहे वे माइनोरिटी के अकलियतों के तबके हों, उनका क्या बुरा हाल किया। आप पिछले दिनों में गुजरात की हालत देख सकते हैं। ...*(व्यवधान)* कश्मीर की बात पर मेरे साथी चले गये, वह जज्बाती तकरीर कर रहे थे कि कश्मीर से हिंदुओं को निकाल दिया गया। वे यह भूल गये कि जगमोहन साहब इस हाउस के मैम्बर नहीं हैं, क्योंकि मैं कश्मीर का रहने वाला हूं और इत्तेफाक से 1990 तक मैं वहां की सरकार में मंत्री भी था। जब वहां जगमोहन साहब का दौर था।

जब जगमोहन जी वहां के गवर्नर थे तो जैसे यहां बसों में लाल चौक की बात की जाती है, उस समय वहां श्रीनगर में रावलपिंडी कहा जाता था। इस किस्म के वे जो रहनुमां थे, उन्होंने खुद छूट दे रखी थी कि यहां से हिन्दुओं को निकाल दिया जाए। उनकी मंशा उसमें क्या थी कि वहां अकलियत सेफ रहे। अदरवाइज वहां हिन्दुओं को मारा जा रहा था। पिछले 12-13 वर्षों से वहां कौन मर रहे हैं? आज भी सैकड़ों की तादाद में जो लोग मर रहे हैं उसमें हिन्दू नहीं मर रहे हैं, मुस्लिम अकलियत के लोग ही मर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य शर्मा जी, आप विषय पर आइए।

श्री मदन लाल शर्मा: मैं माननीय सदस्य की बात का जवाब दे रहा था। एक आनरेबल मैम्बर ने कहा कि वहां से हिन्दुओं को निकाला गया। मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी देर के बाद अकलियतों की ताकत के लिए यूपीए सरकार ने जो कामन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर हमारा कमिटमैंट है, हमारा वादा है और हम मानते हैं कि कांग्रेस हो या हमारी कोआलिशन सरकार हो, हम जो कहते हैं वह करते हैं।

सभापति महोदय: आप कनक्लूड करें।

श्री मदन लाल शर्मा: आप भी बैठने के लिए कह रहे हैं तो मैं ज्यादा बात न कहते हुए इस बिल की ताईद करते हुए बैठता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री ने जब से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला है तब से वह अल्पसंख्यकों में विश्वास और उनके अधिकारों की सुरक्षा के प्रयत्न कर रहे है। जो पिछले चार-पांच वर्षों के दौरान खतरे में थे।

अब यह बिल किस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है? शिक्षा का अर्थ मात्र ज्ञान का अर्जन ही नहीं है बल्कि इसमें चरित्र निर्माण और संस्कृति का प्रसार भी शामिल है। अत: धार्मिक समुदायों को अपने सदस्यों को शिक्षा देना महत्वपूर्ण है जो शिक्षा उनकी अध्यात्मिक संस्कृतियों और परम्पराओं के अनुरूप हो जब तक कि ऐसी शिक्षा हमारे संविधान की मूल भावना के विरोध में न हो। हमारे संविधान का अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करता है। यह मौलिक अधिकार है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इस समय हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं को हमारे देश के अल्पसंख्यकों पर पवित्र विश्वास था।

लेकिन अब हम क्या देख रहे है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया जा रहा है और अब यह इस स्तर तक पहुंच गया है जहां अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों में उच्चतम न्यायालय द्वारा 50 प्रतिशत निर्धारित सीमा तक अन्य समुदायों के लोग प्रवेश ले सकते है। अल्पसंख्यकों द्वारा इन संस्थानों में भारी निवेश किया गया है इनमें से अनेक तो ऐसे है जो बिना किसी आर्थिक सहायता के चल रहे है। इन संस्थानों का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 30 को ध्यान में रखकर किया गया है संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को इस अधिकार की गारंटी दी गई है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि इस संबंध में एकपक्षीय कार्यवाही न की जाए।

अब यहां पर दूसरी तरफ के मेरे कुछ मित्रों ने इस बिल के कतिपय उपबंधों के संबंध में अपनी शंकाएं व्यक्त की है। सर्वप्रथम इस आयोग के गठन के संबंध में बताया जाना चाहिए और इस आयोग के गठन में इस बात का कुप्रबंध होना चाहिए, जिससे इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय के होने चाहिए।

मैंने उन्हें यह तर्क देते हुए सुना कि यह संविधान के विरुद्ध है और अदालत में यह खारिज हो सकता है।

सभापति महोदय: अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, अभी तो मैंने अपनी बात शुरू भी नहीं की है। यदि आप चाहते हैं तो दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मैं समझता हूं, यह प्रावधान आवश्यक है। यदि संवेदनशीलता, साख और गहरे स्तर की समझ प्राप्त नहीं भी की जा सकती है तो उसे हम आवश्यक बुराई कह सकते हैं।

विश्वविद्यालयों से संबद्धता के संबंध में यहां विश्वविद्यालयों की सूची का उल्लेख है, लेकिन मैं समझता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए.एम.यू.) या बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (बी.एच.यू.) जैसे कुछ और अच्छे विश्वविद्यालयों को इस सूची में शामिल किया जा सकता है।

सम्बद्धता के संबंध में, देश में सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले और सरकारी सहायता प्राप्त नहीं करने वाले संस्थान है। यदि सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले संस्था को शामिल किया जाता है। जो किसी विशेष राज्य में चल रहा हो, अनुसूची में किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्धता चाहता हो तो इससे काफी समस्या हो सकती है। माननीय मंत्री ने एक संशोधन लाया है जो कि बहुत अच्छा है। मैं माननीय मंत्री को इस अवसर पर इस भ्रम को दूर करने के लिए बधाई देता हूं। नहीं तो, जहां तक पाठ्यक्रम, परीक्षा कराने, नियम एवं विनियमन बनाने आदि का संबंध है तो काफी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। अब, माननीय मंत्री ने संशोधन के द्वारा उन सभी मुद्दों को दूर कर दिया है।

सदस्यों के बदलाव के संबंध में, यह कहा गया है कि उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि उन्हें कौन सुनेगा।

सभापति महोदय: श्री जार्ज, अब आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: हां, महोदय, मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अध्याय 4, खंड-2 उपखंड (ख) में "उनकी इच्छा है शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन हेतु अल्पसंख्यकों को वंचित करने का अधिकार का उल्लंघन करने के संबंध में विशेष शिकायतों की जांच करने..." यह उल्लेख किया गया है कि यह आयोग यह कार्य करेगा। मैं समझता हूं, इसे वंचित रखने और उल्लंघन के साथ-साथ एक ओर शब्द इसमें जोड़ा जाना है, वह है, उनकी इच्छा के संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों का दुरूपयोग और सम्बद्धता से संबंधित कोई विवाद।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। टी.एम.ए. पई मामले में, उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा है कि निजी शैक्षिक संस्थाओं या गैर सहायता प्राप्त या स्व-वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश या शुल्क ढांचे को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त विधान लाए। यह कानून अधिकारों की रक्षा के लिए है,

जबकि दूसरा, जिस पर विचार किया जा रहा है, विनियमन के लिए है।

यदि मेरी जानकारी सही है, माननीय मंत्री अगले महीने बंगलौर में शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: इन दो कानूनों में कोई आपसी टकराव नहीं है। कोई अतिव्यापन प्रावधान नहीं होना चाहिए। मैं यह कहूंगा कि संभवत: पिछले कई वर्षों से ऐसा कोई विधान नहीं है जैसा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, करने वाला यह विधेयक है। कानून को पूरी तरह से दोष रहित होना चाहिए और इससे अल्पसंख्यक समुदाय को अवश्य-मदद मिलनी चाहिए। इससे उनमें विश्वास जगेगा और हमारे देश में शैक्षिक मूल्यों को प्रोत्साहन मिलेगा।

मैं, एक बार फिर इस अवसर पर यह विधान लाने के लिए माननीय मंत्री को बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): मोहतरिम सभापति जी, *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बर्क साहब, कृपया समय का ख्याल रखिए। दो मिनट से ज्यादा न बोलिए।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क: जनाब मैं तो ख्याल रखूंगा, लेकिन आप भी ख्याल रखिएगा, यह मसला मायनारिटी एजूकेशन के बारे में है।

सर, जहां तक नैशनल कमीशन फार मायनाइरटीज एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल इस सदन में लाया गया है, मैं इसका सपोर्ट करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जो बिल लाए हैं, मैं समझता हूं कि यकीनन इससे मुसलमानों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अफसोस यह है कि हमारा खाना-पीना, चलना-फिरना, देखना-सुनना और हंसना-बोलना, सब कुछ पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। हमारी कोई भी हरकत हो, हमारे भाइयों को अच्छी नहीं लगती। एजूकेशन के सिलसिले में भी मुसलमानों को एजूकेट नहीं किया जाए या मुसलमानों को इल्म नहीं मिले। ये सब यहां कह रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं-यानी

"हम आह भी करते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम
वे कत्ल भी कहते हैं, तो चर्चा नहीं होता।"

[श्री शफीकुर्रहमान बर्क]

यह मामला है। हमने इस देश के लिए कौन सी कुर्बानी नहीं दी। इस देश की आजादी के लिए, जेलें हमने काटी, सूली पर हम चढ़े। अशफाक उल्ला खां ने अपने आप को फांसी पर चढ़ाया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने राउंड टेबल कान्फ्रेंस में जाकर यह बात नहीं कही कि मैं गुलाम देश से आया हूं, यदि मुझे आप आजादी का परवाना नहीं देंगे, तो मेरी कब्र के लिए भी आपको जगह यहीं देनी होगी और उनका इन्तकाल भी वहीं हो गया। उसी तरीके से हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले फतवा जिन्होंने दिया था वे अल्लामां फजल-ए-हक खैराबादी थे।

हकीम अजमल खां, डा. मुख्तार अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और मौलाना हरसत मोहानी जैसे लोग इस देश में पैदा हुआ। उन्होंने कुर्बानी दी, लेकिन इसके बावजूद कुर्बानियों का सिला ईमानदारी से देखा जाए तो नहीं मिल रहा है और अभी तक नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर बच्चे तालीम हासिल करें, हमारे बच्चों को इबतदाई तालीम और यूनिवर्सिटी की भी तालीम मिले आज इसके लिए यह बिल लाया गया है, यह भी हमारे भाईयों को नागवार है। उन्होंने हिन्दुस्तान के अंदर कितने गुजरात, मुरादाबाद बनवाए और कितनी जगह मुसलमानों का कत्लेआम कराया तथा बाबरी मस्जिद को शहीद कराया। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप अपना भाष समाप्त कीजिए, नहीं तो हम यहां से घोषणा कर देंगे कि आपका भाषण समाप्त हुआ।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क: इसके बावजूद यह कहने के लिए तैयार हैं, यह इन्हें शोभा नहीं देता है। अगर मुसलमान इस देश में जिन्दा नहीं रहेगा तो यह देश कैसे चलेगा? अगर मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं होगा तो यह देश पिछड़ जाएगा, कोई भी कौम तालीम याफ्ता होने से रह जाएगी। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बर्क जी, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

डा. शफीकुर्रहमान बर्क: जिस तरह कोई इंसान 'पैरालाइज्ड हो जाता है आप उसे हैल्दी नहीं कह सकते। जब तक मुसलमान और दूसरे लोग तालीम हासिल नहीं करेंगे, डेवलप नहीं होंगे तो उस वक्त तक वह सोसायटी हैल्दी नहीं कही जा सकती। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आपका भाषण समाप्त हो गया, आसन से डिक्लेयर हो गया, नियमन हो गया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: रिकार्ड में आपकी कोई बात नहीं जा रही है।

[अनुवाद]

मैं इससे आगे आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। सुश्री महबूबा मुफ्ती के भाषण के अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सुश्री महबूबा मुफ्ती (अनंतनाग): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

मैं यह जरूर करूंगी कि "बहुत देर की मेहरबां आते-आते, परन्तु कोई बात नहीं, आए तो सही बहुत देर से।" यह एक अच्छी शुरूआत है।

सभापति महोदय, इस्लाम में कहा जाता है "हुबल वतन, मिनल इमान," यानी वतन से मोहब्बत करना इमान होता है। इसके साथ देश को मादरेवतन और मातृभूमि भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि देश के जो लोग होते हैं वो देश माता के बच्चे होते है। मां का फर्ज होता है कि उसका जो बच्चा कमजोर हो या किसी मुश्किल में हो तो उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दे। मेरा मानना है, हमें आजादी मिले 50-60 साल हो चुके हैं, मातृभूमि का वह फर्ज पूरी तरह से अंजाम नहीं दे सका। जिसकी वजह से हमारा मुल्क पूरी दुनिया में, अगर हमारी हिस्ट्री देखी जाए तो किसी मुल्क की इतनी रिच हिस्ट्री नहीं होगी, परन्तु उसके बावजूद भी हम अभी बैकवर्ड कहलाए जाते हैं। हमारे यहां पापुलेशन एक्सप्लोजन होता है। हमारे यहां इकोनोमिकल, सोशली बैकवर्डनेस की सबसे बड़ी वजह देखी जाए तो हमारी सोसायटी का, पापुलेशन का बहुत बड़ा सैक्शन वह है, जिसमें माइनोरिटीज एससी, एसटी, वूमैन और ओबीसी को हमने पिछले 60 साल से अपने साथ नहीं चलाया, बल्कि उन्हें अलग रखा। मैं माइनोरिटीज का ज्यादा जिक्र

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करूंगी, क्योंकि वे इसमें बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। जब तक हम सोसायटी के इस सैक्शन की मदद नहीं करेंगे और मदद करने का जो सबसे आसान, सबसे पहला तरीका होना चाहिए, यह साक्षरता है। आप जब तक अपनी कौम को एजुकेशन नहीं देंगे तब तक वह कौम अवेयर नहीं हो सकती, वह ऊपर नहीं उठ सकती है।

महोदय, हमारे कुछ मित्रों का कहना है कि वे लोग पढ़ना नहीं चाहते तो हम क्या करें। ऐसी बात नहीं है। हमारे जम्मू-कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट कारगिल है, वहां दो-तीन साल पहले बहुत कम एजूकेशन थी। वहां लड़कों को ज्यादातर मजहबी तालीम देते थे। जब से कोलीशन की सरकार बनी है, हमने वहां लड़कियों के इंसेंटिव इंट्रोड्यूस किए हैं। आप यकीन करेंगे कि इस वक्त सेंट-परसैंट कारगिल में तकरीबन लड़कियों को एजूकेशन मिल रही है। अब वह वक्त दूर नहीं होगा जब कारगिल एजूकेशन के लिहाज से नम्बर वन होगा। हमारे जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी होने के बावजूद, वहां प्रोबलम्स होने के बावजूद मदरसों की तादाद मुल्क के बाकी स्टेट्स की तुलना में कम है। उसकी वजह यह है कि वहां प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक फ्री एजूकेशन है और जब लोगों को फ्री एजूकेशन मिल जाती है तो वह मदरसों की तरफ नहीं जाते। यहां जम्मू-कश्मीर को लेकर बड़ी-बड़ी बातें हुईं। सेक्युलरिज्म पर बात हुई। मैं अपने मित्रों को बताना चाहती हूं कि गांधी जी को तब जो लाइफ नजर आई थी, वह अभी भी है।

अभी भी हमारे सी.एम. अगर मुस्लिम हैं तो डिप्टी सी.एम. हिन्दू हैं, हमारे चीफ सैक्रेटरी हिन्दू हैं, हमारे प्रिंसीपल सैक्रेटरी कश्मीरी पंडित हैं तो इससे बड़ी मिसाल आपको कहां मिलेगी। सैकुलरिज्म सिर्फ नारा नहीं है, जो यहां ऊपर से बोला जाता है। यह आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए। अगर वाकई हम सैकुलरिज्म का सबक सीखना चाहते हैं तो हमें जम्मू-कश्मीर से सीखना चाहिए।

मेरे मिनिस्टर साहब के लिए 2-3 सजेशंस हैं।

सभापति महोदय: मैडम, खत्म कीजिए, तीन मिनट हो गये, आज टाइम कंस्ट्रेंट है।

सुश्री महबूबा मुफ्ती: मेरा एक सजेशन तो यह है कि एजुकेशन तो ठीक है। हमें विद्यालयों में व्यावसायिक कौशल सीखाना शुरू करना चाहिए। वरना हम वहां से भी अनएम्पलायड शिक्षित यूथ को प्रोड्यूस करेंगे। दूसरे, हमारा मुल्क स्प्रिचुअलिज्म के लिए भी मशहूर है और हमारी सबसे बड़ी जंग रिलिजियन शोषण की वजह से होती है। मैं अर्जुन सिंह जी से यह रिक्वैस्ट करूंगी कि एक्सपेरीमेंट के तौर पर इस्लामिक स्टडीज, हिन्दुइज्म, बुद्धिज्म, सिक्खिज्म को प्राथमिक विद्यालयों से इंस्टीट्यूशंस में इण्ट्रोड्यूस किया जाये ताकि रिलीजन को शाखाज, स्कूल्स या मदरसों में एक्सप्लायट न किया जाये, बल्कि रिलीजन इस्लाम क्या है, हिन्दुइज्म क्या है, क्रिश्चिएनिटी क्या है, सिक्खिज्म क्या है, इसकी असल सीख मिले।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन। कृपया सहयोग करें। आप सभापति तालिका के सदस्य हैं। समय की कमी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं अल्पसंख्यक मुद्दे का समर्थन करता हूं पर मैं इस विधेयक का समर्थन करने को बाध्य हूं। क्योंकि यह विधेयक एक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है। सरकार पहले से ही प्रतिबद्ध है, अतएव, मैं इस विधान का समर्थन करता हूं। सामान्य स्थिति में मैं इसका समर्थन नहीं करता।

सर्वप्रथम, कानूनी दृष्टि से इस विधेयक में कई अन्तर्निहित कमियां हैं। क्या संविधान में निहित अल्पसंख्यकों के अधिकार संविधान का मौलिक स्वरूप हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रश्न को सुलझाया जाना है कि क्या अल्पसंख्यकों के अधिकार संविधान के मौलिक स्वरूप है या नहीं। यदि यह संविधान का मौलिक स्वरूप है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है. यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। यह तो एक बात हुई।

दूसरे, जिस आयोग का गठन किया गया है वह न्यायिक निकाय है और इसे न्यायालय के अधिकार दिए गए हैं। इसे व्यवहार न्यायालय से सभी अधिकार दिए गए हैं। इस आयोग का सदस्य बनने से भारत के किसी नागरिक को निरर्ह क्यों बनाया जाए? वे न्यायिक कार्य कर रहे हैं। इस आयोग का अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए। मान लीजिए अल्पसंख्यक वर्ग का न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तब क्या होगा? यह दूसरी बात है। यदि इस तर्क को स्वीकार किया जाता है तो दूसरी परेशानी खड़ी होगी।

अनुसूची में छह विश्वविद्यालय हैं। मान लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने इसके लिए आवेदन किया है और चूंकि अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया जाना चाहिए, उस विश्वविद्यालय को अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी मुस्लिम शैक्षणिक संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए आवेदन करेंगे। तब क्या स्थिति होगी? आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। कोई भी मुस्लिम शैक्षणिक संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए आवेदन कर सकता है, जो विश्वविद्यालय अनुसूची के अंतर्गत है।

सभापति महोदय: आप अब समर्थन करने जा रहे हैं अथवा नहीं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: अत: इस समुदाय के उल्लेख की बात को हटा दीजिए। यह तो भेदभावपूर्ण है। यह स्पष्टत: भेदभाव दर्शाता है। अध्यक्ष का मुसलमान होना जरूरी नहीं है। हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि संबद्धता को लेकर एक विवाद है। एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एक अनुसूचित विश्वविद्यालय से संबद्धता हेतु आवेदन देता है। यदि कोई विवाद होता है, तो मामले का निर्णय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग द्वारा किया जाएगा जिसके सदस्यगण केवल अल्पसंख्यक समुदाय के ही हैं। तब पूर्वाग्रह दिखेगा क्योंकि अनुसूचित विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक संस्था नहीं है।

यह एक बहुसंख्यक संस्था है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था उस विवाद का हिस्सा है और उसका निर्णय एक ऐसे आयोग द्वारा किया जाएगा जिसके सभी सदस्यगण अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। यह हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में दिया हुआ है। यह बहुत ही अधिक भेदभावपूर्ण है। इसीलिए मुझे डर है कि यह विधेयक न्यायिक जांच के समक्ष नहीं टिकेगा। *...(व्यवधान)* मैं कानूनी प्रक्रिया की सहायता करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* यह राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन क्या आप इस विधेयक का समर्थन करने जा रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: हमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए। यह दिखावा नहीं होना चाहिए। *...(व्यवधान)* हमें इस सब पर विचार करना चाहिए और खामियों को दूर करना चाहिए। *...(व्यवधान)* इस अधिनियम में कई उपबन्ध हैं जिन्हें सुधारा जाना है। *...(व्यवधान)* अल्पसंख्यक समुदाय से कौन है? अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इसको केन्द्र सरकार तय करेगी। शिक्षा समवर्ती सूची में है। राज्यों को अल्पसंख्यक दर्जा तय करना होगा। *...(व्यवधान)* यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। विधेयक के उपबन्धों के अनुसार एक खास समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय है यह केन्द्र सरकार तय करेगी। यह नहीं ठहर सकता *...(व्यवधान)* अत: हमें शीघ्र ही इन सभी खामियों को दूर करना होगा। तब यह टिक सकता है। अन्यथा इससे अल्पसंख्यक समुदायों को सहायता नहीं मिलेगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन जी धन्यवाद। अब, श्री फ्रान्सिस फैन्थम बोलेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री फ्रान्सिस फैन्थम के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: फ्रान्सिस जी, मैंने आपका नाम पुकारा है। आप अपना भाषण शुरू करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: यह ठीक नहीं है। श्री राधाकृष्णन जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। वे नए सदस्य हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री फ्रान्सिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट): माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग का समर्थन करने और भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 11 नवम्बर, 2004 को प्रख्यापित किए गए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 6) को प्रख्यापित करने के विरुद्ध निरनुमोदन के संकल्प का विरोध करने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं इस ऐतिहासिक विधान के लिए माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को बधाई देता हूं और इसके उपबंधों का समर्थन करने के लिए यू.पी.ए. सरकार को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, आप सभापति-तालिका में हैं। कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री फ्रान्सिस फैन्थम: मैं मोहसिन जैदी के शब्दों में माननीय मंत्री को बधाई देना चाहता हूं और मैं यह उद्धृत करता हूं:-

[हिन्दी]

जुंबिशे नोक ए कलम ही सही खंजर के खिलाफ,
कोई मैदन में आया तो सही सितमगर के खिलाफ।

[अनुवाद]

इन शब्दों के साथ मैं इस ऐतिहासिक विधान का प्रस्ताव रखने के लिए माननीय मंत्री और उनके मंत्रालय की प्रशंसा करता हूं। मेरे मित्र श्री रावत जी और विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों ने कई बातें कही हैं जिससे काफी संशय पैदा हुआ है, अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने का हव्वा खड़ा किया गया है जिससे अविश्वास पैदा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हुआ है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। विधेयक में केवल संस्थाओं को संबद्ध करने की सुविधा दी गई है।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री फ्रान्सिस फैन्थम: मैं निदा फाजली के शब्दों में केवल यह कहना चाहता हूं:

[हिन्दी]

सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो,

सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।

किसी के वास्ते राहें कहां बदली हैं,

तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो।

[अनुवाद]

मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): महोदय, मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था आयोग संबंधी इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय मंत्री, श्री अर्जुन सिंह जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए यह विधेयक लाए हैं, को बधाई देता हूं। राजग शासनकाल के छह वर्षों में सभी तरीके से और विशेष रूप से केन्द्रीय विद्यालयों में अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की गई है। उस समय मेरे राज्य तमिलनाडु के एक भी छात्र को केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। आपको प्रत्येक संस्था में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देनी होगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अमीर लोग इस विधेयक का प्रयोग एक 'बेनामी' संस्था खोलने और उससे लाभ उठाने में न करें। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए। 'अल्पसंख्यक' का अर्थ मुस्लिम, इसाई, बौद्ध, जैन और अन्य समुदायों के लोग है। इसमें भाषायी अल्पसंख्यकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए, भारत के दक्षिण भाग में अगडे समुदाय और विशेषरूप से, हमारे ब्राह्मण मित्र अल्पसंख्यकों के नाम पर संस्था खोल रहे हैं। इसे रोका जाना चाहिए। एक ही निकाय के अंतर्गत ऐसे स्कूल और कालेज खोलने की अनुमति देने के लिए एक संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था अल्पसंख्यकों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित रखे और कालेजों तथा अन्य संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों से कम शुल्क ले। अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा देने के लिए अध्यापकों को अपेक्षित कुशलताओं में प्रशिक्षित करने हेतु अध्यापक प्रशिक्षण स्टाफ कालेज स्थापित किए जाएं। अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा देने के लिए एक भी मुस्लिम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): वे 'ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, वे एक ब्राह्मण हैं। वे यह पूछ रहे हैं "उन्होंने ब्राह्मणों का नाम क्यों लिया?" *...(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरून रशीद: आपने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया है? आपने केन्द्रीय विद्यालयों को भाजपा विद्यालयों में बदल दिया है। आपके शासन काल में केन्द्रीय विद्यालय भाजपा विद्यालयों में बदल गए हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर कोई आब्जेक्शनेबल और असंसदीय शब्द होगा तो वह रिकार्ड से निकाल दिया जायेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरून रशीद: उच्चतर अध्ययन हेतु अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों को मानद विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया जाना चाहिए। अध्यापकों के वेतन के भुगतान हेतु एक उचित अनुदान बनाया जाना चाहिए ताकि इस पेशे की ओर उपयुक्त प्रतिभा आकर्षित हो सके, जो किसी भी शिक्षा प्रणाली का सबसे अहम घटक भी होता है।

मेरे जिले डिन्डीगल तथा थेनी में हम चाहते है कि केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएं। मेरे राज्य में उर्दू स्कूल भी हैं। 1980 के दशक में 2000 छात्र थे पर अब यह संख्या घटकर 20 या 30 रह गई है। वेल्लौर चुनाव क्षेत्र के मेरे मित्र श्री कादर ने कहा कि उनके चुनाव क्षेत्र में उर्दू स्कूल का प्रबंधन गैर-मुस्लिमों द्वारा किया जाता है। उर्दू न जानने वाले वहां हेडमास्टर हैं। ऐसी चीजों को रोकना चाहिए। मैं इस विधेयक की सराहना करता हूं।

यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार जो भी बोलता है, करता है। तमिलनाडु में कलाईनार जो भी कहता है, वह उसे करता है। यह घोषणापत्र में मौजूद है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब श्री बैसीमुथियारी।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, इन्होंने कुछ अपमानजनक बातें कहीं हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने पहले ही अपना फैसला दे दिया है। कोई भी अपमानजनक कथन कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव: ऐसे कथन रिकार्ड से हटा दिये जाने चाहिएं।

सभापति महोदय: मैंने पहले ही अपना फैसला दे दिया है कि आपत्तिजनक तथा असंसदीय शब्द को कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया जाएगा। अब कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री बैसीमुथियारी के भाषण के अलावा कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक, 2004 पर बोलने का अवसर दिया *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: बी.के. देव जी, आप सीनियर मेम्बर हैं। उस संदर्भ में हमने रूलिंग दे दी है। आपने सुना नहीं है। आप ध्यान से सदन में सुनते नहीं हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, मैं इस विधेयक का कुछ शर्तों के साथ समर्थन करता हूं। यह इसलिए है क्योंकि मुझे डर है कि क्या इस विधेयक की परिधि में आदिवासियों तथा अनुसूचित जाति के लोगों को शामिल किया जाएगा। यदि "अल्पसंख्यक" शब्द से सरकार का तात्पर्य केवल मुस्लिम तथा ईसाई है और इसमें आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के लोग शामिल नहीं है, तो क्या वह सोचते है कि इस देश के आदिवासियों तथा अनुसूचित जाति के लोगों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है?

अत: मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को सुझाव देता हूं कि इस विधेयक की परिधि में आदिवासियों तथा अनुसूचित जाति के लोगों को भी लाया जाया क्योंकि इस विधेयक में 'अल्पसंख्यक' शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं है।

[हिन्दी]

माइनारिटीज से आपका तात्पर्य किन-किन जातियों, किन-किन धर्मावलंबी लोगों से है, इस बारे में आपकी कोई ठोस धारणा इसमें नहीं है।

[अनुवाद]

अत: मंत्री जी आपको यह स्पष्ट करना होगा कि क्या अल्पसंख्यक से तात्पर्य मुस्लिम, इसाई और कुछ अन्य धार्मिक समूह के लोगों से है। आपको यह काफी स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा।

[हिन्दी]

सैक्सन 2 में आपने लिखा है कि

[अनुवाद]

यह आयोग केवल तीन सदस्यों के साथ बनाया जाएगा। इस डाक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य होंगे।

[हिन्दी]

अगर आप सिर्फ तीन सदस्यों को रखते हैं तो ट्राईबल्स लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को कहां से आप सुविधा दे पाएंगे?

[अनुवाद]

इस विधेयक में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और चलाये जा रही शिक्षा संस्थाओं के अस्तित्व में सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त केन्द्रीय राशि और संसाधन उपलब्ध कराये जाएं

[हिन्दी]

अगर माइनारिटीज लोगों की शिक्षा की समस्या का हल करना है तो ट्राईबल्स लोगों के द्वारा, अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा और रिलीजियस अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा स्थापित किये गये

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

शिक्षा संस्थानों को केन्द्रीय सरकार की तरफ से डायरेक्ट फंडिंग की व्यवस्था की जाए। इसलिए मेरा सुझाव है कि

[अनुवाद]

भारत सरकार को अल्पसंख्यक और जनजातीय लोगों की युवा पीढ़ी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान, कृषि मानविकी और सामाजिक विज्ञान की गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने चाहिए।

भारत सरकार को इस महान देश–भारत–के अल्पसंख्यकों और जनजातीय लोगों द्वारा स्थापित और चलायी जा रही शैक्षिक संस्थाओं को धनराशि प्रदान करने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का नया तंत्र विकसित करना चाहिए।

महोदय, बोडोलैंड क्षेत्र के बारे में, मैं निम्नलिखित मांगें करना चाहूंगा:

(1) बोडोलैंड क्षेत्र में 'बोडोलैंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय' नाम का एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहिए;

(2) बोडोलैंड क्षेत्र में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाना चाहिए;

(3) बोडोलैंड क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय और अभियांत्रिकी महाविद्यालय भी स्थापित किये जाने चाहिए;

(4) बोडोलैंड क्षेत्र में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थापित किया जाना चाहिए;

(5) बोडोलैंड राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थापित किया जाना चाहिए;

(6) बोडोलैंड क्षेत्र में राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थापित किया जाना चाहिए।

अपराह्न 4.59 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(7) बोडोलैंड क्षेत्र में कम-से-कम पांच पोलीटैक्नीक संस्थान स्थापित किये जाने चाहिएं;

(8) बोडोलैंड क्षेत्र में कम-से-कम दस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किये जाने चाहिएं;

(9) बोडोलैंड क्षेत्र में और देश के बहुत से जनजातीय और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में भारतीय प्रबंधन संस्थान की तर्ज पर राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान भी स्थापित किया जाना चाहिए।

केवल ऐसे करके आप जनजातीय लोगों और अल्पसंख्यक लोगों की शैक्षिक स्थिति को सुधारने में सफल हो सकेंगे।

अन्यथा, इस प्रकार का विधेयक लाने मात्र से जनजातीय लोगों में शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता में सुधार नहीं किया जा सकता।

अपराह्न 5.00 बजे

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह बिल इस सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है। इस विधेयक के द्वारा सरकार ने माइनोरटीज के लोगों के सुरक्षित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी दी है। माइनोरटीज के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ने और अधिकार देने के संबंध में अर्जुन सिंह जी यह विधेयक यहां लाए हैं, उसका मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत और समर्थन करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माइनोरटीज की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, क्योंकि हमने ऐसा वादा किया है। हम लोग तो उस वादे को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सामने बैठने वाले लोगों को लगता है कि यह सरकार सिर्फ माइनोरटीज को सपोर्ट करती है। अगर आप भी उनको सपोर्ट करते, तो आपकी यह हालत न होती। अल्पसंख्यकों के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें एस.सी. और एस.टी. को भी आरक्षण मिलना चाहिए और जनरल इंस्टीट्यूशंस में भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप समाप्त करें।

[अनुवाद]

कृपया विषय से मत भटकिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: जहां तक इन्होंने मेरे मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात है तो मैं आपको भी कांचीपुरम में सदस्यता दिला दूंगा। ...*(व्यवधान)* इसलिए मंत्रिमंडल का सवाल यहां नहीं है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं और संक्षेप में आपको अनुरोध करना चाहता हूं। इस हाउस को शांति से अगर चलाना है तो मेरी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन इन लोगों का नहीं मिल रहा है।

चलना ही है तो सेक्यूलर को चलाओ
कम्युनिलज्म को चलाने से क्या फायदा।
मिलाना ही है तो हिन्दू-मुसलमान को आपस में मिलाओ
उनको अलग करने से क्या फायदा।
चलना ही है तो यूपीए के साथ चलो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस शायरी के पश्चात् कुछ भी कहने के लिए शेष नहीं रहा है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: एनडीए के साथ चलने से क्या फायदा।

इतना ही कहकर मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लगभग दो दिन से इस विधेयक पर चर्चा हो रही है, जो पहले अध्यादेश के रूप में लाया गया है और अब विधेयक के रूप में पारित करने का प्रस्ताव है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनके प्रति आदर व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम इतना तो महसूस किया कि यह विषय गौण नहीं है, महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए सब सदस्यों ने इतना समय सदन का और देश का लिया।

मुझे इतना ही कहना है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिनका इस विधेयक से सीधे तात्पर्य नहीं है। उनका भी यहां उल्लेख किया गया। केवल इस आधार पर कि वह विषय व्यापक शिक्षा के विषय से जुड़ा हुआ है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि इस देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षा जैसे विषय में रुचि रखता है और अपने परिवार और देश को किस प्रकार से हम शिक्षित कर सकें, उससे भी ज्यादा जरूरी है दीक्षित कर सकें, यह विषय आपके सबके जेहन में है। मैं कोई प्रिस्क्रीप्शन देने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैं यह भी साफ कहना चाहता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा शिक्षाविद नहीं हूं। एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्त्ता के रूप में यह बात जरूर है कि पिछले 50 वर्षों में अच्छे-अच्छे लोगों के साथ रहकर, खास तौर से कांग्रेस पार्टी के एक साधारण सिपाही के रूप में जो कुछ मुझे सीखने को, सुनने को मिला और कार्य करने को मिला, वह हमारे राष्ट्रीय संदर्भ में एक व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही निकल सकता है।

संकुचित एवं अलग-अलग मुद्दों को देखने से नहीं निकल सकता है। मुझे इस बात का दु:ख है कि इस चर्चा को शुरू करते वक्त हमारे माननीय बच्ची सिंह रावत जी ने एक ऐसी बात का जिक्र किया, जिसका इस विधेयक से दूर-दूर तक वास्ता नहीं है। उन्होंने अनावश्यक रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम इस विषय में जोड़ा और वह भी इस टिप्पणी के साथ कि मैं इस विधेयक को इसलिए लाया हूं ताकि मैं अपने प्रधान मंत्री जी को नीचा दिखा सकूं और यह प्रदर्शित कर सकूं कि मैं अल्पसंख्यकों के लिए कुछ कर रहा हूं। इस मानसिकता को आप ही महत्वपूर्ण समझते हैं। हम सब लोग एक अनुशासित पार्टी के सदस्य हैं, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी हैं और कांग्रेस ने इस सरकार को समर्थन देकर और उनको प्रधान मंत्री बनाकर, देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी दी है और हम सब की पूरी-पूरी कमिटमेंट उनके साथ है और किसी भी प्रकार से इस दृष्टिकोण से काम नहीं हो रहा है, जैसा आपने उल्लेख किया है, लेकिन ऐसा आपका उल्लेख करना स्वाभाविक है। राजनैतिक रूप से मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। राजनीति हम सब ने की है। राजनीति करने का समय आयेगा तो उसके बारे में बात करेंगे। चूंकि विषय शिक्षा से संबंधित है और पिछले पांच-छ: वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में आपने, एनडीए ने और जो एनडीए के मंत्री महोदय थे, उन्होंने क्या दृष्टिकोण रखा, वह इस सदन को जरूर मालूम होना चाहिए।

महोदय, सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संरचना श्री राजीव गांधी ने प्रधान मंत्री की हैसियत से की। सारे देश में, बिना राजनीति को लाए हुए, हर पार्टी से विचार-विमर्श किया और संसद से मंजूर कराकर वह शिक्षा नीति लागू की गयी। उस शिक्षा नीति में एक प्रावधान था, जो उसका एक्शन प्लान था कि नेशनल कमेटी फार माइनोरिटी एजूकेशन भी बनायी जाए। उस समय के बाद और उस नीति के अनुसार यह माइनोरिटी कमेटी बनी। 28 जुलाई, 1995 को इसकी पहली बैठक हुई क्योंकि इसके रिविजन करने की प्रक्रिया राजीव जी ने रखी थी तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी और स्वाभाविक रूप से यह भी उसके साथ जुड़ा। सन् 1998 में इसकी टर्म खत्म हुई और यह आशा की जाती थी क्योंकि आपकी एनडीए ने भी शिक्षा नीति के बारे में कोई नयी नीति देश के सामने नहीं रखी और यह घोषणा की कि जो पुरानी नीति चल रही है, हम लोग उसी के अंतर्गत काम करेंगे। दु:ख का विषय है कि और चीजें तो अलग-अलग रह गयीं लेकिन यह माइनोरिटीज से संबंधित जो समिति थी, उसकी 1998 के बाद न बैठक हुई, न दूसरी कमेटी बनी और अब जाकर सात अगस्त को यूपीए गवर्नमेंट में इसे रि-कांस्टीट्यूट किया।

इस बीच-बीच में जिनके बारे में अभी आप लम्बी-चौड़ी बातें कर रहे थे कि हम आपका समर्थन करते हैं। क्या उसका कोई मतलब नहीं था, मतलब था। लेकिन आप उसे नदरअंदाज करना चाहते थे, केवल दिखाना चाहते थे कि आप नेशनल पालिसी फार एजूकेशन का समर्थन कर रहे हैं और इसके बाद जब राजनीतिक रूप से आपको इस देश की जनता ने किनारे किया, यह उनका अधिकार है और जब शिक्षा के क्षेत्र में नये सिरे से विचार करने का प्रश्न उठा तो यह सुझाव था कि माइनोरिटीज के बीच में कौन

से ज्वलंत सवाल हैं, जिनका वे समाधान चाहते हैं। हम सबकी राय अलग-अलग हो सकती है, दृष्टिकोण अलग-अलग हो सकता है। लेकिन सचमुच में माइनोरिटीज की ओर से क्या सोचा जाता है, वह जानना जरूरी है। 3 जुलाई, 2004 में सारे देश के जो प्रमुख थे, उन्हें विदाउट एनी पोलिटिकल कंसीडरेसन डायलाग करने के लिए आमंत्रित किया गया। एक सवाल उठा कि आपने पार्टी के आधार पर बी.जे.पी. को क्यों नहीं बुलाया। सारी नेशनल पार्टीज को बुलाया, जो भी नेशनल पार्टीज इलैक्शन कमीसन ने रिकगनाइज की है, सबको बुलाया, लेकिन बी.जे.पी. को नहीं बुलाया, यह सही है। मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल पार्टी होने के बावजूद क्यों नहीं बुलाया गया, यह जरा सुनने की कृपा करें। *...(व्यवधान)* आपके दृष्टिकोण में जो कुछ पिछले पांच सालों में हुआ, उससे माइनोरिटीज के लोग इतने प्रताड़ित हुए। अगर इस डायलाग में हम आपको बुला लेते तो विषय पर चर्चा नहीं होती, सिर्फ तू-तू, मैं-मैं होती। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रावत जी, आपको उत्तर देने का अवसर मिलेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: हमारे बारे में आपको कुछ भी कहने का अधिकार है और आप समझते हो कि उससे भयभीत या आतंकित होकर मैं कुछ काम करूंगा, यह बात अपने मन से निकाल दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, शायद आप भी कल्पना नहीं करेंगे कि मंत्रालय के स्तर पर जो भारत सरकार का मंत्री हो, वह ऐसे आचरण कर सकता है, यह कल्पना आपको भी नहीं होगी। यही कारण था कि हम इस डायलाग में ऐसे विषयों के ऊपर तनाव पैदा करना नहीं चाहते थे। जो हमारी असली इच्छा थी कि चर्चा हो, डायलाग हो और बातें सामने आयें, इसलिए हमने उनको नहीं बुलाया।

अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण मैं और देता हूं - कारुण्या इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी एंड साइंस कोयम्बटूर के पास बनाया गया। इस के.आई.टी.एस. को पक्षपात का शिकार बनाया गया और इसका एकमात्र कारण जो समझा जा सकता है वह यह प्रतीत होता है कि इंस्टीट्यूट की स्थापना, प्रबंधन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया गया और कैसे हुआ यह आप सुनने की कृपा करेंगे। के.आई.टी.सी. ने मानित डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए 17 मार्च, 2000 को आवेदन मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत

किया। यह आवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत था।

यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 3 का उद्धरण इस प्रकार है - "अधिनियम का विश्वविद्यालयों से भिन्न उच्च अध्ययन की संस्थाओं को लागू होना - केन्द्रीय सरकार, आयोग की सलाह पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह प्रेषित कर सकती है कि विश्वविद्यालय से भिन्न उच्च अध्ययन की कोई संस्था, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय समझी जायेगी और ऐसी घोषणा किए जाने पर इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसी संस्था को इस प्रकार लागू होंगे मानों वह धारा 2 के खंड (च) के अर्थ में विश्वविद्यालय है", अर्थात् डीम्ड यूनिवर्सिटी है।

इसका सीधा-सादा आशय यह है कि करुण्या को डीम्ड यूनिवर्सिटी अधिसूचित करने के लिए केन्द्र सरकार को केवल एक कानूनी शर्त को पूरा करना था और यदि वह सच्चे मन से ऐसा करना चाहती - वह शर्त यह है कि यूजीसी से केन्द्र सरकार को करुण्या की बाबत सकारात्मक अनुशंसा मिलती। यह एक मान्य प्रक्रिया है। यूजीसी ऐसे मामलों में अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने में सक्षम है। आयोग अपने स्तर पर विशेषज्ञों की समिति बनाती है। पहले आवेदन करने वाली संस्था का वे निरीक्षण करते हैं। यह भी देखते हैं कि संस्था द्वारा संचालित पाठ्यक्रम संबंधित वास्तविक काउंसलिंग द्वारा अनुमोदित है अथवा नहीं। हर ऐसे मामले में यही प्रक्रिया होती है। चूंकि कानून केवल यूजीसी की अनुशंसा को मान्यता देता है, जैसा अधिनियम की धारा 3 से स्पष्ट है, ऐसे आवेदनों पर अमूमन तौर पर मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी करता है। पहले भी ऐसा ही होता था, वर्तमान में भी ऐसी पद्धति है, फिर क्या कारण थे कि करुण्या के मामले में ऐसा नहीं हुआ।

केआईटीएस के मामले में भी यूजीसी ने अपनी विशेषज्ञों की समिति गठित की। इस समिति में पांच उपकुलपति भी शामिल थे जिनमें से तीन तकनीकी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर थे। यूजीसी की समिति ने करुण्या का निरीक्षण किया। यू.जी.सी. ने समिति के प्रतिवेदन के आधार पर और यह पाते हुए कि केआईटीसी के सभी पाठ्यक्रम भारतीय तकनीकी शिक्षा द्वारा अनुमोदित थे, केन्द्र सरकार को 24 अप्रैल, 2001 को अपनी अनुशंसा भेज दी। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को केवल नोटिफिकेशन जारी करना था। इसके लिए मंत्री जी का अनुमोदन आवश्यक था। किन्हीं ऐसे कारणों से जो कम से कम फाइलों से तो स्पष्ट नहीं हैं, एआईसीटीई ने यह कह दिया या परिषद् से कहलवाया गया, क्योंकि एआईसीटीई का उस समय कोई मतलब ही नहीं था जब यूजीसी ने उसकी अनुशंसा कर दी कि करुण्या के जो पाठ्यक्रम पहले ही परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त और अनुमोदित थे, वह नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड से एक्रेडिट नहीं होने के कारण सन् 1999 से ही

[श्री अर्जुन सिंह]

एक्रेडिट थे और यह भी कि कानूनी तौर पर एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए यूजीसी की अनुशंसा ही पर्याप्त है। एक्रैडिशन केवल संस्थाओं की आपसी तुलना का माना है जो इस मामले में भी ऐच्छिक है कि आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू जैसी संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, वे एक्रैडिशन के समानान्तर संस्था एनवीएसई से एक्रेडिशन लेने से मना करती है। एक्रेडिशन के बहाने मंत्रालय ने करुण्या के मामले में यूजीसी की अनुशंसा को नहीं माना। यूजीसी ने सरकार को लिखा भी कि इस मामले में एआईसीटीई का रवैया कानूनी दृष्टि से सही नहीं है, परंतु मंत्रालय ने अप्रैल, 2001 और 23 जून, 2004 के बीच की अवधि में करुण्या के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की, अर्थात् तीन वर्ष तक मंत्रालय ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

दूसरी तरफ संबंधित नस्ती पर ऐसे टीप भी अंकित हैं, जिनमें तत्कालीन शिक्षा सचिव ने लिखा है कि इसमें कोई जल्दी नहीं। किन कारणों से ऐसा किया गया, इस प्रकार का रवैया अपनाया गया, यह स्पष्ट नहीं है। करुण्या को मजबूर होकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 13 अगस्त, 2003 को चेन्नई हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार को कहा कि वह उसी माह के भीतर करुण्या के आवेदन पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का दर्जा दे। उसका पालन करना तो दूर, तत्कालीन मंत्री जी की ओर से शायद पहली बार नस्ती में यह संकेत दिया गया कि इस आदेश की ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, पिछले दस मिनट से मंत्री जी केवल पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री को बदनाम कर रहे हैं। महोदय, आप माननीय अध्यक्ष हैं। कृपया मंत्री जी जो कह रहे हैं उसे समझने का प्रयास करें। केवल पूर्ववर्ती मंत्री को बदनाम करने से उत्तर नहीं मिलता है। विधेयक किसी और के बारे में है। वे किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं? यदि यह एक या दो वाक्यों में होता तब तक तो ठीक था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग चुप करिए और बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, वे अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं। यह कोई बात नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शान्त रहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने अपनी बात समाप्त नहीं की है। आपने उनसे बात समाप्त करने का अनुरोध नहीं किया है। आप एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, माननीय मंत्री जी अपना भाषण जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, मैंने आपको उचित सम्मान दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, मैंने हमेशा आपको उचित सम्मान दिया है। मैंने सभी माननीय सदस्यों को सम्मान दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, आप मंत्री जी के उत्तर में व्यवधान नहीं डाल सकते हैं। यह मुद्दा यहां उठाया जा चुका है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह: मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मंत्री जी आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: लोगों के अपने-अपने दृष्टिकोण हैं। आपको अन्य लोगों को भी सुनना पड़ेगा। आप उससे सहमत नहीं है लेकिन आप इसका उचित तरीके से विरोध कीजिए। श्री रावत उत्तर देंगे। वह इसका उत्तर दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: अध्यक्ष महोदय, जब उनमें सुनने का इतना साहस नहीं है, तो वे इतनी लम्बी-चौड़ी बातें क्यों कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं मंत्री जी को निर्देश नहीं दे सकता कि वे किस प्रकार उत्तर दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: समय निकला जा रहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: अध्यक्ष महोदय, बात इतनी ही नहीं है कि विभिन्न राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए माननीय सदस्यों ने मंत्री जी को लिखा और उन्हें स्मरण भी कराया। उनमें से कुछ के नाम मैं यहां ले रहा हूं। श्री वाईको ने 22 मई, 2000, श्री डेजिल एटकिंसन ने 23 जुलाई, 2001, मई, 2002 और 12 नवम्बर, 2002, श्री मास्टर मथन ने जून, 2001, श्री पूर्णो ए. संगमा ने अप्रैल, 2003 को मंत्री जी को चिट्ठियां लिखीं। मंत्री जी ने सिवाय एकनालेजमेंट के, कोई उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डा. कृपानिधि ने भी अक्तूबर, 2000 में लिखा जब कारुण्य के प्रमुख डा. दीनाकरण ने उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। इन सभी पत्रों की मंत्री जी की ओर से सिर्फ पावती भेजी गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश इस प्रकरण में न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही किसी प्रकार का कोई जवाब दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय से ज्यादती का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता।

महोदय, इतना ही नहीं, जब यू.पी.ए. की सरकार बनी और यह प्रकरण मेरे सामने आया, तो मैंने यह उचित समझा कि मैं इस प्रकरण के बारे में सबसे पहले शिक्षा सचिव से पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जब शिक्षा सचिव से पूछा गया तो, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस विषय में वे कुछ भी बोलने में असमर्थ हैं। अब इसके बाद कहां, कोई बात हो सकती है, जिससे अल्पसंख्यकों को न्याय मिल सके।

महोदय, इन सब चीजों की पृष्ठभूमि में कानून लाने का फैसला किया गया है। आप उससे सहमत न हों, यह आपकी मर्जी है और यह फैसला किसी के विरुद्ध नहीं है। यह भी तथ्य है कि आजादी के पिछले 50-55 सालों में संविधान के इस सैक्शन के तहत आज तक कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसलिए यह बात सोची गई कि कम से कम माइनारिटीज के केस में जो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं, उनकी रक्षा के लिए ऐसा विधेयक लाया जाए। हम किसी निर्णय के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं, हम किसी के व्यक्ति के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक प्रावधान तो आना चाहिए जिसके अंतर्गत माइनारिटीज रिलीफ पाने की कोशिश कर सकें, यह विधेयक इसलिए लाया गया है।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने में किसी भी प्रकार से किसी के विरुद्ध न तो कोई मंशा थी और न काम करने का कोई सवाल उठता है। न किसी का जुरिस्डिक्शन रोका गया है और न उसमें कोई कमी लाई गई है, चाहे वह यू.सी.जी. हो, वह ए.आई.टी.ई.सी. हो या कोई और संस्था हो।

किसी की पावर्स को डायल्यूट नहीं किया गया। सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में अगर कोई एग्रीव्ड है तो उसे सुनने के लिए अवसर मिलना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो क्षमा करेंगे। इस अवसर पर, इस दृष्टिकोण से इस तरफ के बैठे हुए लोगों का बिलकुल मतभेद है और हम इसे नहीं मानेंगे, जब तक की कानून की राय से हम इस विषय को नहीं कर सकते। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, आप में से कुछ लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसे इनवैलिड कर देगी। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वह इनवैलिड कर देगी तो जो हुक्म होगा, उसे हम मानेंगे। लेकिन मैं यह नहीं मानता हूं, मेरी यह मान्यता है कि आप जैसा चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय वैसा ही करेगी, यह जरूरी नहीं है।

[श्री अर्जुन सिंह]

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे न तो प्रदेश और सेंटर का इश्यु बनाया जाए, क्योंकि प्रदेश और सेंटर इस विषय पर कंक्रेंट लिस्ट में होते हुए भी एक साथ काम करना चाहते हैं, ऐसा मैं मान कर चलता हूं। कमर्शियलाइजेशन की बात आई। इसमें क्या शक है कि आज कई क्षेत्रों में कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है, भर्ती के अलग-अलग नियम हैं, फीस है। इन विषयों पर अलग-अलग स्टेट्स ने रिप्रजेंटेशन दिया। हम लोगों ने फैसला किया कि सेंटर, स्टेट रिलेशन होने के नाते हम इस पर अलग से कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। एक कांफ्रेंस करके, सभी मंत्रियों को बुला कर एक कंसोलिडेटेड एप्रोच लिया जाएगा और उसके आधार पर सेंट्रल लेजिस्लेशन बनेगा, जो इस कमर्शियलाइजेशन को रोक सके। ...*(व्यवधान)* डिपोलिटीसाइजेशन तभी होगा, जब आप इसके अंदर पोलिटिक्स नहीं रखेंगे, अगर इस प्रकार का आचरण नहीं होगा तो न चाहते हुए भी लोगों को सोचना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री, आपको प्रत्येक टीका-टिप्पणी का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह: मैं जानबूझकर की गई टीका-टिप्पणियों का उत्तर नहीं देता हूं। लेकिन यह प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैंने यह कहा है।

मैंने इस दृष्टिकोण से संशोधन किया है कि इन बातों पर राज्य तथा केन्द्र एक साथ चलें ताकि कोई गलत धारणा न बने कि हम क्या करना चाहते हैं और किस प्रकार करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

इसमें मुझे इतना ही कहना है, मैं आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक को पारित करेगा और उधर बैठे हुए लोग भी शायद सद्बुद्धि मिलने के बाद एकमत से पारित करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बची सिंह रावत बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री रावत का भाषण ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

प्रत्येक माननीय सदस्य, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, को विचार व्यक्त करने का अधिकार है। उन्हें भाषण देने का अधिकार है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया है। हमें दूसरों के विचार सुनने की भी आदत डालनी चाहिए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप थर्ड रीडिंग में बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, अभी अपराह्न 5.30 बजे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस मद के समाप्त हो जाने के बाद आधा घंटे की चर्चा कर ली जाए?

कई माननीय सदस्य: जी हां।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदय, अंत में एक शब्द आया है कि हमें सदबुद्धि आए, मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि 14 तारीख को इसमें बहस शुरू हुई और बहस शुरू होने के बाद उस दिन माननीय सदस्यों की तरफ से आया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपस में बातचीत न करें। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। माननीय मंत्री महोदय को वक्तव्य देने का हक है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': इसमें राज्यों से कंसल्ट किया जाना चाहिए था, विभिन्न शिक्षाविदों की राय ली जानी चाहिए थी। इन सब चीजों का इतना असर हुआ और तत्काल सत्ता पक्ष को सदबुद्धि आई कि आज 16 तारीख को वे संशोधन लेकर आए हैं। मैं समझता हूं कि इन्हें और अधिक सदबुद्धि आनी चाहिए, क्योंकि आज कितने माननीय सांसदों का, विशेष रूप से यूपीए को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें माननीय राधाकृष्णन जी, श्री ओवेसी जी हैं, अनेक अन्य माननीय सांसदों ने भी इसमें लिगल साइट है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज को, आटोनोमी को प्रभावित करता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्योंकि बड़ा शोर था, आई.आई.एम., अहमदाबाद की आटोनोमी को प्रभावित करने का आरोप लगता है, लेकिन जब देश भर के विश्वविद्यालयों की जो एकेडेमिक आटोनोमी है, उसको जब सीधे प्रभावित करते हैं तो एक संशोधन आप लेकर आये हैं और वह सैक्शन 10 में लेकर आये हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स संबंधित विश्वविद्यालयों को कन्सल्ट करेंगी, लेकिन जहां पूरी की पूरी राज्य सरकारें हैं, जैसा आपने भी स्वीकार किया है कि कन्करेंट लिस्ट में उसका उल्लेख है तो इतनी हरी क्यों है, इसमें कोई हरी का विषय नहीं है। जब आपके 56 वर्ष तक का मैक्सीमम समय ...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात खत्म कर लूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रावत, क्या आप सहमत हैं।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': मैं सहमत नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय: जब खण्डों को संशोधन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा तब इसकी बात कीजिएगा।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': आप लास्ट में इकट्ठे की बता दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए एक साथ ही कह लेंगे तो कन्क्लूड हो जायेगा, नहीं तो वह चलता रहेगा और लोग पूछने लगेंगे। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा, जैसा स्पीकर महोदय कहें। इसमें कम से कम एक संशोधन किया है, कम से कम जूरिस्डिक्शन के मामले में, आगे नेचुरल जस्टिस के मामले में, अपीलेट जूरिस्डिक्शन रिवीजनल क्या होगा, जैसा आपको भी एप्रीहेंशन है कि इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऐसी स्थिति क्यों आये, हमें यहां जब लेजिस्लेशन बनाने के लिए सुप्रीम हैं, पार्लियामेंट इज सुप्रीम और हमारे पास समय है, हमारे नियम इसका उल्लेख करते हैं कि यह कोई प्रेस्टीज इश्यू नहीं है और शुरू में हम लोगों ने डिबेट स्टार्ट करते हुए इस विषय को कहा है कि राजग सही अर्थ में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। स्प्रिट के हम खिलाफ नहीं हैं, बिल्कुल आना चाहिए, एफीलिएशन मिलना चाहिए, लेकिन उसकी विधि क्या होनी चाहिए, विधान क्या होना चाहिए, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इतनी जल्दबादी में जो तय किया गया है, उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, उस पर और विचार होगा, अगर एक दिन में एक एमेंडमेंट आता है तो हमने केवल 90 डेज का सर्कुलेशन मांगा है, एक एमेंडमेंट मैंने भी मूव किया है कि इसे 20.8.2005 तक सर्कुलेट किया जाये, या तो उसको भी मान लेते या सुओमोटो अपनी ओर से सिलैक्ट कमेटी या स्टेंडिंग कमेटी में हम उसको बाइपास कर रहे हैं, इसीलिए हमारी स्टेंडिंग कमेटीज हैं, वहां पर

गम्भीरता से विचार हो, लेकिन ऐसा विचार आया नहीं है। इसमें विशेष रूप से हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि वैश्वीकरण के बारे में इन जनरल आपने कह दिया कि हम इन फ्यूचर ऐसा कोई बिल लेकर आयेंगे, जिसकी ज्यादा जरूरत थी, उसकी आवश्यकता महसूस की गई थी और जो माइनोरिटीज के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग कर सकते हैं, कितनी उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें एट पार लेकर आ सकते हैं, इसकी आवश्यकता थी, जिसको बाइपास करके, यही एक आशंका है कि जो यू.जी.सी. के नोर्म्स हैं, ए.आई.सी.टी.ई. के हैं, एम.सी.आई. के हैं, डी.सी.आई. के हैं, इनको कितना बाइपास करके यदि एफीलिएशन मिलता है तो शिक्षा की जो क्वालिटी है, कहीं उस पर असर न पड़े, यह आशंका व्यक्त की गई थी। उसका कोई उत्तर नहीं आया है।

माइनोरिटी के बारे में माननीय बोडो सांसद जी की ओर से कहा गया, कई और जगह से भी कि हम साउथ से उधर आते हैं या बोडोज उधर आते हैं, वे अल्पसंख्यक हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री बैसीमुथियारी, आप जब चाहे तब किसी भी समय खड़े नहीं हो सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही बोल चुके हैं। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': इस बारे में भी जरूर विचार होना चाहिए।

मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा गलतबयानी का आरोप लगा दिया गया। इसके लिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे संरक्षण की जरूरत है। आज कल अध्यक्ष संरक्षण चाहता है।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': शुरू में यह कहा कि मैंने कोई गलतबयानी की है। असल में मेरे पास इसका पूरा का पूरा वरबेटिम रिकार्ड है, जो स्पीच मैंने दी है।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, मैंने गलती से उनका नाम ले लिया था। श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा यह टिप्पणी की गयी थी।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': जो मुझ पर एलीगेशन लगाया गया कि मैंने अपने देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का जो उनका भाषण था, कोट करने के बाद यह कहा, आपका आरोप था कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसा कहीं पर मेरी ओर से उल्लेख नहीं किया गया। यह आपने गलत किया है, मैंने अपने भाषण में कहीं नहीं कहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': किसी ओर की ओर से आया होगा। मैंने मेरी ओर से यह नहीं कहा कि आप बनना चाहते हैं या आप कहीं पर दौड़ में हैं, यह मैंने नहीं कहा। लेकिन मेरे खिलाफ अभी रिकार्ड पर चला गया है कि मैंने ऐसा आपके खिलाफ कहा है तो कृपया चैक करा लें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका बात हो गई। आपने बहुत अच्छा पाइंट्स रखे हैं।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': यह मेरी ओर से नहीं कहा गया। यह पर्सनल एलीगेशन आया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, वह किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं मांग रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': मैं कोई समर्थन नहीं मांग रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': इसमें नहीं है, इसलिए मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: हम पूरा संरक्षण देते हैं। संरक्षण देते भी हैं, मांगते भी हैं।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': मेरे भाषण में नहीं है तो उसे एक्सपंज करने की महती कृपा माननीय अध्यक्ष जी की ओर से होनी चाहिए। आपको सुनने में जरूर कोई गलती हुई है। ...*(व्यवधान)* आपका चश्मा ठीक है, लेकिन सुनने में जरूर कुछ हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मेरे खिलाफ जो एलीगेशन लगाया गया है, उसे ऐक्सपंज किया जाएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह बात श्री मोदी से संबंधित हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': मैं योग्यता के बारे में नहीं कहता। आप योग्य हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा है। आप बनें, आपके साथ मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके बारे में कुछ नहीं कहा।

...*(व्यवधान)*

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': पिछली सरकार और मंत्रालय के बारे में लगातार कहा गया कि कोई मान्यता थी, विलंब हुआ, क्यों नहीं हुआ, मामला कोर्ट में गया। मैं समझता हूं कि एचआरडी मंत्रालय के सैकड़ों मामले आज भी और जब आप मंत्री रहे होंगे, तब भी शिक्षा के मामले में, चाहे प्रमोशन के मामले हों, मान्यता के हों, एफीलिएशन के हों, सर्विसेज आदि के हों, तमाम मुकदमे कोर्ट में जाते हैं। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वह हमारे सामने नहीं है और उस समय के कन्सर्न्ड मंत्री हाउस के मैम्बर नहीं हैं। इस बात का वही जवाब दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको प्रत्येक बात उद्धृत करने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': लेकिन एक बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी को जान-बूझकर नहीं बुलाया गया। जो भाषा बोली गई है, हम लोकतंत्र के भीतर है, सारे सांसद जनता द्वारा चुनकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष में सैकिंड लार्जेस्ट पार्टी है और सदस्यता के मामले में नम्बर एक है। इसके बारे में इलैक्शन कमीशन बताएगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए, उसके लिए इलैक्शन कमीशन आफ इंडिया फैसला दे सकती है। देश के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से वर्डिक्ट आ सकता है, हमारी मान्यता रद्द की जा सकती है। कुल मिलाकर भारत के संविधान में आस्था रखते हुए देश का प्रत्येक राजनैतिक दल, राजनैतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसलिए यह आरोप कतई तथ्यविहीन हैं, बेबुनियाद हैं और संविधान की मूल आत्मा के विपरीत हैं। इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, इसे वापिस लिया जाना चाहिए। कोई भी पोलीटिकल पार्टी, जो रिगनाइज्ड है, जिसके मैम्बर यहां हैं, वे फुली इम्पावर्ड हैं। लेकिन मुझे आशंका होती है कि जो इलैक्शन कमीशन का अधिकार है, उसे आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप प्रत्येक बात के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': सन् 1975 का जो आपात काल था, उस मानसिकता को लेकर हमें इमर्जेंसी का काल स्मरण आता है कि क्या आपकी सोच उस दिशा में तो नहीं है। आप

टकराव की जो राजनीति लेकर आना चाहते हैं, कन्फ्रंटेशन से नहीं, इस विधेयक में शुरू से हमारा एक ही सुझाव रहा है कि बिल को ठीक तरह से लाया जाये, कम्प्रीहैन्सिव बिल लाया जाये, विचार-विमर्श के बाद लाया जाये। इतनी जल्दी क्यों है? सपा और बीजेपी दोनों को हटाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? केवल ऐपीजमैंट के अलावा इसमें कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी परिस्थिति में यही कहा जा सकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि आपने सभी बातें प्रभावी ढंग से कह दी है।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': कई माननीय सदस्यों ने शेर बोला है। मैं भी एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय मंत्री जी छद्म धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर विधेयक लाये हैं। इससे किसी वर्ग का तत्काल हित होने वाला हो, ऐसा कोई विषय नहीं है। तात्कालिक आवश्यकता है, ऐसा भी नहीं है। उन्हें अभी भी सद्बुद्धि आये। जैसा अमेंडमेंट लाये हैं, पुन: वे अपनी ओर से, क्योंकि मेरा बिल है, मुझे मालूम है बहुमत की बात मानी जाएगी। हमारा अमेंडमैंट नेगेटिव होना है। अगर वे उस अमेंडमैंट को अपनी ओर से ले आयें तो इसमें कोई प्रैस्टीज इश्यू नहीं है। *...(व्यवधान)* कल को एक अच्छा बिल आयेगा, हम सब उसको सपोर्ट करेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपने दल की ओर से काफी प्रभावशाली ढंग से बोला है।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': एक शेर अर्ज किया है। उस शेर की थोड़ी सी परिभाषा बदल दी है।

बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही लल्लू काफी है,
अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे लल्लू बैठा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरा विरोध करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं और इस पर पुन: विचार के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अनुमति नहीं दूंगा। वह मंत्री नहीं है कि वे उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों चिल्ला रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री रावत, क्या आप इस संकल्प को प्रस्तुत करना चाहता हैं?

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': अध्यक्ष महोदय, आपकी ओर से हमारी बात का कोई समाधान नहीं हुआ है। आपकी नीयत ठीक नहीं है। जिस तरह से आप ऐडामैंट हैं, आप संशोधन लाने के लिए भी तैयार नहीं हैं। आपने हम सबको संतुष्ट नहीं किया। आज यह केवल ऐपीजमैंट के लिए हुआ है। इसके विरोध में मैं और मेरे सहयोगी सदन से बहिर्गमन करते हैं। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 5.40 बजे

(तत्पश्चात्, श्री बची सिंह रावत 'बचदा' और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री बची सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान हेतु रखता हूं। प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 11 नवम्बर, 2004 को प्रख्यापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब विधेयक को परिचालन हेतु भेजने के लिए श्री बची सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत विचारार्थ प्रस्ताव पर एक संशोधन है।

प्रश्न यह है:

"कि राय जानने के प्रयोजनार्थ विधेयक को 20 मार्च, 2005 तक परिचालित किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 10 अनुसूचित विश्वविद्यालय से सहबद्धता चाहने वाली अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का अधिकार

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.के. वासुदेवन नायर, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री पी.के. वासुदेवन नायर (तिरूअनंतपुरम): सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधन, जो हमारी आपत्ति को काफी हद तक दूर कर देगा, के मद्देनजर, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय: श्री गुरुदास दासगुप्त, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे है?

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): नहीं, महोदय। मैं उक्त कारण से अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब दो सरकारी संशोधन हैं।

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 4, पंक्ति 28,–"10"के

स्थान पर "10 (1)" *प्रतिस्थापित* किया जाए।

पृष्ठ 4,–पंक्ति 30 के

पश्चात्, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए–

"(2) अनुसूचित विश्वविद्यालय उस राज्य सरकार से परामर्श करेगा जिसमें उपधारा (1) के अधीन सहबद्धता चाहने वाली अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थित है और ऐसी सरकार के विचारों को सहबद्धता प्रदान किए जाने के पूर्व विचारण में लिया जाएगा।"। (4)

(श्री अर्जुन सिंह)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 11 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री विधेयक को यथा संशोधित रूप में पारित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अर्जुन सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व): एन डी ए के टूटने का स्वागत है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 18 पर आते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही-वृत्तांत से सब कुछ निकाल रहा हूं।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब हम आधे घंटे की चर्चा पर आते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): यह देश के भविष्य के लिए अच्छा है कि एन डी ए का विभाजन हो गया है। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 5.45 बजे

आधे घंटे की चर्चा

सूखा प्रभावित राज्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 18-आधे घंटे की चर्चा पर आते हैं। श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 06.12.04 को प्रश्न संख्या 64 के उत्तर में सरकार ने यह स्वीकार किया था कि मानसून में ज्यादा देरी हो जाने से कई राज्यों में गंभीर सूखे की आशंका पैदा हो गई थी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और पूरे देश की अर्थ-व्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। उसके साथ-साथ रोजगार के साथ भी खेती का सीधा संबंध है चाहे वह किसानों के लिए हो या खेतिहर मजदूरों के लिए हो। लेकिन हमारे देश की एक विडम्बना यह है कि प्रत्येक वर्ष अतिवृष्टि के कारण बाढ़ और अनावृष्टि के कारण सुखाड़ की स्थिति देश के कई राज्यों में पैदा होती है। लेकिन आज तक कोई सार्थक प्रयास इस समस्या के निदान के लिए नहीं किया गया।

इस वर्ष भी देश में औसतन मानसून की जो वर्षा हुई है, उससे औसतन 13 प्रतिशत कम वर्षा पूरे देश में हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि कई राज्यों में सूखे की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन इसी प्रश्न के उत्तर में यह बात कही गई है कि अगस्त महीने में मानसून के आ जाने पर कई राज्यों की स्थिति में काफी सुधार आ गया है। लेकिन इस सबके बावजूद जो सबसे बड़ा राज्य बिहार है, वहां मानसून के कारण कोई सुधार नहीं हुआ है। हम इसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जबकि पूरे देश में औसतन 13 प्रतिशत कम वर्षा हुई। बिहार में 60 से 70 प्रतिशत कम वर्षा मानसून में हुई जबकि पूरे देश का जो क्षेत्रफल है, उसका 2.8 प्रतिशत बिहार में है और लगभग 8.1 प्रतिशत वहां की आबादी है। आबादी के हिसाब से यदि हम जोड़ें तो 880 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. बोझ पड़ता है लेकिन यहां पूरे राज्य में आज स्थिति यह है कि जो आधा उत्तर बिहार है, गंगा के उत्तर का जो भाग है, वह पहले ही बाढ़ की चपेट में है और गंगा के दक्षिण का जो भाग है, वह पूरे सूखे की चपेट में आ गया है। जब बंटवारे से पहले संयुक्त बिहार था तो संसाधन की कमी नहीं थी लेकिन बिहार के विभाजन के बाद आज पूरा बिहार कृषि पर आधारित है। वहां कोई उद्योग-धंधे नहीं हैं। वहां सारे उद्योग बंद हैं। पूरे बिहार में उद्योग के नाम पर एक बरौनी रिफाइनरी इंडियन आयल की चल रही है। उसके अलावा वहां कोई उद्योग नहीं है। इसलिए आज वहां संसाधन का अभाव है और बिहार के लोग कृषि पर आधारित हैं। लेकिन आज इस मानसून के कारण पूरे राज्य की खेती प्रभावित हो गई है। धान की फसल खेतों में लगाई गई। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी तरह किसानों ने डीजल पम्प से धान लगाने का काम किया लेकिन पूरी धान की फसल चौपट हो गई क्योंकि वर्षा बहुत कम हुई। बिहार में सबसे बड़ा जो ताल इलाका है, वह दलहन उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसे ताल इसलिए कहा जाता है कि बरसात ऋतु में वहां पूरे तालाब की स्थिति हो जाती है। वर्षा ऋतु के बाद जब पानी निकलता है तो जमीन की नमी के आधार पर दलहन की बुवाई होती है। लेकिन इस बार पूरे दलहन के क्षेत्र में एक इंच पानी का प्रवेश नहीं हुआ। गांव के बूढ़े-बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवनकाल में कोई ऐसा वर्ष नहीं देखा जब इस क्षेत्र में पानी नहीं आया हो। वहां के किसानों के लिए आज भुखमरी की स्थिति है।

इन सबके अलावा वहां पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। चूंकि बारिश नहीं होने के कारण, वहां का जलस्तर दस सेंटीमीटर प्रति वर्ष नीचे जा रहा है। इस कारण वहां पानी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन दो महीनों के बाद स्थिति और भी बदतर होने वाली है। इस संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा है कि कई राज्यों में टीम भेजने की बात की जा रही है। लेकिन बिहार में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। बिहार में आबंटित और मांग की बात कही गई है, वह भी स्पष्ट नहीं है कि वह मांग बाढ़ के लिए की गई थी या सूखे से निपटने के लिए की गई थी। आज बिहार सरकार के कुप्रबंधन की वजह से वहां स्थिति दयनीय हो गई है। हालांकि कृषि और जल राज्य सरकार का विषय है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि बिहार की राज्य सरकार प्रबंधन में विश्वास नहीं करती, कुप्रबंधन में करती है। पूरे बिहार की स्थिति भयावह हो गई है। आने वाले समय में और भी भयावह होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि वे बताएं कि बिहार सरकार ने सूखे से निपटने के लिए कितनी मांग की है और क्या कोई कार्य योजना वहां से बनाकर यहां भेजी गई है या नहीं? सरकार द्वारा सूखे से निपटने के लिए अब तक पैसे का जो आबंटन और खाद्यान्न रिलीज किया है, मैं पूछना चाहता हूं कि वह बाढ़ से निपटने के लिए है या सूखे से निपटने के लिए है? अगर दोनों से निपटने के लिए है तो उसमें से सूखे के लिए कितनी राशि बिहार की सरकार को आबंटित की गई है? इसके अलावा आने वाले दिनों में जो भयावह स्थिति वहां पैदा होने वाली है, उसके लिए रोजगार पैदा करने वाली योजनाएं, फूड फार वर्क जैसी व्यापक योजनाएं चलाई जाएं, ताकि लोगों को रोजगार मिले। सूखे से राहत देने वाली जो योजनाएं वहां चलाई जाएं, उनकी निगरानी यहां से की जाए, क्योंकि वहां की राज्य सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। उसका तो टोटल कुप्रबंधन है, टोटल अनार्की है। वहां की राज्य सरकार की कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छाशक्ति नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार यहां से इन सारे कार्यक्रमों के लिए विशेष मानेटरिंग की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। मैं आपकी सराहना करता हूं। आपने अच्छी तरह अपनी बात की।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैं दो प्रश्न करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप नहीं कर सकते। इस प्रकार कार्य नहीं होता। 'नियमों' जैसी कोई चीज भी होती है। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि जिन सदस्यों ने पहले अध्यक्ष को सूचना दे दी थी, वे किसी मामले पर और प्रकाश डालने के लिए प्रश्न कर सकते हैं। मैं उन चारों माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा, जो सफल हुए हैं और जिनके नाम मतपेटी में हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं।

डा. चिन्ता मोहन (तिरूपति): महोदय, सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए लगभग 150 जिलों को चुना है। परन्तु ऐसे स्थान भी हैं जहां लगातार सात वर्ष से वर्षा नहीं हुई है। सरकार ऐसे स्थानों की सहायता के लिए क्या योजना बना रही है, जिन्हें कि 150 जिलों में शामिल नहीं किया गया है?

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा): अध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह भी मैंने आपकी इजाजत से इससे संबधित मामला विशेष उल्लेख के जरिए उठाया था। बिहार में कुछ इलाकों की स्थिति सूखे से बहुत भयंकर है। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि पीने के पानी का भी संकट उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जल का स्तर भी नीचे चला गया है। इस कारण अकेले नालन्दा जिले में मैंने उस दिन भी उल्लेख किया था कि छ: लोगों की भूख से मौत हुई है। वे लोग मुख्यत: दलित वर्ग से आते थे और खेतीहर मजदूर थे। उन सबका नाम लेकर मैंने यहां उल्लेख किया था। मुझे दु:ख होता है कि जब मैं वीकएंड की छुट्टियों में अपने संसदीय क्षेत्र गया तो मालूम हुआ कि वहां मरने वालों की संख्या कम से कम 12 हो गई है। स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती चली जा रही है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हैं। एक महीने पहले मैंने इनसे अपने संसदीय क्षेत्र से दूरभाष पर इस बात का उल्लेख किया था कि वहां पर बुरी हालत है। मैंने वहां के अधिकारियों से भी बात की कि कोई न कोई योजना चलाई जाए ताकि वहां के गरीब खेतीहर मजदूरों को काम मिल सके।

सब लोग खेती पर निर्भर करते हैं और अगर वहां खेती नहीं हो रही है तो लोगों को काम नहीं है और अगर लोगों को काम नहीं मिलेगा तो लोगों को खाने का इंतजाम नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करके कोई काम की योजना चलानी चाहिए और जैसा मैंने उल्लेख किया था कि वहां 12 राज्यों में सूखा पड़ा था और एनडीए की सरकार उस वक्त थी। जिस राज्य ने अनाज मांगा, धन मांगा वह दिया गया। आज कुछ इलाकों में सूखा है। मैं अनुरोध करूंगा कि फूड फार वर्क प्रोग्राम में जिन जिलों को शामिल नहीं किया गया है, आप उनको शामिल कीजिए।

दूसरे, काम के लिए वहां और योजनाओं को चलाइये और यह जो परिस्थिति पैदा हुई है इसको एक अवसर में आप तब्दील कर सकते हैं। जितने भी हमारे मिट्टी संबंधी काम हैं, उनको किया जा सकता है। सिंचाई के स्रोतों को बनाया जा सकता है। अभी माननीय सदस्य ने टाल क्षेत्र का उल्लेख किया। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि 1 लाख 9 हजार हैक्टेयर जमीन उसमें है और वहां दलहन की खेती होती है। हमने पहले कभी नहीं देखा कि उसमें पानी न आया हो। यह पहली बार हुआ है कि टाल क्षेत्र में, जहां रबी की अच्छी फसल होती थी, वहां जंगल उग आये हैं। वहां बहुत बुरा हाल है और पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है, मवेशियों के लिए चारे का संकट होने जा रहा है। डीजल के दाम बढ़ गये हैं और चारों तरफ हाहाकार है। माननीय देवेन्द्र यादव जी को हो सकता है कि थोड़ी तकलीफ लगे, लेकिन मानवीय पक्ष की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। वहां की सरकार और सरकारी पार्टी मजदूर किसान रैली आयोजित कर रही है। जो पैसा आप रैली में लगा रहे हैं अगर उसे वहां खर्च कर देतें, तो वहां कोई भूख से नहीं मरता। आप उनका वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन वे मर रहे हैं, इसकी चिंता आपको नहीं है। कोई वहां नहीं पहुंचता है, वहां बहुत बुरा हाल है। माननीय कृषि मंत्री जी पहले बैठे हुए थे अब चले गये है। अगर वे होते तो मैं उनसे अनुरोध करता कि कम से कम वे एक बार वहां चलें और चलकर देखें कि मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है या असत्य है, आप स्वयं चलकर देख लें। आपने इसमें आधे घंटे की चर्चा मंजूर की है तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए। मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि माननीय कृषि मंत्री शरद पवार जी बिहार चलें और उन सूखा-प्रभावित क्षेत्रों को देखें। मैं भी कृषि मंत्री रहा हूं और मैं स्वयं राजस्थान गया था। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि समय निकालकर वे वहां तत्काल जाएं और वहां की परिस्थिति का आकलन करके जो मदद देनी हो वह करें। वहां अगर कोई काम नहीं किया जा रहा है तो उसका रास्ता निकालें कि काम हो। मेरी दूसरी स्पेसिफिक मांग है कि फूड वर्क प्रोग्राम जो भारत सरकार ने लांच किया है, उसमें नालंदा जिले को शामिल किया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय अध्यक्ष जी, सूखा प्रभावित राज्य की चर्चा यहां हो रही है, आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत के देहातों में 80 करोड़ की आबादी रहती है और ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 18 करोड़ लोग रहते हैं। यह बात सत्य है कि सरकार ने अपना पल्ला इसलिए झाड़ लिया कि अनियमित वर्षा होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई, जिसे हम भी स्वीकार करते हैं। आदरणीय नीतीश जी ने जैसा बताया कि भूख से लोग मर रहे हैं। सरकार के पास बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे राहत पहुंचाकर हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुंचे लोगों को बचा सकता हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के जिलों का सर्वे कृषि इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किया है कि कितने हैक्टेयर भूमि पर असिंचित और सूखे की स्थिति से वहां पर लोग प्रभावित हुए हैं। मैं मांग करता हूं कि वहां पर आप सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको लागू करवाएं। रोजगार न मिलने के कारण जो सीमांत कृषक हैं जिनके पास डेढ़ बीघे, दो बीघे जमीन है, वे भुखमरी के कगार पर हैं।

सायं 6.00 बजे

उनका पलायन गांवों से शहरों की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण शहरों में भी रोजगार की समस्या बढ़ रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चाहे खाद्यान्न की समस्या हो या तमाम ऐसी योजनाएं हों, खासकर बी.पी.एल. से संबंधित जो कार्डधारक हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। वे रोजाना कमा रहे हैं और रोजाना खा रहे हैं। इसलिए उनके लिए कोई कारगर कदम उठाये।

दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने कृषि ऋण लिया है, उनका ऋण और ब्याज सरकार माफ करे और जो किसान लगान देते हैं, उनका लगान भी माफ किया जाए। इन इलाकों में किसानों के अलावा जानवरों की स्थिति बहुत बदतर है। यहां जो उनके मवेशी और पक्षी हैं वे भूखों मर रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइये, हर तरफ सूखा पड़ रहा है। जहां सूखा है वहां चारा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उनके लिए चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के कुछ जिले सूखे से प्रभावित हैं। अखबारों में ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि केरल सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को मनाने का प्रयास किया है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या नुकसान का जायजा लेने के लिए कोई केन्द्रीय दल वहां गया था। क्या सरकार उनकी रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई करेगी? कृपया मुझे यह भी बताइए कि क्या उन्हें कुछ केन्द्रीय सहायता भी दी गई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैंने इस प्रश्न पर 45 मिनट की अनुमति दी थी। उस समय मैंने स्वयं कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसीलिए मैंने इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी थी। मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आजकल अध्यक्ष का बोलना बहुत कठिन हो गया है तथा केवल आप सभी बोलना चाहते हो। मैं आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मतदान के कारण केवल चार माननीय सदस्यों को ही अवसर दिया जा सकता था। उन्होंने अपने-अपने राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल का भी हवाला दिया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए।

मंत्री महोदय, मुझे विश्वास है कि आप पूरे देश के बारे में चिंतित है। अन्य राज्यों के माननीय सदस्य भी अपने प्रासंगिक मुद्दे उठाने चाहते हैं। मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं। परन्तु नियमों में इसकी अनुमति है। इसलिए मैं समझता हूं कि जब आप उत्तर दें तो आपके मस्तिष्क में पूरा देश हो।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सर, मैं महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम सबके लिए कह रहे हैं। हम क्या करेंगे, रूल्स को तोड़ दीजिए, किताब फेंक दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले, आपने मुझसे वादा किया था कि आपका बर्ताव सही रहेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले मैं आपको अध्यक्ष के पैनल में रख दूंगा। अब मंत्री महोदय।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया और मैं राजीव जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने यहां सूखे से जूझने वाले दूरगामी मुद्दों को उठाया। मैं दूसरे माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और मैं पूरे सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं का भी सम्मान करता हूं। महोदय, आपने जो आदेश दिया है, उसके मुताबिक मैं अपनी बात कुछ शब्दों में रखना चाहता हूं। इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि पूरे देश में जहां 70 प्रतिशत से अधिक वर्षा की आपूर्ति जून से सितम्बर में हुई, वह दक्षिणी-पश्चिमी मानसून पर वर्षा निर्भर करती है। इस अवधि में वर्षा की कमी या वर्षा के कुछ सप्ताह में कम या अधिक होने से कृषि पैदावार और पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हुई।

अत: हमारे देश की इन परिस्थितियों के कारण सूखे का संकट देश के किसी न किसी भाग में हर वर्ष मंडराता रहा है किन्तु ऐसा मानना तथ्यों पर आधारित नहीं है कि हमने सूखे को एक अटल सत्य मान लिया है और हमारी नीति सूखा उत्पन्न होने की स्थिति में राहत कार्यों के लिए धन आबंटित करने तक ही सीमित होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सूखे से निपटने का एकमात्र स्थायी उपाय सिंचाई को सुनिश्चित करना है। सिंचित क्षेत्रों में समय-समय पर वर्षा के भयंकर अभाव के कारण भयानक भूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में और ऐसे असिंचित क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक कारणों से सिंचाई के परंपरागत तरीकों को अपनाना संभव नहीं है, क्षेत्रीय विकास की ऐसी प्रणाली बनाई जाती है जिनसे इन क्षेत्रों में सूखे की मार झेलने की क्षमता बढ़ जाए। यदि मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो सिंचाई और क्षेत्रीय विकास के विभिन्न कार्यक्रम ही सूखा उन्मूलन के दो उपाय हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, शुरू में सन् 1951 में जब पहली पंचवर्षीय योजना की शुरूआत हुई थी, हमारे देश में 32.8 करोड़ हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में 13.1 करोड़ हैक्टेयर भूमि कृषि के अंतर्गत आती थी। इसका केवल 17 प्रतिशत अर्थात् 2.2 करोड़ हैक्टेयर ही सिंचित क्षेत्रों में आता था। अधिक विस्तार में न जाते हुए मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2000 में कृषि के अधीन क्षेत्रफल 13.1 करोड़ हैक्टेयर से बढ़कर 19 करोड़ हैक्टेयर हो गया, जबकि सिंचित क्षेत्र 2.2 करोड़ हैक्टेयर से बढ़कर 7.9 करोड़ हैक्टेयर हो गया। अर्थात् सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके प्रश्नों के उत्तर लूंगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: आना-जाना तो लगा रहता है। हम भी जानते हैं। अभी स्पैसेफिक कंटैक्स्ट में कुछ तो बोलिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप हमेशा एक दूसरे को यह निदेश देते रहते हैं कि वह क्या बोले और क्या न बोले।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं अन्य माननीय सदस्यों को अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

मंत्री जी, सूखे के बारे में, फूड फार वर्क के बारे में क्या काम कर रहे हैं, वह बताइए।

श्री कांतिलाल भूरिया: थोड़ा सुन लीजिए। नीतीश जी तो मंत्री रहे हैं, आपको मालूम है, पर माननीय सदस्यों को सबको सुनने का मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिये, हमको मालूम नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। जिस समय इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी। मैंने स्वयं उस

[अध्यक्ष महोदय]

दिन एक प्रश्न पर 45 मिनट की अनुमति दी थी। मैंने सुझाव दिया था कि-आप आधे घंटे की चर्चा के लिए नोटिस दें और मैं इसकी अनुमति दूंगा। दुर्भाग्य से हमारे नियम केवल पांच माननीय सदस्यों को अनुमति देते हैं-एक जो चर्चा आरंभ करता है तथा चार और। मैंने उन्हें अनुमति दी। हालांकि केवल एक प्रश्न की अनुमति दी गई थी, उसके बावजूद भी मामले के महत्व को देखते हुए मैंने श्री नीतीश कुमार तथा अन्य माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी।

माननीय मंत्री महोदय को भी उत्तर देने का अधिकार है। उन्हें आपके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, परन्तु यदि उनकी भूमिका थोड़ी लंबी है, तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए।

श्री विक्रम केशरी देव: महोदय, हमें स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इस बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं होता। आप भी मंत्री बने थे। कैसे रूल तोड़ने के लिए बोलते हैं?

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, मैं राजीव रंजन जी की भावना का सम्मान करते हुए सारी बातें सदन में आपके आदेशानुसार रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: हमने आदेश दिया है, आप जल्दी करें।

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, यहां साधारण सूखा पड़ना बंद हो गया है। हम परिस्थिति को देखते हुए इस क्षेत्र में भी ऐसे पाकेट हो सकते हैं जिन्हें क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रम जैसे वाटर शैड मैनेजमैंट या डीपीएपी जैसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ सकती है। उस माध्यम से हम इन सारी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। चूंकि सिंचाई का विषय जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित है, अत: मैं अधिक आंकड़े देने की स्थिति में नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय, फिर भी मात्र इतना स्पष्ट करना काफी होगा कि राज्यों की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं में इर्रीगेशन को लगभग सभी और विभागों से अधिक धन आबंटित होता है। इसके अतिरिक्त जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संचालित ए.आई.बी.पी. कार्यक्रम अर्थात् एक्सीलरेटेड इर्रीगेशन बैनीफिट प्रोग्राम के अंतर्गत नवम्बर 2004 तक विभिन्न राज्यों में 14,840 करोड़ रुपए का कर्ज मुहैया कराया गया है। इस राशि का उपयोग राज्यों में 220.76 अरब क्यूबिक मीटर का अतिरिक्त जल भंडारण संभव हुआ। ये ऐसी उपलब्धियां हैं, जो राज्यों द्वारा अपनी योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों के अतिरिक्त प्राप्त की गई हैं जिनकी वजह से ऐसा संभव हो सका।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे क्षेत्रों में जहां वर्षा का अभाव अधिक होता है और विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के स्रोत बारहमासी नहीं होते, वहां कुछ ऐसे उपाय करने की आवश्यकता होती है जिससे उनसे संबंधित क्षेत्रों में सूखे से निपटने की क्षमता बढ़े। इन उपायों से ऐसे असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई आवश्यकता होती है जहां सूखा बार-बार पड़ता है। उन क्षेत्रों में जहां या तो वित्तीय अभाव के कारण अथवा प्राकृतिक कारणों से भी अभी तक सिंचाई की सुविधा अभी तक सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। यह उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से पूरा करने की कोशिश की गई है। समय के अभाव के कारण मैं इन कार्यक्रमों का बहुत ही संक्षेप में ब्यौरा देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, सूखा प्रबन्धन हो गया, यह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार, कृपया माननीय मंत्री महोदय की बात सुनिए।

[हिन्दी]

मंत्री जी आप बोलिए।

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को एक-एक बात की जानकारी दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय की मुझ पर कृपा है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। आप चिन्ता न करें। ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो मामला है, उसमें सूखे से निपटने के लिए कई विभागों को मिलाकर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। माननीय मंत्री महोदय उस बात पर भी आ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कई विभागों को मिलाकर सूखे से ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, व्यवधानों से भ्रमित न हों।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डी.पी.ए.पी. अर्थात् सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 182 जिलों में चलाया जा रहा है। जिस प्रकार से आपकी भावना है, उसी प्रकार से 182 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार: महोदय, वह केवल विभिन्न योजनाओं के बारे में ही बात कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, यदि मंत्री महोदय राजी हो तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, श्री येरननायडु मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि वह राजी हो जाते हैं तो भी मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: इसके अंतर्गत मार्च 2004 तक 4023.02 करोड़ रुपए की लागत से 107 लाख हैक्टेयर से अधिक सूखे की बार-बार मार झेल रही भूमि को ट्रीट किया जा रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सम्मिलित वेस्ट लैंड डैवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत 1559.49 करोड़ रुपए की लागत से 50 लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि को ट्रीट किया गया है।

उसी तरह से कृषि मंत्रालय के अंतर्गत चल रहे कार्यों के अंतर्गत, नीतीश कुमार जी को बता रहा हूं कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत चल रहे राष्ट्रीय वाटरशेड डैवलपमेंट प्रोजैक्ट जो कि बारानी क्षेत्र के अंतर्गत 2159.54 करोड़ रुपए की लागत से 75 लाख हैक्टेयर भूमि ट्रीट की जा रही है। उसके साथ इसी मंत्रालय के आर.बी.टी. एंड एफ.टी.आर. कार्यक्रम के अंतर्गत 54.86 लाख हैक्टेयर भूमि ट्रीट की जा रही है। उसी तरह से मैं संक्षेप में मैं यह कह सकता हूं कि 1950 से लेकर अब तक 5 करोड़ हैक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र सिंचाई के तहत लाया गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अल्प-अवधि के उपायों के बारे में बताएं

[हिन्दी]

आप ही के लिए तो हम बोल रहे हैं।

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, 3.02 करोड़ हैक्टेयर भूमि को वाटरशेड और दूसरी तकनीकों *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। माननीय सदस्यों के व्यवधानों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: दूसरी तकनीकों से इस प्रकार सिंचित किया गया है कि उनमें सूखे को झेलने की शक्ति बने।

इन क्षेत्रों में मूल्यांकन से यह बात सामने आई कि यहां भूमिगत पानी का स्तर बढ़ा है। ये सब करने से हमारा जलस्तर बढ़ा है और पेड़-पौधों तथा वनस्पति के कवरेज में भी वृद्धि की गई है। हमारी यूपीए सरकार ने एक नया प्रयास किया है। यूपीए सरकार का जो नया प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी यूपीए की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया जी के मार्गदर्शन में यह प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ड्राइ लैंड फार्मिंग भी शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत किसान के अपने खेत में जल संरक्षण की व्यवस्था का बंदोबस्त किया जा रहा है। इस परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और योजना आयोग ने सिद्धांत रूप से दसवीं पंचवर्षीय योजना में दो हजार करोड़ रुपए की राशि आबंटन करने का संकेत दिया है ताकि जहां सूखा पड़ रहा है, वहां भूमि के जलस्तर को ऊंचा करके हम किसानों को खुशहाली दिला सकते हैं। इसकी हमारी पूरे सदन को चिन्ता है, उससे उभरने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो हजार करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है ताकि किसानों में खुशहाली आए और उनकी तकदीर बदले। इसका एक तरीका प्रधानमंत्री जी ने निकाला है। इस संक्षिप्त विवरण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दूरगामी उपायों की अनदेखी नहीं की गई है और संबंधित मंत्रालयों ने इस दिशा में अच्छी प्रगति की है। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि इस तरह चलता रहा तो मुझे यह चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। इस प्रकार की चर्चा का क्या लाभ है? कृपया बैठ जाइए। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं और नियमों को जानते हैं।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव: महोदय, हम एक प्रासंगिक प्रश्न करना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब आप मंत्री बनोंगे तो एक स्पष्ट मंत्री बनोंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: व्यवधान को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह बात सही नहीं है। आप लोग जानबूझ कर इंटरप्ट कर रहे हैं।

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय राजीव रंजन जी ने जो अपनी बात रखी, उन्होंने सरकार से जानना चाहा, उस बारे में बिहार के बारे में बताना चाहता हूं। सूखा राहत के लिए बिहार को 162.18 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ-साथ दो लाख मीट्रिक टन अनाज का आबंटन भी कर दिया गया है। इससे अधिक सहायता पर भी फरवरी, 2005 तक विचार किया जाएगा। जिस तरह से माननीय सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की है, उसका मैं स्वागत करता हूं। चिन्ता मोहन जी ने भी जानना चाहा है और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जानकारी उपलब्ध कराएंगे और माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुसार काम करेंगे। किरण कुमार जी हमारे युवा साथी हैं, वे भी जानकारी चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए 192 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। *...(व्यवधान)* सूखा राहत कार्य के लिए भी अतिरिक्त सहायता पर विचार किया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां हर प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नीतीश कुमार जी के नालंदा जिले के बारे में भी बता दीजिए।

श्री कांतिलाल भूरिया: नालंदा जिले के बारे में नीतीश कुमार जी जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने वहां काफी काम किया है। वहां पर और भी काम करने की आवश्यकता है और माननीय सदस्य की भावनाओं को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, अब आपको उत्तर मिल गया।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: हम और भी अधिक सहायता पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं।

आपने कृषि मंत्री रहते हुए काफी काम किया है, अगर और भी कहीं पर काम करने की जरूरत होगी तो भी हम प्राथमिकता से काम करेंगे। राधाकृष्णन जी भी हमारे सीनियर मैम्बर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम उनकी भावना का सम्मान करके निश्चित ही उनकी भावना के मुताबिक काम करने का पूरा प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद माननीय सदस्यों। आपके सहयोग के लिए मैं आपका आभारी हूं।

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 17 दिसंबर, 2004/26 अग्रहायण 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री हरिकवेल प्रसाद श्री निखिल कुमार चौधरी	221
2.	श्री गुरूदास दासगुप्त	222
3.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक श्री ब्रजेश पाठक	223
4.	श्री देविदास पिंगाले प्रो. महादेवराव शिवनकर	224
5.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	225
6.	श्री सुरेश चन्देल डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	226
7.	श्री अर्जुन सेठी श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	227
8.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	228
9.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	229
10.	श्री अजय चक्रवर्ती श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	230
11.	श्री सुशील कुमार मोदी श्री हंसराज जी. अहीर	231
12.	श्रीमती सुमित्रा महाजन श्री थावरचन्द गेहलोत	232
13.	श्री निखिल कुमार श्री चन्द्रभूषण सिंह	233
14.	श्री हेमलाल मुर्मू	234
15.	श्री सुरेश अंगड़ि	235
16.	श्री रायापति सांबासिवा राव	236
17.	डा. एम. जगन्नाथ	237
18.	श्री रघुनाथ झा	238
19.	श्री प्रभुनाथ सिंह	239
20.	श्री तूफानी सरोज	240
21.	श्री चंद्रकांत खैरे	241
22.	श्री अधीर चौधरी श्री उदय सिंह	242

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	2575
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	2583, 2662, 2725
3.	आदित्यनाथ, योगी	2559
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2572, 2652, 2655, 2707
5.	अहमद, श्री अतीक	2516, 2644
6.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2586, 2675
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	2612, 2678, 2711
8.	अर्गल, श्री अशोक	2588
9.	आठवले, श्री रामदास	2531, 2562, 2613, 2702
10.	बंसल, श्री पवन कुमार	2568, 2571, 2651, 2706
11.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	2569, 2650, 2705
12.	बर्मन, श्री रनेन	2514, 2576
13.	बखला, श्री जोवाकिम	2576
14.	बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज	2510
15.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2584, 2663
16.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2548
17.	चन्देल, श्री सुरेश	2537, 2610, 2694, 2700
18.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2537, 2547, 2639, 2698
19.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2561
20.	चौधरी, श्री पंकज	2543, 2635, 2720
21.	चौधरी, श्री अधीर	2525, 2608, 2660, 2677
22.	चौधरी, श्री विकास	2523

1	2	3
23.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	2619, 2682
24.	देव, श्री बिक्रम केशरी	2715
25.	देवरा, श्री मिलिन्द	2600
26.	धोत्रे, श्री संजय	2597, 2669
27.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2543, 2713, 2728
28.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2534
29.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2587
30.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2607, 2733
31.	गोहेन, श्री राजेन	2540, 2671, 2731
32.	गौड, श्री डी.वी. सदानन्द	2564
33.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	2559
34.	हुसैन, श्री अनवर	2577
35.	जगन्नाथ, डा. एम.	2632, 2691
36.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2504, 2603
37.	झा, श्री रघुनाथ	2602, 2676
38.	जोगी, श्री अजीत	2559, 2616 2714
39.	जोशी, श्री प्रहलाद	2586
40.	कलमाडी, श्री सुरेश	2556, 2578, 2579, 2654, 2709
41.	कामत, श्री गुरूदास	2563, 2646
42.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2549, 2633, 2693
43.	खां, श्री सुनील	2512, 2716
44.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	2545, 2636, 2695
45.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2559
46.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2505, 2568, 2605, 2697, 2723
47.	कोली, श्री रामस्वरूप	2510
48.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2509
49.	कृष्ण, श्री विजय	2522, 2599, 2637, 2696
50.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	2554, 2661, 2724
51.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2559
52.	कुरूप, श्री सुरेश	2616
53.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	2556, 2673
54.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2511, 2609, 2679
55.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2562, 2645, 2701
56.	महाजन, श्री वाई.जी.	2549
57.	महतो, श्री बीर सिंह	2539
58.	महतो, श्री सुनिल कुमार	2539, 2680
59.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2541, 2549, 2643, 2732
60.	महताब, श्री भर्तृहरि	2555
61.	महतो, श्री टेक लाल	2548
62.	माझी, श्री परसुराम	2513, 2549
63.	मंडल, श्री सनत कुमार	2527, 2559, 2668
64.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	2615, 2630, 2683
65.	माने, श्रीमती निवेदिता	2590, 2592, 2630, 2665
66.	मेघवाल, श्री कैलाश	2517, 2533, 2648, 2686, 2703
67.	मैन्या, डा. टोकचोम	2536
68.	मिश्रा, डा. राजेश	2530, 2647
69.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	2542
70.	मोदी, श्री सुशील कुमार	2522, 2626, 2729
71.	मुकीम, मो.	2594
72.	मोल्लाह, श्री हन्नान	2544
73.	मूर्ति, श्री ए.के.	2507, 2614

1	2	3
74.	मुन्शी राम, श्री	2549, 2556
75.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2630, 2689
76.	नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	2547
77.	नरबुला, श्री डी.	2512
78.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	2728
79.	नायक, श्री अनन्त	2586, 2664, 2726
80.	निखिल कुमार, श्री	2629
81.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	2550, 2674
82.	ओराम, श्री जुएल	2538, 2586
83.	ओसमानी, श्री ए.एफ.जी.	2519, 2606
84.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2518, 2634, 2638, 2697
85.	पाल, श्री राजाराम	2550
86.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2618, 2681
87.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2515, 2579
88.	पासवान, श्री राम चन्द्र	2601
89.	पासवान, श्री सुकदेव	2510, 2714
90.	पाठक, श्री ब्रजेश	2559, 2627, 2688
91.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2581
92.	पाटिल, श्री डी.बी.	2596, 2667
93.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	2623
94.	पिंगले, श्री देविदास	2549, 2620, 2684
95.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2680
96.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	2624, 2686
97.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2574
98.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2617, 2717
99.	रामदास, प्रो. एम.	2528, 2611
100.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2568, 2649, 2704
101.	राव, श्री के.एस.	2541, 2634, 2732
102.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2559, 2579, 2621, 2685
103.	राठौड़, श्री हरिभाई	2591
104.	रावत, श्री अशोक कुमार	2585
105.	रावत, श्री कमला प्रसाद	2565
106.	रावत, प्रो. रासा सिंह	2593
107.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2559, 2579, 2621, 2685
108.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2539
109.	रिजीजू, श्री खीरेन	2506
110.	साई प्रताप, श्री ए.	2521
111.	संगलिअना, डा. एस.टी.	2595
112.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2549, 2625, 2687, 2714
113.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	2535, 2522
114.	सरोज, श्री तूफानी	2628, 2730
115.	सत्पथी, श्री तथागत	2589
116.	सेन, श्रीमती मिनाती	2567
117.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2529, 2566, 2642, 2700
118.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	2526, 2572, 2652, 2655, 2728
119.	शिवन्ना, श्री एम.	2553, 2643
120.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2549, 2620, 2640
121.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2557
122.	सिंह, श्री बृज भूषण शरण	2552
123.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2659, 2722
124.	सिंह, चौधरी लाल	2566

1	2	3
125.	सिंह, श्री दुष्यंत	2593, 2727
126.	सिंह, श्री गणेश	2560
127.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	2714
128.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2599, 2637, 2665, 2670
129.	सिंह, श्री मोहन	2672
130.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2614, 2692
131.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	2573
132.	सिंह, श्री राकेश	2546, 2641, 2699
133.	सिंह, श्री सीताराम	2559
134.	सिंह, श्री सुग्रीव	2544, 2558
135.	सिंह, श्री सूरज	2549
136.	सिंह, श्री उदय	2598
137.	सिंह, श्री चन्द्र प्रसाद	2714
138.	सुरेन्द्र, श्री चेंगरा	2537
139.	सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव हु.	2570, 2627
140.	थामस, श्री पी.सी.	2579, 2656
141.	ठुम्मर, श्री वी.के.	2524, 2549, 2653, 2708
142.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2551
143.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	2582, 2658, 2721
144.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2555
145.	विनोद कुमार, श्री बी.	2580, 2657, 2710
146.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	2549
147.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2590, 2592, 2637, 2683, 2696
148.	यादव, श्री बालेश्वर	2520
149.	यादव, श्री राम कृपाल	2714
150.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2532, 2549
151.	जाहेदी, श्री महबूब	2604, 2718, 2719

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	223, 228, 236, 242
संस्कृति	:	
रक्षा	:	224, 233
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	222
सूचना और प्रसारण	:	226, 229, 230, 232, 237, 240
पंचायती राज	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	225, 227, 241
रेल	:	221, 231, 234, 235, 238, 239
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	2505, 2508, 2528, 2529, 2531, 2536, 2539, 2557, 2569, 2572, 2588, 2594, 2595, 2599, 2623, 2632, 2644, 2645, 2658, 2660, 2697, 2710, 2731
संस्कृति	:	2513, 2515, 2533, 2534, 2551, 2648, 2672, 2715, 2728
रक्षा	:	2506, 2525, 2530, 2532, 2545, 2546, 2550, 2565, 2571, 2573, 2578, 2579, 2580, 2586, 2600, 2601, 2624, 2629, 2636, 2637, 2652, 2659, 2664, 2681, 2695, 2704, 2709, 2724, 2725
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	2523, 2583, 2592, 2611, 2619, 2682, 2712, 2716, 2718, 2719, 2722, 2732
सूचना और प्रसारण	:	2507, 2520, 2544, 2555, 2563, 2567, 2568, 2590, 2627, 2638, 2649, 2656, 2665, 2680, 2683, 2685, 2694, 2702, 2706, 2733
पंचायती राज	:	2576, 2589, 2616, 2674, 2675
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	2510, 2514, 2518, 2519, 2521, 2535, 2549, 2552, 2581, 2582, 2598, 2606, 2607, 2608, 2612, 2615, 2618, 2620, 2621, 2625, 2628, 2631, 2634, 2640, 2653, 2654, 2662, 2670, 2673, 2677, 2684, 2687, 2690, 2696, 2700, 2713, 2714, 2721, 2723, 2727

रेल	:	2504, 2511, 2512, 2516, 2517, 2522, 2524, 2526, 2527, 2537, 2538, 2540, 2541, 2542, 2543, 2547, 2548, 2553, 2554, 2556, 2558, 2560, 2561, 2566, 2570, 2574, 2575, 2577, 2584, 2585, 2587, 2593, 2596, 2597, 2602, 2604, 2605, 2609, 2610, 2617, 2626, 2630, 2633, 2635, 2639, 2641, 2646, 2647, 2650, 2655, 2657, 2663, 2666, 2667, 2668, 2669, 2671, 2676, 2678, 2679, 2686, 2688, 2689, 2691, 2692, 2693, 2698, 2699, 2701, 2703, 2705, 2707, 2708, 2711, 2717, 2720, 2726, 2729, 2730
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	2509, 2559, 2562, 2564, 2591, 2603, 2613, 2614, 2622, 2642, 2643, 2651, 2661, 2713.

पी.एल.एस.– 18/6/12/2004 (एन०)
251

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स श्री इन्टरप्राइजेज प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।